Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 7] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का प्रथम दिवस (प्रात: कालीन) [संख्या 1

सोमवार, दिनांक 9 मार्च, 1970

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.2 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वन, यातायात, भाषा, शिक्षा, चिकित्सा, अकाल सहायता, सिंचाई, आयोजना, परिवार नियोजन, विभाग]

प्रश्न संख्या 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री प्रेमसिंह सिंघवी !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री सूरजमल !

स्वीकृत मार्गों पर बसें न चलने सम्बन्धी शिकायतें

2. श्री सूरजमल (सूरजगढ़ सु०) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या झुंझुनूं से लुहारू वाया चिड़ावा, सूरजगढ़, कासनी, पिलोद रूट पर कोई बसें स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो वे बसें किन लोगों की हैं और क्या यह बसें इस रूट पर चलती हैं ? यदि इस रूट से नहीं चलती हैं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त रूट पर स्वीकृत गाड़ियां न चलने पर किन्हीं लोगों ने शिकायतें भी पेश की थी ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इस प्रकार जो गाड़ियां अपने स्वीकृत रूट को छोड़कर चलती हैं उनकी स्वीकृतियां रद्द की जाती हैं ? यदि हां, तो उक्त बसें जो अपने रूट को छोड़ कर आज भी चल रही हैं उनकी स्वीकृति क्यों बरकरार है ?

(4) क्या सरकार उक्त रूट की बसों के बारे में कुछ निर्णय लेने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उद्योग मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां, झुंझुनूं लुहारू मार्ग पर तीन बसें स्वीकृत हैं व निम्नलिखित व्यक्ति उनके मालिक हैं :—

(क) लुहारू ट्रान्सपोर्ट कम्पनी

(ख) मामचन्द दामोमल

Page No. 2

(श्री हरिदेव जोशी)
(ग) जगजीतसिंह

उपरोक्त गाड़ियों के अनुमति-पत्र झुंझुनूं लुहारू मार्ग पर स्वीकृत हैं। सूरजगढ़-चिड़ावा होकर नहीं चलने की शिकायत है।

(2) जी हां, इस विषय में कुछ शिकायतें पेश की गई थीं, उन शिकायतों पर सम्बन्धित मोटर मालिकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 60 के अन्तर्गत नोटिस दिये गये हैं जिनकी सुनवाई एस. टी. ए. द्वारा दिनांक 17-3-70 को होगी।

(3) जी हां। उनके खिलाफ कार्यवाही एस. टी. ए. में जारी है।

(4) जी हां। यह मामला राज्य परिवहन अधिकरण, जयपुर के समक्ष दिनांक 17-3-70 को रखा जायेगा।

श्री सूरजमल : जिस वक्त इस बस की शिकायत हुई उस वक्त क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरिदेव जोशी : यही मैंने निवेदन किया कि इनके खिलाफ एस. टी.ए. में केस दायर कर दिया गया है यह कहने के लिए कि यह प्रेस्क्राइब्ड रूट पर नहीं चला रहे हैं इसलिए इनका लाइसैन्स कैंसिल कर दिया जाय।

श्री सूरजमल : मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि यह बस इस रूट पर चलती हैं या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया कि इनके खिलाफ शिकायत चल रही है, उस शिकायत का कागनीजेन्स लेकर एक्शन लेवे के लिए मूव कर दिया है।

श्री सूरजमल : क्या सरकार को यह स्पष्ट पता है कि इस रूट पर बस नहीं चलती हैं, अगर यह सही है तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया कि कार्यवाही यह की गई है कि उनका लाइसैंन्स कैंसिल किया जाय—इसके लिए मूव कर दिया गया है।

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : यह कब मूव कर दिया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : उसको काफी दिन हो गये।

श्री रोशनलाल : तारीख ? काफी दिन का तो मतलब दिन में होता है, महीने हो गये या दिन हो गये ?

श्री सूरजमल : सरकार के पास शिकायत सबसे पहले कब आई साहब ?

श्री रोशनलाल : मेरे प्रश्न का उत्तर तो आने दो।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास न तो शिकायत की तारीख है, न कब इसके सम्बन्ध में एस. टी. ए. के समक्ष लिखा गया है इसकी तारीख है, मगर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमैंट के पास हेवीएस्ट पैनेल्टी हो सकती है तो वह यही है कि लाइसैंन्स कैंसिल किया जाय। इसके लिए मूव कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री रामकिशन !
(अनुपस्थित)

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़ सु.) : अध्यक्ष महोदय, संख्या 3 का उत्तर दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 3 के लिए हमारा निवेदन है साहब । यह हिन्दी का है ।

श्री अध्यक्ष : भाषा !

हिन्दी भाषा में कामकाज

3. (श्री रामकिशन (वैर) की अनुपस्थिति में) श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) एवं श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) द्वारा पूछा गया : क्या मंत्री भाषा विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार की ओर से 26 जनवरी, 1965 को कोई ऐसी घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी, 1968 से राज्य का समूचा काम काज हिन्दी के माध्यम से हुआ करेगा ?

(2) क्या उक्त घोषणा में 3 वर्ष की अवधि निश्चित करने के पीछे यह हेतु निहित था कि इस दौरान में तत्सम्बन्धी सभी आवश्यक उपकरण जुटा कर पूर्ण हिन्दीकरण कर दिया जावेगा ?

(3) क्या इस अवधि में समय समय पर यह आश्वासन दिया जाता रहा है कि उक्त निश्चय के कार्यान्वयन में बिल्कुल शिथिलता नहीं वर्ती जायगी ?

(4) क्या यह तथ्य है कि हाल ही में भाषा विभाग में ही एक प्रवक्ता ने यह मत व्यक्त किया है कि उक्त निर्धारित अवधि में राज्य सरकार पूर्ण हिन्दीकरण की नीति पर आचरण करने में असफल रही है ?

(5) क्या यह भी तथ्य है कि इस असफलता का कारण उन्हीं अभाव और आवश्यकताओं का पूरा न होना बताया गया है जिनकी पूर्ति करने हेतु 3 वर्ष की अवधि निश्चित की गई थी ?

(6) क्या सरकार अपनी भाषा की नीति पर कड़ाई से पालन करने का इरादा रखती है ?

मंत्री, भाषा विभाग (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) जी नहीं ।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(6) जी हां ।

श्री नत्थीसिंह : हिन्दी भाषा में जी हां, कह दिया लेकिन जितनी प्रगति हुई है उससे सारा काम काज हिन्दी में होने लग गया है ? आप उससे संतुष्ट हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक जिस तरह के आदेश दिये गये हैं उनके मुताबिक काम हो रहा है और जो प्रगति हो रही है उससे मुझे संतोष है ।

श्री नत्थीसिंह : क्या आपका आदेश इतना नहीं है कि मजमून अंग्रेजी में चला जाय लेकिन दस्तखत हिन्दी में हो ? इस आदेश में सुधार करके सारा काम काज हिन्दी में हो—इस सम्बन्ध में आप प्रगति करना चाहते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सारा काम काज हिन्दी में हो— इसके आधार पर ही प्रगति की जा रही है और बराबर निदेश जारी किये जा रहे हैं। इसके अलावा जो लिट्रेचर है उसको प्रकाशित करके हर जगह पहुंचा दिया गया है। जो पब्लिक के काम आने वाले आर्डर वगैरह हैं, जितनी आज्ञायें हैं वह हिन्दी में प्रकाशित होती हैं।

श्री नथीसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि कितने आर्डर ऐसे होते हैं जो पब्लिक के काम में नहीं आते हैं और वह अंग्रेजी में होते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मंत्रीगण खुद हिन्दी में नहीं लिखते हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, कम से कम विधान सभा को तो बचा दीजिये। मुझे भी पत्र अंग्रेजी में लिखे जाते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मंत्रीगण खुद हिन्दी में नहीं लिखते हैं।

श्री सूरजमल : क्या नोटिस हिन्दी में निकलते हैं ? यह बताने की कृपा करें कि क्या आदेश हिन्दी में निकलते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो आदेश जारी होते हैं वह हिन्दी में होते हैं। जहां तक नोटिस का ताल्लुक है कई माननीय सदस्यों ने इस बात को देखा है कि वह अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन जो पब्लिक के काम में आने वाले आदेश हैं वह हिन्दी में होते हैं। और इन्टरनल नोटिंग के लिए कोशिश की जा रही है कि वह हिन्दी में हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या यह सही है कि जो सरकारी रिपोर्ट है वह अंग्रेजी में प्रकाशित होती है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री ओमदत्त भाटी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो अंग्रेजी में आती है वह अंग्रेजी में प्रकाशित होती हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री ओमदत्त भाटी।

श्री हीरा भाई : आपने बताया कि निदेश दे दिये गये हैं, लेकिन उनका पालन कोई ऑफिसर न करे······

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री हीराभाई : मंत्री महोदय न करें तो उसके बारे में सरकार क्या···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! नेक्स्ट !

श्री हीरा भाई : उनको धन्यवाद देगी या उनको रोकने के लिये कुछ कार्यवाही करेगी !

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री विजयसिंह (मकराना): मंत्री महोदय हिन्दी की हिन्दी उड़ाने में लगे हुए हैं !

गोगोलाव उच्च प्राथमिक स्कूल में अध्यापक

4. **श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले की गोगोलाव उच्च प्राथमिक स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि जुलाई, 69 से नवम्बर, 69 तक उपरोक्त विद्यालय में 4—5 अध्यापक ही रहे ?

(श्री ओमदत्त भाटी)

(3) क्या यह सत्य है कि नागौर जिले में जुलाई, 69 के बाद से 60 प्रतिशत अध्यापकों के स्थानान्तरण आदि के कारण स्थान रिक्त पड़े हैं ? यदि नहीं, तो अध्यापकों के इतनी बड़ी संख्या में अभाव का क्या कारण है ? क्या अध्यापक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं ?

उप मन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) कक्षा एक से 5 तक 94 हैं तथा कक्षा 6 से 8 तक 62 विद्यार्थी हैं।

(2) जी नहीं। 6 अध्यापक कार्य कर रहे हैं।

(3) स्थान पहले से ही रिक्त थे। राज्य सरकार की ओर से नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण रिक्त स्थान भरे नहीं जा सके। अब इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित 9 अध्यापक हैं तथा विद्यालय का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

श्री ओमदत्त भाटी : सरकार ने क्या प्रतिबन्ध लगाया नियुक्तियों के लिए ?

राव श्री धीरसिंह : 6 अक्टूबर को तमाम नियुक्तियों के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया गया। उसके बाद प्रतिबन्ध टीचर्स के लिए रिलेक्स किया गया। उसके बाद तीन अध्यापकों की जो कमी थी वह पूरी कर दी गई।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा !

बिक्री कर एवं यात्री कर की बकाया

5. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (इकलेरा): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) राजस्थान सरकार को गत दो वर्षों में सेल्स टैक्स एवं पेसेन्जर टैक्स से कितनी आमदनी हुई ? जिलेवार आंकड़े बताने की कृपा करें ?

(2) राज्य में अभी अभी किन किन स्थानों से जिला सेल्स टैक्स ऑफिसों को हटाया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार की कितनी कितनी राशि उक्त टैक्सों के पेटे किस किस जिले में बकाया है ? कृपया आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उप मन्त्री वित्त (श्री बृजप्रकाश गोयल): अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में पूरे कागजात विभाग के पास नहीं आये हैं ...

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : कागजात आ नहीं सके हैं।

आखिर में आ जायेंगे ?

(संभवत : मौन स्वीकृति)

इसे आखिर में ले लेंगे।

श्री रामकुमार नन्दवाना !

चित्तौड़गढ़ सिंचाई डिविजन में धनराशि का आवंटन

6. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस चालू वित्तीय वर्ष में चित्तौड़गढ़ सिंचाई डिवीजन में कितनी

Page No. 6

(श्री रामकुमार नन्दवाना)
धनराशि का आवंटन किया गया है ? लघु, मध्यम एवं दीर्घ योजना वाईज आँकड़े देने की कृपा करें।

(2) चित्तौड़गढ़ के अलावा उदयपुर भीलवाड़ा, कांकरोली का क्या माप दण्ड रखा है तथा यहां कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

उप मन्त्री सिचाई (श्री जसराज) : सूची 'क' संलग्न है।

(2) सिचाई कार्यों पर धनराशि का आवंटन कार्यों के महत्व व प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। उपरोक्त डिवीजनों में जो धनराशि आवंटित की गई उसकी सूची 'ख' संलग्न है।

एक माननीय सदस्य : क्या लघु सिचाई परियोजना में झुंझूनू जिले में भी कोई धनराशि आवंटित की गई है ?

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जसराज : अलग से प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

चिकित्सा सुविधा व्यय

7. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले तीन वर्ष में मैडिकल रीएम्बर्समेंट का कितना व्यय सरकार को अपने कर्मचारियों पर करना पड़ा है ? प्रति वर्ष का अलग अलग व्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उपरोक्त गत तीन वर्षों में इस सम्बन्ध में झूठे दावे भी पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो कितने तथा इस प्रकार झूठे दावे पेश करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) गलत दवाओं के मामलों में महालेखाकार ने राज-पत्रित अधिकारीगण अथवा मंत्रीगण के विरुद्ध रिट्रेन्चमेंट स्लिप जारी किये ? ऐसे गलत दावों को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): अध्यक्ष महोदय, वैसे इस प्रश्न का हर विभाग से सम्बन्ध है फिर भी जितनी सूचना मेरे पास आ चुकी है, वह मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है·········

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने निवेदन किया कि स्वास्थ्य विभाग में इसके फीगर्स अवेलेबल होते नहीं, हर एक विभाग का अलग अलग बजट होता है। फिर भी जो सूचना मेरे पास आई है, वह मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।

(1) इस सम्बन्ध में जो सूचना प्राप्त हुई है उसका व्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। 4 जिलों की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। •••

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैंने इसकी सूची मांगी थी वह तो दे देते।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने सूची भिजवा दी है।

श्री दुर्गालाल बादृदार : मुझे नहीं मिली है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : (टेबिल ऑफिस की ओर संकेत करते हुए) आप दे दें न यह।

श्री अध्यक्ष : उत्तर भी नहीं है और सूची भी नहीं है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मैंने तो परसों दस्तखत कर दिये थे

श्री अध्यक्ष : वह दस्तखतों में रह गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे पास 1 ही कापी है, इसकी पांच कॉपियां होती हैं, पहुंचनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास इसका उत्तर भी नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं इसके बारे में जानकारी करूंगा, कल रख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : कल बहुत है। यथाशक्ति उत्तर दे दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : (1) इस सम्बन्ध में जो सूचना प्राप्त हुई है उसका ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। 4 जिलों की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

मैं सूची पढ़ देता हूं :

क्रम सं.	जिला	1966-67	1967-68	1968-69
1.	बांसवाड़ा	1,107	1,059	1,972
2.	झालावाड़	8,780	8,245	8,100
3.	जयपुर	35,411	55,788	95,475
4.	पाली	7,168	9,065	8,215
5.	जैसलमेर	1,860	2,454	2,235
6.	अलवर	14,117	13,945	15,068
7.	भीलवाड़ा	16,241	19,202	38,320
8.	उदयपुर	11,482	12,941	19,164
9.	बीकानेर	7,070.72	9,235-29	11,408.21
10.	जोधपुर	26,421	9,565	35,986
11.	बूंदी	6,914	7,873	9,435
12.	चित्तौड़	4,778	6,072	7,966
13.	सिरोही	3,796.30	7234.85	11,731.9
14.	भरतपुर	12,175	12,839	15.656
15.	चूरू	14,362.2	19,234.32	25,002.63
16.	सचिवालय 3			

श्री अध्यक्ष : टोटल बता दीजिये न ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तीन वर्ष में 22,13,592.5 न. पै. कुल खर्चा हुआ है ।

वर्ष वार ब्योरा इस प्रकार है:

वर्ष 1966-67	5,05,200-86
वर्ष 1967-68	6,80,483-33
वर्ष 1968-69	10,27,902.86

(2) गत तीन वर्षों में 171-44 के दो मर्जो दावे पंचायत एवं विकास विभाग के महालेखाकार द्वारा पकड़े गये, परन्तु उक्त विभाग द्वारा महालेखाकार को अभी तक उत्तर नहीं भेजा गया है ।

(3) गलत दवाओं के मामलों में महालेखाकार द्वारा गत तीन वर्षों में कुल 2,377 रिट्रेन्चमेंट स्लिप्स रु० 42,713.56 की राजपत्रित अधिकारियों को जारी की गई एवं 3 रिट्रेन्चमेंट स्लिप्स रु० 39-84 की मंत्रीगणों को जारी की गई। जो पुर्नभरण योग्य न होने के कारण जारी की गई थी ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह बताने की कृपा कीजिये कि यह ब्योरा जो आपने बताया है इसमें क्या सारे विभागों को ले लिया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ट्रेजरीज से मंगाये हैं, जो ट्रेजरीज से सारे विभागों की रकम उठी है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या यह सही है कि मेडिकल रीएम्बर्समेंट के पैसे किसी पर्टीक्यूलर हैड के तहत दिये जाते हैं ? यदि हां, तो इस हैड से इन्फोर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हर विभाग का मैडिकल रीएम्बर्समेंट का अलग हैड होता है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैडिकल रीएम्बर्समेंट के अलग हैड का महालेखाकार ने डिफरेंट हैड बना रखा है, जिस विभाग का होगा उस विभाग के हैड के नीचे उस अलग हैड में रखा जायगा ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा । हर डिपार्टमैंट का अलग हैड हैं, अपने डिपार्टमैंट में उसी हैड में पैमेंट होता है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : ट्रेजरीज में अलग हैड बना रखे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो फाईनेन्स डिपार्टमैंट बता सकता है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस का क्या कारण है कि पहले वर्ष से तीसरे वर्ष का मेडिकल रीएम्बर्समेंट का पैसा दूने से भी अधिक हो गया है, कई जगह डेढ़ा हो गया है ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : लोगों ने ज्यादा वसूल किया इस लिये डेढ़ा हो गया ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या राज्य में बीमारियां ज्यादा बढ़ गई हैं, या सुविधायें ज्यादा दे दी गई हैं या गलत बिल ड्रा करने से रकम ज्यादा उठी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कुछ तो कीमतें ज्यादा हुई हैं, दूसरा यह है कि ज्यों ज्यों सुविधायें बढ़ती जाती हैं लोग ज्यादा सुविधाओं का उपयोग करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय तीसरे प्रश्न का जबाब स्पष्ट नहीं दिया है। यह बता दें कि किन किन के विरुद्ध आपने क्या क्या स्टेप्स लिये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी प्राप्त करा दी है।

श्री अध्यक्ष : किस किस के खिलाफ स्टेप्स लिये ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह बता दें कि डिफाल्टर्स के खिलाफ क्या एक्शन लिये ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैंने इसमें साफ पूछा है गलत दवाईयों के मामलों में महालेखाकार ने राजपत्रित अधिकारीगण अथवा मन्त्रीगण के विरुद्ध कितने रिट्रेन्चमेंट स्लिप जारी किये ? रिट्रेन्चमेंट स्लिप जारी किये उसके बारे में मंत्री महोदय ने बता दिया तो यह भी बता दें कि उनके खिलाफ क्या क्या स्टेप्स लिये ?

श्री अध्यक्ष : मालूम है क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके बारे में क्या स्टेप्स लिये जाय ? गलत होते हैं तो रिट्रेन्चमेंट कर देते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं यह पूछ रहा था कि किसके विरुद्ध क्या स्टेप्स लिये ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री लक्ष्मण तानीवाल !

श्री लक्ष्मण तानीवाल : मुझे सूची दिलाई जाय।

प्रश्न संख्या 8

झालावाड़ जिले में अकाल राहत कार्य

8. **श्री लक्ष्मण तानीवाल** (डग) : क्या अकाल सहायता मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले की किस किस तहसील के कितने कितने व क्या क्या तथा कितनी कितनी लागत के अकाल राहत कार्य किन ठेकेदारों अथवा किसके संरक्षण में चल रहे हैं? ये राहत कार्य कब तक पूरे हो जावेंगे ? इनकी वर्तमान स्थिति क्या है ? अब तक इन पर कितना पैसा खर्च हो गया और शेष कितना खर्च और होगा ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिले को कुल कितना पैसा अकाल राहत कार्यों के लिये मिला है व कितना और मिलना है या मांगा गया है अथवा चाहिये ?

Page No. 10

(श्री लक्ष्मण तानीवाल)

(3) कितना कितना सामान क्या क्या व कहां कहां से किस किस रेट में परचेज किया वशेष कितना और किया जाना है क्या इन सब के लिये टेन्डर काल किये ? अगर हां, तो बाकी टेन्डरों की रेट्स क्या है व किस किस ने टेन्डर दिये जिनके टेन्डर मंजूर नहीं हुए उनके क्या कारण थे ?

(4) गत 1 वर्ष में अकाल राहत एवं गैर राहत कार्य जो सरकारी स्तर पर किये गये हैं उनकी सूची देने का कष्ट करें व ये सब किनके द्वारा किये जा रहे हैं व कब तक पूरे होंगे व किन ठेकेदारों द्वारा कराये जा रहे हैं ?

(5) क्या यह सही है कि ठेकेदारों की कुछ श्रेणियां सरकार द्वारा निर्धारित कि गई हैं ? क्या योग्य ठेकेदारों को ही ठेके दिये जाय इस बात का खयाल रख कर टेन्डर मंजूर किये जाते हैं ? अगर हां, तो क्या किन्ही ठेकेदारों के सम्बन्ध में जो शिकायतें आई थी ये योग्य नहीं है अथवा अपने निर्धारित एग्रीमेन्ट के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें सामने आई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उपमन्त्री अकाल सहायता (श्री गंगा राम) : अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष :

(स्थगित किया गया)

प्रश्न संख्या 9

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री वृद्धिचंद जैन।

बाड़मेर नगर में जिला चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय

10. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर नगर सीमावर्ती बाड़मेर जिले का हैडक्वार्टर है ?

(2) क्या यह सही है कि इस नगर में जिला चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय नहीं है ?

(3) क्या चिकित्सा विभाग बाड़मेर जिले की जनता की इस आवश्यक मांग को वाजिब समझता है कि इस विस्तृत क्षेत्र में तुरंत ही उक्त कार्यालय की स्थापना की जाय ?

(4) अगर हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) :

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) दिनांक 16-2-70 से जिला चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर का कार्यालय प्रारम्भ कर दिया गया है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : धन्यवाद।

प्रश्न संख्या 11

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री भगवानदास शास्त्री।

राज्य की चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के लिए राशि

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या योजना मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के राज्यों के खर्च के अनुमान राशि के आंकड़े राष्ट्रीय विकास परिषद की अप्रेल 1969 की बैठक में घोषित किए गए थे ? यदि हां तो क्या यह सत्य है कि राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य को पंजाब राज्य से कम धन राशि प्राप्त हुई ? यदि हां तो सरकार द्वारा इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सत्य है कि राजस्थान की जनगणना के आधार पर केंद्र से सहयोग नहीं मिलता ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह सत्य है कि चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में संपूर्ण राजस्थान का विकास होना असम्भव है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) योजना आयोग ने 19 अप्रेल, 1969 को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रस्तुत की थी जिसमें राजस्थान की चतुर्थ योजना का आकार 239 करोड़ दिखाया गया था। इनमें सभी राज्यों के लिए अंकित चतुर्थ योजना के प्रावधान का विवरण सदन की मेज पर दिया गया है। यह सही है कि इसमें राजस्थान के लिए प्रावधान पंजाब से भी कम रखा गया था। चूंकि राजस्थान के लिये निर्धारित धनराशि बिल्कुल अपर्याप्त थी इसलिए राज्य सरकार ने इस को स्वीकार नहीं किया और पिछले राज्यों के लिए योजना का आकार बढ़ाने की मांग की राजस्थान व अन्य राज्यों की मांग के फल-स्वरूप राष्ट्रीय विकास परिषद ने यह निर्णय लिया कि राज्यों की चतुर्थ योजना पर पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश प्राप्त होने के बाद पुनर्विचार किया जावे।

(2) जी नहीं। केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्धारित मापदंड (क्राइटेरिया) के आधार पर बांटी जाती है। इसके अनुसार राजस्थान जैसे पिछड़े राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में अधिक सहायता मिली है। सभी राज्यों के लिए निर्धारित चौथी योजना की कुल केन्द्रीय सहायता और प्रति व्यक्ति सहायता के आंकड़े सदन की मेज पर रख दिए गए हैं जिससे ज्ञात होगा कि राजस्थान को प्रति व्यक्ति सहायता, जम्मू काश्मीर नागालैंड व आसाम को छोड़कर सबसे अधिक मिली है।

(3) राजस्थान सरकार के अनुरोध पर चौथी योजना के आधार पर पुनर्विचार किया गया है और योजना आयोग इससे सहमत है कि राज्य की चतुर्थ योजना का प्रावधान कम से कम 302 करोड़ हो। सरकार इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि चतुर्थ योजना की धनराशि बढ़ाकर 316 करोड़ कर दी जाय। चतुर्थ योजना के प्रावधान में वृद्धि होने के फलस्वरूप राज्य में काफी विकास संभव हो सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग के पास अधिकारीगण पहुंचे या मुख्यमंत्री ने धनराशि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया या प्रयत्नशील हैं ?

श्री खेतसिंह : मैं समझा नहीं।

श्री भगवानदास शास्त्री : कौन कौन से समय में योजना आयोग ने हमें पंजाब से कम रखा। राजस्थान, जो पिछड़ा हुआ है उसमें ढाई करोड़ से ऊपर जनता है, जो पंजाब से कम विकसित स्थिति में आती है, तो क्या मुख्यमंत्रीजी ने स्वयं प्रयत्न किए या अधिकारियों ने योजना आयोग के पास रिमाइन्डर्स भेजे जिससे आशा हुई हो कि बढ़ोतरी होगी ?

श्री खेतसिंह : मुख्यमन्त्रीजी ने प्रयत्न किया और उसी के फलस्वरूप योजना आयोग ने इस बात को माना और जैसा मैंने आपके प्रश्न के भाग (1) का जवाब दिया है, आपको भलीभांति मालूम हो गया होगा कि योजना आयोग के पास प्रयत्न किए उसके फलस्वरूप धनराशि बढ़ाई गई।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार जयपुर) : 1966-67 से लेकर अब तक राजस्थान सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिय कितने प्रारूप बनाए और उनमें कितना कितना प्रावधान रखा गया ?

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : अलग से प्रश्न तो है लेकिन आपको जानकारी है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं है।

श्री खेतसिंह : जानकारी न हो तो भी प्रश्न पूछेंगे तब जवाब दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने 1966-67 में जो चौथी योजना का प्रारूप बनाया था, उसमें 400 करोड़ से अधिक धनराशि का प्रावधान था ?

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है, मैं जवाब नहीं दे सकता।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : यह अलग से प्रश्न कैसे हुआ। राज्य सरकार ने चौथी योजना में जो प्रारूप बनाए, जो धनराशि उसमें निहित बताई, वह इस प्रश्न से संबंधित है, कब कब क्या क्या प्रावधान राज्य सरकार ने रखे, यह बतायें।

श्री खेतसिंह : प्रारूप के बारे में कैसे बता सकता हूं। जो प्रश्न आपने पूछा है, उस सिलसिले में यदि पूरक प्रश्न पूछें तो जवाब दूं। मुझे मालूम नहीं प्रारूप कितने बनाए थे, कब कब कटोती हुई, कितने प्रारूप बने।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो प्रारम्भ में प्रारूप बना, उसके बाद में जो राज्य सरकार ने दूसरा और तीसरा प्रारूप बनाया, उसमें कम धनराशि का प्रावधान रखा गया ?

श्री खेतसिंह : इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे सकता, इस लिये कि मुझे मालूम नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न स्थगित किया जाय या जवाब दिलाया जाय।

श्री भगवानदास शास्त्री : चौथी योजना के लिए ज्यादा धनराशि उपलब्ध नहीं है, तो कम से कम मुख्यमंत्री जो खुद उपस्थित हैं, वह आश्वासन दें, राजस्थान पिछड़ा हुआ है, हम खुश हो जाते हैं सड़क के चारों तरफ हरियाली हो जाती है, उसको देखकर पूरे का पूरा राजस्थान बर्बाद हो गया है। क्या मुख्य मंत्री केन्द्र के या योजना आयोग के समक्ष विचार रखेंगे ? जहां तक अखबारों में हमने पढ़ा है, आपके पास कुछ बजट नहीं है, आपने कौनसी बढ़ोतरी की है।

श्री खेतसिंह : तीन राज्यों को छोड़कर क्योंकि वहां पिक्युलियर परिस्थितियां हैं, इस कारण उनको अपने से ज्यादा मिलता है, वरना सारे राज्यों से अपने को ज्यादा सहायता मिलती है।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं प्रति व्यक्ति कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो पहले बनाया था, उसमें धनराशि का जितना प्रावधान रखा गया, उससे कहीं अधिक धनराशि का अंतिम रूप से जो चौथी योजना बनाई है उसमें प्रावधान रखा गया है ? क्या उस लाइट में राज्य सरकार को अपनी योजना के लिये कम पैसा मिला है ?

श्री खेतसिंह : मुझे क्या मालूम कि भारत सरकार ने कितना प्रारूप बनाया और राजस्थान..........

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपको ऐसे उत्तर देने का साहस नहीं करना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) : मैं निवेदन कर दूं कि जो पहले प्लान आउटले तैयार हुआ था और जो संसद के सामने सर्क्यूलेट हुआ था, उसके सम्बन्ध में अभी मेरे पास सारे डिटेल्ड फिगर्स नहीं हैं इसलिए सबजेक्ट टू करेक्शन निवेदन है कि ब्रोडली 239 करोड़ का प्लान सर्क्यूलेट हुआ था....

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नहीं 239 करोड़।

श्री भैरोंसिंह : पहला ड्राफ्ट तीसरी पंचवर्षीय योजना से तिगुना था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आल इण्डिया का नहीं कह रहा हूं, राजस्थान का कह रहा हूं। जो पहला सर्क्यूलेशन हुआ था, उसमें 239 करोड़ था। वह इस आधार पर था कि जो रिसोर्सेज हम रेज करेंगे वह रिसोर्सेज रीपेमेंट्स वगैरह का ख्याल रखते हुए राजस्थान को अवेलेबल नहीं हो सकते, इसलिए 239 करोड़ का प्लान था। उसके बाद जो अब भारत सरकार व योजना आयोग के साथ बातचीत हुई है, उस बातचीत में केन्द्रीय सहायता के 239 करोड़ के अलावा जो हम एडीशनल रिसोर्सेज अपने यहां रेज करेंगे बाई वे ऑफ टैक्सेशन उन रिसोर्सेज को राजस्थान अपनी योजना में जोड़ सकता है प्लस जो वित्तीय संस्थायें हैं जैसे जीवन बीमा निगम वगैरह, उसके जरिए चौथी योजना के अन्दर और स्कीम्स को जैसे पीने का पानी, विद्युत मंडल की स्कीम्स वगैरह भी एड की जा सकेंगी। इस प्रकार राज्य सरकार ने प्लान के प्रोपोजल्स 316 करोड़ रुपयों के इसमें दिए हैं। पहले 239 करोड़ की

Page No. 14

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
प्लान के बाद हमने 313 करोड़ का प्लान दिया था, अब 316 करोड़ कर दिए हैं। योजना आयोग ने, मेरे ख्याल से, अब तक 308 करोड़ के लिए एग्री किया है, बाकी डिस्कशन्स के अन्दर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि भारत सरकार ने, जो आल इण्डिया प्लान है, उसमें टोटल आउट ले में बढ़ोतरी की है लगभग 800 करोड़ की, उसके बाद क्या हमारी सरकार ने उसमें अपनी योजना में कोई आउट ले बढ़ाने के लिए भारत सरकार को अप्रोच किया है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो प्लानस एनाउन्स किए हैं बजट के मौके पर बढ़ोतरी के बारे में, उसमें कुछ विशेष सैक्टर्स के अन्दर नई एक्टिविटीज को हाथ में लेने के लिए खास तौर से अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं और उनकी वजह से राजस्थान में जो बढोतरी होगी उस बढ़ोतरी के बारे में प्रोपोजल्स तैयार किए जा रहे हैं और एन. डी. सी. की मीटिंग 21 मार्च को होगी तब उस बारे में फाइनेलाइज किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस योजना में सेन्ट्रल असिस्टेन्स का अन्तिम रूप से निर्णय हो चुका है कि राज्य सरकार को कितना मिलने वाला है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : 239 करोड़ रुपया। जहां तक सेन्ट्रल असिस्टेन्स का सवाल है वह 239 करोड़ रुपया है।

श्री भैरोंसिंह : 239 करोड़ रुपया सेन्ट्रल असिस्टेन्स है। 31 करोड़ के एडीशनल रिसोर्सेज रेज करने हैं। 53 करोड़ बढ़ा भी दिया जाय तो 316 करोड़ की योजना नहीं बनती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एडीशनल कवे किया है वह 50 करोड़ का है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 13

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा)

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)
श्रीमती मदनकौर।

बाड़मेर जिले में पक्की सड़कों की स्वीकृति

14. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्ष में बाड़मेर जिले में कितनी पक्की (मैटल) सड़कों की स्वीकृति राहत कार्यों के अन्तर्गत दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कौन कौन सी सड़कों पर 31 दिसम्बर, 1969 को काम चल रहा था और राज्य सरकार के आदेशानुसार उसके बाद काम बन्द करना पड़ा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इन पर अनुमानित लागत क्या क्या थी और कितनी धनराशि का काम 31 दिसम्बर, 1969 तक पूरा किया जा चुका था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) इन सड़कों को पूरा करने में अब और कितनी धनराशि की आवश्यकता

(श्रीमती मदनकौर)
होगी ? इसमें कितने मजदूरों को अगस्त के अन्त तक काम पर लगाया जा सकेगा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) व (4) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्रीमती मदनकौर : क्या राज्य सरकार इन अधूरी सड़कों को अगस्त के अन्त तक पूरा करवायेगी ?

श्री गंगाराम चौधरी : 13 सड़कें मंजूर कर दी गई हैं और आशा है काफी प्रगति हो कर भी सब सड़कों पर काम पूरा हो जायगा ऐसा अन्दाज नहीं है। काफी काम होगा यह आशा है।

श्रीमती मदनकौर : कौन कौन सी सड़कों पर काम शुरू कर दिया गया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : सूची में दी गई 13 सड़कें इस प्रकार हैं।

(1) बाड़मेर सिणधरी सड़क
(2) सिणधरी गुढ़ा गन्गाउ सड़क
(3) जसोल से नाकोड़ा
(4) जसोल से तिलवाड़ा
(5) माड़पुरा से पचपदरा
(6) बाड़मेर से पचपदरा
(7) शिव से फलसून्ड सड़क
(8) जालिया से हरसाणी सड़क
(9) बालोतरा से बालवाड़ा सड़क
(10) धारा से फलसून्ड सड़क
(11) बालोतरा से अजीत वाया समदड़ी
(12) चौहटन से वायासर
(13) धनाड से धोरीमन्ना

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कारों का एलॉटमेन्ट

15. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के कोटे में प्रति वर्ष कितनी फिएट, एम्बेसेडर तथा स्टेन्डर्ड हैरेल्ड कारें अलॉट की जाती हैं ?

(2) सन् 1962 से 1968 तक किन किन मन्त्रियों को इस राज्य के कोटे से कौन कौन से मेक की कारें अलॉट की गई तथा इन पांचों सालों में उनमें से किन किन मन्त्रियों ने कितनी कारें खरीदीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त अवधि में किन किन नोन गजटेड राज्य कर्मचारियों को राज्य कोटे से कौन कौन से मेक की कारें दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उद्योग मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) राज्य के कोटे में प्रति वर्ष निम्न प्रकार फियेट, एम्बेसडर तथा स्टेन्डर्ड कारें अलॉट की जाती हैं:—

फियेट	एम्बेसेडर	स्टेन्डर्ड हैराल्ड
60	60	40

Page No. 16

(श्री हरिदेव जोशी)

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) किसी भी नोन गजेटेड कर्मचारी को कारें एलॉट नहीं की गई।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री केसरीसिंह : एक गाड़ी के आवंटन के बाद दूसरी गाड़ी कितने अर्से के बाद दी जाती है ?

श्री हरिदेव जोशी : आम तौर पर दो साल बाद में।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : क्या यह सही है कि माननीय अमृतलालजी यादव को दो साल में दो कारें दे दी गई ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है।

श्री केसरीसिंह : आपने सूची 'दी है उसमें भी आप देख लीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : देख लिया।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या यह सूचना देने से रह गयी है ?

श्री केसरीसिंह : एक कार तो 10-10-1966 को दी गई और दूसरी 15-1-68 को दी गई।

श्री हरिदेव जोशी : मैकेनिकल डिफेक्ट हो जाने से सरकार की स्वीकृति लेकर दूसरी कार अलॉट की गई थी।

श्री केसरीसिंह : पहली गाड़ी का क्या किया ?

श्री हरिदेव जोशी : यह सारी चीज तो इसमें लिखी हुई नहीं है। बेची होगी।

श्री नत्थीसिंह : डर क्यों रहे हैं ? साफ साफ कहिये।

श्री हरिदेव जोशी : जो इसमें लिखा है वह पढ़ रहा हूं।

श्री नत्थीसिंह : जानकारी जो भी है वह सही दें।

श्री केसरीसिंह : मैकेनिकल डिफेक्ट के लिये बताया गया.....

श्री हरिदेव जोशी : गैराज उसको खरीद ले.....

श्री केसरीसिंह : गैराज ने क्यों नहीं खरीदी ?

श्री हरिदेव जोशी : यह इसमें कागज पर नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : आप फरमा रहे हैं कि दो साल में बेच सकते हैं लेकिन डाइरेक्टोरेट ट्रान्सपोर्ट पांच साल का बोण्ड भरवाते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : नियम तो दो साल का है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : दो साल का नियम किसका बनाया हुआ है ?

श्री हरिदेव जोशी : कार्स कान्ट्रोल एक्ट।

श्री भैरोंसिंह : कार्स कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत पांच साल की अवधि है।

Page No. 17

श्री हरिदेव जोशी : यह तो मुझे मालूम है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सन् 1965 में इस प्रकार के आदेश प्रसारित किये थे कि पांच साल से पूर्व कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी बेचना चाहेगा तो उनको डेप्रिशियेशन वैल्यू पर गाड़ी ओफर करनी होगी ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जो पेपर्स मेरे पास हैं उनके अनुसार नियम के अनुसार गाड़ी बेची है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो बड़ा बुरा किया है ।

श्री हरिदेव जोशी : होगा होगा ऐसी बात ।

श्री दिग्विजयसिंह : होगा क्या ? है ।

श्री हरिदेव जोशी : नियमानुसार जो कार्यवाही पूरी करनी थी वह करली है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या अमृतलालजी यादव ने डेप्रिशियेटेड वैल्यू पर अपनी कार राज्य सरकार को देने के लिये ओफर किया था ?

श्री हरिदेव जोशी : डेप्रिशियेटड वैल्यू पर दी या क्या इसके ठीक आंकड़े मेरे पास नहीं हैं गैराज ने कहा था कि डेमेज्ड कार है इसलिये नहीं लेंगे ।

श्री केसरीसिंह : मैकेनिकल डिफेक्ट बता रहे हैं या डेमेज्ड बता रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैकेनिकल डिफेक्ट और उसमें क्या फर्क है यह कह नहीं सकता ।

श्री दिग्विजयसिंह : इन्जिन मिसिंग था या क्या था ? It may be postponed.

श्री हरिदेव जोशी : Why should you postpone ? I am prepared to answer any question you like.

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : यह केवल यादवजी का ही मसला नहीं है । यह एक गम्भीर मामला है इसलिए इसको स्थगित किया जाय और जानकारी मंगाई जाय ।

श्री हरिदेव जोशी : क्यों ? जानकारी आप मांगिये वह मैं दूंगा ।

श्री नत्थीसिंह : आप इसकी सच्चाई क्या है उसके आधार पर कहिये, कागजों के आधार पर क्या कह रहे हैं । सच्चाई है तो बताइये कि उन्होंने डेप्रिशियेटेड वैल्यू पर ओफर किया था या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया कि वे काफी अर्से तक इन्सिस्ट करते रहे कि गैराज डिपार्टमैन्ट उसको खरीद ले लेकिन गैराज डिपार्टमैन्ट ने ना कर दिया इसलिये फिर ऐसा करना पड़ा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने प्राइस में गाड़ी देने के लिये ओफर किया ?

श्री हरिदेव जोशी : पैसे की कोई ओफर नहीं थी और न ही गैराज ने कहा कि इतने में ले सकते हैं ।

Page No. 18

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या सरकार के जो नियम हैं उनके अनुसार ग्रोफर नहीं किया ?

श्री हरिदेव जोशी : ग्राउट राइट गैराज ने कह दिया कि नहीं लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पांच साल पहले बेच नहीं सकते हैं यह नियम है। राज्य सरकार की ऐसी आज्ञा जारी हुई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सारा का सारा मामला सामने आना चाहिये कि कितने में ग्रोफर किया और क्या किया और क्यों नहीं लिया ?

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय को इसकी जानकारी नहीं है तो माननीय अमृतलाल जी यहां हैं वे एक्स्प्लेन कर दें।

श्री हरिदेव जोशी : जानकारी है।

श्री भैरोंसिंह : आप इसको मान लें क्योंकि आप इस विभाग को डील नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री चाहें तो एक्स्प्लेन कर दें।

श्री हरिदेव जोशी : मैं एक्स्प्लेन कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस प्रकार के कोई आदेश जारी नहीं किये हैं कि कन्ट्रोल्ड कार लेने के बाद पांच साल की अवधि में बिना कार कन्ट्रोलर की अनुमति के कार नहीं बेच सकते ?

श्री हरिदेव जोशी : एक बौंड जरूर भराया जाता है जिसमें पांच साल की अवधि है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह नियमों के अन्तर्गत ही प्रेस्क्राइब किया हुआ है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने इसके एग्जामिन नहीं किया है। मैं एग्जामिन करके बता दूंगा।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि यह बौंड अमृतलालजी यादव ने भरा है ?

श्री हरिदेव जोशी। कानून के अन्तर्गत आवश्यक है तो भरा होगा। माननीय सदस्य इसकी डिटेल्स पूछना चाहते हैं तो अलग से प्रश्न पूछ लेते और पर्टीक्यूलर प्रश्न पूछ लेते। इसको जनरेलाइज़ न करके पर्टीक्यूलर प्रश्न ही पूछ लेते तो मैं पूरी स्टडी कर लेता।

श्री भैरोंसिंह : यह बात नहीं होती तो हम तसल्ली कर लेते......

श्री हरिदेव जोशी : न पहले हुई और न आगे होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : दो बातें मंत्री महोदय बतायें कि यदि मैकेनिकल डिफेक्ट थी तो किसने सर्टिफाई किया और किसके सर्टिफिकेट को गवर्नमैन्ट ने स्वीकार किया ? नम्बर 2, मोटर कन्ट्रोल एक्ट का वायोलेशन नहीं हुआ है इसको एग्जामिन कर लिया है और नहीं किया है तो कब तक एग्जामिन करके बतायेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मेरा यह निवेदन है अगर

(श्री हरिदेव जोशी)
किसी पर्टीक्यूलर केस के बारे में अधिक जानकारी चाहें तो मैं यह निवेदन करूंगा उस पर्टीक्यूलर केस के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें तो और डिटेल में बता दूंगा। मैं यह एश्योरेन्स करा रहा हूं कि कार कन्ट्रोल एक्ट का कहीं वायोलेशन नहीं हुआ है। जो भी कार्यवाही की गई है वह अन्डर रूल्स की गई है। मैकेनिकल इन्जीनियर ने जानकारी कर सर्टिफिकेट इश्यू किया है उसके बाद ही इसको वेव किया गया है।

श्री भत्योंसिंह : यह प्रश्न के दूसरे भाग में साफ पूछा है कि किन किन मंत्रीयों ने कितनी कारें खरीदी। आप कहते हैं स्पेसिफिक नहीं है। सारा स्पेसिफिक तो है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अब भी पांच साल का बोंड भराया जाता है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया भराया जाता है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या नियम है दो साल के भीतर न बेचने का है या पांच साल के भीतर न बेचने का है ? कौनसा नियम सही है इसमें ?

श्री हरिदेव जोशी : कार कन्ट्रोल एक्ट के तहत दो साल का नियम है किन्तु राजस्थान सरकार ने एक फार्म तैयार किया है जिसके अनुसार उसको पांच साल से पहले नही बेचेगा। अगर कोई ऐसी कन्डीशन आयेगी तो गवर्नमेंट की प्रायर संक्शन लेने के बाद ही यह प्रोविजन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : इस फार्म की कम्पलाइन्स न करने का कार कन्ट्रोल एक्ट के तहत कोई प्रोविजन किया जा सकता है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं समझता हूं, नहीं किया जा सकता है। मैं इसको और एग्जामिन करवा लूंगा। इसका वायोलेशन नहीं हुआ है इसलिए प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है कि दूसरी गाड़ी अलॉट करने से पहले स्टेट गैरेज का इस प्रकार सर्टिफिकेट उसके साथ आना चाहिये ?

श्री हरिदेव जोशी : आप (श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल से) विराजिये मैं खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैकेनिकल इन्जिनियर का जो सर्टिफिकेट जरूरी था वह ले लिया गया था इसलिये कहीं भी रूल्स का वायोलेशन नहीं हुआ है। यह मैंने बार बार निवेदन किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका मतलब है श्री अमृतलालजी यादव को दूसरी गाड़ी अलॉट की गई है और पहली वाली गाड़ी में मैकेनिकल डिफेक्ट होने की वजह से और मेकेनिकल इन्सपैक्टर का सर्टिफिकेट लेकर ही उसके बाद में दूसरी गाड़ी अलॉट की गई है।

श्री हरिदेव जोशी : हां जी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बात गलत कह गये, आप पूछ लें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No. 20

विरमसर पहाड़ी पर बान्ध

16. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चूरू जिला स्थित रतनगढ़ के पास विरमसर पहाड़ी पर बान्ध बनवाने हेतु तारीख 28-4-69 को सितत्तर हजार रुपये स्वीकृत कर तारीख 27-5-69 को जल प्रदाय विभाग द्वारा कार्य आरम्भ कराया गया था ? अगर हां, तो फिर यह कार्य बन्द क्यों किया गया ?

(2) क्या श्री मनफूलसिंह व श्रीमती सुमित्रासिंह राज्य मंत्रियों ने तारीख 27-5-69 को स्वयं बान्ध स्थल का निरीक्षण किया था ?

(3) क्या इस पहाड़ी के चौतरफ जितने ग्राम बसे हुये हैं उन सबका पानी खारा है ? अगर हां, तो सरकार इस कष्ट को दूर करने हेतु शीघ्र इस कार्य को सम्पन्न क्यों नहीं करती ?

(4) क्या सरकार यह विश्वास दिलायेगी कि यह कार्य पुन: कब तक चालू हो कर किस अवधि तक सम्पन्न करा दिया जावेगा ?

(5) क्या इस कार्य के शुरू करने पर तारीख 9-6-69 को टॅक्निकल स्वीकृति का अभाव बता कर कार्य बन्द कर दिया गया ? अगर हां, तो टॅक्निकल स्वीकृति में कितने समय की आवश्यकता होती है ?

उप मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां। चूरू जिला स्थित रतनगढ़ के पास विरमसर पहाड़ी पर बान्ध बनवाने हेतु दिनांक 25-6-69 को जल प्रदाय विभाग की मारफत बान्ध बनवाने हेतु 67,000) रु० की स्वीकृति दी गई थी। इस कार्य को तकनीकी दृष्टिकोण से फिजिबल नहीं होने के कारण बन्द कर दिया गया।

(2) इसकी कोई सूचना इस विभाग को नहीं है।

(3) इस पहाड़ी के आस पास बसे हुये इन ग्रामों में पेय जल व्यवस्था के लिये ढ़के हुये टांके बनाने की अन्य योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। अत: जैसा निर्णय होगा वैसी कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।

(5) जी हां। इस कार्य को तकनीकि रुप से फिजिबल नहीं होने के कारण बन्द करा दिया गया जो कार्य तकनीकि दृष्टि से फिजिबल नही है उसके लिये तकनीकी स्वीकृति में समय लगाने का प्रस्ताव ही नहीं उठता।

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, आपने क्या प्रबन्ध किया मुझे सुनाई ही नहीं दिया। (विराम) आपने कहा प्रबन्ध कर रहे हैं, क्या प्रबन्ध कर रहे हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : वहां अन्डर ग्राउन्ड टांके बनाने का राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री लाभचन्द वैद : कहां पर है विचाराधीन ?

श्री गंगाराम चौधरी : उसी पहाड़ी के पास में है जिसमें आपने बान्ध बनाने का सवाल उठाया है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या आप यह उचित समझते हैं उस पहाड़ी पर पक्के टांके बनाना ?

अकाल सहायता, मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): पहाड़ी के पास में जहां खुला मैदान है। वहां पर पक्के टांके बनाने का विचाराधीन है।

श्री दौलतराम सारण : गांव से दूर बनायेंगे तो गांव वालों को मुश्किल हो जायगी। उन्हें दूर से पानी लाना पड़ेगा। बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिये गांव में कोई प्रबन्ध नहीं किया है।

श्री परसराम मदेरणा : यह राज्य सरकार के विचाराधीन है। टांके समतल भूमि में बनाये जायेंगे। पहले एक योजना बनाई थी लेकिन टेक्निकल दृष्टि से फिजिबल नहीं होने के कारण उसे रद्द कर दिया गया, उसे टेक्निकल सेंक्शन नहीं मिली थी। वहां पर कड़वा पानी था। इसलिये उसे रद्द कर दिया गया और दूसरी योजना बनाई। फेमिन में वह योजना विचाराधीन है और वित्त विभाग के सामने यह योजना रखी हुई है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): जिस योजना को स्थगित किया गया है स्वीकृति के बाद स्थगित किया गया है: या स्वीकृत होने से पहले और क्या योजना को निर्धारित करने से पहले टेक्निकल अप्रूवल नहीं ली गई थी ?

श्री परसराम मदेरणा : इसमें टेक्निकल राय थी। मई में जब मैं चूरू गया था तो मैंने परामर्श के बाद इस योजना को सेंक्शन कर दिया था लेकिन टेक्निकल सेंक्शन के लिये चीफ इंजीनियर के पास गई थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री पृथ्वीसिंह।

श्री दौलतराम सारण : एक छोटा सा प्रश्न है जो काम शुरू किया है क्या उसका पेमेन्ट कर दिया ?

श्री परसराम मदेरणा : यह इस प्रश्न में पूछा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट।

बसों के परमिट दिये जाने की व्यवस्था

17. **श्री पृथ्वीसिंह (बाली)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में पहले ट्रकों एवं बसों की इन्टर स्टेट एवं इन्टर रीजनल परमिट आर.टी. ओ. डिविजन हैड-क्वार्टर ही दिया करते थे ?

(2) क्या अब नये आदेशों के अनुसार परमिट एस. टी. ए. जयपुर ही दिया करेंगे ?

(3) इस व्यवस्था की क्या आवश्यकता महसूस की गई थी ? क्या इस व्यवस्था से मोटर मालिकों को असुविधा नहीं होगी ?

(4) राजस्थान के आस पास के अन्य राज्यों में परमिट सम्बन्धी क्या व्यवस्था है ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी):(1) जी हां, 6-2-69 से पहले ।

(2) जी हां ।

(3) राज्य परिवहन प्राधिकरण ने यह महसूस किया कि एक रीजन से ज्यादा रीजनों के परमिटों के लिये मोटर मालिकों को दूसरे प्रादेशिक परिवहन अधिकरण के के पास काऊन्टर सिगनेचर के लिये जाना पड़ता है । वह इस प्रोसीजर के तहत काफी समय मोटर मालिकों का खर्चा होता है और उनको असुविधा भी होती है । इन्टर स्टेट ट्रान्सपोर्ट कमीशन न्यू दिल्ली का भी सुझाव था कि इन्टर स्टेट रूट्स के परमिट एस. टी. ए. द्वारा दिये जावें । उन्होंने ऐसी भी व्यवस्था कायम करने की सिफारिश की कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वाहन चलाने के लिये प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता न पड़े । अतः एस. टी. ए. द्वारा परमिट देने पर यह सुविधा जनता को प्राप्त हुई । यह देखते हुये एस. टी. ए. ने रिजोल्यूशन नम्बर 2, दिनांक 2/3-1-69 द्वारा यह कार्य अपने हाथों में ले लिया ।

(4) मध्य प्रदेश, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में एस. टी. ए. अन्तंराज्यीय मार्गों पर परमिट देते हैं ।

श्री पृथ्वीसिंह : यह व्यवस्था होने से दूर दूर के जिलों से छोटे छोटे बस मालिकों एवं ट्रक मालिकों को जो जयपुर में आकर परमिट लेते हैं उनको ज्यादा असुविधा होती है ।

श्री हरिदेव जोशी : जैसा मैंने निवेदन किया एक रीजन से दूसरे रीजनल रूट पर एप्लाई करना है तो वहां जाना ही होगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि इस नये निर्णय के अनुसार जो पुराने परमिट आलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनको रिन्यू कराने के लिये आर. टी. ओ. ऑफिस में आना पड़ेगा ।

श्री हरिदेव जोशी : यह सही है । जो परमिट देने वाली ऑथोरिटि होगी वह रिन्यू करेगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इन्टर स्टेट परमिट के लिये दूसरी स्टेट के लिये आपने बताया, वहां पर एस. टी. ए. देते हैं, लेकिन इन्टर जोनल रूट के लिये आर. टी. ओ. परमिट देते हैं तो फिर राजस्थान में इन्टर जोनल रूट है उसके लिये एस. टी. ए. को रेसपोन्सिबिल बनाना कहां तक उचित मानते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : पैरा दो और पैरा तीन में निवेदन किया, इन्टर रीजनल है उनके लिये एस. टी. ए. ने अपने रिजोल्यूशन के द्वारा गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को भी यहा सिफारिश की थी । जैसा मैंने निवेदन किया है इन्टर स्टेट ट्रान्सपोर्ट एक्ट का सवाल था और इसका भी एस. टी. ए. द्वारा परमिट दिया जाना चाहिये, इसलिये एस. टी. ए. ने रिजोल्यूशन पास किया और यह न केवल राजस्थान में ही, बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में भी एस. टी. ए. परमिट देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री भैरोंसिंह ।

अकाल राहत कार्यों में किराये पर लिये ट्रैक्टर ।

18. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(श्री भैरोंसिंह)

(1) झालावाड़ जिले में अकाल राहत कार्यों के लिये किस किस दर से, किस किस माह में किस कार्य के लिये, किस किस नम्बर के ट्रक किराये पर लिये गये और उनको कितना कितना भुगतान किया गया ?

(2) ट्रकों द्वारा काम की जांच किस आधार पर की गई ? क्या इनकी लॉग बुक रखी जाती थी? यदि हां, तो उसमें लेख किसके द्वारा किया जाता था और कौन अधिकारी उसकी जांच के लिये जिम्मेदार था ?

(3) क्या यह सही है कि इन ट्रकों के सम्बन्ध में जनता की शिकायत सरकार को मिली है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उपमंत्री, अकाल सहायता (श्रीगंगाराम चौधरी) : (1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) ट्रकों द्वारा काम की जांच उनके द्वारा दिये गये माल के नाम के आधार पर की गई। उनकी लॉग बुक रखी जाती थी और सिंचाई विभाग के कार्यों पर सामान्यतया मिस्त्री तथा अधिदर्शक (ओवरसीयर) द्वारा भरी जाती थी व सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों पर साइट मिस्त्री द्वारा भरी जाती थी। इसकी जांच के लिए अधिदर्शक जिम्मेदार थे।

(3) इस सम्बन्ध में एक शिकायत जिलाधीश, झालावाड़ के पास दिनांक 29-6-69 को प्रस्तुत की गई थी जिस पर उन्होंने अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग से जानकारी चाही तो इस शिकायत को तथ्यहीन बताया और कोई शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया जाता।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : आपने काम के माप दण्ड के बारे में जो बताया कि ओवरसीयर और मिस्त्री उसकी एन्ट्री करते थे और राज्य सरकार ने आदेश दिये हैं तो क्या जितना माल ढोया जाय उस माल का ओवरसीयर या मिस्त्री नाम बताते थे कि इतना काम किया ......

अकाल सहायता मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, कौन ऑफिसर उसके मेजरमैन्ट के लिए सक्षम हैं और ऐसा मालूम होता है कि रेट्स कुछ ऊंची दिखती हैं इसलिए मैंने आज ही जांच कराने के लिए आदेश दिये हैं और समय भी दिया है एक सप्ताह का कि एक सप्ताह के अन्दर जांच राज्य सरकार के पास पहुंच जानी चाहिये। टैण्डर कौन दे सकता है, कौन उसके मेजरमैन्ट के लिए सक्षम था, किस के काउन्टर साइन होने चाहिये थे, इन सब मुद्दों पर जांच करा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सिंचाई मंत्री

राजस्थान नहर से सिंचाई

19. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर में गत तीन वर्षों में कितना कितना क्यूसेक्स पानी आया तथा उस पानी से कितने क्षेत्रफल की सिंचाई हो सकती थी और कितने कितने क्षेत्रफल की सिंचाई हुई ? वर्ष वाईज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No. 24

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) जितना पानी उपलब्ध हुआ है और उससे सिंचाई जितनी होनी चाहिये थी उससे कम हुई तो उसके क्या कारण हैं ?

(3) राजस्थान के हिस्से के अनुसार उक्त अवधि में कितना कितना पानी आना चाहिए था।

राज्य मन्त्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह): (1) राजस्थान नहर में गत तीन वर्षों में जितना पानी आया और उससे जितनी सिंचाई हुई उसका ब्यौरा निम्नलिखित है।

वर्ष	पानी (क्यूसेक्स दिन में)	सिंचित भूमि (लाख एकड़ में)
1966-67	2,80,000	1.38
1967-68	5,26,300	1.98
1968-69	7,51,400	2.45

इस पानी से जितनी सिंचाई हो सकती थी उतनी ही हुई है।

(2) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर से स्थिति स्पष्ट है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है।

(3) रावी और व्यास नदियों के पानी में राजस्थान के हिस्से के अनुसार राजस्थान नहर को वर्ष 1966-67, 1967-68 व 1968-69 में क्रमश: 5,71,177 व 10,32,898 और 15,43,043 क्यूसेक्स दिन पानी मिलना चाहिये था।

श्री हरजीराम बुरड़क : प्रश्न के उत्तर के अनुसार जितना पानी राजस्थान को मिलना चाहिए था उससे आधा पानी मिला है तो पूरा पानी या तो राज्य सरकार ने लिया नहीं या मिला नहीं ?

श्री मनफूलसिंह : यह मैंने पहले बताया कि 1966-67 के अन्दर 2 लाख 80 हजार......

श्री हरजीराम बुरड़क : पानी कम मिला या नहीं यह बता दें ?

श्री मनफूलसिंह : कम पानी मिला है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वहां से कम मिला है या आपने नहीं लिया ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : इसके लिए कौन दोषी है ?

श्री मनफूलसिंह : राजस्थान कैनाल का कन्सट्रेक्शन का काम जारी था और जहां कैनाल पूरी नहीं बनी थी और पूरी डिस्ट्रिब्यूटरीज और माइनर्स नहीं निकली थी वहां उसकी वजह से कम पानी ले सके।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितना परसेन्ट मिलना चाहिये और हम कितना परसेन्ट ले सके ?

श्री मनफूलसिंह : यह तो स्पष्ट है...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जितना पानी लेने की क्षमता थी उसके अनुसार हमें पानी मिला या नहीं ?

श्री मनफूलसिंह : उसके अनुसार पूरा पानी हमको नही मिला।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपने अभी बताया कि डिस्ट्रिब्यूटरीज वगैरह नहीं होने की वजह से हम पानी नहीं ले सके याने पानी नहीं ले सकने का कारण यह था कि हमारी क्षमता अधिक नहीं थी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दूसरी बात यह है कि पानी नहीं मिला। पानी नहीं लेने का कारण यह हुआ कि हमारी कैपेसिटी नहीं थी? कौनसी बात सही थी हमारी कैपेसिटी नहीं थी या उतना पानी नहीं मिला?

श्री मनफूलसिंह : इन्टर स्टेट कान्फ्रेन्स जो सन् 55 में हुई उसके अन्दर हम राजस्थान कैनाल से केवल 8 परसेन्ट पानी ले सकते थे और 70 के अन्दर 52 परसेन्ट पानी लेना था और 70 के अन्दर हमने पानी लिया लेकिन 1968-69 तक केवल हम 8 परसेन्ट ही पानी ले सकते थे और उसके लिए फिर भी हमारा कन्सट्रक्शन जारी था इस लिए पूरा पानी नहीं ले सके।

श्री भैरोंसिंह : 55 के बाद पानी कितना मिला—इसके लिए एग्रीमेन्ट के अन्दर संशोधन हो गया था?

श्री मनफूलसिंह : यह संशोधन हमारे पास नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : मेरा प्रश्न यह था कि शुरू में आपको पता था कि हमको आधा पानी मिला है उसके लिये पूरा पानी लेने के लिये या क्षमता बढ़ाने के लिए या पूरा पानी लेने के लिए आपने क्या कार्यवाही की?

श्री मनफूलसिंह : मैंने स्वीकार किया है कि पानी जितना परसेन्ट मिलना चाहिए था उतना नहीं ले सके हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : 1966-67 में पता लगा कि एक तिहाई पानी मिला है तो एक तो मिला ही नहीं या आप में लेने की क्षमता नहीं थी—तो इन दोनों स्थितियों में क्या कार्यवाही की? क्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया और पानी लेने के लिए क्या किया?

श्री मनफूलसिंह : मैंने निवेदन किया कि कन्सट्रक्शन जारी था इसलिए जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं ले सके।

श्री भैरोंसिंह : आपके पानी लेने की कितनी क्षमता थी और उसके अगेन्स्ट में कितना मिला?

श्री मनफूलसिंह : जितनी क्षमता हमारे पास थी उतना पानी लिया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया : प्रश्न सख्या 20।

राज्य में परिवार नियोजन सम्बन्धी व्यय

20. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में परिवार नियोजन योजना पर हर साल स्टाफ, गाड़ियां, दवाईयां प्रचार, इनामें आदि पर कुल कितना खर्चा होता है? अलग अलग आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि हर साल खर्चे का लक्ष्य तो पूरा कर लिया जाता है लेकिन उपलब्धियों का लक्ष्य पूरा नहीं होता है।

Page No. 26

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(3) जब से परिवार नियोजन स्कीम चालू की है तब से सन्तानोत्पत्ति पर कितने प्रतिशत काबू पाया है और कुल खर्चा कितना किया है ?

(4) क्या यह भी सच है कि जो आंकड़े सरकार को भेजे जाते हैं वह बहुत कुछ 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों के नाम भर कर भेजे जाते हैं जिससे सही मन्शा की पूर्ती नहीं होती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसे स्थगित करने के लिए प्रार्थना की है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने आंकड़े ही पूछे हैं ..

श्री अध्यक्ष : आंकड़े ज्यादा हैं इसलिए स्थगित किया गया।

नेक्स्ट, श्री दिग्विजयसिंह।

लघु सिंचाई योजना के लिए धनराशि

21. **श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. राज्य सरकार द्वारा लघु सिंचाई हेतु वर्ष 1969-70 के लिये कितनी राशि रखी थी और किस किस साल में कितना कितना खर्च होगा ? कृपया जिलेवार मय नाम, कार्य सूची सदन में रखें।

2. क्या यह सत्य है कि जिला टौंक में तहसील उनियारा के टूटे हुए तालाबों हेतु कुछ भी धनराशि नहीं दी गई है ?

3. क्या यह सत्य है कि निम्न कार्य जो अकाल में करीब पूर्ण हो गये हैं और कुछ कार्य होना है, पर सिंचाई विभाग द्वारा धन नहीं देने से अपूर्ण रह रहे हैं:—

(अ) बांध सथड़ा, तहसील उनियारा

(ब) बांध राजकोट, तहसील देवली

(स) बांध सरदारपुरा, तहसील देवली

4. क्या टौंक सिंचाई विभाग द्वारा अधूरे कार्यों की जानकारी राज्य सरकार को भी दे दी गई है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

5. क्या अब सरकार इन कार्यों पर कुछ राशि लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत प्रदान कर इन्हें पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (1) लघु सिंचाई योजनाओं पर वर्ष 69-70 में 124 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान है, जिलेवार सूची संलग्न है। इसके अतिरिक्त बाढ़ कार्यों के लिए 130 लाख रुपया व्यय करने का अतिरिक्त प्रावधान है जिसकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) व (5) अधूरे अकाल राहत कार्यों की सूची, सहायता आयुक्त को भेज दी गई है। अकाल राहत कार्य मद में अथवा लघु सिंचाई योजनाओं के मद में धन उपलब्ध होने पर इन अधूरे कार्यों को पूरा किया जा सकेगा।

(उप-मंत्री सिंचाई)

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने मेरे प्रश्न के भाग (2) के उत्तर में जो नहीं, कहा है मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : दल बदल लिया इसलिए।

श्री जसराज : टोंक जिले में सिंचाई विभाग के कार्य चल रहे हैं उन पर कितना खर्च कर रहे हैं वह भी बता सकता हूं।

श्री दिग्विजयसिंह : वह तो दिया है फ्लड के लिए, 130 लाख रुपया दिया है जिसमें 5 लाख रुपया टोंक जिले को दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि 1969-70 में लघु सिंचाई के अन्तर्गत कितनी धनराशि टोंक जिले के लिए स्वीकृत की ?

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : इसलिए जी नहीं कि टूटे हुए तालाबों के लिए 1 लाख 55 हजार रुपयों का प्रावधान कर दिया गया है।

श्री दिग्विजयसिंह : यह कब किया ?

श्री हरिदेव जोशी : बजट में टूटी सागर के लिए 80 हजार रुपया, गेठड़ा बांध के लिए 10 हजार रुपया, गेलवा बांध व नहर के लिए 50 हजार रुपया और गलवानिया बांध व नहर के लिए 15 हजार रुपया दिया है। इस तरह से 1 लाख 55 हजार रुपया होता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इस प्रकार का प्रावधान पिछले बजट में नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : टूटे हुए तालाबों का प्रावधान बजट में नहीं होता है। वह तो लम्पसम प्रावधान होता है और डिपार्टमेंट करता है। माईनर इरिगेशन के लिए किसी तालाब के लिए प्रावधान नहीं होता है।

श्री विजयसिंह : यह बजट में नहीं है तो क्या गप्प गजट में है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह आप ज्यादा जानते हैं। माईनर इरिगेशन के लिए बजट में लम्पसम प्रोवीजन होता है। तो आपने जो डिटेल्स मांगी हैं आपका प्रश्न था कि क्या यह सत्य है कि जिला टोंक में तहसील उनियारा के टूटे हुए तालाबों हेतु कुछ भी राशि नहीं दी गयी है ? आपने प्रज्यूम किया था कि कोई राशि नहीं दी गयी है तो मैंने उत्तर में कहा है जी नहीं-दी गयी है।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को भ्रम है। गलवा बान्ध, गोठड़ा बान्ध आदि ये टूटे हुए बान्ध नहीं हैं। ये तो इनकम्पलीट बांध हैं मैंने तो टूटे हुए बांधों के लिये प्रोवीजन के बारे में पूछा है।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी तो जानकारी यही है, आप दूसरी तरह की जानकारी दे रहे हैं तो मैं और चैक अप करा लूंगा।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने जो यह सूचना दी है इनमें 69-70 में अधिकतर 85 पर्सेन्ट काम उदयपुर डिवीजन में हुए हैं यह भेदभाव कैसे ?

श्री हरिदेव जोशी : यह डिटेल तो मेरे पास है नहीं।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने ही सूची दी है।

श्री हरिदेव जोशी : अब उसमें मैंने कहा नहीं है, तो मैं ना ही तो कहूंगा। सूची दे दी तो उसे सही मानो।

श्री दिग्विजयसिंह : 69-70 में टोंक जिले में इस के लिये कितनी धनराशि दी है ?

श्री हरिदेव जोशी : यही है, जो इसमें लिखा है।

श्री दिग्विजयसिंह : 69-70 में आपने कोई धनराशि टोंक जिले में नहीं दी है।

श्री हरिदेव जोशी : इस सूची में लिखा है तो दी है, नहीं लिखा है तो नहीं दी है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मुझे पता नहीं, लिखा है तो दी है, नहीं लिखा तो नहीं दी यह तो अध्यक्ष महोदय, कोई जवाब नहीं है। इनको स्पष्ट उत्तर देना चाहिये ताकि सदन को जानकारी हो कि उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ?

श्री हरिदेव जोशी : ब्योरेवार डिस्ट्रिक्टवार स्टेटमैन्ट के साथ उत्तर दे दिया गया है। आपने स्पेसिफिक प्रश्न भी पूछा उसका भी उत्तर निकलवा कर दे दिया। इससे अधिक जानकारी चाहते हो तो बता दें।

श्री दिग्विजयसिंह : 69-70 में माईनर इरिगेशन के तहत कराये जाने वाले कामों के लिये टोंक जिले में कितनी धनराशि रखी थी ? आपने जो यह राशि दी है वह तो फ्लड में दी है। रेगुलर इरिगेशन वर्क के लिये कितना दिया है, मैं यह पूछ रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : जिन डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेसिफिक प्रोवीजन किया है उसको मेन्शन कर दिया है। अगर मेन्शन नहीं है तो समझना चाहिये कि नहीं किया है।

श्री दिग्विजयसिंह : क्यों नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, टोंक जिले में 69-70 में एक पैसा भी प्रावधान नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा। 5।

(12 मध्याह्न)

बिक्री कर एवं यात्री कर का बकाया.

5. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार को गत दो वर्षों से सैल्स टैक्स एवं पैसेन्जर टैक्स से कितनी आमदनी हुई ? जिलेवार आंकड़े बताने की कृपा करें ?

(2) राज्य में अभी अभी किन किन स्थानों से जिला सैल्स टैक्स ऑफिसरों को हटाया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रक्खें।

(3) राज्य सरकार की कितनी कितनी राशि उक्त टैक्सों के पेटे किस किस जिले में बकाया है ? कृपया आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रक्खें।

उप मन्त्री (श्री बृजप्रकाश गोयल) : (1) सूची संलग्न है।

(2) झालावाड़, चूरू, सर्किल 'बी', उदयपुर, वाणिज्यिक कर अधिकारी एन्टी एवीजन, गंगानगर।

(3) सूची संलग्न है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि झालावाड़ जिला आयकर और पैसन्जर टैक्स के लिहाज से कई जिलों से काफी आगे है फिर उस जिले से बिक्री कर अधिकारी के कार्यालय को क्यों तोड़ा ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : आमदनी और खर्चे के हिसाब से सर्किल होते रहते हैं। आमदनी और खर्चे के हिसाब से यहां इन जगहों पर रखना फीजिबल नहीं माना गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पोलिटिकल इनफ्लुएन्स से तोड़ा गया है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : वह भी एक कारण है।

श्री बृजप्रकाश गोयल : खर्चे और आमदनी के हिसाब को देखकर यह परिवर्तन किया है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : राजस्थान के कुल 26 जिलों में से 16 जिलों के मुकाबले में झालावाड़ अधिक आय सरकार को दे रहा है। फिर झालावाड़ जिले में से यह विभाग क्यों तोड़ा ? इसमें राजनैतिक आधार नहीं था तो फिर दूसरा क्या आधार था। बतावें ? आपको मैं बताना चाहता हूं सूची के आधार पर कि झालावाड़ के मुकाबले में जैसलमेर, नागौर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बूंदी, टोंक और डूंगरपुर जिले कम आय के हैं। फिर इनमें क्यों नहीं तोड़े गये ? झालावाड़ में ही क्यों तोड़ा गया यह तो बिक्रीकर के हिसाब से हुआ। अब माल की लिस्ट देता हूं झुंझुनू, सीकर, चूरू, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, टोंक और डूंगरपुर ये सब झालावाड़ से कम हैं। तो इनसे आगे होते हुए भी इनमें से किन्हीं में नहीं तोड़ कर झालावाड़ में ही क्यों तोड़ा गया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री बृजप्रकाश गोयल : इसके तोड़ने के बाद भी झालावाड़ वालों को विशेष कठिनाई क्या है। आमदनी के आंकड़े ही केवल आधार नहीं हैं, और भी हैं। सरकार का इससे खर्चा कम होता है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : दिक्कत यह है इसमें कि मध्यप्रदेश के बोर्डर से संलग्न यह प्रदेश है और वहां के लोगों को काफी दूर आकर अपना काम कराना पड़ेगा अब आने जाने की काफी असुविधा होगी, लोग परेशान होंगे, फिर अगर नजदीक ही देखना था और तोड़ना था तो आप बूंदी में तोड़ सकते थे, वहां से कोटा नजदीक पड़ता है लोगों के लिये बनिस्पत झालावाड़ के। बूंदी में तोड़ते इससे लोग भी हैरान नहीं होते तो झालावाड़ में ही तोड़ने का आपके

Page No. 30

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)
पास क्या कारण है और क्या आधार है ? वहां की जनता को आप क्यों परेशान करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय कुछ कहेंगे

श्री बृजप्रकाश गोयल : इसमें विशेष कठिनाई की बात तो सामने नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : आने पर विचार किया जा सकता है।

श्री नत्थीसिंह : कठिनाई आ गई है।

श्री अध्यक्ष : समझ गये हैं मन्त्री जी।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): कुछ भी नहीं समझे हैं अभी तो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इस सेल्स टैक्स ऑफिस को तोड़ने के सम्बन्ध में पुनर्विचार करेगी। सरकार के पास कोई आधार नहीं है और न सन्तोषजनक कोई इसका उत्तर ही है। ऐसी स्थिति में जो मुद्दे यहां पर प्रस्तुत किये गये हैं उनको मद्दे नजर रखते हुए क्या सरकार इसपर पुनर्विचार करेगी ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : सिर्फ आंकड़ों के ही आधार पर नहीं, दूसरे भी आधार दिये जावेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपके तोड़ने का क्या आधार है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार के पास कोई आधार नहीं है तो यह आरबिट्रेरी एक्शन है। ऐसा आरबिट्रेरी एक्शन लेना सरकार के लिये अशोभनीय है। आपको सदन को भी तो कोन्फीडेन्स में लेना चाहिये। आपके पास क्या आधार है ? क्या भगवान का आधार है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कोई आधार नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : भगवान का आधार है तो कामयाब हो ही जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : इसका उत्तर दिलवाया जावे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज आर्डर। माननीय मन्त्री महोदय, तुलनात्मक दृष्टि से तो उनका केस जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है, ठीक मालूम होता है अब जहां तो असुविधाओं का सम्बन्ध है यह प्रश्न अगर आपके सामने आवे तो दोनों को सामने रखकर उस पर पुनर्विचार किया जाना न्यायसंगत होगा।

एक माननीय सदस्य : एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जंगलात की भूमि पर नाजायज कब्जा

1. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1969 में दीपावली के लगभग बरसात हो जाने से

Page No. 31

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

छीपाबड़ौद व छाबड़ा क्षेत्र में भारी संख्या में जंगलात की जमीनें नाजायज रूप में सैंकड़ों लोगों ने काश्त हेतु नौतोड़ कर ली है ?

(2) क्या यह भी सही है कि लोगों ने जंगलात की भूमि पर कब्जा करके हलों से अपनी हद-बन्दी भी बना ली है ?

उत्तर

(1) सैंकड़ों लोगों ने तो नहीं किन्तु 18 व्यक्तियों ने नाजायज रूप से काश्त हेतु वन भूमि नौतोड़ करली थी

(2) जी हां ।

केकड़ी पंचायत समिति में नियुक्त शिक्षा प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण

9. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष शिक्षा प्रसार अधिकारी स्क्रीनिंग स्कीम के अन्तर्गत केकड़ी पंचायत समिति में सात वर्ष से नियुक्त शिक्षा प्रसार अधिकारी श्री दौलत राम धनकानी का स्थानान्तरण विभागीय आदेश के अनुसार किया गया था ?

(2) यदि हां, तो सारी सूची में से केवल श्री दौलतराम धनकानी का ही स्थानान्तरण क्यों किया गया ?

(3) क्या यह सत्य है कि श्री दौलतराम धनकानी का यह तीसरी बार स्थानान्तरण हुआ है और इसे भी राजनैतिक कारणों से निरस्त किया गया है ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

(4) क्या यह सत्य है कि श्री धनकानी के रिलीवर श्री भवरनमल माहेश्वरी दिनांक 10-7-1969 को चार्ज लेने केकड़ी पहुंच गए थे और उन्हें लिखित रूप से विकास अधिकारी, केकड़ी ने ड्यूटी पर लेने से इन्कार कर दिया ? अगर हां, तो उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है ।

(2) श्री दौलतराम धनकानी को केकड़ी में कार्य करते हुए करीब 7 वर्ष हो चुके थे ।

(3) शिक्षा प्रसार अधिकारी के पद पर यह दूसरा स्थानान्तरण है । आदेश पंचायत समिति, केकड़ी के प्रधान एवं विकास अधिकारी की प्रार्थना पर ही निरस्त किये थे ।

(4) यह सही है । प्रतियां संलग्न हैं ?

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिए)

कडाणा डेम

11. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार ने कडाणा डेम की ऊंचाई कम कराने का जो आश्वासन दिया था उस क्रम में गुजरात सरकार व राजस्थान सरकार के बीच कब कब व क्या क्या वार्ताएं हुई तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

(2) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार का ध्यान डूब में आने वाली भूमि

Page No. 32

(श्री नाथूराम)

आदि के हो रहे सर्वे के सम्बन्ध में आकर्षित करते हुए कहा गया था कि माही नदी से बिना एक फुट डेम के 1941 के फ्लड के मुकाबले में भी 419 फिट का डूब क्षेत्र नहीं बताया जा रहा है ? यदि हां तो, सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने कडाणा डेम से राजस्थान के प्रभावित क्षेत्र की सर्वे पूरी करा ली है ? यदि हां, तो डूंगरपुर-बांसवाड़ा के किस किस गांव की कितनी कितनी भूमि डूब में आयेगी तथा कितनी जनसंख्या प्रभावित होगी, कितने कुए, भवन, चल अचल सम्पत्ति आदि जल मग्न होंगे ? सूची मय नक्शे व मूल्यांकन के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) माही नदी डूंगरपुर-बांसवाड़ा में पहाड़ी क्षेत्र में बहती है तथा साधारण अधिक वर्षा होने पर ही इस क्षेत्र में माही का पानी काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है ? यदि हां, तो कडाणा डेम बन जाने के बाद बेक वाटर से सामान्य मौसम तथा असामान्य मौसम में कितना कितना क्षेत्र प्रभावित होगा ? क्या सरकार ने इसका सर्वे करा लिया है ? यदि हां, तो प्रभावित जन-धन, भूमि-वन सम्पदा, नदी नाले, तालाब, पुलिया चल-अचल सम्पत्ति के मूल्यांकन आदि के बारे में पूरी सूचना मय नक्शे के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या कडाणा डेम से प्रभावित क्षेत्र ट्राइबल ब्लाक्स के है ? यदि हां, तो केन्द्र व राज्य सरकार ने विगत 22 वर्षों में इन ब्लाक्स के लिये किन किन स्रोतों से कितना कितना रुपया व्यय किया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(6) क्या यह सत्य है कि मार्च 1966 में जो एग्रीमेन्ट तत्कालीन कृषि मंत्री ने मंत्रिमंडल की पूर्वानुमति के बिना किया था वह कानूनी दृष्टि से अवैधानिक है ? यदि हां है, तो क्या राज्य सरकार राजस्थान का अहित करने वाले इस अवैधानिक, व गलत एग्रीमेन्ट को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देकर रद्द कराने को तैयार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा के जल में राजस्थान के अधिकार को नहीं माना है ? यदि हां, तो सरकार का अब इस बारे में क्या रुख है?

(8) राज्य सरकार द्वारा माही डेम पर जल विद्युत योजना पर अब तक कितना धन किस किस मद में खर्च किया गया तथा उसकी क्या उपलब्धि हुई ? यदि नहीं, तो माही डेम कब तक बनकर तैयार हो जायगा ?

(9) क्या यह सत्य है कि गुजरात सरकार ने कडाणा डेम का कार्य प्रारम्भ करके एक पक्षीय कार्यवाही की है और राजस्थान सरकार का विश्वास भंग किया है ? यदि नहीं तो, एग्रीमेन्ट के अनुसार गुजरात सरकार ने क्या पूर्ति की है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) कडाणा बांध के अधिकतम जल धरातल को 419.00 से भी नीचे रखने की

Page No. 33

(सिचाई मन्त्री)

सम्भावनाओं पर विचार करने के लिये सिचाई विभाग अब 419.00 के अलावा 412.00, 410.00 एवं 405.00 के धरातल पर भी डूब में आने वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। इस सर्वेक्षण से यह पता चल सकेगा कि कडाणा बांध का जल-धरातल कितना-कितना कम करने से कितनी-कितनी अतिरिक्त भूमि डूब में आने से बचाई जा सकेगी। आंकड़े तैयार होने पर ही इस विषय में आगे विचार किया जा सकेगा।

(2) डूब क्षेत्र में 419.00 के अधिकतम जल धरातल एवं तत्सम्बन्धी बैक वाटर के निशान लगा दिये गये हैं। किसी भी स्थान पर नदी में बैक वाटर का प्रभाव बांध की ऊंचाई तथा नदी में सम्भावित अधिकतम जल-प्रवाह के अलावा उस स्थान की बांध से दूरी पर भी निर्भर करता है। बैक वाटर के कारण डूब में आने वाले क्षेत्रों के सर्वेक्षण व आंकड़े एकत्र करने का कार्य पूर्ण होने पर इस विषय में अधिक प्रकाश डाला जा सकेगा।

(3) 419.00 के अधिकतम जल-धरातल से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होगया है। डूब में आने वाली भूमि व सम्पत्ति के ब्यौरे की सूची प्रस्तुत है इस ब्यौरे में कुछ परिवर्तन सम्भावित है क्योंकि यह पुराने रेवेन्यू रिकार्ड के आधार पर बनाई गई है। सम्पत्ति व भूमि के मूल्यांकन का कार्य करना अभी बाकी है।

(4) जी हां। 419.00 के जल-धरातल से संबंधित बैक वाटर से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में सर्वेक्षण के उपरान्त निशान लगा दिये गये हैं। डूब में आने वाले क्षेत्र में भूमि व सम्पत्ति के आंकड़े एकत्र करने का कार्य प्रगति पर है।

(5) जी हां, राजस्थान के सिंचाई विभाग द्वारा इस ट्राइबल क्षेत्र में प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर मार्च, 69 तक सिचाई कार्यों पर 52.80 लाख रु० खर्च किया गया। सूची संलग्न है।

(6) पूर्व में आपसी बातचीत के बाद ही उक्त एग्रीमैन्ट तय पाया था और अब भी बातचीत के जरिये ही इसमें संशोधन किये जाने के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है।

(7) जी हां, अब केन्द्र ने नर्मदा जल-विवाद अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल को सौंप दिया है। राजस्थान को भी इस जल-विवाद में एक पार्टी मान लिया गया है और राज्य सरकार ने उक्त ट्रिब्यूनल को अपनी याचिका पेश कर दी है।

(8) दिसम्बर, 69 तक माही योजना पर नहरों के निर्माण, नदी पर पुल कालोनी, प्रयोगशाला, योजना कार्य के लिए विद्युत का प्रबन्ध, बांध के नींव की खुदाई आदि प्रारम्भिक कार्यों पर कुल 178 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है। चूंकि योजना अभी अभी पूरी नहीं हई हुई है, अतः उपलब्धि का प्रश्न ही नहीं उठता योजना कब तक पूरी होगी, इस विषय में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(9) जी नहीं। सारा मसला पूर्ण सर्वेक्षण के बाद ही दोनों राज्यों की आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने के प्रयास जारी हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक

13. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अनेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक ही चिकित्सक की व्यवस्था है, जब कि कम से कम दो चिकित्सक होने चाहिये ?

(2) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नापासर का क्षेत्र बहुत विस्तृत एवं पिछड़ा हुआ है तथा डॉक्टर के दौरे पर अधिक रहने के कारण वहां के मरीजों को स्वास्थ्य केन्द्र से सही लाभ नहीं मिल सकता ?

(3) क्या सरकार एक और चिकित्सक की नियुक्ति नापासर में करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। समुचित संख्या में डॉक्टर उपलब्ध होने पर ही सम्भव हो सकेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्टेट लॉटरीज से प्राप्त राशि एवं उसका व्यय

1. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) स्टेट लॉटरीज से अब तक कब कब कितनी कितनी राशि प्राप्त हुई ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त राशि राज्य के विकास में किस प्रकार उपयोग में लाई गई ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त राशि में से कितनी राशि बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालौर जिलों के विकास में किन-किन कार्यों के लिये काम में लाई गई ?

उत्तर

(1) स्टेट लोटरी के टिकिटों की बिक्री सितम्बर, 1968 से आरम्भ हुई थी, उसमें नीचे लिखे अनुसार टिकिटों की बिक्री से राशियां प्राप्त हुई:—

प्रथम ड्रा	दिनांक	1-1-69	15,35,070.00
द्वितीय ड्रा	,,	6-4-69	19,47,108.00
तृतीय ड्रा	,,	8-6-69	11,97,892.00
चतुर्थ ड्रा	,,	10-8-69	16,07,049.00
पंचम् ड्रा	,,	20-9-69	14,35,820.00
षष्टम् ड्रा	,,	31-10-69	14,68,048.00
सप्तम् ड्रा	,,	9-12-69	12,55,800.00
अष्टम् ड्रा	,,	13-1-70	12-58,405.00
नवम् ड्रा	,,	16-2-70	11,12,500.00
		कुल	1,28,19,625.00

(वित्त मन्त्री)

इसके अतिरिक्त एजेन्सी शुल्क एवं विविध आय (रद्दी की बिक्री) से रु० 4,800) व रु० 1,933) हुई है।

(2) लॉटरी से सम्बन्धित आय की राशि राज्य की संचित निधि में जमा है।

(3) राशि चूंकि संचित निधि में जमा है, इसका उपयोग स्वतः राजकीय अन्य आय के समान हो रहा है।

विशेष रूप से इस आय का उपयोग अलग से किसी कार्य में या किसी जिले के विकास कार्य में नहीं किया गया है।

अकाल के स्थाई हल की योजना

2. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार ने अकाल के स्थायी हल के लिये क्या योजना बनाई है?

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत सरकार ने कितनी राशि व्यय की है और उसमें क्या क्या प्रगति हुई है?

(3) सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उक्त समस्या के हल के लिए क्या योजना तैयार की है?

(4) उक्त समस्या के हल के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि का प्रावधान किन-किन विकास कार्यों के लिये रखा है?

उत्तर

राज्य सरकार के सीमित साधनों के अन्तर्गत अकाल के स्थाई हल के लिए अलग से कोई योजना नहीं बनाई गई है। चतुर्थ योजना में लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, वन में चरागाहों के विकास, पशु-पालन, बड़ी व मध्यम सिंचाई योजनाएं, सड़क निर्माण आदि क्षेत्रों में जो प्रावधान है उनके अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न अकाल के स्थाई हल के लिये किया जावेगा।

ग्राम हरीपुरा के गूजर की फसल को नष्ट करने के आदेश

3. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि प्रभू गूजर हरीपुरा, तहसील हिन्डोली की फसल तिल्ली और ज्वार की जो करीब 10 बीघा में थी, डी० एफ० ओ० बून्दी ने तारीख 21-8-67 को प्रमुख के आदेशानुसार नष्ट कर दी और बाड़ को जलवा दिया?

(2) क्या यह सही है कि जलाने से पूर्व प्रभू गूजर का फसल को नष्ट नहीं किये जाने बाबत प्रार्थना-पत्र मैंने डी० एफ० ओ० के पास भेजा था? यदि हां, तो क्या वह प्राप्त हुआ था?

(3) क्या यह सही है कि प्रभू गूजर की जमीन के पास ही मीमा बोला की फसल भी डिमार्केशन में होते हुए नष्ट नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

Page No. 36

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

(4) क्या यह सत्य है कि डी० एफ० ओ० बून्दी, रेंजर हिन्डौली और जकाती प्रमुख श्री भैरोंप्रकाश के आदेशानुसार जनता हिन्डौली को परेशान कर रहे हैं ?

(5) क्या सरकार इस मामले की सी. सी. एफ. के द्वारा जांच कराने को तैयार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रभू गूजर का इस प्रकार का कोई आवेदनपत्र मण्डल वन अधिकारी बून्दी के कार्यालय में नहीं पहुंचा।

(3) जी नहीं। श्री भीमा बोला की फसल वन सीमा के अन्दर नहीं है। अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(4) जी नहीं।

(5) जिन व्यक्तियों ने वन क्षेत्र में अवैध रूप से जंगल काटने एवं काश्त करने का प्रयत्न किया उनके विरुद्ध सब डि० मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चालान किये गये हैं। न्यायालय में कार्यवाही चल रही है अतः अन्य जांच का अभी प्रश्न नहीं उठता।

बीकानेर जिले में परिवार नियोजन कार्य

4. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1 जनवरी 1969 से 1 जनवरी 1970 तक तहसील लूनकरणसर, नोखा और कोलायत जिला बीकानेर में कितने आदमियों के नसबन्दी की गई व कितनी औरतों के लूप लगाये गये ?

(2) क्या यह सही है कि जिन महिलाओं के लूप लगाये गये उनमें से कई के सन्तानें हो चूकी हैं, और उन्होंने परिवार नियोजन अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की है ? यदि हां, तो ऐसी शिकायतें सरकार के पास कितनी पहुंची ?

(3) परिवार नियोजन पर तहसील लूनकरणसर में उपरोक्त वर्ष के अर्से में कुल कितना खर्च किया गया था ? सूची औजार खरीदने, दवाई, डॉक्टरों, अन्य कर्मचारियों और जीप व पैट्रोल पर खर्चा दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि गांवों में प्रचार करने के लिए डॉक्टरों को पूरी सहायता समय पर नहीं मिलने के कारण परिवार नियोजन का कार्य-क्रम असफल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 358 आदमियों की नसबन्दी की गयी और 124 औरतों के लूप लगाये गये।

(2) ऐसी कोई शिकायत की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(3) कुल खर्चा 28,724 रुपये 28 पैसे हुआ। वांछित सूची (क) सदन की मेज पर रखदी गई है।

(4) गांवों में प्रचार करने का कार्य डॉक्टरों द्वारा नहीं किया जाता है। इस

(परिवार नियोजन मंत्री)
कार्य के लिए अलग प्रचार ईकाइयां है अत: प्रचार कार्य करने के लिए डॉक्टरों को सहायता दिये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

राजस्थान ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत पाली, जालौर व सिरोही की संस्थाएं

5. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत जो जो संस्थायें, मन्दिर, धर्मस्थान एवं अन्य विभिन्न संस्थान पंजीकृत हुए हैं उनकी सूची जिलेवार प्रत्येक के नाम व पते सहित पाली, सिरोही व जालोर इन तीन जिलों की बताई जावें।

(2) पाली, सिरोही व जालोर जिले की जिन संस्थाओं (जिनका नियमानुसार पंजीयन होना चाहिये) ने अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, उनके लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है (अब तक) तो बताया जावे कि उस कार्यवाही का क्या फल आया ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) नोटिस दिया जाकर कार्यवाही जारी है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

बारां में कम्पाउण्डर डिस्पेन्सरी

6. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि परिवार नियोजन मंत्री श्रीमती सुमित्रासिंह ने कुछ माह पूर्व बारां की सार्वजनिक सभा में यह घोषणा की थी कि बारां नगर के शहर के बीच में शीघ्र ही एक कम्पाउण्डर डिस्पेन्सरी खोल दी जावेगी।

यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

जी हां, यह घोषणा की थी कि बारां नगर में अस्पताल दो मील दूरी पर है अत: पुरानी डिस्पेन्सरी में एक कम्पाउण्डर लगा कर नगर के लोगों के छोटे मोटे रोगों का इलाज कर सकेंगे जिससे लोगों को दो मील दूर शहर में न जाना पड़ें।

अन्य स्थानों पर जहां चिकित्सा सुविधा बिल्कुल प्राप्त नहीं है, उन्हें प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसलिए अब तक यह आश्वासन पूरा नहीं किया जा सका है, फिर भी इस पर सहानभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जायेगा।

पुरुष नर्स ग्रेड 1, सिस्टर व सिस्टर ट्यूटर के वेतन

7. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार पुरुष नर्स ग्रेड 1, सिस्टर व सिस्टर ट्यूटर के समान वेतन के सिद्धान्त को स्वीकार करती है ?

(श्री ओमदत्त भाटी)

(2) अगर हां, तो क्या समान वेतन व पद वाले एक दूसरे के कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं ?

(3) यदि नहीं तो क्या परिचर्या प्रक्रिया में ह्रास नहीं होगा जब कि वार्डों में प्रशिक्षकों द्वारा यथायोग्य निरीक्षण नहीं होगा ?

(4) अगर होगा, तो क्या सरकार इसको रोकने हेतु प्रशिक्षकों का स्तर ऊंचा करने के सिद्धान्तों को स्वीकार करती है ?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं उन पर प्रशासनिक विभाग द्वारा जांच किया जा कर मामला वित्त विभाग को विचारार्थ भेजा गया था जिन्होंने विभागीय प्रस्ताव को अस्वीकार करके लौटा दिया है। अब इस पर मंत्री स्तर पर बात होने के लिये पत्रावली विचाराधीन है।

(2) (3) व (4) प्रश्न के भाग (1) के निर्णय होने पर ही कार्यवाही सम्भव होगी। अतः प्रश्न के भाग (2) (3) एवं (4) का प्रश्न ही नहीं उठता।

फ्लू का प्रकोप

8. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में पिछले फ्लू के प्रकोप का क्या कारण था और इसको मिटाने के लिये सरकार की ओर से क्या क्या कार्यवाही की गई ? किस-किस माह में फ्लू से किस-किस जिले में कितने लोग बीमार हुये व कितने मरे ? जिले के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) भविष्य में यह बीमारी नहीं हो इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) यह मौसमी संक्रामक रोग है जो वायरस द्वारा फैलता है। इसकी रोकथाम हेतु रोगग्रस्त जिलों में 70 भ्रमणशील इकाइयां स्थापित की गई। दवाईयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थीं। फ्लू से पीड़ित रोगियों एवं मृतकों की सूची दिनांक 7-1-70 से 4-3-70 तक संलग्न है।

(2) इसके लिए चिकित्सा शास्त्र में कोई साधन उपलब्ध नहीं है फिर भी चिकित्सा व्यवस्था व औषधियां पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक जिले में उपलब्ध हैं।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

लालसोट चिकित्सालय में पीली दवा की व्यवस्था

9. श्री शम्भूराम (लालसोट) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि लालसोट चिकित्सालय में रोगियों के लिए बहुत समय से पीली दवा एक्रीफ्लेविन की (पट्टी बांधने के लिए) व्यवस्था नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। एक्रीफ्लेविन दिनांक 18-7-69 को 50 ग्राम सप्लाई की गई थी। अभी भी उनके पास 20 ग्राम दवाई स्टॉक में है।

Page No. 39

अधूरे विकास कार्यों को पूरा कराने की सूचनाएं

10. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समितियों को अधूरे विकास कार्यों को पूरा कराने एवं पीने के पानी के कुओं हेतु धन आवंटित किये जाने के लिये सूचनाएं पंचायत समितियों से मांगी है ? यदि हां, तो किस किस जिले से कितनी कितनी राशि की मांग प्राप्त हुई है ?

(2) क्या अधूरे विकास कार्यों एवं पीने के पानी के सार्वजनिक कुओं के लिये धन आवंटित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) स्थानीय विकास कार्य योजना के अन्तर्गत अपूर्ण पड़े हुए कार्यों के बारे में सूचना मंगाई गई है अब तक प्राप्त सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) धनराशि का आवंटन उसकी उपलब्धि पर निर्भर है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

पाली जिले में अकाल राहत योजनाओं पर खर्च

11. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या अकाल सहायता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) पाली जिले की प्रत्येक तहसील में इस वर्तमान अकाल राहत योजना में कितने कितने रुपये खर्च हुए ? प्रत्येक तहसील के पृथक पृथक अंक दिये जावें ?

(2) यदि उपर्युक्त में फर्क है तो फर्क का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) पाली जिले में अकाल राहत योजना में जो खर्चा हुआ उसका ब्यौरा सूची (क) में अंकित है।

(2) राहत कार्यों पर तहसीलवार हुए व्यय अंकों में अन्तर का कारण यह है कि प्रत्येक क्षेत्र की स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए राशि स्वीकृत हुई थी व व्यय हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

अकाल राहत कार्यों में भ्रष्टाचार के मामले

12. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सन् 1968-69 एवं 1969-70 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कितने भ्रष्टाचार के मामले राज्य सरकार के समक्ष आये ? राज्य सरकार द्वारा इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई ? विस्तृत सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

Page No. 40

ग्राम जोगलिया में जोहड़ खुदाई

13. श्री रावतराम (छापर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1969 में अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत ग्राम जोगलिया तहसील सुजानगढ़ (जिला चूरू) में जोहड़ खुदाई के लिए धनराशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कितनी धनराशि?

(2) उक्त ग्राम में जोहड़ खुदाई का कार्य कब और किस की देख रेख में शुरू हुआ तथा मजदूरों को कब कितना पेमेन्ट किसके द्वारा किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, 5000 रु० स्वीकृत किये गये थे।

(2) यह कार्य रेवेन्यू एजेन्सी की देख रेख में माह जुलाई 69 में हुआ है। इस जोहड़ खुदाई कार्य के ठीक प्रकार नहीं होने की जिलाधीश के यहां की गई शिकायत पर जिलाधीश द्वारा जांच करवाये जाने पर जांच अधिकारी द्वारा 2500 रु० का कार्य होना बताया गया। तदनुसार इस हिसाब से मजदूरों को भुगतान की व्यवस्था पर उनके द्वारा भुगतान लेने से इनकार होने के कारण भुगतान नहीं हो सका है।

पाली जिले के चुनाव क्षेत्रों में अकाल राहत पर खर्च

14. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1968-69 एवं 1969-70 के अकाल में जनवरी, 1970 तक पाली जिले में कौन कौन से चुनाव क्षेत्र (विधान सभा का) में कुल कितना कितना खर्च हुआ ? किस-किस काम के मजदूरों की मजदूरी आज तक कितनी कितनी क्यों नहीं चुकाई गई है ? शेष मजदूरी कब चुकादी जायेगी ?

(2) उपर्युक्त खर्च के अङ्कों में यदि फर्क हो तो उस फर्क के कारण क्या हैं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्रवार कुल खर्च की सूची (क) तथा मजदूरों की बकाया की सूचि (ख) में अङ्कित कर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) प्रत्येक क्षेत्र की स्थिति को गम्भीरता की दृष्टि में रखते हुए व्यय किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

टोंक जिले में अकाल राहत कार्य

15. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला टोंक में अकाल राहत कार्यों में सिंचाई विभाग द्वारा कुल कितने कार्य कराये गये ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेंगे।

(2) जिले में ऐसे कितने तालाबों पर कार्य चलाया गया जिनसे सिंचाई बिल्कुल नहीं होती है ? यदि होती है तो कुल रकबा

(श्री दिग्विजयसिंह)
कितना है ? कृपया पृथक पृथक तालाबों का रकबा मय नाम तालाब दर्शाते सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

जिला चूरू में अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की बकाया

16. श्री रावतराम (छापर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला चूरू में गत साल सन् 1969 में अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत जो काम चालू थे, उन पर लगे मजदूरों की कितनी बकाया है, जिसका अभी तक पेमेन्ट नहीं हुआ ?

(2) तहसील वाइज किन किन कार्यों का कितना, पैसा बकाया है तथा अभी तक उक्त पैसों का भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) रुपये 4,48,162.72 पैसे का भुगतान करना शेष है।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। भुगतान नहीं करने के कारण भी सूची में अङ्कित है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

पंचायत समितियों द्वारा वितरित बीज और खाद का ऋण

17. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान की समस्त पंचायत समितियों द्वारा बीज और खाद का जो ऋण वितरित किया गया है वह कुल 6 करोड़ 52 लाख 50 हजार 115 रुपये और 54 पैसे है ?

(2) कुल ऋण में बीज व खाद के नाम से कितनी कितनी राशि है जिलेवार बतलावें ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम ककोड़ के पंच के विरुद्ध जांच

18. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि श्री केसर सिंह, पंच ककोड़, पंचायत समिति, उनियारा जिला टोंक के विरुद्ध कोई जांच हो रही है ? यदि हां, तो वह कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ककोड़ के सरपंच का चार्ज श्री केशरसिंह को जिलाधीश, टोंक ने दिलाया है ? यदि हां तो चार्ज कब दिलाया ?

(3) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार द्वारा एक आदेश दिनांक 26-11-69 को जारी किये गये थे कि श्री केसरसिंह को चार्ज नहीं दिया जावे ? यदि हां, तो उन आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सत्य है कि जिलाधीश टोंक को आदेश दिनांक 27-11-69 को

Page No. 42

(श्री दिग्विजयसिंह)

प्राप्त हो चुके थे पर उन आदेशों की कोई पालना नहीं की और श्री केसरसिंह को चार्ज दिलवा दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जांच पूर्ण हो चुकी है ।

(2) जी हां, दिनांक 30-11-69 को ।

(3) जी हां, दिनांक 25-11-69 को आदेश की प्रति मेज पर रख दी गई है ।

(4) जी हां, परन्तु जिलाधीश, टोंक द्वारा शिकायतों की जांच करवाई तो श्री केसरसिंह पंच के विरुद्ध शिकायतें सही नहीं पाई गई जिससे सरपंच का चार्ज उनको दिलाया गया ।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

अकालग्रस्त क्षेत्रों में कृषि व पशु पालन विभाग के स्टॉफ से कार्य

19. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे.—

राज्य के जिन जिलों में आठ-नौ साल से अकाल है वहां पर न खेती होती है तथा वहां के पशु भी हर साल बाहर चले जाते हैं ऐसे जिलों में पंचायत समितियों के कृषि व पशुपालन सम्बन्धी स्टॉफ (कर्मचारी) से क्या काम लिया जाता है ? ऐसी हर पंचायत समितियों की लिस्ट दी जावे जिनमें एक साल से ज्यादा अकाल रहा हो ?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति लूनकरणसर की बैठक

20. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पंचायत समिति लूनकरणसर की गठन की तारीख से लेकर अब तक कितने सदस्यों ने लगातार पंचायत की बैठकों में भाग नहीं लिया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

केवल एक सदस्य, श्री लक्ष्मणसिंह सरपंच, पंचायत हंसेरा ने पंचायत समिति की साधारण बैठक में 25-10-66 के बाद भाग नहीं लिया ।

राजस्थान नहर पर कार्य करने वाले ठेकेदार

21. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर के कितने ऐसे ठेकेदार हैं जिन्होंने ठेका लेकर काम पूरा नहीं किया व सरकारी धनराशि को लेकर भाग गये ? काम को पूरा न करने वाले ठेकेदार का नाम, किस आर. डी. पर ठेका, कितने लाख का उन्हें किस अधिकारी द्वारा बोली पर, शेड्यूल्ड रेट पर दिया गया, की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सत्य है कि काफी तादाद में ठेकेदारों के काम पूरा करने के बाद भी कार्य पूरा करने का प्रमाण-पत्र उन्हें नहीं

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
दिया गया और उनकी बकाया जमा धनराशि का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो कुल कितनी राशि बकाया है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर परियोजना में ऐसे कोई 35 ठेकेदार (19 पंजाब व 16 राजस्थान भाग में) हैं, जिन्होंने ठेका लेकर काम पूरा नहीं किया एवं जिनसे सरकारी धनराशि बकाया है। ऐसे ठेकेदारों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

यह कहना सत्य नहीं है कि ठेकेदार सरकारी धनराशि लेकर भाग गये। इस बकाया राशि में अधिकतर उन पर जुर्माना अथवा काम पूरा न करने पर दूसरे ठेकेदार द्वारा काम कराने पर जो अधिक खर्च हुआ है वो एवं इसी प्रकार की दूसरी राशि सम्मिलित है।

(2) साधारणतया कार्य पूरा करने पर जो भी ठेकेदार अन्तिम प्रमाणपत्र मांगता है उसे दे दिया जाता है। बिल के भुगतान होने से पहले ठेकेदारों से माल जो उनको दिया गया हो, एवं दूसरी वसूलियां जो भी हों करनी होती हैं। इस प्रकार लगभग 5,06,745.00 रुपया (पंजाब भाग का रु० 1,06,745.00 तथा रु० 4 लाख राजस्थान भाग का) पूर्ण किये हुये कामों के अंतिम बिलों के भुगतान का बाकी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी है)

सूरतगढ़ में एक साला बोलो पर दी गई भूमि

22. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला गंगानगर की तहसील सूरतगढ़ में सन् 1969 में कितने, किन-किन व्यक्तियों को कितनी भूमि एक साला बोली पर दी गई ? भूमि लेने वाले व्यक्तियों के नाम, जाति, पिता का नाम, निवासस्थान, तारीख दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि अधिकारियों द्वारा कागजों में फर्जी बोलियां दिखाकर नाबालिग व अधिक भूमि वाले लोगों को ही भूमि दी गई है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि की एक साला निलामी के लिए पिछड़ी जाति के लोगों ने भी अपने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके भूमि प्राप्त करने के लिये बोली लगाई थी ? यदि हां, तो कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये और उनमें से कितने लोगों ने भूमि प्राप्त की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

उप-मंत्री द्वारा कारों की खरीद फरोख्त

23. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि उपमन्त्री श्री रामचरण ने अम्बेसेडर कार व फिएट कार

Page No. 44

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
आदि की खरीद व फरोख्त की है? यदि हां, तो किस-किस तारीख को कितने-कितने रुपयों में खरीद की और किस-किस व्यक्ति को बेची ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

श्री रामचरण उपमंत्री जी को एक फियेट कार नम्बर 67 जनवरी, 68 के कोटा में से आवंटन की गई थी जो उन्होंने दिनांक 16-2-68 को खरीदी। कार का 3 बार एक्सीडेन्ट हुआ जिसे उन्होंने दिनांक 27-9-69 को बेचने हेतु आवेदन किया। मंत्री महोदय ने प्रीमियर मोटर्स जयपुर का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया कि यह गाड़ी 3 बार के एक्सीडेन्ट से मेजर ओवरहालिंग चाहती है और ज्यादा लम्बे सफर में चलने योग्य नहीं है। अतः दिनांक 4-10-69 को गाड़ी बेचने की स्वीकृति दे दी गई। गाड़ी कब बेची इस विभाग को पता नहीं है इसके उपरान्त उनको दूसरी फियेट कार नवम्बर, 69 जनवरी, 70 के कोटे में से आवंटन हुई है जो उन्होंने दिनांक 15-12-69 को खरीदी।

उपमन्त्री के भाई के नाम बस के परमिट

24. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उपमन्त्री श्री रामचरण के भाई श्री किशनलाल आदि के नाम पर कवाई-सालपुरा-इकलेरा-मनोहर थाना रोड पर चलने वाली बस का परमिट मिला है ?

(2) यदि हां, तो उक्त रोड़ पर किस नम्बर कि बस चल रही है ?

उत्तर

(1) श्री किशनलाल आत्मज श्री मांगीलाल खेरलीगंज अटरू के नाम एक बस का परमिट मनोहरथाना सालपुरा वाया लास, इकलेरा, सारथल, छीपा बड़ोद दिया हुआ है।

(2) इस बस का नम्बर आर. जे. आर. 5103 मॉडल 1964 लीलैंड है।

फलसूंड सड़क पर दिये गये बस के परमिट

25. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर से फलसूंड सड़क पर कितने बस परमिट दिये गये हैं और कितनी बस इस मार्ग पर रोजाना चलती हैं।

(2) क्या इस मार्ग पर गांवों और यात्रियों की संख्या को देखते हुये मौजूदा बसों की संख्या पर्याप्त है ?

उत्तर

(1) इस मार्ग पर चार परमिट दिये हुये हैं जिसमें से दो बस मालिकों ने अपने वाहनों के अनुज्ञा-पत्र का नवीनीकरण करा लिया है और दो का अभी बाकी है। एक बस जाती है व एक आती है।

(2) इस मार्ग पर प्राधिकारी ने जांच कर बढ़ती हुई यात्रियों की संख्या को देखते हुये चार वाहन की जगह 6 वाहन और दो

(यातायात मंत्री)
रिटर्न ट्रिप्स निर्धारित की हैं। उसके अन्तर्गत दो आवेदनपत्र आये हैं जो मार्च, 70 में होने वाली बैठक में विचारार्थ रखे जायेंगे।

शिक्षकों के स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश

26. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने कोई ऐसे आदेश प्रसारित कर रखे हैं कि शिक्षकों के स्थानान्तरण शिक्षा सत्र के बीच व दो वर्ष पूर्व नहीं किये जायें ? यदि हां, तो उक्त आदेशों की प्रतियां सदन मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि इस चालू सत्र के बीच में ही नागौर जिले में शिक्षकों के स्थानान्तरण किये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन के कब तथा कहां से कहां और किन कारणों से व किस अधिकारी द्वारा ? सूची पूर्ण विवरण के साथ सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त स्थानान्तरणों में कोई अनियमितता हुई हो या सरकार के निदेशों की अवहेलना हुई हो तो किस-किस के द्वारा तथा उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(4) उपरोक्त नीति की पालन करवाने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) जी हां, सूची संलग्न है।

(3) कोई अनियमितता नहीं की गई। प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

बून्दी जिले के अध्यापकों को वेतन वृद्धि

27. श्री केशरी सिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने सन् 1966 की जुलाई, 13 को सरकारी कर्मचारियों के वेतन को रिवाइज.आदेश सं. एफ. 2 (बी.) (21) एफ. डी. (ई. आर.) 66, दिनांक 13 जुलाई, 1966 नियम 1961 के शिड्यूल 111 के द्वारा किया था ?

(2) इस नोटिफिकेशन के अन्तर्गत जिला बूंदी के कितने अध्यापकों को वेतन में वृद्धि मिली और कितनों को नहीं ?

(3) वृद्धि न मिलने के क्या कारण हैं ?

(4) किन-किन की वेतन-वृद्धि नहीं की गई और क्यों ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सरकार के आदेश सं० एफ. 2 (बी.) (21) एफ० डी० (ई० आर०) 55, दिनांक 13 जुलाई, 66 नियम 1961 के शेड्यूल 111 द्वारा सरकारी कर्मचारियों के वेतन को रिवाइज्ड किया था।

Page No. 46

(शिक्षा मंत्री)

(2) इस नोटिफिकेशन के अन्तर्गत जिला बूंदी के 175 अध्यापकों को वेतन वृद्धि मिली है। इसके अन्तर्गत वेतन के मिलने से कोई अध्यापक वंचित नहीं रहा है।

(3) यह वेतन वृद्धियां सबको मिल चुकी हैं।

(4) इसका उत्तर नं० 2 में आ चुका है।

भारतीय लोक कला मण्डल, उदयपुर को ऋण व सहायता

28. श्री जयनारायण सालोविया (निवाई) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भारतीय लोक कला मण्डल, उदयपुर को सरकार ने अब तक कितना ऋण व सहायता किस किस काम के लिये दी है ? क्या वह उन्हीं कामों में खर्च की गई है ? इसके प्रमाण-पत्र दिये गये हैं या नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि इस संस्था को समाज कल्याण तथा अन्य विभागों से भी सहायता दी गई थी ? यदि हां, तो कब कितनी और किस काम के लिये ?

उत्तर

(1) भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर को राज्य सरकार द्वारा जो सहायता एवं ऋण स्वीकृत किये गये हैं उनसे सम्बन्धित सूचना संलग्न है। जिस कार्य हेतु अनावर्त्तक सहायता या ऋण दिया गया है वह उस कार्य हेतु खर्च किया जाकर उसके उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गये है।

(2) अन्य विभागों से मिलने वाली सहायता सम्बन्धित सूचना शिक्षा विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

डूंगरगढ़ में उच्चतर माध्यमिक पाठशाला

29. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कस्बा डूंगरगढ़ जिला चूरू में उच्चतर माध्यमिक पाठशाला क्यों नहीं खोली गयी ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति व नगरपालिका श्री डूंगरगढ़ व स्थानीय जनता द्वारा राज्य सरकार के पास हायर सेकेण्डरी पाठशाला के लिये काफी प्रस्ताव व मांग-पत्र पेश किये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1969-70 में माध्यमिक-शालाओं को उच्च माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

(2) जी हां। प्रावधान के अभाव में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

पहले स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामकिशन, श्री नत्थीसिंह, श्री भैरोंसिंह, श्री दौलतराम सारण व श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि विगत 126 दिन से गंगानगर के किसानों की मांगों को लेकर गंगानगर की जनता द्वारा शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलाया जा रहा है तथा किसानों की मांगों को स्वीकार करने के बजाय राज्य सरकार द्वारा इस आन्दोलन को कुचला जा रहा है। सशस्त्र पुलिस व सेना को लगा कर धारा 144 लगाई गई है।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामकिशन, श्री नत्थीसिंह, श्री विजयसिंह मकराना, श्री रूपसिंह व श्री दुर्गालाल बाढ़दार, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसका सम्बन्ध गंगानगर के किसानों की मांगों को स्वीकार कराये जाने के बारे में राज्य विधान सभा के माननीय सदस्य प्रो० केदारनाथ आदि द्वारा भूख हड़ताल किए जाने एवं सत्याग्रहियों के साथ अभद्र व्यवहार से उत्पन्न स्थिति से है।

तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री जयनारायण सालोदिया, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें टोंक जिले की कई तहसीलों में व निवाई तहसील के करीब आधे गांवों में दिनांक 24-2-70 से 26-2-70 तक ओलावृष्टि से हुई क्षति का उल्लेख किया गया है।

इनके अतिरिक्त निम्नांकित तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं श्री भैरोंसिंह तथा श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जो इस प्रकार है।

(1) सन् 1957 के आम चुनावों में मेड़ता निर्वाचनक्षेत्र की चुनाव मतपेटियों की गणना से पूर्व तोड़कर उनके मतपत्रों में निशान बनाने के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से सम्बन्धित।

(2) दिनांक 20-2-70 को जैसलमेर जिले के पुलिस अधीक्षक पोकरण के पुलिस थानेदार एवं एस. डी. ओ. द्वारा जैसलमेर जिला जनसंघ के उपाध्यक्ष श्री त्रिभुवन एडवोकेट एवं श्री परसा महाराज की मुंसिफ मजिस्टेट पोकरण की अदालत में पिटाई करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही न करने के कारण राजस्थान जनसंघ के अध्यक्ष श्री गुमानमल लोढा, एडवोकेट द्वारा भूखहड़ताल से उत्पन्न स्थिति।

(3) गत 3 फरवरी को विवेकानन्द छात्रावास में आवासित तीन छात्रों पर हमला करने तथा इस मामले में शामिल सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी न होने से उत्पन्न स्थिति श्री विजयसिंह श्री आलम अली, श्री रूपसिंह तथा श्री दुर्गालाल बाढ़दार ने भी इसी आशय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने भादरा सांगरिया एवं चूरू में हुए गोलीकांडों की जांच से पूर्व सम्बन्धित सरकारी अधिकारियों के निलम्बन एवं स्थानान्तरण नहीं किए जाने से उत्पन्न

(श्री अध्यक्ष)
स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर उनपर शीघ्र निर्णय लिये जाकर मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा।

राज्यपाल महोदय का आदेश

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश मैं सदन के माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि धन्यवाद के प्रस्ताव के उत्तर में निम्नांकित संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है -

30 जनवरी, 1970

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका 29 जनवरी का पत्र क्रमांक 197 मिला। इस कृतज्ञता संदेश के लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। आप कृपया उनके पास तक मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को पहुंचाने का कष्ट करें।"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिना प्रस्ताव पास किये हुए ही।

सदन के निर्धारित कार्यक्रम के पूरा होने से पहले ही सत्रावसान पर औचित्य प्रश्न

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। 29 तारीख को जब विधान सभा को एकाएक स्थगित किया गया तब दूसरे दिन गंगानगर की मांगों पर विचार होने को था उसका क्लियर अन्डरस्टैंडिंग हमको दिया गया था और उसके बाद एकाएक जब विधान सभा को स्थगित कर दिया गया और 3 तारीख को सेना, बोर्डर सिक्योरिटी पुलिस, आर. ए. सी. और मध्यप्रदेश की पुलिस को लेकर दमन का नंगा नाच शुरु किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा जब चल रही थी तब मुख्य मंत्री महोदय बारबार इस तरह की बात कह रहे थे कि जनबल के सामने झुकने में उन्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, और जनबल के सामने झुकते हुए जनता की मांगों को, किसान आन्दोलन की मांगों को स्वीकार करने में हिचक नहीं रखते हैं। अगर कोई हिचक थी तो उनकी केवल एक ही हिचक थी कि किसान संघर्ष समिति को बात करने के लिए कैसे बुलाएं। लेकिन जब 3 तारीख को पुलिस फोर्स डाल दी और जो दमन किया गया और जिस तरह से महिलाओं को पीटा गया, और उसमें, अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह सेबोलने वाले ''.....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। मैं आपकी शंका का निवारण कर देता हूं।

एक माननीय सदस्य : (सरकारी पक्ष) नो पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : यह जो प्रस्ताव जिस पर डिमाण्ड की गई थी उस पर दूसरे प्रस्ताव और आये हैं। मैं उसको कल बिज़िनेस एडवाइजरी कमेटी के सम्मुख रखूंगा।

श्री रामकिशन (वैर) : कल की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वे स्वीकार किये हुए हैं पहले से, उनमें तो कोई विवाद नहीं है। समय का प्रश्न है। इसलिए कल ही

(श्री अध्यक्ष)
बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में इसका समय निर्धारित किया जा सकता है। उस समय उनको ले लेंगे।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न इसलिए है कि बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी ने और आपने समय निर्धारित कर दिया था कि गंगानगर के मामले में सदन अपनी बात रखे लेकिन समय नहीं मिल पाता है। इसलिए यहां पर यह आश्वासन दिया जाय, हमको यह अन्डरस्टेंडिंग दी जाय। पहले भी एकाएक विधान सभा स्थगित कर दी गई थी और उसके बाद में फौज और पुलिस लगाई गई और महिलाओं पर गोलियां चलाई गई (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, अमर शहीद भगतसिंह की बहिन श्रीमती प्रकाश कौर को निर्दयता से पीटा गया। उसके साथ में एक मुसलमान संत्री, जो कि सत्याग्रह करने जा रहा था को इतना पीटा और मारा गया कि चौथे दिन वह मौत का शिकार हो गया इस बात की जांच तक न हो और उसको मरने दें····

श्री अध्यक्ष : मेरा यह निवेदन है···

श्री नत्थीसिंह : उस दोषी सरकारी अधिकारी को निलम्बित नहीं किया जाय··

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न सदन के सम्मुख आने वाला है···

श्री नत्थीसिंह : तो मेरी निश्चित रूप से यह मान्यता है कि··

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह : इससे हमारी भावनाओं का सम्बन्ध है। हम आपकी बात का आदर करते हैं। आपकी सारी बातें मानते हैं उसके बावजूद भी हमें इस सदन में अपनी बातें कहने का मौका नहीं दिया जाय और सदन स्थगित कर दिया जाय··

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय रामकिशनजी सहसा सदन को स्थगित करने के प्रश्न को तो सम्भवतः नहीं उठायेंगे, बारबार····

श्री रामकिशन : हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष : बारबार यह जो कहा जा रहा है कि सदन स्थगित किया गया यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिसमें रामकिशन जी कोई आपत्ति करते हों।

श्री रामकिशन : मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं फिर बात करूंगा इस प्रश्न पर। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : आपने एक व्यवस्था दी···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। जहां तक इस प्रस्ताव के लेने का प्रश्न है सदन का जो बिजिनेस है वह कल एडजस्ट किया जायगा कि किन किन तारीखों पर क्या क्या लेना है। इसलिए यह शंका आपकी कि लिया जायगा या नहीं लिया जायगा उचित नहीं है क्योंकि सदन की कार्यवाही लम्बे अर्से तक चलने की सम्भावना है। बजट

(श्री अध्यक्ष)
सेशन है और उसके बाद भी बिजिनेस रखा हुआ है। इसलिए कल जो तारीख इसके लिए निर्धारित सदस्य बैठकर करेंगे उस पर ले लिया जायगा।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मैं चाहता हूं कि दूसरे प्रश्न जो विचाराधीन हैं और जिनकी जानकारी प्राप्त की गई है आसन स्वयं इस प्रश्न पर सतर्क है कि जो गम्भीर प्रश्न हैं उन पर निर्णय दिया जा सकेगा। अब आप इस प्रश्न को अभी उठायेंगे तो उसकी गम्भीरता को कम करेंगे या उसको बढ़ायेंगे यह मैं नहीं जानता लेकिन जो प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्नों को उस समय ही लेकर और उन पर अगर वाद-विवाद किया जाय तो उचित होगा, यह मैं चाहता हूं। मैं कल ही बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने सारे प्रश्न रख दूंगा। बजट सेशन है इसलिए बजट पर वह वाद-विवाद होगा, डिमाण्ड्स पर भी होगा और उसमें हम किस तरह से एडजस्ट कर सकेंगे इस प्रश्न को।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस समय सदन के माननीय सदस्यों के सामने किसान ग्रान्दोलन की मांगों को लेकर, सरकार के रुख को लेकर, दमन को लेकर और भूख हड़ताल पर सदन के माननीय सदस्य, प्रोफेसर केदार जो 11 दिन से भूख-हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनके साथ में दूसरे सिन्धु साहब भी बैठे हुए हैं, चेताराम अस्पताल में दाखिल हैं और एक तरह से उन्होंने अपने जीवन की बाजी लगा रखी है, और हम एक के बाद दूसरे दिन की बात करते हैं तो इससे अच्छा वातावरण नहीं बनता है।

श्री अध्यक्ष : आज तो प्रथम दिन ही है। भूख-हड़ताल जो आपने बताई है वह दुबारा हुई है।

श्री रामकिशन : यह प्रश्न...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, इतना तो मैं निवेदन किये बिना नहीं रह सकता कि 29 तारीख को जिस तरह से पूर्व नियोजित कार्यक्रम जो निश्चित था, मैं समझता हूं कि उसकी सूचना तक मिल चुकी थी और आपने एकाएक सदन को एडजोर्न कर दिया, यह मेरे ख्याल में एक बड़ी भद्दी प्रक्रिया है, और माननीय नत्थीसिंह जी ने आपत्ति उठाई है उसके साथ मेरी एक हद तक स्वाभाविक है कि सहानुभूति होनी चाहिये। आखिरकार, अध्यक्ष महोदय ..

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय, यदि आप बाढ़दार जी से यह बात कर लेते तो यह प्रश्न नहीं आता।

श्री नत्थीसिंह : बाढ़दार जी से क्या बात करें हम तो आपसे बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका आग्रह क्या था।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान एवं अश्रव्य)

(श्री गाड़िया से) आप मा मत बोलिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं विशेष नहीं बोलूंगा। मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, कि जो कुछ भी आपकी बात हुई है बाढ़दार जी से उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं। पर जो इस सदन के अन्दर आपके द्वारा, बड़े कदम से

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

निवेदन करूंगा कि जो प्रदर्शन हुआ है वह मेरे खयाल में जनतन्त्र में एक अशोभनीय और भद्दी चीज है। बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की अगर प्रतिष्ठा आपके द्वारा भंग हो तो फिर यह रेसिप्रोकल है कि आसन प्रतिष्ठा डिमाण्ड कर सकता है या कमाण्ड कर सकता है यह आप स्वयं विचार करें, और अगर फिर बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी बैठकर इस बारे में निर्णय लेगी तो मैं इतना ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि कम से कम हमको यह आश्वासन होना चाहिये कि जो पहले हुआ उस तरह से फिर नहीं होगा, क्योंकि तीसरी दफा यह हुआ है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : आप फिर बोल रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं इस बारे में विशेष निवेदन नहीं करना चाहता हूं। मैं तो यह कहता हूं कि आप जनतन्त्र कि वेल्यूज की प्रतिष्ठा के रूप में यहां पर विराजमान हैं। दोनों हाथ से तालियां बजती हैं। आपके द्वारा मेरे ख्याल में, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो कि जनतन्त्र और इस सदन के लिए शोभनीय हो। आपके द्वारा अगर हमको आश्वासन इस बात का मिलता है कि आयन्दा ऐसा नहीं होगा तो उस आश्वासन को लेकर के भी हम एक आधार को मानकर आपको सहयोग देने के लिए कोई न कोई विचार करें, वर्ना, मेरे ख्याल में, डेमोक्रेटिक वेल्यूज के अन्दर हरेक आदमी जानता है कि आज कितना ह्रास हो रहा है, देश भर में आज क्या हो रहा है ...

श्री अध्यक्ष : मुझे भी दुःख है कि क्या हो रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप इसकी प्रतिष्ठा हैं। डेमोक्रेटिक वेल्यूज को अगर आप मानते हैं तो आपके द्वारा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये आज इसके अन्दर कि जो हमारे अन्दर कान्फीडेन्स, भरोसा और विश्वास उत्पन्न करे।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में अधिक समय न लेता हुआ आपका ध्यान सदन में आपके द्वारा दिये हुए एक वक्तव्य जो कि 12 अगस्त, सन् 1969 को दिया गया था उस ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में 12 अगस्त, 1969 को राज्य विधान सभा के अध्यक्ष महोदय के आश्वासन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया था कि भविष्य में निश्चित समय तक कार्यवाही चलेगी। अध्यक्ष ने कहा था कि वह पिछली घटना पर वेदना प्रकट करते हैं। और विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में जो प्रतिवेदन सदन से स्वीकार होगा, जिन तिथियों के सम्बन्ध में उनका बिजनेस पूर्णतया सदन में होने के बाद ही इस सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जायगा यद्यपि कुछ 2 विचित्र विषम स्थिति हो जाती है फिर भी उसके होने के सन्दर्भ में यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे समय कैसा भी विषम या सम हो, सदन में तब भी उस पर निर्णय करने के बाद ही, बिजनेस ट्रांजेक्ट होने के बाद ही सदन की कार्यवाही स्थगित की जा सके। यह 12 अगस्त, 69 को एक प्रस्ताव पर सदन को विश्वास दिलाया गया था। कैसी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
भी विषय स्थिति होगी तब भी सत्रावसान नहीं किया जायगा। अध्यक्ष महोदय, 30 जनवरी तक का प्रावधान इस हाउस में पास किया था। हाउस का मेंडेट लिए बिना स्थगन करना उचित नहीं था। अभी हरियाना विधान सभा के अध्यक्ष, और जो लोक सभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी यह व्यवस्था दी है। कितनी भी लोंगर पीरियड या लोंगर ड्यूरेशन के लिए हो बिना हाउस की सहमति के स्थगन नहीं हो सकता है। हरियाणा विधान सभा में जो कुछ हुआ हमें उसका जिक्र नहीं करना है। वहां के मुख्य मंत्री हाउस की मेंडेट को लें। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस प्रकार से हाउस को एडजोर्न कराना चाहे, आसन के कन्धे पर बन्दूक रखकर चलाना चाहे, यह उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, खुद यहां के आसन के सम्मान है लेकिन यह सरकार उससे बचने के लिए पहले तो अधिक दिनों तक चलाना स्वीकार कर लेती है। हाउसबिजनेस अडॉप्ट कर लेता है, उसके बाद अचानक एकाएक सारा कार्य पूरा किये बिना हाउस एडजोर्न होता है। यह मसला गम्भीर है। मैंने तो यह आपको स्मरण दिलाने के लिए पढ़ कर सुनाया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, पिछली 29 जनवरी को इस सदन को एकदम स्थगित किया गया। मुझे भी दुःख हुआ परन्तु अभी जो रिपीट हुआ, आप ने रामकिशन जी का नाम लिया बाढ़दार जी का नाम लिया मैं चाहूंगा सदन को पूरा कान्फीडेन्स में लिया जाये। सदन को कान्फीडेंस में लेकर ही यह करें। सदन ने आप को यह सम्मान दिया है। पिछली बार यह घटना कैसे हुई ? आगे हाउस को कान्फीडेंस में लेंगे एसी आशा है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, उस दिन हाउस में जब मुख्य मन्त्रीजी जवाब दे रहे थे, वह मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं। मैंने प्रश्न किया था। आपने कहा था बीच में नहीं अन्त में प्रश्न करें तो अच्छा रहेगा। मैं चुप बैठ गया। प्रश्नों की कोई जानकारी नहीं मिली और अन्त में, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता करके सदन को स्थगित कर दिया गया। सदन की गरिमा के लिए यह आवश्यक है कि आप सदन की गरिमा का स्थान प्राप्त करें। मैं माफी चाहूंगा कि यह हम को विवश होकर कहना पड़ता है। एक बार नहीं। एक, दो, तीन बार यह होता है। हम सब का विश्वास लेकर चलें। हम सब निष्ठा रखें कि और आगे यह नहीं होगा। मैं आप को यह निवेदन करूंगा कि सबसे अधिक गरिमा का स्थान हमने इस सदन में आप को दिया है। हमने शान्ति और सम्मान का रास्ता अख्तियार किया है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में प्रतिपक्ष के साथ यह व्यवहार किया जाए तो आप सोच सकते हैं कि हमारे दिलों पर क्या गुजरती है। एक तरफ जनता अपनी मांगों के लिए जेलों में सड़ रही है। कहीं गोलियां बरस रही हैं। सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है। जनता को रौंदा जा रहा है। मासूम बच्चों को गंगानगर की जनता के सामने पीटा और मारा जा रहा है पर इसके लिये (समय समाप्ति-सूचक-घन्टी) सदन में मसला उठाने की इजाजत नहीं है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इस सारे सदन को विश्वास में लेकर

(श्री दौलतराम सारण)
चलेंगे। सदन की गरिमा बनाये रखेंगे। खुद ग्राप कुछ भी कहें इस सदन के पीछे सारी जनता है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर, ग्रॉर्डर।

श्री दौलतराम सारण : जो स्थिति हुई है उसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि हमारे मानस में प्रतिक्रिया है। इसके लिए हम सदन को ग्रचानक स्थगन की कार्यवाही से सन्तुष्ट होने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री रामकिशन : ग्रध्यक्ष महोदय...

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

श्री रामकिशन : मैं इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट करदूं।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं स्पष्टीकरण करदूं।

श्री रामकिशन : फिर बाद में मौका नहीं है।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं स्पष्ट करदूं। सन्तोष न हो तो बाद में कह सकते हैं।

श्री रामकिशन : ग्रच्छा, बाद में ले लें।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाना विधान सभा में सदन स्थगित करने का जैसा प्रश्न बतलाया गया कि हरियाना में प्रस्ताव के माध्यम से सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। उसके रूल्स ग्रलग हैं। हरियाना के ग्रौर पंजाब की विधान सभाग्रों में सदन की कार्यवाही स्थगित मुख्यमन्त्री के प्रस्ताव पर सदन करता है। यहां के रूल्स वहां से भिन्न हैं। यहां पर मुख्यमन्त्री की ग्रोर से कोई प्रस्ताव सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में संसद में जो डिबेट इस प्रश्न पर हुई थी, उस पर प्रकाश डाला गया है। संसद में वहां के स्पीकर को उन्होंने डिफेंड किया है इस प्रश्न पर। लेकिन मैं उस प्रश्न पर नहीं जाना चाहता। मेरे लिए यह सबसे बड़ी दुविधा का प्रश्न है। माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र जी ने मेरे ग्राश्वासन की ग्रोर संकेत प्रकट किया है। ग्रभी जो माननीय रामानन्द जी ने प्रश्न रखा, उसका मेरी ग्रोर से विश्लेषण किया जाए, स्पष्टीकरण किया जाए, तो भी ठीक नहीं, ग्रच्छा है दायित्व ग्रपने ऊपर ले लिया जाए क्योंकि इस स्थिति का स्पष्टीकरण करके मैं सदन का वातावरण ग्रधिक क्षुब्ध नहीं करना चाहता। यह ठीक है कि 30 तारीख तक बिजनैस था। एक दिन पूर्व ही सदन का कार्यवाही स्थगित करदी गई। राज्य सरकार की ग्रोर से मुझको पत्र प्राप्त हुग्रा, ग्रौर उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि ग्रागे की कार्यवाही के लिए बिजनैस उनके पास ज्यादा है नहीं। इसलिए नहीं चलाना चाहते हैं। एक ग्राधार तो मेरे पास यह था। दूसरे ग्राधार पर खुद मैं मौन रहना उपयुक्त समझता हूं ग्रौर मौन रहना ही मैं समझता हूं ग्रच्छा होगा।

श्री भैरोंसिंह। नहीं, साफ कहिये।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर, ग्रॉर्डर। ग्राग्रह करेंगे तो भी मौन रहूंगा।

श्री नत्थीसिंह : मौन तो शंका पैदा करता है।

श्री अध्यक्ष : शंका पैदा हो तो भी मौन रहूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रहस्य का पर्दा उठाइये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित कार्यवाही करने का, विश्वास का प्रश्न था। मैं स्वयं सतर्क था। इसी सतर्कता के आधार पर, राज्य सरकार की ओर से जब पत्र प्राप्त हुआ तो मैंने ध्यान दिया। इसके अतिरिक्त मैं यदि किसी ओर किधर देखूं, और किसी ओर न देखूं (किन्हीं माननीय सदस्य के कुछ कहने पर) माननीय सदस्य बिना मेरे इधर उधर संकेत किये खुद मनमें समझ लें। मैं इस प्रश्न पर अधिक नहीं जाना चाहता। मैं स्वयं, राज्य सरकार का कोई पत्र नहीं आता और आपकी ओर से आग्रह भी नहीं होता तो, सम्भवतः यह कदम नहीं लेता ...

श्री मदनसिंह : आप मौन रहें। आप हमें इजाजत दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : क्या फर्माया ?

श्री मदनसिंह : आप मौन रहें। हमें बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : वही प्रश्न तो है, इस लिए मुझे यहां बैठाया गया है। बाकी तो बोलना, बोलना ही रहता है यहां पर।

इस स्थति में दोहरा दायित्व मुझ पर है। मुझको कभी कभी आश्चर्य होता था जब पत्रों में यह आया कि सहसा हाउस को स्थगित कर दिया गया। तब मैं उनका प्रत्युत्तर देने की स्थिति में नहीं था। कई माननीय सदस्य थे, उन्होंने दिया। अब स्थिति यह है कि अब मैं इस पर थोड़ा सा सतर्क रहूंगा कि कहीं किसी दिशा से कोई संकेत आये तब भी ...

श्री नत्थीसिंह : संकेत कहां तक नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष : किसी दिशा से कोई बात आये तो उन्हें लिखित में ले लिया जाय, वह मौखिक नहीं हों। यह हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्यों का संकेत मुझको नहीं हुआ हो, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अधिक सदस्यों का संकेत आया भी था किन्तु अब स्थिति यह है कि मैं माननीय सदस्यों के लिए फिर भी कुछ नहीं कहता। उससे कहीं वातावरण उग्र न हो जाय इस लिए मैं यह दायित्व नहीं लेना चाहता। अच्छा यह है। जहां तक इस प्रश्न का ताल्लुक है ......

श्री देवीदत्त गाड़िया : झूंठमूठ बातें नहीं हों।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्वयं प्रकाश डाल देते तो अच्छा होता। फिर भी मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि इस बात का संकेत जो मैंने दिया था उसको अधिक स्पष्ट नहीं करता है क्योंकि मैं स्वयं बड़ा सतर्क रहता हूं इस प्रश्न पर इस लिए वह पूरा स्पष्ट नहीं होता है। विधान सभा का यह सत्र लम्बा चलने की आशा है और वैसे...

श्री नत्थीसिंह : कोई आशा वाशा नहीं हैं। बजट पास हुआ और सत्र गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों द्वारा यहां की परम्परा, यहां की गरिमा, और बहुत कुछ बातों के बारे में कहा जाता है। परम्परा और गरिमा बनाने में

(श्री अध्यक्ष)
आपका सहयोग तो वांछनीय है और सहयोग प्रशंसनीय है। लेकिन यह लास्ट सर्वेन्ट ऑफ दी हाउस किस तरह कड़वी घूंट पीकर बैठा रहता है–यह आप भी समझिये–जब सामने प्रदर्शन ऐसा होता है। फिर भी वह बहुत अच्छा है, दूसरी विधान सभाओं की परम्परा के मुकाबले में। मैंने कहा, इस प्रश्न को छोड़ दीजिये। मैं यह विश्वास दिलासकता हूं कि इस सदन की कार्यवाही आगे खासी चलेगी, और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें यह प्रश्न भी विचार के लिए लिया जाए कि इस सदन को कार्यवाही स्थगित करने के नियम यहां के हरियाणा और पंजाब की तरह के कर दिये जाएं। उस तरह से वह अमेंड हो सकें तो फिर इस अध्यक्ष की सदन को स्थगित करने की पावर्स खत्म हो जायगी। वह भी आप सोच लें। मेरी मजबूरियां, इस वक्त की मजबूरियां जो विशेष थीं जिनका मैं उल्लेख नहीं करता हूं, न करूंगा क्योंकि मित्रता को भी रखना पड़ता है।

श्री नत्थीसिंह : आप बहुत कह चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : इस विश्वास से आगे बढ़ना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : एक बात का मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : आपकी तो बात मुझसे

श्री भैरोंसिंह : एक बात का मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष : मैं कहना चाहता हूं कि आप कोई आग्रह न करें।

श्री नत्थीसिंह : आपके कमरे में चाय पीयें इसका रंज नहीं होगा लेकिन बात तो साफ हो जाय।

श्री भैरोंसिंह : मैं इसीलिए खड़ा हुआ हूं...

श्री अध्यक्ष : आप शंका करते हैं। मेरी शंका, मेरा शक किसी पर नहीं है, किसी माननीय सदस्य, किसी दल पर नहीं है। यह मान कर के चलें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी कृपा है कि नाम लिये बिना बहुत बातें इस सदन के सामने रख दीं, मैं समझता हूं कि इस बात को अधूरी रहने दी जाय तो निश्चित रूप से भ्रम बना रहेगा...

श्री अध्यक्ष : मैं विथड्रा करता हूं। सारा प्रश्न विथड्रा करता हूं। मेरे दिमाग में किसी के प्रति कोई शंका नहीं है। माननीय सदस्य यह समझ करके बोलेंगे कि मैंने कोई शंका किसी के प्रति व्यक्त नहीं की है।

श्री नत्थीसिंह : शंका नहीं की जा सकती है अगर जो शंका प्रकट करने के लिए बात कही है वह हाउस की प्रोसीडिंग्स में नहीं हों।

श्री अध्यक्ष : नहीं रहें तो मैं रह जाऊंगा। प्रोसीडिंग्स में रह जाऊंगा अगर बातें न रहें।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि आपने जिस प्रकार से यहां पर सदन को स्थगित किये जाने के बारे में चर्चा की और जो हाउस के सामने संकेत किया है उससे लगता है कि शायद आपने यह सारी कार्यवाही विरोधी पक्ष के माननीय

(श्री भैरोंसिंह)

सदस्यों के कहने से की है। मैं समझता हूं कि जब तक इसका स्पष्टीकरण नहीं होता है तब तक इस सदन की परम्परा बनाये रखने में जो नई कड़ी जोड़ी है वह टूटती नहीं है। वैसे सदन के माननीय सदस्य श्री दौलतराम जी सारण ने जैसा कहा कि विरोधी पक्ष ने एक परम्परा का निर्माण किया है जिससे इस सदन में शांति व्यवस्था बनी रहे। साथ ही, अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का भी गर्व है कि इस आसन से भी इस प्रकार की परम्परा बनी है जो अन्य विधान सभाओं में नहीं है कि इस सदन की कार्यवाही अचानक स्थगित कर दी जाय। इस प्रकार दोनों प्रकार की स्थितियां चलती हैं...

श्री अध्यक्ष : यह परम्परा सारे राष्ट्र की है। यह अध्यक्ष तो बहुत कम करता है।

श्री नत्थीसिंह : यह परम्परा का प्रचलन कोई करता है।

श्री अध्यक्ष : बात दूर की चल रही है।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र में तो कई परम्परायें बदली भी हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं इस बात का स्पष्टीकरण कराना चाहता था ...

श्री अध्यक्ष : आप ...

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, बेचारा शब्द तो अध्यक्ष के लिए उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आसन ने जो इस सदन परम्परा का निर्माण करने की कार्यवाही की है उसको यह आसन सुरक्षित रखेगा या तोड़ेगा। एक तो इस बात का स्पष्टीकरण हो जाय और मौन नहीं रहे।

श्री अध्यक्ष : मैं भी भुलावे में आ जाता हूं कभी कभी।

श्री भैरोंसिंह : दूसरा प्रश्न यह है, पिछले सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पूर्व, मुझे याद है, इस प्रकार का उल्लेख आपके चेम्बर में आया था कि तीन तारीख के बाद सरकार के पास में बिजनेस नहीं है इसलिए सरकार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना चाहती है। उस वक्त चूरू का प्रश्न पेंडिंग था और उसके लिए माननीय सदस्यों का आग्रह था कि चूरू के प्रश्न पर विचार किया जाय। मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने कई माननीय सदस्यों को कहा था कि तीस तारीख को चूरू के मसले पर विचार कर लिया जायगा वैसे चूरू के मसले पर विचार करने के लिए तीस तारीख तय की, उसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित किये जाने की चर्चा मात्र नहीं थी। उसका संकेत मुझे भी किया था। मैंने कहा था कि सरकार के पास तीन तारीख के बाद बिजनेस नहीं है इसलिए सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बजाय कोई चारा नहीं हो सकता है। लेकिन एक शर्त रखी थी कि सदन की कार्यवाही पन्द्रह दिन से ज्यादा स्थगित नहीं की जाय। और मुझे यह आश्वासन दिया था कि सदन की कार्यवाही 21 तारीख को चालू होगी : मैंने यह भी निवेदन किया था कि सरकार हमेशा बजट ऐसे मौके पर लाती है कि

(श्री भैरोंसिंह)
जिससे बजट पर चर्चा नहीं कर पाते हैं, डिमाण्ड्स पर चर्चा नहीं कर पाते हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरी स्मृति से परे है कि मैंने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था 29 तारीख के लिए।

श्री भैरोंसिंह : आपकी स्मृति में हमारा प्रतिबिम्ब आ रहा है और हमारी स्मृति में आपकी बात प्रतिबिम्बित हो रही है। मेरी मजबूरी है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया हूं।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने वह बात कह दी, लेकिन किसी भी समय, किसी भी स्टेज पर यह तय नहीं हुआ था कि चुरू के मसले पर विचार होने के पहले सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय। यह किसी स्टेज पर निर्णय नहीं हुआ था कि सदन की कार्यवाही 21 तारीख के बाद बुलाई जाय। बराबर यह आश्वासन दिया गया कि सदन की 21 तारीख को बैठक होगी। मैं यह स्मरण दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरी मुश्किल यह है कि यह स्मरण नहीं कर सकता।

श्री भैरोंसिंह : जो सदन की कार्यवाही स्थगित करदी, उसके स्पष्टीकरण के नाते मैंने यह बात कही।

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : उधर से श्री शंकरलाल !

श्री रामकिशन : मैं कहदूं उसके बाद में विवाद नहीं रहेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने कहा कि मेम्बर ने कहा। तो किसने यह बात कही ?

श्री अध्यक्ष : आपकी कहां मुझसे बात हुई है ? हुई नहीं है। मुझे याद नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह कह दीजिये तो फिर कोई बात ही नहीं रहेगी।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आपके एक एक शब्द हैं वह एक शंका पैदा कर रहे हैं, यह तो वही बात हुई कि एक कंवर साहब ने एक केरड़ी मार दी। लेकिन सब जगह जाकर यह कह दिया कि कंवर साहब ने नहीं मारी।

श्री अध्यक्ष : फर्माइये !

श्री मदनसिंह : आप खुद फर्मा रहे हैं कि क्या बात हुई।

श्री अध्यक्ष : कुछ नहीं। दोस्ताना की बात हुई।

श्री रामकिशन : इस बारे में यह स्पष्ट है, अध्यक्ष महोदय .....

श्री अध्यक्ष : आपका शंकरलाल जी, बाद में।

श्री रामकिशन : जिस प्रसंग का उल्लेख किया है, यह ठीक है, शालीनता की दृष्टि से बहुत सी बातें नहीं कही। मैं उस प्रसंग में नहीं जाना चाहता लेकिन जिस प्रकार से यह चीज रखी है उससे भ्रम पैदा हो गया है। यह सही बात है कि मैं खुद उस समय बीमार

(श्री रामकिशन)

था और 29 तारीख को आपके चेम्बर में गया था। उस वक्त चर्चा की थी कि सदन की कार्यवाही स्थगित करने की स्थिति है, आप लोगों की क्या राय है। उस समय मैंने कहा था कि सदन वापिस बुलाया कब जायगा ? आपने कहा था कि 22 तारीख को बुलाया जायगा। क्या सरकार से जानकारी ले ली है, इसके साथ ही मैंने कहा था कि ऐसा नहीं हो कि 22 तारीख को न बुलायें। उस समय प्रोफेसर केदार भी थे। हम मीटिंग में नहीं गये थे, एक मोशन के सम्बन्ध में चर्चा करने गये थे। मैंने निवेदन किया था कि तीस तारीख को चूंकि के प्रश्न को समाप्त करके सदन को स्थगित करना चाहिए। या फिर दूसरी स्थिति हो सकती है कि आज भी हो सकता है। दूसरी स्थिति यह थी कि गंगानगर का मोशन एडमिट हो चुका है उसको ले लें। तो आपके आश्वासन के बाद कि बिजनेस नहीं है जैसा सरकार ने लिखा है और आप कहते हैं कि 22 तारीख को बुला ली जायगी तो गंगानगर के मोशन के डिस्कशन को ले लें इस पर हमने कहा था कि ऐतराज नहीं है यदि चलाना नहीं चाहते हैं तो वह कोई मीटिंग नहीं थी, अनौपचारिक बात चल रही थी। उस समय प्रोफेसर केदार भी साथ थे और हम एक मोशन के सम्बन्ध में चर्चा करने गये थे।

श्री अध्यक्ष : शंका निवारण हो गई। शंकरलाल जी !

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदयजी, यह प्रश्न तो दूसरा है कि आपने किन परिस्थितियों में हाउस की कार्यवाही को स्थगित किया। जहां तक रूल्स ऑफ बिजनेस एण्ड प्रोसीजर का सवाल है, रूल नं० 13 स्पष्ट है जो इस प्रकार है।

"The Speaker shall determine the time when a sitting of the House shall be adjourned *sine die* or to a particular day or to an hour or part of the same day."

प्रश्न यह है कि रूल्स के अन्दर हाउस की कार्यवाही को स्थगित करने का अधिकार किसको है ? वर्ड "शैल" है इसके अनुसार अध्यक्ष महोदय को ही अधिकार है। अब अध्यक्ष महोदय ने किन परिस्थितियों में हाउस को स्थगित किया, या किनके संकेत पर हाउस को स्थगित किया, वह हाउस में चर्चा का विषय नहीं होना चाहिये। जहां तक अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में बताया, माननीय सतीशचन्द्रजी ने बताया, आयन्दा ध्यान में रखा जायगा, पूछा जायगा लिख कर, मैं समझता हूं इन बातों की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय को स्पष्ट अधिकार है। इसके बारे में मैं अध्यक्ष महोदय से स्पष्ट विचार जानना चाहूंगा कि हाउस को एडजोर्न करने के लिये क्या किन्हीं सदस्यों की राय लेना आवश्यक है या रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय को अधिकार है कि हाउस को स्थगित करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय को ही है। वे चाहे राय लें या नहीं लें यह उनकी मर्जी पर है पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर बिल्कुल साफ है, इन रूल्स के आधार पर ही रूलिंग होना चाहिये। रूल्स में स्पष्ट है कि विधान सभा की कार्यवाही को स्थगित करने का अधिकार

श्री शंकरलाल)
अध्यक्ष महोदय को ही है इसके अन्दर अगर दूसरे आधार जोड़ेंगे, चर्चाओं के कारण अगर ऐसा वातावरण बनायेंगे कि भविष्य में अध्यक्ष को सदन को स्थगित करने से पूर्व और बातों का ध्यान करना पड़े तो बड़ी और ही स्थिति होगी। हाउस को स्थगित करने का रूल्स के अनुसार अध्यक्ष महोदय को ही अधिकार है और भविष्य में भी अध्यक्ष को ही यह अधिकार रहना चाहिये।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): आपने कहा था कि मैंने कोटेशन दिया था वह हरियाणा के रूल्स के बारे में है, मैं पूरी बात नहीं कहना चाहता था क्योंकि समय ज्यादा लगता। जैसा कि कहा गया केवल अध्यक्ष को ही हाउस को एड्जोर्न करने का अधिकार है, ऐसी बात नहीं है। यह फोरमर स्पीकर, लोक सभा, श्री संजीवा रेड्डी की रूलिंग है। उसका पेपर में कोटेशन है। हरियाणा का यहां से सुपीरियर सदन नहीं है लेकिन लोक सभा के अध्यक्ष की रूलिंग है। शंकरलालजी ने कहा कि हाउस को एडजोर्न करने को अध्यक्ष को एब्सोल्यूट पावर है, ऐसी बात नहीं है। मैं लोक सभा के फोर्मर स्पीकर की रूलिंग की चार लाईन पढ़ देता हूं उससे स्पष्ट हो जायगा।

"The Former Speaker-Shri D. N. Sanjiva Reddy once ruled the power of the Hon' ble Speaker to adjourn the Assembly was well established by convention and precedents. In case the House is adjourned after the fift hour, it must be done by the consent of the House or by taking the consensus of the House."

श्री मूलचन्द डागा : रूल्स अलग अलग हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अलग अलग हैं, पर यह लोक सभा की व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : यह ओब्जेर्वेशन है। That is not the mendate.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय को एब्सोल्यूट पावर नहीं है। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बिजनेस मंजूर कर लिया है, उसको पूरा करने से पहले हाउस को स्थगित नहीं कर सकते।

श्री गिरधारीलाल व्यास : घर में बैठ कर दूसरी बात करते हैं...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। स्वायत्त शासन मन्त्री जी।

राजस्थान आवासन बोर्ड अध्यादेश, 1970 को सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री नत्थीसिंह : व्यवस्था क्या हुई ?

श्री अध्यक्ष : रूल्स के अन्तर्गत हाउस की सेंस है।

श्री नत्थीसिंह : क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : मैं विचार कर रहा हूं।

श्री नत्थीसिंह : गंगानगर में आन्दोलन चल रहा है, भूख हड़ताली भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिन्दगी से खेल रहे हैं—...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी गई कि श्री गुमानमल जी लोढ़ा भूख हड़ताल पर हैं, इस सदन के माननीय सदस्य प्रोफेसर केदारनाथ भूख हड़ताल पर हैं, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री गुरुदयालसिंह सन्धु जोधपुर की जेल में भूख हड़ताल पर हैं। तो क्या सदन शोक प्रस्ताव पारित करना चाहता है या उनको बचाना चाहता है ?...

(श्री मूलचन्द डागा के बीच में कुछ बोलने पर)

आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। प्रोफेसर केदारनाथ भूख हड़ताल पर हैं, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री गुरुदयालसिंह सिन्धु भूख हड़ताल पर हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लाठियों से लोगों को मारा जा रहा है और सदन इस पर पर विचार करने को तैयार नहीं। यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। मेड़ता के मतपत्रों की गणना में जो फोर्जरी की गई उस प्रश्न को भले ही आप मत लीजिए, नाथूरामजी को प्रोमोट कर के जगजीवनराम जी की जगह भेज दीजिये, विवेकानन्द छात्रावास की बात को भले ही आप आज मत लीजिये कल ले लीजिये पर इस सदन के सम्माननीय सदस्य प्रोफैसर केदारनाथ, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री गुरुदयालसिंह सन्धु भूख हड़ताल पर हैं और श्री गुमानमलजी लोढ़ा भूख हड़ताल पर हैं, इन स्थगन प्रस्तावों पर तो आज ही बहस होनी चाहिये। इस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं, सरकार के वक्तव्य का है।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर कल निर्णय दे कर बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में सारा एडजस्ट करने का प्रयास करूंगा।

श्री नत्थीसिंह : कल निर्णय क्या देंगे ? सरकार के पास कौन से तथ्य नहीं हैं ? सरकार दबाने की कार्यवाही कर रही है।

श्री मूलचन्द डागा : ऑन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर सर......जब अध्यक्ष का निर्णय हो जाता है......

श्री दौलतराम सारण : एक व्यवस्था का प्रश्न विचाराधीन है......

श्री मूलचन्द डागा : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, पाली में वकालत नहीं चलती इसलिये यहां पर कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सदन की गरिमा सब रखना चाहते हैं। सदन में जो अनऑथोराईज्ड बोलते हैं उन सारी कार्यवाही को एक्सपंज करना चाहिये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज सर।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष का एक निर्णय हो जाता है और उस निर्णय के बाद यह कह दिया जाय कि फलां निर्णय ठीक नहीं हुआ, यह अनुचित है। एक दफा आसन से निर्णय हो जाय उस का सम्मान करना चाहिये, आप चाहते है कि सदन कि गरिमा बढ़े...

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया माननीय सदस्य की सारी बात।

(श्री अध्यक्ष)

मैं निवेदन कर दूं। कल इसकी जानकारी आये या नहीं आये, मैं स्थगन प्रस्तावों के बारे में निर्णय देकर टाईम की एडजस्टमेंट के बारे में कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीट हो रही है, उसमें प्रयास करूंगा···

श्री नत्थीसिंह : मैं एक जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मुझे तो कहने दीजिये न।

सरकार की ओर से कोई जानकारी प्राप्त हो या न हो तब भी मैं उस सम्बन्ध में व्यवस्था दे दूंगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीट कर रही है, इन प्रश्नों को लेने के लिये टाइम का एडजस्टमेंट करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आज क्यों नहीं ले लेते?

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ···

श्री अध्यक्ष : आप तो परम्परा रखने वाले हैं।

इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कल मैं इस पर व्यवस्था दे कर उसके लिए समय का निर्धारण करूंगा। बजट पर भी बहस चलती रहे। बजट स्पीच आज हो रही है। समय को देख कर बजट भी चलता रहे और स्थगन प्रस्तावों पर विवाद भी चलता रहे, उस सारी सुविधा असुविधा को देख कर कल ही आपके द्वारा निर्मित बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में निर्णय कर दिया जायगा।

यह तो आपने कहा नहीं आज ही बुला लें ··

श्री नत्थीसिंह : आज ही बुला लें।

अगर सरकार कहे कि भूख हड़ताल····

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि सूचना हो या न हो, मैं अपनी व्यवस्था दे दूंगा ····

श्री नत्थीसिंह : सरकार को सब सूचना है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, मैंने निवेदन किया कि जानकारी आये या नहीं आये मैं व्यवस्था देकर समय का निर्धारण करूंगा। यह पर्याप्त होगा।

श्री भैरोंसिंह : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मिटिंग आज बुलाई जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि जानकारी आये या नहीं आये तब भी मैं कल व्यवस्था दे दूंगा। व्यवस्था के बाद ही, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग आती है, उसमें टाइम का एडजस्टमेंट कर दिया जायगा। यही समुचित होगा।

अभी व्यवस्था देना बाकी है, व्यवस्था के बाद ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने रखा जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सारे राजस्थान में अव्यवस्था है तो सदन में व्यवस्था हो यह जरूरी है क्या ?

श्री रामकिशन : 24 घण्टों का क्या मतलब होता है भूख हड़ताल वालों के लिये ?

श्री अध्यक्ष : आप एक बार ही मिले होंगे, मैं उनसे तीन बार मिल चुका हूं।

श्री रामकिशन : मिलने का प्रश्न नहीं है, यह जीवन का प्रश्न है। आज ही इस प्रश्न को लिया जाय। भूख हड़ताल का प्रश्न है, प्रौफेसर केदार का वजन गिर रहा है, और कम्प्लीकेशन्स हो रहे हैं। अगर केवल बहस का मुद्दा होता तो कल बहस कर सकते थे। यह जीवन का प्रश्न है इसलिये इसको आज ही लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आज मैं लेने की स्थिति में नहीं हूं। कल लूंगा, यह व्यवस्था दी है।

श्री रामकिशन : यहां पर क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : खाना खायेंगे। तीन बजे बजट स्पीच है। मेरे पास और भी बिजनेस है।

श्री रामकिशन : जिस कारण यह सवाल लिया जा रहा है, वह कारण गंभीर बनते जा रहे हैं, प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष : आप कार्यवाही आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो आपकी मर्जी। सदन की कार्यवाही में बिजनेस बाकी है आप चाहते हैं कि कार्यवाही आगे नहीं बढ़े ·····

श्री रामकिशन : आपके पास जो बिजनेस है वह प्राथमिकता का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कल जैसे आपकी राय होगी, बिजनेस एडजस्ट किया जायगा। आप चाहें कि आज ही सब कुछ किया जाय, तो मैं उस स्थिति में नहीं हूं।

श्री रामकिशन : तो हमारे लिए भी मुश्किल होगा सदन में सहयोग देना।

श्री अध्यक्ष : आप सोच लें। मैंने बार बार निवेदन किया है कि अरलीएस्ट, शीघ्रातिशीघ्र मैं कल इस पर व्यवस्था देकर इसके लिए समय का एलॉटमेंट करूंगा···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल के बाद परसों।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : मुझे कहने दीजिए। मैं निवेदन कर रहा था कि शीघ्रातिशीघ्र इसकी व्यवस्था करूंगा। आज आप चाहें तो मेरे पास समय नहीं है। थोड़ा सा बिजनेस और है। 3 बजे बजट स्पीच होती है, मेरे पास समय नहीं है इसलिए आप चाहें कि कार्य सलाहकार समिति को जल्दी बुला लूं लेकिन सारे प्रश्न देख कर उसके बाद कार्य सलाहकार समिति के सामने यह प्रश्न रखूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कब वक्तव्य दिलाया जायगा ?

श्रीमदनसिंह : आपने फरमाया यह वाकई सत्य है कि शीघ्रातिशीघ्र असेम्बली स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष : बजट आ रहा है।

श्री नत्थीसिंह : बड़े अफसोस की बात है कि विधायक सदस्यों का ध्यान देकर चलते हैं लेकिन जब तीन तान नागरिक राजस्थान के जोवन और मौत के बीच खेल रहे हैं, तब आप गृह मंत्री जी से यह जानकारी नहीं ले सकते कि स्थिति क्या है, आप कार्य सलाकार समिति को तीन बजे से पहले अपने चेम्बर में नहीं बुला सकते कि समय का एजस्टमेंट करें ? तीन बजने में अभी दो घंटे हैं।

श्री अध्यक्ष : 12 बजे मैं बुला लूंगा प्रश्न काल के बाद।

श्री नत्थीसिंह : हम आज की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आज नहीं होगा। आज मैं स्थिति में नहीं हूं।

श्री नत्थीसिंह : तो आज हम भी स्थिति में नहीं हैं कि बजट के लिए लोगों की जानें जाने दें। हम उस उस स्थिति में नहीं हैं कि सब तरह से तानाशाही चले।

श्री मूलचन्द डागा: धमकी दे रहे हैं।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर!

श्री नत्थीसिंह: लोगों की जानें जा रही हैं फिर आप कहें कि हम तो सहानुभूति पा रहे हैं, हम यह स्थिति बरदाश्त नहीं कर सकते।

श्री मूलचन्द डागा : ये धमकियां हैं।

(शोरगुल)

श्री नत्थीसिंह : आप कहते हैं कि स्थिति…

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप कार्य सलाहकार समिति की बैठक नहीं बुला सकते, कल वक्तव्य नहीं दिला सकते…

राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : जो आदमी भूख हड़ताल पर हैं, उनकी हालत सीरियस हो चुकी है…

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। यही बात कह रहे हैं।

राजवी श्री रूपसिंह : जो आदमी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी हालत गंभीर हो चुकी है, उनके लिए एक क्षण भी ज्यादा होता है इसलिए 24 घंटे का समय देना खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए आज मीटिंग बुलाकर कल डिस्कशन्स के लिए समय दे दें और ज्यादा समय बढ़ायेंगे तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाय, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। यह सदन सुप्रीम है, आप उसको कन्ट्रोल करते हैं, इसलिए आपका फर्ज हो जाता है कि समय दें। जो आदमी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी जानों को खतरा है। उनकी जानों के साथ खिलवाड़ न किया जाय, जैसे गंगानगर में किया गया है, इसलिए समय निश्चित करें।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि…

श्री अध्यक्ष : सवाल स्पष्ट आ गया है।

श्री हीराभाई : जो पहले आपने व्यवस्था का प्रश्न कहा था, यह आने पर आपने हाउस को स्थगित कर दिया, तो वह खतम नहीं हुआ है। उस बारे में निवेदन करूंगा कि क्योंकि सरकार को चूरू कांड को दबाना था, उन्होंने आपको मजबूर किया कि सदन स्थगित किया जाय। तो उसी तरह से आज भी लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनकी जान को खतरा है। सरकार की मन्शा हो सकती है कि परिवार नियोजन न करना पड़े और लोग

(श्री हीराभाई)
वैसे ही मर जांय, लेकिन सदन जागरुक है, किसी भी तरह से इन्सानियत की रक्षा करनी है तो उस बारे में सही माइने में क्या परिस्थिति है, उस परिस्थिति का समाधान किया जाय ताकि जिससे भूख हड़ताल उठ सकती है और उस बारे में रास्ता साफ हो सकता है। इसलिए उस बारे में आपके लिये तत्काल विचार करना जरूरी हो जाता है इन्सानियत के नाते। हम इन्सानों का वोट लेकर विधान सभा में बैठते हैं और उनके साथ ही हमारा कल्याण है।

श्री अध्यक्ष (सरकारी पक्ष से) : आपकी ओर से कुछ कहा जायगा ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : आप जिस स्थिति में हैं उस बारे में मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता। किन्तु यदि आप उचित समझें तो क्या आधे घंटे के लिए सदन को स्थगित करके अभी भी कार्य सलाकार समिति की बैठक बुलाई जाय ? आधे घंटे के अंदर क्या बिगड़ता है और भी यह वातावरण बिगड़ेगा, इसके बजाय···

श्री अध्यक्ष : सुझाव ठीक है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ऐसी व्यवस्था हो सकती है अगर आप उचित समझें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसोन्द) : माननीय नत्थीसिंह जी ने, स्थगन प्रस्तावों के संबंध में निवेदन किया और माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस पर निर्णय दिया कि कल इसके बारे में विचार करके और उसके बाद कार्य सलाहकार समिति में इस पर निर्णय लिया जायगा। मेरा निवेदन यह है कि जब तक सरकार की तरफ से, ये जो स्थगन प्रस्ताव रखे हैं, जवाब नहीं आयेगा तब तक कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाकर उस संबन्ध में कोई निर्णय लें यह बात मेरी समझ में नहीं आती। माननीय नत्थीसिंह जी और दूसरे सदस्य इस पर काफी गर्मागर्मी बता रहे हैं कि आज ही·· ··

श्री हीराभाई : आप भूख हड़तालियों को मारना चाहते हैं। कब तक ··

श्री गिरधारीलाल व्यास : जब तक इस बारे में कोई फैसला न हो जाय कि सरकार की तरफ से उन स्थगन प्रस्तावों के संबन्ध में क्या जवाब आया है और जब तक इस संबंध में यह निर्णय लें कि इसको स्वीकार किया जाय या अस्वीकार, तब तक कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाने से, मेरे खयाल से, कोई लाभ नहीं होगा और जैसा अध्यक्ष महोदय ने फरमाया, कल, इस संबंध में निर्णय लिया जायगा और कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाई जायगी तो मेरी सभी से प्रार्थना है, अध्यक्ष महोदय, कि जिस प्रकार से आपने यहां पर विचार व्यक्त किए हैं, ठीक हैं और क्योंकि आपको काफी व्यग्रता है प्रोफेसर केदारनाथ और दूसरे माननीय सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सबको सहानुभूति है पर उन प्रश्नों पर तब तक विचार करना ठीक नहीं होगा जब तक सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ जाता। तब तक किन बातों पर विचार करेंगे, अध्यक्ष महोदय निर्णय क्या देंगे, कौनसे स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा होगी कौनसे पर नहीं, कार्य सलाहकार समिति में कितना समय एलॉट किया जाय आदि इसलिए

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
मेरा निवेदन है कि इस पर कल ही विचार किया जाकर कुछ न कुछ निर्णय किया जाय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय,.......

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय, बात कर चुके हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ओर विरोधी पक्ष इस सदन के सामने निवेदन करते हुए, हर प्रकार से सहानुभूति रखते हुए और किस प्रकार से सुंदर तरीके से कार्यवाही करना चाहता है.....

(1 म. प.)

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय स्वतन्त्र पार्टी ने सुझाव दिया है...

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : 3 बजे बजट पेश होने वाला है और आप बोलने का मौका नहीं देते....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर माननीय।

इस प्रश्न पर अन्तिम निर्णय क्या हो सकता है मैं सदन के माननीय नेता और विरोधी दल के माननीय नेताओं से परामर्श करके अगर सहूलियत से कोई प्रश्न हल हो सकता है, तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी हल हो जाय। यहां पर तो तर्क-वितर्क से न काम चलेगा और न निर्णय ही निकलेगा। मैं इस सदन की कार्यवाही अधिक से अधिक आध घण्टे के लिये स्थगित करता हूं। 1॥ बजे मीट करेंगे।

श्री रामकिशन : आध घण्टे में बात नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : हो गया। स्थगित की गयी।

(1. 2 म. प. पर सदन की कार्यवाही आध घण्टे के लिये स्थगित की गई)

(विधान सभा की कार्यवाही पुनः 1 बज कर 38 मिनट पर प्रारम्भ हुई)

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता महोदय।

गंगानगर के किसान आन्दोलन और श्री केदारनाथ व श्री गुमानमल लोढ़ा की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी का स्पष्टीकरण

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, आज सुबह गंगानगर संबंध में एडजर्नमेन्ट मोशन के बारे में भी यहां चर्चा हुई और कुछ माननीय सदस्यों ने भी प्रोफेसर केदार की जो भूख हड़ताल चल रही है या अन्य बातों के संबंध से यहां जिक्र किया शायद माननीय सदस्यों की जानकारी में है कि गंगानगर की समस्या के संबंध में मैंने बिना किसी तरफ के पूर्वाग्रह के किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों को संसोपा के प्रतिनिधियों को, साम्यवादी पार्टी के प्रतिनिधियों को, अकाली दल के प्रतिनिधियों को 11 तारीख को बात करने के लिए निमंत्रित कर लिया है। प्रोफेसर केदार से कल सुबह ही आते ही मैं मिला था और मिलने के बाद मैंने उनसे कहा था कि अब कोई कारण नहीं रहता है कि वह भूख-हड़ताल जारी रखें, लेकिन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
उस वक्त तक किसान संघर्ष समिति को आमन्त्रित नहीं किया गया था। उनका भी आग्रह था और साम्यवादी दोनों पार्टियों का भी आग्रह था कि उनको भी इस वार्ता के अन्दर शरीक किया जाना चाहिये। उसके बाद दिन में ही सब के पास निमन्त्रण भेज दिये हैं और इस सम्बन्ध में 11 तारीख को ही बातचीत होने वाली है। ऐसी स्थिति में मैं प्रोफेसर केदार से भी इस सदन के जरिये यह कहना चाहूंगा कि वे अपनी भूख-हड़ताल को अविलम्ब समाप्त कर दें और जो तारीख 11 को बातचीत होने वाली है उसमें भी सहयोग दें जिससे कि वार्ता चल सके और उसका परिणाम निकल सकें। जिन दिनों वार्ता चलेगी उन्हीं दिनों विधान सभा की बैठक भी यहां पर हो रही होगी। उससे सदन भी समय समय पर अवगत रहेगा तो उस पर कोई चर्चा की बात होगी तो उस चर्चा के बारे में भी यहां पर बात होगी।

एक माननीय सदस्य : उनके साथी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्रोफेसर केदार के साथ में दो व्यक्ति श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु और चेतरामजी भी भूख-हड़ताल पर हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वे भी भूख-हड़ताल समाप्त कर दें। गुरुदयाल सिंहजी जो जोधपुर जेल में थे उनको रिहा करने के आदेश करीब 11 बजे ही दे दिये गये हैं। और इन सारी परिस्थितियों के अन्दर मैं समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य भी यह चाहेंगे कि यह भूख-हड़ताल के आन्दोलन का क्रम समाप्त होकर बातचीत का क्रम शुरू हो।

अध्यक्ष महोदय, गुमानमलजी ने पोकरण के सम्बन्ध में जो भूख-हड़ताल प्रारम्भ की है उसके लिये कल शाम तक जो चेयरमैन बोर्ड आफ रेवेन्यू के हैं उनको एन्क्वायरी के लिए वहां पर भेजा हुआ है। उनकी रिपोर्ट अपेक्षित है और इस स्थिति के सम्बन्ध में गृह मंत्रीजी परसों इस सदन के अन्दर अपना वक्तव्य देंगे।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : मैं अब आगे का विषय लेता हूं। स्वायत्त शासन मंत्री राजस्थान आवासन बोर्ड अध्यादेश, 1970 को सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय,...

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो मुख्य मंत्रीजी ने गंगानगर आन्दोलन के सम्बन्ध में भूख-हड़ताल समाप्त करने के वास्ते माननीय प्रोफेसर केदार, श्री गुरुदयालसिंह सन्धु, और चेतनरामजी से अपील की है, मैं भी अपने दल की तरफ से अपील करता हूं कि वे भूख-हड़ताल को तोड़ें और 11 तारीख को जो वार्तालाप हो रही है उसके बाद गंगानगर आन्दोलन का क्या स्वरूप बनेगा, कितनी बातें स्वीकार की जायगी और कितनी नहीं की जायगी। उसकी सदन में चर्चा समय समय पर होती रहेगी। भूख-हड़ताल, का मैं समझता हूं कि इस प्रकार प्रश्न है, कि मैं अपनी तरफ से अपील करूंगा कि भूख हड़ताल को अविलम्ब तोड़ें और वार्तालाप में सहयोग दें।

एक माननीय सदस्य : बड़े कीमती आदमी हैं।

श्री हरिदेव जोशी: सब यही चाहते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी और रामकिशनजी ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं मेरे दल की ओर से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस सदन में मैने पहले भीकहा कि हमारे इस सदन के बहुत ही जागरूक सदस्य, प्रोफेसर केदार सदन में उपस्थित नहीं हैं। गंगानगर जिले की किसान समस्याओं के सम्बन्ध में जो आन्दोलन चल रहा है उनकी मांगों के समर्थन में वे पिछली 11 तारीख से भूख-हड़ताल पर हैं। उनके मन में बड़ी व्यग्रता और चिन्ता है, और इस सैशन में हम यह महसूस करते है कि उन मांगों के सम्बन्ध में वे सब प्रकार की आहूति और बलिदान देने को तैयार हैं। उनकी उपस्थिति यहां पर भी आवश्यक है, और मैं समझता हुं कि परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि जिन बातों के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं उनकी उपलब्धि के लिए राज्य सरकार काफी झुकी है और आगे भी झुकेगी। इसलिए मैं यह अपील करता हूं आपके माध्यम से प्रोफेसर केदार और उनके साथी श्री गुरुदयालसिंह सन्धु और भाई चेतनरामजी से कि इस सम्बन्धमें जो उन्होंने भूख-हड़ताल की है उसको वे समाप्त कर दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो अभी केदारनाथजी जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं और उनके साथियों से अपील की है, उनसे मैं भी अपनी ओर से और अपने दल की ओर से यह अपील करना चाहता हूं कि जब 11 तारीख को इस आन्दोलन की मांगों के सम्बन्ध में विचार हो रहा है और सभी दलों को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आमन्त्रित किया है तो उनको इस अवसर पर अपनी भूख हड़ताल समाप्त करके और जो निमन्त्रण उनको दिया गया है बातचीत करने का उसमें सहयोग देना चाहिए। अगर यह परिस्थिति पहले ही होती और मुख्य मंत्रीजी सब को बुला लेते तो यह आन्दोलन इस तरह का रूप धारण नहीं करता। मैं आशा करता हूं कि अब जो 11 तारीख को बातचीत हो रही है उससे इस मामले का हल निकल जायेगा, लेकिन जब तक उन मांगों के सम्बन्ध में 11 तारीख को हल नहीं हो तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। भूख-हड़ताल के लिए मैं निवेदन करता हूं कि वह समाप्त हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर कदारनाथजी की भूख-हडताल से हम बहुत ही चिंतित रहे हैं और जब से वह यहां जयपुर में पधारे हैं तभी से मैंने और मार्क्सवादी पार्टी के सेक्रेटरी साथी मोहन पूनमिया ने उनसे सम्पर्क स्थापित करके यह प्रयत्न किया कि उनकी भूख-हड़ताल किसी प्रकार समाप्त आनरेबली हो सके। उसके लिए काफी चर्चाऐं हुई और अभी 3-4 रोज से बातचीत करने के उपरान्त हम और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें इस बात से तो खुशी महसूस थी कि इस आन्दोलन में जो डेडलाक था और नेगोसियेशन्स शुरू नहीं हो रहे थे तो नेगोसियेशन्स शुरू होने की स्थिति पैदा हुई, परन्तु नेगोसियेशन्स

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
में किसान संघर्ष समिति को नहीं बुलाया गया इस चीज का उन्हें दुःख था। वे यह चाहते थे कि उनको भी बुलाया जाय तो फिर स्थिति सामान्य हो जायगी और उस पर निगोसियेशन्स में अपना पूरा भाग लेंगे। अध्यक्ष महोदय, और इसलिए उनसे बातचीत करके उन्होंने हमें यह विश्वास दिलाया था कि यदि इस प्रकार का मूव हुआ और इस प्रकार से बुला लिया जाय तो वे इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे और अपनी भूख-हड़ताल तोड़ देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी बात के आधार पर हमने इनिशियेटिव लेकर मैंने और श्री मोहन पूनमिया दोनों ने मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र लिखा और उनसे कहा कि गंगानगर जिले में अब दोनों किसान सभाओं द्वारा आन्दोलन स्थगित किये जाने के बाद आन्दोलन की स्थिति सामान्य वहां पर हो रही है। केदारजी जो अभी भूख-हड़ताल पर हैं वे हमारे वेल्यूएबल साथी हैं- और किसान संघर्ष समिति जो उस आन्दोलन का अंग हैं उनको बुलाया जाना चाहिए। जब आन्दोलन स्थगित हो गया तो अब दुबारा··· —

श्री दौलतराम सारण : आन्दोलन बिल्कुल स्थगित नहीं हुआ और बराबर चल रहा है। वहां पर कोई सामान्य स्थिति नहीं है और बिल्कुल असामान्य स्थिति है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने एक पत्र मुख्यमंत्रीजी को और एक पत्र केदारजी को लिखा कि हमने इस तरह से मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा है, और हम यह आशा करते हैं कि यदि इस प्रकार से बुला लिया जाय तो वे अपनी भूख-हड़ताल समाप्त कर देंगे।

यह बड़ी खुशी की बात है जैसी कि अभी मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की और किसान संघर्ष समिति को उसमें बातचीत के लिए बुला लिया गया है और किसान संघर्ष समिति में जो सम्मिलित लोग हैं उन्होंने उसका स्वागत किया है तो एक अच्छे वातावरण में बातचीत के लिए और किसानों की मांगों के मुद्दे के लिए नेगोशियेशन्स टेबल पर बैठ कर और अब ठीक तरीके से बातचीत करने का वातावरण अध्यक्ष महोदय, बन गया है, और इसलिए अब भूख-हड़ताल को किन्हीं भी माननीय सदस्य द्वारा जारी रखने की कोई उपयोगिता नहीं होगी। अब अगर आन्दोलन का स्वरूप है तो वह भूख हड़ताल है। और इन भूख हड़तालों को समाप्त होना चाहिए। इससे स्थिति सामान्य हो जायगी। इसलिए मैं प्रो० केदार तथा दूसरे साथियों को जो इस आन्दोलन में भूख हड़ताल पर हैं को निवेदन करूंगा कि वे भूख हड़ताल तोड़ दें। नेगोसिएशन में आएं तो उनकी मंशा को पूरा होना चाहिए। बातचीत न करके उसको लम्बा नहीं करना चाहिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमन्त्री जी ने जो बातचीत का रास्ता खोला है, उसके कारण प्रो० केदार और दोनों साथी भूख हड़ताल समाप्त करें। प्रो० केदार बड़े महत्वपूर्ण सदस्य हैं। मैं समझता हूं खुशहाली कर का विरोध न करके शराबन्दी के लिए

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
ग्रान्दोलन करें। 2 करोड़ गंगानगर जिला शराब की ग्रामदनी देता है। (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) प्रो० केदार भूख हड़ताल छोड़ें। वह बहुत काम के ग्रादमी हैं (हंसी)

श्री मदनसिंह : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह भूख हड़ताल का प्रश्न है। मैं समझता हूं प्रो० साहब ने भूख हड़ताल की है, वह एक साधारण नागरिक की तरह बिना सोचे समझे भूख हड़ताल नहीं करते हैं। विधान सभा द्वारा उन्हें प्रेस न कर हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जैसे ग्रापने यह किया तो उनसे मिलकर पूछें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं तो उन से तीन बार मिल चुका हूं डेढ़ दिन में।

श्री मदनसिंह : मैं यह चाहूंगा कि सदन का प्रेसर देकर भूख हड़ताल तुड़वाई जाती है तो यह ठीक नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : रिक्वेस्ट की जा रही है।

श्री मदनसिंह : जहां तक मूल्यवान की बात है, गान्धीजी भी तो कम मूल्यवान नहीं थे। जब तक उनको सन्तोष नहीं हो।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री ग्रादित्येन्द्र।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ग्रापका इरादा क्या है ?

श्री ग्रादित्येन्द्र (डीग) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य प्रो० केदार 25 फरवरी से भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने भूख हड़ताल करने से पहले सभी सदस्यों को लिखा था। एक पत्र मुझे भी मिला था। उन्होंने जो ग्रनशन किया है, मैं जहां तक समझता हूं, उसका उद्देश्य यह है कि सरकार की ग्रोर से जो दमनकारी कानून गंगानगर किसान ग्रान्दोलन को दबाने के लिए उस समय लागू किये थे, जैसे 144 लागू की गई थी, इसके ग्रलावा जो किसानों की उचित मांगें नहीं मानी जा रही थी, सरकार पर दबाव डालने के लिए या सरकार से ग्राग्रह पूर्वक कहने को यह उन्होंने ग्रनशन चालू किया। तो यह ग्रनशन उन्होंने ग्रपने ग्रन्तरतम से किया है। इसमें किसी दल विशेष का हाथ नहीं है। न संसोपा का, न भारतीय क्रान्तिदल का ग्रौर न किसी दूसरी पार्टी का। यह ठीक है, ग्राज से 3 दिन पहले राजस्थान की सरकार ने दमनकारी कानून वापिस ले लिए, गिरफ्तार किये व्यक्ति छोड़ दिये गये। गलत तो यह हुग्रा कि कि कुछ लोगों को बुलाया गया, कुछ लोगों को नहीं बुलाया गया। कुछ दलों को बुलाया गया कुछ दलों को नहीं बुलाया गया। जिनकी मांग थी उन दलों को नहीं बुलाया गया। उन्होंने इस सत्याग्रह में प्रमुख भाग लिया, इसलिए उन्हें स्वाभाविक दुःख होना ही था। लेकिन इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं था प्रो० केदारनाथ जी का। यह हो सकता है कि मेरे माननीय सदस्य श्री रामानन्द ग्रग्रवाल ने जो बात कही, वह बात हो सकती है। पार्टी पार्टी की बात हो सकती है। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। कम्युनिस्ट पार्टी दक्षिणपन्थी या वामपन्थी, उन्होंने इसमें क्या रुख ग्रपनाया, इस सम्बन्ध में समय ग्राने पर मैं ग्रपनी बात रखूंगा लेकिन इतना मैं ग्रवश्य कहूंगा कि जिस तरह से

(श्री आदित्येन्द्र)
मुख्यमन्त्री ने उचित सद्भावना प्रगट की है, उन्होंने जो अपील की है प्रो० केदार से अपना अनशन समाप्त करने के लिए, इसके अतिरिक्त जो दोनों और महानुभाव हैं, सिन्धु जी और चेतनराम जी से भी अपील की है। वह वास्तव में एक उचित कदम है, और मैं भी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस, संगठन, की ओर से यही अपील करता हूं।

कई माननीय सदस्य: हियर ! हियर !!

श्री नत्थीसिंह : सुखाड़िया जी बदल गये हैं।

श्री मदनसिंह : क्या इसलिए कि इस वयोवृद्ध को भूख हड़ताल पर बैठाना है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री आदित्येन्द्र : आज यह अवसर नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संघर्ष का रूप ही नहीं है। यह तो दुबले पतले हैं।

एक माननीय सदस्य : यह ढफली कांग्रेस बोल रही है।

श्री आदित्येन्द्र : यह तो समय बताएगा कि वास्तव में कांग्रेस यह है या वह है।

(हियर-हियर)

मैंने भी इस बात को काफी सोच समझ कर ही इसको ज्वॉइन किया है। मैं आया हूं, और इस सम्बन्ध में इस समय कुछ कहना मैं समझता हूं उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मैं इस संगठन की ओर से और अपनी ओर से भी प्रो० केदारनाथ जी से यह हार्दिक अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि वे अनशन समाप्त करें और दूसरे महानुभाव, सिन्धु जी और चेतन जी हैं. उन दोनों से भी यह निवेदन है कि जब सब लोग अपील कर रहे हैं तो उनको अपना अनशन समाप्त कर देना चाहिए।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री अध्यक्ष : स्वायत्त शासन मन्त्री।

श्री भीखाभाई (स्वायत्त शासन मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आवासन बोर्ड अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1970) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या फायदा रोज रोज जारी करने से।

श्री अध्यक्ष : उद्योग मन्त्री।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग (क) विभाग की अधिसूचना संख्या 28 (27) (क) उद्योग, दि० 1 फरवरी, 1968 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : यातायात मन्त्री।

(2 म० प०)

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह (ख) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या एफ० (3)/7/परिवहन/68, दि० 13-11-1969.

(श्री हरिदेव जोशी)

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 1 (3)/17 / एच. (ख-गृह-1) / 65, दिनांक 31-12-1969.

(3) अधि-सूचना संख्या एफ. 1 (3)/7 / एच. (ख-गृह-1) / 64, दिनांक 31-12-1969.

श्री अध्यक्ष : पंचायत मंत्री ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा एक रोड़ा अटकाऊ नुक्ता है । यह कब इश्यू हुआ ?

श्री अध्यक्ष : अभी मैं पता लगाता हूं ।

श्री नत्थीसिंह : यह व्यवस्था के प्रश्न का सरलीकरण है ।

श्री अध्यक्ष : आप आरम्भ रख दीजिये ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, गृह (ख) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें प्रक्रिया के नियम 169 (2) के अन्तर्गत मैं पुनः सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधि-सूचना संख्या एफ. 1 (1) (ii) एच. बी. गृ-1/65, दिनांक 21 जनवरी, 1970.

(2) अधि-सूचना संख्या एफ. 1(3) (17) एच. (बी-गृ-1) / 63, दिनांक 24 जनवरी, 1970.

श्री अध्यक्ष : पंचायत मंत्री ।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पंचायत एवं विकास विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें मैं सदन की मेज पर रखता हूं

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल. जे./3/1/69/62, दिनांक 6 जनवरी, 1970.

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल. पी. ए./ए. आर./10/69/418, दिनांक 20 जनवरी, 1970.

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (राज्य मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर अनुभाग) की अधिसूचना संख्या प. 5 (4) एफ. डी. (सी. टी.)/69, दिनांक 9 जनवरी, 1970 को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज ही तीन बजे सायं तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 2 बज कर 2 मिनिट पर मध्याह्न पश्चात 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 12 की सूची)

राज्यवार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का आकार एवं केन्द्रीय सहायता

सारिणी

राज्य	योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का आकार (रुपये करोड़ में)	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए इंगित केन्द्रीय सहायता की राशि रु० करोड़ में	प्रति व्यक्ति सहायता (रुपयों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	360.55	240.00	67
2. आसाम	225.50	220.00	185
3. बिहार	441.61	338.00	73
4. गुजरात	450.22	158.00	77
5. हरियाणा	190.49	78.50	103
6. जम्मू और कश्मीर	145.00	145.00	403
7. केरला	258.40	175.00	104
8. मध्य प्रदेश	355.96	262.00	81
9. महाराष्ट्र	811.80	245.50	62
10. मैसूर	327.10	173.00	73
11. नागालैण्ड	35.00	35.00	117
12. उड़ीसा	180.50	160.00	51
13. पंजाब	271.40	101.00	91
14. राजस्थान	238.96	220.00	109
15. तमिलनाडु	502.00	202.00	60
16. उत्तर प्रदेश	951.00	526.00	71
17. पश्चिमी बंगाल	320.51	221.00	63
योग:—	60,66.00	3,500.00	

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 14 की सूची)

सूची "क" गत 2 वर्षों में जिला बाड़मेर में स्वीकृति पक्की (मेटल) सड़के

(1) बाड़मेर से सिणधरी
(2) सिणधरी से गुड़ा गाधव
(3) जसोल से नाकोड़ा
(4) माड़पुरा से पचपदरा
(5) जसोल से तिलवाड़ा
(6) बाड़मेर से पचपदरा
(7) शिव से फलसूण्ड
(8) जालीपा से हरसाणी
(9) बालोतरा से बालवाड़ा
(10) चवा से फलसूंड
(11) बालोतरा से अजीत वाया समदड़ी
(12) चौहटन से बाखासर
(13) धनाऊ से धोरीमन्ना

सूची "ख" पक्की सड़क के कार्य जिन्हें दिनांक 31-12-69 को राज्य सरकार के आदेशों द्वारा बन्द कराया गया।

(1) बाड़मेर से सिणधरी
(2) सिणधरी से गुडा गाघव
(3) जसोल से नाकोडा
(4) जसोल-तिलवाड़ा
(5) माडपुरा से पचपदरा
(6) बाडमेर से पचपदरा
(7) शिव से फलसूंड
(8) जलोपा से हरसाणी
(9) बालोतरा से बालवाड़ा
(10) चंवा से फलसूंड
(11) बालोतरा से अजीत वाया समदड़ी
(12) चौहटन से बाखासर
(13) धनाऊ से धोरीमन्ना

सूची-ग

दिनांक 31 दिसम्बर, 1969 को बन्द की गई पक्की सड़कों की अनुमानित लागत एवं उस पर हुये व्यय तथा कार्य पूर्ण करने हेतु वान्छित धनराशि की सूची

क्र० सं०	नाम कार्य	अनुमानित लागत (लाखों में)	दिनांक 31-12-69 तक व्यय की राशि (लाखों में)	कार्य पूर्ण करने हेतु वांछित धन राशि (लाखों में)	अगस्त 70 तक लगाये जा सकने वाले श्रमिकों की अनुमानित संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	बाड़मेर सिणधरी सड़क	15.00	10.48	4.52	1,150
2.	सिणधरी गुढ़ा गान्धाउ सड़क	35.00	5.61	29.39	2,150
3.	जसोल से नकोड़ा	4.59	1.15	3.44	350
4.	जसोल से तिलवाड़ा	4.59	2.42	2.17	350
5.	माड़पुरा से पचपदरा	12.04	2.99	9.05	1,300
6.	बाडमेर से पचपदरा	11.56	1.26	10.29	4,350
7.	शिव से फलसूण्ड सड़क	30.80	4.90	25.88	2,000
8.	जालीया से हरसाणी सड़क	8.61	2.62	5.98	2,000
9.	बालोतरा से वालवाडा सड़क	22.71	7.70	15.00	1,650
10.	धवां से फलसूण्ड सड़क	21.17	4.23	16.93	4,200
11.	बालोतरा से अजीत वाया समदडी	9.27	1.51	7.75	1,500
12.	चोहटन से बाखासर	46.75	17.46	29.29	2,850
13.	धनाऊ से घोरी मत्रा	24.54	1.10	23.43	900
	योग:—	246.63	63.43	183.12	22,750

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 15 की सूची)

LIST OF FIAT CARS ALLOTTED TO THE MINISTERS DY. MINISTERS & PURCHASED BY THEM

S. No.	Name	Quota for	Date
1	2	3	4
1.	Shri Barkat Ullah Khan Dy. Minister.	July 62	11/7/62
2.	,, Ram Niwas Mirdha, Speaker.	Sept.,62	27/9/62
3.	,, Ram Kishore Vyas, Minister.	-do-	19/9/62
4.	,, Mathura Dass Mathur, Minister.	Dec.,62	15/12/62
5.	Mrs. Prabha Misra, Dy. -do-	Jany.,63	15/6/63
6.	Shri Barkat Ullah Khan, -do-	Jany.,65	12/1/65
7.	,, Niranjannath Acharya, -do-	Feby.,65	1/2/65
8.	,, Ramniwas Mirdha, Speaker	Feby.,65	20/2/65
9.	,, Kumbha Ram Arya, Minister.	March,65	25/3/65
10.	,, Mathura Dass Mathur, Minister	March,65	20/3/65
11.	,, B. K. Kaul, Minister	-do-	30/3/65
12.	,, Manphool Singh, Dy. Minister	Aug.,65	17/8/65
13.	,, Hari Deo Joshi, Minister	Sept.,65	11/9/65
14.	Mrs. Kamla Beniwal Dy. Minister	-do-	25/9/65
15.	Shri Brij Sunder Sharma, Minister	Dec.,65	6/12/65
16.	Mrs. Prabha Misra, Dy. Minister	March,66	1/3/66
17.	Shri Ram Deo Singh, Dy. Minister	April.,66	29/4/66
18.	H.H. the Maharaja Harish Chander of Jhalawar, Minister for P. W. D.	April, 66	18/4/66
19.	Shri Damodar Lal Vyas, Minister	June, 66	21/6/66
20.	,, Amrit Lal Yadav -do-	Oct. 66	10/10/66
21.	,, Bhika Bhai, -do-	-do-	25/10/66
22.	,, Ram Kishore Vyas, -do-	Dec. 66	23/12/66
23.	,, Nathu Ram Mirdha, Ex-Minister	May, 67	15/5/67
24.	Rawat Shri Hari Singh, Dy. Minister	Dec. 67	26/12/67

1	2	3	4
25.	Shri Amrit Lal Yadav, Minister	Jany., 68	15/1/68
26.	,, Rao Dheer Singh, Dy. Minister	-do-	26/1/68
27.	,, Khet Singh, Dy. Minister	Feby., 68	17/2/68
28.	,, Brij Sunder Sharma, Minister	-do-	16/2/68
29.	,, Ram Charan, Dy. Minister	-do-	16/2/68
30.	,, Shiv Charan Mathur, Minister	March, 68	1/3/68
31.	,, Shiv Charan Singh, Dy. Minister	-do-	14/3/68
32.	,, Bhim Sen, Dy. Minister	-do-	28/3/68
33.	,, Barkat Ullah Khan, Minister	June, 68	11/6/68

NAME OF THE MINISTERS & DY. MINISTERS & STATE MINISTER, WHO WERE ALLOTTED CARS BUT DID NOT PURCHASE

1. Shri B. K. Kaul, Minister — February, April, 63.
2. Shri Chandan Mal Baid, Minister — ,, ,, 65.

LIST OF MINISTERS & DY. MINISTERS TO WHOM AMBASSADOR CARS WERE ALLOTTED AND WERE PURCHASED FROM 1962 to 1968.

S. No.	Name	Date of purchasing
1.	H. H. the Maharaja Shri Harishchanderji of Jhalawar, Minister for P. W. D. & Power, Jaipur.	5-1-1962
2.	Shri Bhim Singh of Mandawa, Dy. Minister, Home & Transport, Jaipur.	22-11-63
3.	H. H. the Maharaja Shri Harishchanderji of Jhalawar, Minister for P. W. D. & Power, Jaipur.	6-6-64
4.	Shri Narain Singh Masuda, Dy. Speaker, Rajasthan.	1965
5.	Shri Niranjan Nath Acharya, Dy. Minister, Rajasthan.	2-3-66
6.	Shri Aminuddin Ahmed Khan, H. H. the Nawab of Loharu and Minister for P.W.D. & Transport Rajasthan, Jaipur.	23-9-67
7.	Shri Kanhiya Lal Patel, Dy. Minister, Forest, Rajasthan, Jaipur.	13-2-68
8.	Shri Jai Kishan Sharma, Minister for Power, Public Relations & Relief Rehablitation, Rajasthan, Jaipur.	1-3-68
9.	Shri Ram Deo Singh, Dy. Minister, Food & Co-operative, Rajasthan, Jaipur.	1-6-68
10.	Mrs. Prabha Mishra, Dy. Minister for Law, Rajasthan, Jaipur.	9-7-68
11.	Shri Brij Prakash Goyal, Dy. Minister, Rajasthan.	6-9-68
12.	Shri Rao Narain Singhji of Masuda, Minister for Forest, Rajasthan, Jaipur.	12-10-68

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 9 की सूची)

कार्यालय पंचायत समिति, केकड़ी, अजमेर

क्रमांक एस्ट/2664 दिनांक 1-7-69

श्री विद्यालय निरीक्षक, अजमेर

श्री नौरतमल महेश्वरी आज दिनांक 10-7-69 को पूर्वार्द्ध में इस समिति में शिक्षा प्रसार अधिकारी के पद पर ड्यूटी जोइन करने हेतु उपस्थित हुए।

किन्तु श्री प्रधान पंचायत समिति केकड़ी के आदेशानुसार (प्रतिलिपि संलग्न) इन्हें यहाँ जोइन नहीं करवाया गया और आवश्यक कार्यवाही हेतु आपके पास भेजा जा रहा है।

ह० विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, केकड़ी (अजमेर)

क्रमांक एस्ट।

प्रतिलिपि नवरत्न मल महेश्वरी की सूचनार्थ

ह० विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, केकड़ी (अजमेर)

श्री विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, केकड़ी।

श्री धनकाना, शिक्षा प्रसार अधिकारी, के स्थानान्तरण का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है इन्हें अभी मेरे अग्रिम आदेश तक ड्यूटी से रिलीव नहीं किया जावे। मामले की सूचना प्रधानाध्यापक हायर सेकेन्डरी स्कूल श्रीनगर को दे दी गई थी कि जब तक राज्य सरकार का निर्णय प्राप्त न हो जावे श्री नवरत्न मल महेश्वरी को कार्य-भार से मुक्त न किया जावे। इसके उपरान्त भी श्री महेश्वरी कार्य-भार से मुक्त होकर आ गये हैं अतः श्री महेश्वरी को सूचित किया जावे कि इन्हें तब तक जोइन नहीं करने दिया जावेगा जब तक राज्य सरकार से निर्णय नहीं प्राप्त हो जाये।

ह० प्रधान,
पंचायत समिति, केकड़ी

क्रमांक 1650 दिनांक 1-7-69

प्रतिलिपि श्री नवरत्न मल महेश्वरी को भेजकर लेख है कि वे अपनी जोनिंग रिपोर्ट निरीक्षक शिक्षालय अजमेर के कार्यालय में देवें।

ह० प्रधान,
पंचायत समिति केकड़ी

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 4 की सूची)

सूची 'क'

1.	औजारों पर	630-00
2.	दवाइयों पर	991-45
3.	डाक्टर पर	रिक्त पद होने के कारण।
4.	स्टाफ पर (वेतन एवं भत्ते)	15,340-58
5.	यात्रा भत्ता	2,236-38
6.	अन्य व्यय	1509-12
7.	प्रचार एवं प्रसाशन	599-96
8.	प्रेरक (इन सेनटिव)	3970-25
9.	पैट्रोल	3446-24
		योगः—28,724-28

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 5 की सूची)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन संस्थाओं की सूची:—

क्रम सं.	नाम मंदिर	पता
	जिला पाली	
1.	श्री वर्द्धमान स्थान कवासी जैन आश्रम संघ	ग्राम बाजार, पाली
2.	श्री शान्ति वर्द्धमान की मन्डी	सोजती सिटी बाजार में
3.	श्री भगवान जी पुरुषोतम नाथ जी के पेढी	,, ,, ,,
4.	श्री बाराह जी का मंदिर	कस्बा सादडी बजार में
5.	श्री गोशाला बकराशाला जी जदवाकी पड़ी	वीजड़ापोल सादड़ी
6.	श्री गोपाल मुकुन्द जी की हवेली	पाली
7.	श्री महादेव जी के मंदिर की बगीची	सादड़ी
8.	श्री सोमनाथजी का मंदिर	पाली
9.	श्री नरसिंह द्वारा ग्राम खोड़	खोड़
	जिला सिरोही	
1.	श्री राजमाताजी गुलाब कंवर	बागेली जी धर्मशाला सिरोही मोटर स्टेन्ड
2.	श्री गायत्री मंदिर	ग्राम बाजार आबूरोड
3.	श्री दुबलेश्वर महादेवजी का मंदिर	नेकी तालाब पर माउन्ट आबू
	जिला जालोर	
	निल	

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 8 की सूचा)

STATEMENT SHOWING THE SEIZURES AND DEATHS DUE TO INFLUENZA FROM 7-1-1970 TO 4-3-70

S. No.	Name of District	January, 70		February, 70		March, 70	
		C.	D.	C.	D.	C.	D.
1.	Ajmer	161	—	1,340	—	1	—
2.	Jaipur	4,152	—	—	—	—	—
3.	Tonk	—	—	—	—	—	—
4.	Sawai Madhopur	68	—	128	—	—	—
5.	Bharatpur	263	—	83	—	—	—
6.	Dholpur	—	—	54	—	—	—
7.	Alwar	2	—	371	—	14	—
8.	Sikar	—	—	—	—	—	—
9.	Jhunjunu	—	—	—	—	—	—
10.	Bikaner	2,409	1	302	—	—	—
11.	Churu	2,792	3	77	—	—	—
12.	Ganganagar	1,086	—	146	—	—	—
13.	Jodhpur	9,063	—	744	—	15	—
14.	Jaisalmer	293	—	—	—	—	—
15.	Jalore	—	—	—	—	—	—
16.	Barmer	57	—	—	—	—	—
17.	Pali	54	—	7	—	—	—
18.	Nagaur	2,432	11	146	—	—	—
19.	Sirohi	3,458	—	3	—	—	—
20.	Udaipur	60,340	389	1,155	—	—	—
21.	Dungarpur	15	—	107	—	—	—
22	Banswara	1,869	—	273	—	—	—
23.	Chittorgarh	—	—	—	—	—	—
24.	Bhilwara	6,217	9	2,607	1	—	—
25.	Kota	152	—	2	—	—	—
26.	Bundi	—	—	—	—	—	—
27.	Jhalawar	—	—	—	—	—	—
	Total:	94,883	413	7,550	1	30	—

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 10 की सूची)

स्थानीय विकास कार्य योजना के अन्तर्गत अपूर्ण कार्यों की सूची।—

जिला	अपूर्ण कार्यों की संख्या
1. गंगानगर	60
2. अलवर	100
3. सीकर	84
4. जालौर	43
5. नागौर	42
6. झालावाड़	21
7. कोटा	5
8. बांसवाड़ा	273
9. डूंगरपुर	11
10. उदयपुर	45
11. चित्तौड़गढ़	68

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 11 की सूची)

पाली जिले में तहसीलवार विभिन्न अभिकरणों द्वारा हुए व्यय का विवरण

क्र०	नाम अभिकरण	पाली	खारचा	सोजत	रायपुर	जैतारण	बाली	देसूरी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	तहसील पाली	3,75,573	—	—	—	—	—	—	3,75,573
2.	तहसील बाली	—	—	—	—	—	22,675	—	22,675
3.	तहसील जैतारण	—	—	—	—	67,997	—	—	67,997
4.	तहसील सोजत	—	—	3,32,178	—	—	—	—	3,32,178
5.	तहसील रायपुर	—	—	—	38,438	—	—	—	38,438
6.	तहसील देसूरी	—	—	—	—	—	36,277	—	36,277
7.	तहसील खारची	—	7,000	—	—	—	—	—	7,000
8.	वि० पाली	64,436	—	—	—	—	—	—	64,436
9.	,, रोहट	66,589	—	—	—	—	—	—	66,589
10.	,, सुमेरपुर	—	—	—	—	—	13,814	—	13,814
11.	,, बाली	—	—	—	—	—	9,150	—	9,150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	वि० सोजत	—	—	1,07,092	—	—	—	—	1,07,092
13.	,, रानी	184	—	—	—	—	—	1,690	1.874
14.	,, खारची	—	30,016	—	—	—	—	—	30,016
15.	,, जैतारण	—	—	—	—	1,29,506	—	—	1,29,506
16.	,, रायपुर	—	—	—	12,003	—	—	—	12,003
17.	अ०अ०सिचाई, सुमेरपुर	19,30,027	78,075	6,44,023	—	—	6,39,415	1,70,261	34,61,801
18.	उप-वन संरक्षक, जोधपुर	31,323	—	—	—	—	44,391	—	75,714
19.	अ० अ० जल-प्रदाय, पाली	7,064	—	10,363	—	—	1,65,262	—	1,82,689
20.	जिला भू-संरक्षण, पाली	8,28,466	—	1,05,423	—	—	—	56,788	9,90,677
21.	अ.अ.सा.इ.नि., जोधपुर	36,58,835	2,52,938	20,45,777	37,38,430	44,57,523	20,94,532	16,68,809	1,74,16,840
	योग:—	69,62,497	3,68,029	32,44,856	37,88,871	46,55,026	29,89,239	14,33 821	2,34,42,339

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 12 की सूची)

भ्रष्टाचार के मामले जो राज्य सरकार के ध्यान में लाये गये उनकी जिलेवार सूची

1. अजमेर:	7 मामले सामने आये। जिनमें से चार पर पुलिस कार्यवाही की जा रही है, व 3 में विभागीय कार्यवाही की जारही है।
2. अलवर:	शून्य।
3. बांसवाड़ा:	शून्य।
4. बाड़मेर:	103 शिकायती पत्र प्राप्त हुए-सम्मिलित विभागीय अधिकारियों को जांच हेतु भेजे गये। 20 मामलों में पुलिस द्वारा तफतीश जारी है।
5. भरतपुर:	शून्य।
6. भीलवाड़ा:	2 मामले सामने आये जिन पर विभाग द्वारा जांच जारी है।
7. बीकानेर:	17 मामले सामने आये इनमें से 5 मामले अदम वकुआ रहे। एक मामला अदम पता रहा। एक में चालान प्रस्तुत कर दिया गया व शेष पुलिस में तफतीश में हैं।
8. बून्दी:	3 मामले सामने आये—इनमें से एक मामले में चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया व 2 मामले अदम सबूत रहने से फाईनल रिपोर्ट दी गई।
9. चित्तौड़गढ़:	शून्य।
10. चूरू:	46 मामले सामने आये इनमें से 10 मामलों में न्यायलय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है एक में अदम वकुआ रिपोर्ट दे दी गई है 27 मामले कार्यवाही में हैं व 8 मामले भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दिये हुए हैं।
11. डूंगरपुर:	4 मामले सामने आये। यह चारों मामले पुलिस तफतीश में विचाराधीन हैं।
12. गंगानगर:	शून्य।

13. जयपुर: शून्य ।

14. जैसलमेर: 9 मामले सामने आये इनमें से एक मामले में चालान न्यायलय में प्रस्तुत कर दिया गया है व 8 पुलिस में विचाराधीन हैं।

15. जालोर: 8 मुकदमे सामने आये। इनमें से एक अदम वकुआ रहा व एक का चालान पेश कर दिया गया व 6 में पुलिस तफतीश जारी है।

16. झालावाड़: 2 मामले सामने आए यह दोनों मामले विभागीय जांच में हैं।

17. झुंझुनू: 13 मामले सामने आये इनमें से 12 में जांच चालू है व एक की जांच हो चुकी है।

18. जोधपुर: सूचना उपलब्ध नहीं है।

19. कोटा: शून्य ।

20. नागोर: 11 मामले सामने आए इनमें से 6 मामले पुलिस में जेर तफतीश व 5 मामलों में विभागीय कार्यवाही चालू है।

21. पाली: 4 मामले सामने आए इनमें विभागीग जांच की कार्यवाही की जा रही है।

22. सवाईमाधोपुर: शून्य ।

23. सीकर: 4 मामले सामने आए इनमें से 2 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं व 2 जेर तफतीश हैं।

24. सिरोही: शून्य ।

25. टोंक: 2 मामले सामने आए इनमें से एक में चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है व एक में पुलिस तफतीश जारी है।

26. उदयपुर: एक मामला सामने आया इसमें पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 14 की सूची)

सूची—क

विधान सभा क्षेत्र अनुसार हुए व्यय का मानचित्र

	विधान सभा क्षेत्र	व्यय
1.	पाली	70,88,635
2.	बाली	23,76,750
3.	देसूरी	12,89,204
4.	सुमेरपुर	12,58,196
5.	खारची	3,90,630
6.	सोजत	39,74,412
7.	जैतारण	70,64,512
		2,34,42,339

सूची-ख

नाम तहसील	क्र. सं.	नाम कार्य	मजदूरों की संख्या	रकम जो बकाया चुकानी है।	कारण
त. पाली	1.	बीजापुर तालाब खुदाई	55	144.50	मजदूर उपलब्ध नहीं हुए
		माबुंदा बड़गावड़ा पीचावा तालाब खुदाई	34	63.35	,, ,,
वि. अ. पाली	2.	सोनाई मांजी, मावरी चवरड़ा की ढाणी	7	253	मजदूर बाहर चले गये हैं
वि.अ सुमेरपुर	3.	गलदेरा तालाब खुदाई	–	38.50	मौके पर मजदूर चुकारा लेने उपस्थित नहीं हुए
वि.अ. रायपुर	4	—	82	870.35	अतिरिक्त धन राशि की स्वीकृति के लिए
जिला-भू संरक्षण अ. पाली		—	2	35.75	मजदूरों की मृत्यु हो गई।
सहायक अभियन्ता फेमीन, पाली		—	57	583.50	मजदूर भुगतान के समय नहीं मिले।
,, ,, दक्षिण पाली		—	102	1166.19	मजदूर मालवा चले गये हैं
			159	1393.62	,, ,,

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 16 की सूची)

सूची-क

क्र. सं.	नाम तहसील	किस्म कार्य	तादाद रकम जो बाकी है	अब तक भुगतान न करने का कारण
1.	चूरू	सड़क कार्य	26,020.55	कई मजदूर भुगतान के समय उपस्थित नहीं मिले।
2.	रतनगढ़	,,	4932.19	बहुत से मजदूर कार्य बन्द होने पर इधर उधर चले गये।
3.	सूजानगढ़		33,048.33	
4.	सरदारशहर	,,	9308.53	अब समस्त बकाया का भुगतान की राशि संबंधित तहसीलदार को भेज दी गई है। शीघ्र ही समस्त भुगतान हो जाएगा।
5.	डूंगरगढ़	,,	8389.93	,, ,,
6.	राजगढ़	,,	3,19,863.83	,, ,,
7.	तारानगर	,,	36,539.63	,, ,,
8.	चूरू	जोहड़ कार्य	31.74	कई मजदूर भुगतान के समय उपस्थिति नहीं मिले तथा ग्राम जोगूलिया, तह. सुजानगढ़ ग्राम थिरपाली, तह. राजगढ़ एवं लिखमादेसर, तहसील डूंगरगढ़ के जोहड़ कार्य मजदूरों द्वारा लिमिट से कम काम करने पर भुगतान की राशि कम होने से मजदूरों ने भुगतान लेने से इन्कार कर दिया। जोगूलिया, जोहड़ कार्य के लिए लोक-कर्म विभाग द्वारा कार्य का प्रमाणीकरण भी चाहा गया है।
9.	राजगढ़	,,	3,834.60	
10.	सूजानगढ़	,,	4,398.25	
11.	डूंगरगढ़	,,	1,895.24	

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का सूची)

पंचायत एवं विकास विभाग

दिनांक 25-11-69

क्रमांकः—एफ 3/सी.क्यू./(119)टोंक/पं./वि./जांच/69।

जिलाधीश,
टोंक।

ग्राम पंचायत, ककोड़ के कुछ पंचों ने सरकार को निवेदन किया है कि उन्होंने पंचायत, ककोड़ के पंच श्री केसरसिंह के विरुद्ध नैतिक पतन के मुकद्मे न्यायालय में विचाराधीन होने तथा पंचायत में ऊधम मचाने इत्यादि की शिकायतें की हैं अतः इसको पंचायत का चार्ज नहीं दिलाया जावे।

श्री केसरसिंह के विरुद्ध जनता की ओर से शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे वे आपको राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 3/सी. क्यू./119 टोंक/67/7665, दिनांक 26-9-69 द्वारा जांच हेतु भेजे गये हैं परन्तु जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अतः शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।

जहां तक श्री केसरसिंह को पंचायत चार्ज दिलाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में निर्देशानुसार निवेदन है कि राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 20 के परन्तुक के अन्तर्गत यदि पंचायत की अवधि 6 माह से कम है तो रिक्त पद के के लिये कोई निर्वाचन या नियुक्ति नहीं की जा सकती परन्तु यदि सरपंच तथा उप-सरपंच के न होने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 15-फा.के अन्तर्गत श्री केसरसिंह को चार्ज दिलाया जा रहा हो तो यह चार्ज किसी अन्य उपयुक्त पंच को दिलवाया जावे क्योंकि श्री केसरसिंह के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं और उनकी आपके कार्यालय से जांच की जा रही है।

आज्ञा से,
ह० बापना
सहायक सचिव (जांच)
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 26 की सूची)

OFFICE OF THE DIRECTOR OF EDUCATION (P. & S.)
RAJASTHAN, BIKANER

To,

(1) The Jt. Director of Education, Jaipur.

(2) All Dy. Directors of Education including Women.

(3) All Inspectors of Schools including Inspectresses of Girls Schools.

No. Edb/Estt./B/Spi./69 Camp Jaipur, May 15, 1969

The standing orders of the department are that no teacher be transferred from one place to another unless he has completed two years minimum tenure. It has been observed that this order is not being strictly enforced. In future no transfer before two years be done without obtaining prior approval of the next higher authority. Inspecting Officers will also check up this matter at the time of their inspection.

Sd/-(H. M. Mathur)
Director,
Primary and Secondary Education,
Rajasthan, Bikaner.

No. EDB/Estt/ B/ Dated.

Copy to—

(1) I/c F. II, F. III, G, E, G. G.I, G. II., G. III, G. IV of Establishment.

(2) Section for information.

सत्र के मध्य में किये गये स्थानान्तरण की सूची (तृतीय श्रेणी अध्यापक)

क्रम संख्या	नाम	स्थान जहां से स्थानान्तरण किया गया	स्थान जहां पर स्थानान्तरण किया गया	कारण
1		2	3	4
1.	श्री गोपालराम,	रा. मा. वि., कोलिया	उ. मा. वि., कासोली	शिकायत पर
2.	श्री पांचूखां,	प्रा. वि., परबतसर	उ. प्रा. वि., बागोट	,,
3.	श्री फूलचन्द,	रा. प्रा. वि., नं० नागौर	प्रा. वि. नं., 6 नागौर	रेशनेलाइजेशन
4.	श्री नरेश कुमार,	उ. प्रा. वि. नमोद	मा. वि., नावां	प्र. म. मांग पर
5.	श्री सोहनलाल,	नं० 1, नागौर	प्रा. वि. नं० 5, नागौर	शिकायत पर
6.	श्री गुलाबचन्द,	उ. मा. वि., छोटी खाटू	मा. वि., कुवेरा	विद्यालय में वाजिब विषय की मांग की पूर्ति हेतु
7.	श्री वेदप्रकाश	उ. प्रा. वि., श्रीबालाजी	उ. प्रा. वि., गागोलाव	विज्ञान अध्यापक के रिक्त पद को भरने हेतु
8.	श्री संकटलाल,	उ० प्रा० वि०, खटोली	उ० प्रा० वि०, डेह	विज्ञान अध्यापक की मांग तथा रिक्त स्थान भरने हेतु
9.	श्री दधमतलाल,	उ० प्रा० वि०, डीडवाना	म० वि०, डीडवाना	रिक्त स्थान की पूर्ति
10.	श्री प्रहलादराम,	प्रा० वि० नं० 4, डीडवाना	उ० प्रा० वि० डीडवाना	,, ,,
11.	श्री शिवप्रसाद,	उ० प्रा० वि०, सरनाव	उ० प्रा० वि० बेरी, जसनपुरा	शिकायत तथा रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु
12.	श्री प्रभातकुमार,	उ० प्रा० वि०, हरसोरा	उ० प्रा० वि० श्रावसलिया	प्रा०अ० तथा ग्रामवासियों की शिकायत पर
13.	श्री केसरीमल	मा० वि०, मेड़ता सिटी	उ० प्रा० वि० गोटन	शिकायत पर
14.	श्री राजेन्द्रप्रताप	मा० वि०, रेण	मा० वि०, नावां	अध्यापक की प्रार्थना तथा चिकित्सा हेतु

1	2	3	4
		द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की सूची	
1. श्री फूलचन्द	उ० मा० वि०, लाडनूं	उ० प्रा० वि०, गुडा खालट	प्र० अ० का रिक्त स्थान भरने हेतु
2. ,, दुर्गाराम	मा० वि०, जसवन्तगढ़	मा० वि०, डीडवाना	प्र० अ० विज्ञान अध्यापक की मांग पर
3. ,, मदनलाल	उ० प्रा० वि०, गुढासाल्ट	मा० वि० नांवा	रिक्त स्थान भरने हेतु
4. ,, भंवरलाल	मा० वि०, डीडवाना	उ० मा० वि०, लाडनूं	श्री फूलचन्द के स्थान पर
5. ,, जगदीशप्रसाद	मा० वि०, मीठडी (लाडनूं)	उ० मा० वि०, बागोट	रिक्त स्थान भरने हेतु
6. ,, जगदीशचन्द	उ० प्रा० वि०, कुचामन सिटी	उ० प्रा० वि०, हरसोर	,, ,,
7. ,, रामेश्वरलाल	मा० वि०, अलाय	उ० प्रा० वि०, सावसिया	प्रा० अ० के रिक्त स्थान को भरने हेतु

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 28 की सूची)

STATEMENT SHOWING THE AMOUNT SANCTIONED TO THE DIRECTOR OF BHARTIYA LOK KALA MANDAL, UDAIPUR (RAJASTHAN) AS NON-RECURRING GRANT UP-TO-DATE

S. No.	Year in which amount sanctioned	Amount Sanctioned vice Govt. Order No. & Date	Purpose for which amount was sanctioned
1	2	3	4
1.	2,000/-57-58	Vide order No. D. 4529/ F. 6.(6)Edu./V/58, Dated 28-3-58.	In connection with the exp. incurred by them for purchase of musical instruments and stage articles during the current year.
2.	2,500/-60-61	Vide order No. F. 11(87) Edu/B/60, Dated 21-2-61.	To the management of the Bhartiya Lok Kala Mandal Udaipur to enable the Institution to defray the expenses of Sri D. L. Samar who travelled abroad to European countries to study the various trends in the field of Folk Theatre Art in 1960

1	2	3	4
3.	30,000/-60-61	Vide order No. D. 13764/ F. 6 (73) / Edu./ B/ 58, Dated 12-1-61.	*Ad hoc* grant for the construction of open air. theatre and building against the estimated cost of Rs. 1,50,000/-
4.	44,823/-60-61	Vide order No. D. 2918/ F. 6 (73) / Edu./B/58, Dated 14-3-61.	Further Non-Recurring grant for construction of an open air theatre.
5.	6,000/-65-66	Vide order No. F. 5 (21) Edu/Cell-VI/64 D, 22-1-65	Non-Recurring grant to meet the expenditure incurred in connection with Second All India Festival of Puppets held at Udaipur during the year.
6.	5,000/-64-65	Vide Order No. F. 5 (21)/ Edu/Cell/VI/64,D.,11-8-64.	*Ad hoc* grant for meeting expenses for Second All India Festival of Puppets held at Udaipur during June, 1964.
7.	10,150/-63-64	Vide order No. EDB./ BUD/C-2/16713 / (19) 34/63, Dated14-11-63.	Non-recurring grant renewed for the purchase of furniture and other equipments.

1	2	3	4
8.	3,000/-65-66	Vide order No. प-24 (20) सामान्य-प्र (क) / 64 /प्रबन्ध-2, दिनांक 18-8-65.	To participate in the III-International Puppets Show held at Bucharest (Rummania) in September 1965.
9.	5,000/-65-66	Vide order No. F. 1 (71) Edu/IV/65,Dated 28-8-65.	-do-

Sd/-
Dy. Director of Education
U. K. Range Udaipur.

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 9 मार्च, 1970)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
50	नीचे से 8	दयाइयां	दवाइयां
52	ऊपर से 4	प्रपूर्ण	अपूर्ण
53	नीचे से 13	ालए	लिए
58	,, 3	बनिस्पत	बनिस्बत
60	,, 13	तो	तक
61	ऊपर से 1	छावड़ा	छबड़ा
62	,, 2	नवरनमल	नवरलमल
62	नीचे से 2	क्या	क्या
64	ऊपर से 7	है	हैं
64	नीचे से 14	ता	तो
66	,, 10	अमी	अभी
66	,, 10	हुई	हुंई
71	,, 1	970	1970
77	,, 9	यीजनाओं	योजनाओं
79	,, 5	काल	अकाल
95	,, 8	सत्रावस	सत्रावसान
113	ऊपर से 2	डिमण्ड्स	डिमाण्ड्स
117	नीचे से 1	fift	fifth
118	ऊपर से 10	mendate	mandate
119	,, 17	पर	पर
124	,, 1	सोच लं	सोच लें
124	,, 12	होती	होनी
124	नीचे से 4	सलाकार	सलाहकार
127	,, 14	सलाकार	सलाहकार
130	,, 14	गंगानगर	गंगानगर के
152	नीचे से क्र. सं. 3	दुबलेश्वर	धुलेश्वर
152	,, ,,	म	न

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

सोमवार,

दिनांक 9 मार्च, 1970.

विधान सभा की बैठक म. प. 3 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गम्भीर व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं। अगर आपकी अनुमति हो तो, उस व्यवस्था के सवाल को आपके सामने, जो मैं लिख कर लाया हूं, जिससे विवाद लम्बा न हो, मैं उसे पढ़ देता हूं क्योंकि इसमें संविधान की कुछ धाराएं हैं और अपने नियमों के इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न है, इसलिये यह व्यवस्था का प्रश्न मैंने अंग्रेजी में लिखा है। सदन के माननीय सदस्य मुझे इसके लिये क्षमा करेंगे :

The Motion of Thanks on the Governor's Address had not been passed by this House on 29-1-70 as required by rule 286 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly, and as such, Provisions of Article 176 have not been fully complied with. Transaction of all business, hereafter, is wholly unconstitutional.

Under Article 176, it is obligatory on the Governor to address this House and under clause 2 of this Article, procedure has to be laid down in the Rules for regulating the discussion on this Address. Rules 14 to 19 have been

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

framed by this House for regulating discussion on the Governor's Address. Rules 283 and 284 provide for obtaining decision of the House. Rules 286 and 287 provide the procedure for obtaining the decision of the House. These provisions are mandatory and not directory.

In the instant case the Motion of Thanks was put to vote on 29-1-70 After the conclusion of the debate, the question was put under Rule 286 (1). The decision was announced under rule 286 (2). This decision was challenged but no division was allowed. Not only this, but even the question was not put again as required by sub-rule (3) (b) of rule 286. The result is that there has been a complete non-compliance with the mandatory provisions of rule 286. The Motion of Thanks was not passed as required by rule 286, and hence there is no valid decision of this House on this question as required by rule 283 and, therefore, the provisions of Article 176 have not been fully complied with. Transaction of any business hereafter will be a manifest violation of the Constitution.

Bills passed by this House in the circumstances will be declared invalid. This would bring insult to the high prestige of this august body apart from the wastage of time and heavy financial burden on the public exchequer.

Therefore, my question is that the Motion of Thanks be now put to the vote of the House for its decision and further business be not taken till then.

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह अपना व्यवस्था का सवाल है, यह आपके माध्यम से सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान की धारा 176 के अन्तर्गत यह राज्यपाल महोदय के लिये ओब्लीगेटरी है कि वह हरसाल सदन को सम्बोधित करें। यह संविधान जो बसु का लिखा हुआ है, इसमें 176 वीं धारा की कमेन्टरी में यह लिखा हुआ है :

"It has been held that the provision under Article 176 is mandatory, so that the legislature cannot function unless the Governor preforms his duty to make the Address."

यह 176 (1) के शब्द हैं और धारा 176 संविधान की है, उसके अन्तर्गत यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

व्यवस्था है। हमने हमारे यहां के नियमों की व्यवस्था की है, वे संविधान की धारा 208 के अन्तर्गत बनाये हैं। हमारे इन नियमों को वही मान्यता प्राप्त है जो संविधान को प्राप्त है, जब तक कि वे संविधान के विपरीत न हों।

इसलिये मैं मान कर चलता हूं कि जब तक संविधान के प्रतिकूल नहीं हो तब तक हमारे इन नियमों में जो व्यवस्था की गई है वह सर्वोपरि है। संविधान की धारा 208 के अन्तर्गत यह नियम बने हैं। नियम 14, 15, 16, 17, 18 और 19, इनमें व्यवस्था हमने इस बात की की है। चैप्टर फाइव में····

"Governor's Address and Messages to the House"

176 (2) के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि विधान सभा अपने नियम बनायेगी और उनके अन्तर्गत ही वाद विवाद होगा। 176 (2) की कम्प्लायेंस की हमारे नियम 14 से 19 में व्यवस्था है। इसलिये धन्यवाद का प्रस्ताव जब सदन में आये तो उसको कब पारित माना जाय, इस सम्बन्ध में सदन का मत जानना जरूरी है। इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान नियम 283 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। नियम 283। धन्यवाद का प्रस्ताव, यह प्रस्ताव जो संभवतः पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया था, इस पर सदन का मत जानने का एक ही नियम है और वह नियम 283 है। उस नियम के पश्चात् 286 नियम आता है। उसमें है कि किस प्रकार से सदन का मत जाना जायेगा। नियम 283 के अन्तर्गत इस सदन की मंशा जानने की व्यवस्था है, उसकी प्रक्रिया 286 में रखी गई है।

Rule 283: "A matter requiring the decision of the House shall be decided by means of a question put by the Speaker on a motion made by a member."

Rule 286: "(1) On the conclusion of a debate, the Speaker shall put the question and invite those who are in favour of the motion to say 'Aye' and those against the motion to say 'No.,"

"(2) The Speaker shall then says 'I think the Ayes (or the Noes, as the case may be) have it'. If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is not challenged, he shall say twice: 'The Ayes (or the Noes, as the case may be) have it' and the question before the House shall be determined accordingly."

"(3) (a) If the opinion of the Speaker as to the decision of

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

a question is challenged, he shall order that the Lobby be cleared."

"(b) After the lapse of two minutes he shall put the question a second time and declere whether in his opinion the 'Ayes' or the 'Noes' have it."

Thus the question is to be put a second time.

"(c) If the opinion so declared is again challenged, he shall direct that the votes be recorded by the members going into the lobbies" इस समय इससे मैं सम्बन्धित नहीं हूं, 286 के अन्तर्गत यह दिया है, उसके बाद दो (2) के अन्तर्गत दिया है, तो यह मैन्डेटरी प्रोविजन है। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, उस निर्णय के सम्बन्ध में डिवीजन की व्यवस्था करेंगे और फिर दुबारा सदन में रखेंगे।

वाकाया यह है कि 29 जनवरी को जिस समय धन्यवाद का प्रस्ताव राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया तो मत जानने के लिये प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा गया। 283 के अन्तर्गत यह व्यवस्था दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस बात को चैलेंज किया कि 'नोज हैव इट'। चाहिये तो यह था कि 286 (बी) के अन्तर्गत सेकिन्ड टाइम क्वश्चन रखा जाता पर न सैकिन्ड टाइम क्वश्चन ही रखा गया और न डिवीजन ही कराया गया।

यह नियम संविधान के अन्तर्गत बना हुआ है, उसके अन्तर्गत चैलेंज करने पर भी वह सवाल दुबारा नहीं रखा गया। चैलेंज होने की स्थिति में यदि सदन का मत नहीं जाना गया उसके अन्तर्गत किसी भूल का कारण हो सकता है, पर चैलेंज करने की स्थिति में भी वह सवाल दुबारा नहीं रखा गया, सदन का मत नहीं जाना गया तो मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि वह धन्यवाद का प्रस्ताव जो 29-1-70 को पारित कहा जाता है, वह नियमानुसार इस सदन के द्वारा पारित नहीं किया गया है। सदन के द्वारा उस पर अपना मत अभिव्यक्त नियमानुसार नहीं किया गया। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि जब तक संविधान की धारा 176 का पूरा अनुपालन नहीं होता तब तक इस सदन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो सकती। मैंने बसु की कमेंटरी का उद्धरण पढ़कर सुनाया। मैं समझता हूँ, इस पर विवाद की आवश्यकता नहीं है। संविधान की धारा 176 के प्रावधान, ये मेन्डेटरी प्रोविजन्स हैं। इसके बिना कम्प्लायन्स के किसी प्रकार सदन की आगे की कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो सकती। इसके लिए यदि विधि मंत्री और राज्य सरकार किसी प्रकार की ओथोरिटी की आवश्यकता समझती है तो 1952 उड़ीसा पेज 234, इस संबंध में स्पष्ट हैं, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है और इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसमें इसी प्रकार उड़ीसा विधान सभा के संबंध में कोई सवाल उड़ीसा हाई कोर्ट में ले जाया गया और उड़ीसा हाई कोर्ट ने उस संबंध में व्यवस्था देते समय यह निर्णय दिया है कि संविधान की धारा 176 के पालन हुए बिना विधान सभा में आगे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कोई बिजनैस ट्रेजेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने इस बिना पर पिटीशन को खारिज किया कि आप जाकर पाइंट ऑफ ऑर्डर अध्यक्ष महोदय के सामने उठाएं और अध्यक्ष महोदय का निर्णय इस पर लिया जाय और उसके बाद, उनका निर्णय होने के बाद, आप उच्च न्यायालय में रिटपिटीशन में आ सकते हैं। इसलिए मैंने यह प्रश्न आपके सामने उठाया है।

इसी संबंध में, अध्यक्ष महोदय, जहां तक संविधान की धारा 176 का सवाल है, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, केवल निवेदन करना चाहता हूं कि मैन्डेटरी प्रोविजन है और इसके कम्प्लायन्स के लिए नियम बने हुए है, उनके अन्तर्गत आवश्यक है कि किस प्रकार से सदन में कार्यवाही होनी चाहिए। इसी सिलसिले में प्रश्न यह खड़ा हो सकता है कि आया अध्यक्ष कोई इस प्रकार का निर्णय दे दे, 'एज' और 'नोज' के संबंध में; स्लिप आफ टंग का सवाल नहीं है। नियम स्पष्ट हैं, 286 नियम का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। उस प्रक्रिया के अनुसार धन्यवाद प्रस्ताव पर इस सदन में मत नहीं जाना गया, यह हमारे मौलिक अधिकार हैं, संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, जो नियमों में इसका अधिकार दिया गया है, वह संविधान की धारा 208 के अन्तर्गत बने हुए नियमों में दिए गए हैं। इसलिए इस सदन के माननीय सदस्यों को यह संविधान प्रदत्त अधिकार है कि हम इस प्रक्रिया के अनुसार सदन की कार्यवाही चलायें। आसन और माननीय सदस्य सदन के भाग हैं। इसलिए प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही चलाने की जिम्मेदारी सदन पर है। यह ऐसी समस्या नहीं है कि कोई कोमा फुलस्टोप की गल्ती हो, बल्कि फ्लैग्रेंट वायोलेशन ऑफ दी कान्स्टीट्यूशन, फ्लैग्रेंट वायोलेशन ऑफ दी रूल्स है और ऐसी हालत में वह प्रस्ताव पारित नहीं कहा जा सकता।

अंत में मैं केवल आपके सामने 1946 कलकत्ता पेज 120-121 पढ़ना चाहता हूं, उसमें जस्टिस हैंडरसन व जस्टिस दास, फुल बैंच व हाई कोर्ट का था, उनके सामने इस प्रकार का मसला गया...

श्री मूलचंद डागा (पाली) : कौनसे साल का जजमेंट है ?

श्री रामकिशन (वैर) : आपको इसमें क्या करना है, आपके पास किताब नहीं, कुछ नहीं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : यह साइटेशन सन् 1946 का है पेज 121। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उस समय विधान सभाओं की व्यवस्था थी।

श्री मूलचंद डागा : पूरा पढ़ो।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : बंगाल विधान सभा में एक संशोधन एक विधेयक में प्रस्तुत किया गया था उसे सिलसिले में अध्यक्ष महोदय ने बजाय 'नोज़' कहने के 'एज' कह दिया और बाद में करेक्ट कर दिया तो उन्होंने कहा कि 'ना' कह दिया इसलिए 'नोज' हो गया, इसलिए हमारा संशोधन स्वीकार हो गया और इसलिए कानून उस तरह से संशोधित हो गया। उसमें केवल कामा का मामला था और कामा लगाने के संशोधन पर आसन से व्यवस्था दे दी 'हां पक्ष जीता' और फिर स्लिप ऑफ टंग के बाद करेक्ट किया और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय ने हाई कोर्ट के सामने हलफनामा पेश किया और कहा कि मेरी स्लिप ऑफ टंग थी, मेरा निर्णय 'ना' पक्ष में था लेकिन जबान से 'हां' पक्ष निकल गया और हलफनामें में पेश हुए और उनमें भी वहां कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस सिलसिले में निर्णय दिया, उसमें यही होल्ड किया :

"Under that rule ...."

वह जो लेजिस्लेटिव कौंसिल का है।

"Under that rule as the President may by orders made in this behalf..."

यह रूल था और रूल था बंगाल विधान परिषद का, उसका हवाला देते हुए उन्होंने लिखा है :

"The question or a motion shall be put in such manner as the President may, by order made in this behalf, determine "

नियम यह था। हमारा नियम साफ है कि कैसे क्वेश्चन पुट किया जायगा, चैलेंज होगा, जो दुबारा क्या होगा, डिविजन कैसे क्लेम होगा? ये सारी व्यवस्थायें उन नियमों में नहीं थी, सारे अधिकार परिषद के प्रेजीडेन्ट को दिए गए थे और इसलिए उन्होंने निर्णय दिया, यह अधिकार उनको है और इसलिए उन्होंने कहा :

"In our opinion, a mere ad-hoc decision is not an order regulating the procedure. No doubt, the President may make an order dealing with this particular matter, but in fact he has not done so. Now it is clearly necessary to distinguish between a case in which the President thinks that the 'Ayes have it' and then alters his opinion, and a case in which he always thinks that the 'Ayes have it' but by mistake or Slip of the tongue says 'No' instead of 'Aye'. In view of the affidavit filed by the President..."

President means the Speaker.

"This case comes within the latter category. In our opinion standing order No. 8 made by the President means that he must give his real opinion. In the present case he has given his real opinion and, therefore, he was complying with the standing orders as they are."

Further on it says :—

"If the President made a verbal mistake obviously anybody who wished to challenge the opinion of the President could not be deprived of his right to do so by this verbal mistake. I wonder why the appellants, instead of raising a point of

Page No. 105

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

order to the effect that the matter was final, did not raise a point of order to the effect that as a result of the real opinion of the President they were entitled to demand a division."

अध्यक्ष महोदय, इस बिना पर उन्होंने इन आब्जरवेशन्स के साथ, वह केस खारिज किया। ये आब्जरवेशन्स, डाइरेक्शन्स थी कि पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया जाय आसन से व्यवस्था ली जाय, फाइनल डिसिजन लिया जाय और उसके बाद हमारे पास आओ। यहां पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उस पर जो मतदान 29-1-70 को हुआ, उस सिलसिले में इस सदन का यह नियम 286 के अन्तर्गत जो जानना चाहिए था, वह नहीं जाना गया। एक बार प्रश्न रखा गया, हमने चैलेंज किया 286(3) (बी) के अन्तर्गत वह दुबारा इन नियमों के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए था और डिविजन एलाउ करनी चाहिए थी। यह हमारे नियमों में स्पष्ट व्यवस्था है, इसके विपरीत प्रक्रिया आपने की है तो धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और धारा 176 की फुली कम्प्लाएन्स नहीं हुई है और धारा 176 मेन्डेटरी है; ऐसी हालत में संविधान कहता है कि कोई आगे का बिजनेस, कोई मनी बिल, फाइनेंन्स बिल या लेजिस्लेटिव बिजनेस, किसी प्रकार का बिजनेस सदन ट्रान्जेक्ट नहीं कर सकता अगर कोई बिजनेस ट्रान्जेक्ट किया गया तो वह नल एण्ड वॉइड होगा, असंवैधानिक होगा। इस दृष्टि से इसमें पैसा जाया होगा, समय जाया होगा। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया है। यही मेरा व्यवस्था का सवाल है। इसलिए मैंने मांग की है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर इस सदन का मत जानने के लिए वह प्रश्न नियम 286 के अन्तर्गत दुबारा इस सदन के सामने रखा जाय। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं और उसके बाद यह सदन आगे कार्यवाही करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं व्यवस्था का सवाल सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, इस बारे में जहां तक मेरी जानकारी है, जबकि सरकार की ओर से जवाब कन्क्ल्यूड हुआ उसके बाद में चेयर की ओर से सवाल रखा गया डिसिजन के लिये। प्रस्ताव जो मूव किया गया था, पाली व फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था उसे स्वीकार करने के बारे में जो सवाल रखा गया उस सम्बन्ध में माननीय सतीशचन्द्रजी की जानकारी के अनुसार; जो उन्होंने ऐतराज उठाया है, वह बिल्कुल असत्य है। सब माननीय सदस्यों को शायद ध्यान होगा कि डिबेट कन्क्ल्यूड होते ही सदन के समक्ष वोटिंग के लिए, राय जानने के लिए सवाल रख दिया गया था वह नियम 283 के अनुसार रखा गया था। और माननीय सदस्य ने जो ऐतराज उठाया है वह डिविजन के बारे में उठगया है जिसका सम्बन्ध नियम 286 से है। अगर डिविजन क्लेम कर लिया जाता है तो उसके बाद में अध्यक्ष के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह नियम 286 के अन्दर दी गई है।

(रघुनाथ विश्नोई)

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि डिविजन क्लेम किया गया या नहीं ? जहां तक मेरी जानकारी है चेयर की ओर से स्पष्ट-रूप से यह कहा गया था कि जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है जो उसके पक्ष में हों वे 'हां' कहें और जो पक्ष में न हों वे 'ना' कहें और विपक्ष में बैठे तीन चार माननीय सदस्यों की बहुत कम आवाज आई जब कि 'हां' पक्ष की बहुत ज्यादा और क्लीयर आवाज थी। 'हां पक्ष जीता' 'हां पक्ष जीता' यह कहने पर एक माननीय सदस्य ने सवाल उठाने की कोशिश की। वाइस वोटिंग से राय जान ली गयी। वोटिंग पर रखने के बाद एक बार वाइस 'हां' की रिकार्ड कर ली गयी तो किसी माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार नहीं है यह 284 के अन्तर्गत स्पष्ट है। माननीय सदस्य ने 286 का सवाल उठाया है और उसका यहां प्रश्न ही नहीं है। 286 के अनुसार वाइस कलेक्ट कर ली गयी और हाउस का निर्णय हो गया तो डिविजन क्लेम करने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। 'हां पक्ष जीता' 'हां पक्ष जीता' कहने के बाद कोई बात होती है तो डिविजन का राइट उपस्थित नहीं होता है। इसलिए यह जो आपत्ति उठायी गयी है वह 286 के तहत नहीं आती है। डिविजन क्लेम कर लिया गया होता और प्रोसिजर एडोप्ट कर लिया गया होता तो दूसरी बात होती। जब यह प्रोसिजर अख्तियार किया ही नहीं गया तो लोबी में जाने का सवाल उपस्थित करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। इसलिए माननीय सदस्य की जो आपत्ति है उसमें कोई फोर्स नहीं है। हाउस में वाइस वोट के द्वारा फोर्मीलिटी ओब्जर्व कर ली गयी थी और अब सैकिन्ड वोट में ऐतराज भी उठाया गया तो कोई मायने नहीं रखता। ऐसी स्थिति में कोई विचार नहीं किया जा सकता और यह पोइन्ट आॅफ ओर्डर खारिज किया जाना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय ..

श्री अध्यक्ष : श्री नाहर।

श्री यसवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो विवादास्पद प्रश्न है "डिसिजन ओफ दी स्पीकर एवर चेलेन्ज्ड और नोट" यह मान लेने के बाद कि माननीय अध्यक्ष का जो डिसिजन था उसको चेलैंज किया है, यह मानते हुए जो विषय आपने उठाया है इसका न तो इस समय यहां प्रश्न है और न यह आवश्यक है कि आगे की सारी कार्यवाही को रोका जाय। अलबत्ता मैं यह निवेदन करूंगा कि लीगल और कोन्स्टीट्यूशनल प्रश्न है और हां और ना के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उपस्थित हुआ तो ज्यादा से ज्यादा हमारे रूल्स के अनुसार एडजोर्नमेंट के लिये मोशन बनाने पर माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति हासिल की जाती। बिलकुल यह ओफ हैंड क्वश्चन सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है।

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि एक महानुभाव जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं वे यहां आकर सदन में बैठ गये हैं।

कई माननीय सदस्य : वे चले गये हैं, चले गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सलूम्बर से आये थे।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): कोई अज्ञानी थे, चले गये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कुछ आपने चुनौती दी है वह यह है कि आपने कोई डिविजन क्लेम किया और उसके बाद यस और नों की लाबीज में जाकर अन्तिम मतदान नहीं हुआ। इससे पहले हम मिल चुके हैं क्वेश्चन आवर के बाद भी मिल चुके हैं। यदि इस चुनौती का कोई महत्व है तो कोई प्रोपर मोशन सदन के सामने आये और दोनों तरफ से डिवेट हो और माननीय अध्यक्ष का इस पर निर्णय होने के बाद डिबेट होनी चाहिये और ओफहैंड किसी कार्यवाही को एडजोर्न करना जब कि बजट प्रस्तुत हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा के बिना कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो अभी बोल रहे थे उन्होंने एक अजीब प्रश्न उठाया है और कहा कि ऐसी आपत्ति बजट प्रस्तुत करने के समय नहीं उठानी चाहिये और बजट पेश होने जा रहा है तो वैधानिक प्रश्न यकायक नहीं उठाया जाय। यदि वैधानिक प्रश्न ध्यान में आवे तो उसको निश्चितरूप से पेश किया जाना चाहिये ताकि अवैधानिक कार्यवाही न हो और सदन संविधान के अनुसार कार्य कर सके। इसीलिये इस प्रश्न को उठाया गया है। इस पर निर्णय होने के बाद ही आगे की कार्यवाही हो सकती है। यदि यह नहीं होता है तो हमारी सारी महनत बेकार हो सकती है।

सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि रूल 284 के अन्तर्गत कार्यवाही हुई और रूल 286 के अन्तर्गत नहीं। रूल 283 को मैने पढ़ा है। वह यह कहता है कि जब कोई मोशन आवेगा तो क्वेश्चन के फार्म में आप रखेंगे उस पर किस प्रकार निर्णय होगा उसका प्रोसिजर 286 में दिया गया है। उसकी अलग अलग स्टेजेज हैं। पहले आप 'हां' और 'ना' में पूछेंगे और दुबारा आप उसको रखेंगे और डिविजन के बाद दुबारा रखेंगे इसलिये यह कह कर इस बात को नहीं टाला जा सकता। 283 के अन्दर कोई क्वश्चन हो जाता है, उसको किस प्रकार रखा जायगा उसका प्रोसिजर 286 में दिया गया है। इस सदन के माननीय सदस्यों ने चुनौती दी वह पूरी नहीं हुई। 286 की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिये और जौहरी बाजार जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सारी हाईकोर्ट्स की रूलिंग कोट करने के बाद इस प्रश्न को यहां उठाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामूली प्रश्न नहीं है, वैधानिक प्रश्न है और मनी बिल आने वाला है बजट के साथ इसलिये राय लेने के लिये एडवोकेट जनरल को यहां बुलाया जाना चाहिये। माननीय सदस्य की जो आपत्ति है वह वैधानिक प्रश्न पर है कहीं जल्दी में उसका निर्णय न हो जाय इसलिये मेरा अनुरोध है कि एडवोकेट जनरल को बुलाया जाकर पूरी डिबेट हो और उसके बाद इस पर फैसला किया जाय और तब ही बजट प्रस्तुत करने की बात की जाय। तीन बजे का जो मुहुर्त निकला वह तो टल गया, बाद में फिर निकलवा लेना लेकिन वैधानिक प्रक्रिया तो निश्चितरूप से पूरी होनी चाहिये। एडवोकेट जनरल को बुलायें तब तक सदन की कार्यवाही स्थगित हो।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कानून का प्रश्न है यह पोइन्ट ओफ ओर्डर सही है। कानून

(श्री मदन सिंह)

अपने में स्पष्ट है कि वोटिंग किस प्रकार हो। डिविजन का प्रश्न था। मैं समझता हूं न मंत्री चेलेन्ज करेंगे और न एडवोकेट जनरल चेलेन्ज करेंगे क्योंकि यह निश्चितरूप से है कि इस तरह का डिविजन होता है। अब प्रश्न यह आया कि चेयर ने ऐसा क्यों किया अध्यक्ष महोदय, कभी कभी चेयर यह सोचती है कि मेजोरिटि ऑफ पार्टी है, अगर वोटिंग भी होगा तो इनकी मेजोरिटि जीत जायगी। ऐसा करके शायद हां या ना के फैसले पर डिसिजन हो गया। अध्यक्ष महोदय, आज वह चीज नहीं हो सकती है। गंगानगर का बर्निंग इश्यू था। स्पीचेज में मोशन ऑफ थेन्क्स के ज्यादा लोग विपरीत बोले हैं। आप प्रोसिडिंग्स में देख सकते हैं। सदन के सब सदस्य उस मोशन ओफ थेन्क्स के विपरीत बोले हैं। ऐसे रिजल्ट में 'हां' या 'नो' कह कर जीत जाते हैं क्योंकि आज उनकी मेजोरिटि है। अगर अभी भी वोटिंग हो जाय तो मैं समझता हूं वह जीत सकते हैं। मगर उस समय मोशन ऑफ थेन्क्स पर वोटिंग होता तो निश्चितरूप से जो हमने 'नो' कहा था वही होता। मुझे याद है जिस समय अवाज उठाई जा रही थी, अध्यक्ष महोदय को आवाज दी और अध्यक्ष महोदय को कहा गया कि अध्यक्ष महोदय सुनते नहीं हैं। इसे उन्होंने अनसुनी करके एसेम्बली को स्थगित कर दी। अगर उस समय 5 मिनट का पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करने का मौका देते तो मैं निश्चितरूप से कह सकता हूं कि 'ना' पक्ष वाले जीतते। डिविजन ठीक ढंग से करवाते तो जीत 'ना' पक्ष की होती। हमने हो हल्ला भी किया···

श्री नाथीसिंह : अध्यक्ष महोदय यह कानून का मसला है।

श्री मदनसिंह : उस समय शायद आपको जल्दी थी। यह स्लिप ऑफ टंग थी

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

या स्लिप आफ ब्रेन था यह पता नहीं। महज यह घटना जरूर हुई। वोट करा लेते तो हमने जो 'ना' कहा उसके पक्ष में ही जाने की सम्भावना थी। आज इस कानून को कोई सदस्य चेलेन्ज नहीं कर सकता। कोई ऐडवोकेट आज इस प्रश्न को चेलेन्ज नहीं कर सकता है। यह एक विचारणीय प्रश्न है। जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने ठीक कहा है। अगर आइन्दा यह परम्परा रहती है तो अध्यक्ष महोदय, एसेम्बली की किताबें ही सारी खतम हो जाती हैं उसको आप मिनिमाइज न करें तो डिक्टेटरशिप का राज्य हो जायगा फिर जैसी मरजी है···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह : जैसी कि यह परम्परा आज पकड़ रहे हैं, जब आपकी मरजी होती है, आप स्थगित कर देते हैं। फिर इन कानून की किताबों की जरूरत ही नहीं है। जैसे राजाओं के टाइम में होली, दशहरा पर लोग नजराना पेश करते थे वैसे ही हम भी असेम्बली में आकर नजराना पेश कर देंगे। अगर जनतन्त्र को बचाना है और एसेम्बली को ठीक ढंग से चलाना है तो मैं निश्चितरूप से कहता हूं कि इस पर विचार करें। आइन्दा भी हमारी समझ में बैठे ऐसी कार्यवाही करें।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : पोइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री दुर्गालाल बाददार (हवा महल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय···

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय•••

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : केवल पांच मिनट।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय जो बहस चल रही है वह एक बहुत कांस्टीट्यूशनल बहस चल रही है लेकिन इस बहस के दौरान माननीय सदस्यों ने जो चेयर के ऊपर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन करते हुए कहा कि हम लोग रूल्स को खत्म करते जा रहे हैं•••

एक माननीय सदस्य : पोइन्ट आफ आर्डर के अन्दर आज तक यह परम्परा रही है•••

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पोइन्ट आफ आर्डर नहीं हो सकता है।

श्री बरकतुल्ला खां : •••और चेयर की डिगनिटि को हमने कभी फील नहीं किया, ऐसा कभी नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष (श्री पूनमचन्द विश्नोई): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है मैं समझता हूं यह महज टेक्निकल है। सदन जो कुछ भी निर्णय देता है उसको सहमति पूरे सदन की होती है। आप और हम यह विचार करें कि कोई भी काम गलत हो जायगा तो उससे गलत निर्णय हो जायगा, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मोशन आफ थेन्क्स पास नहीं किया तो हमारे विभाग के अन्दर यह सर्वोपरि बात होती है कि प्रोटेस्ट नहीं किया। कई बार चेयर अलाऊ नहीं करती है तो बहुत जोरदार प्रोटेस्ट होता है और प्रोटेस्ट के रूप में यह बात आती है कि यह बात मंजूर होनी चाहिये। उस दिन कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। अखबारों के अन्दर किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं आया•••

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह हमारी भूल हो गई।

(शोरगुल, अव्यवस्था)

श्री उपाध्यक्ष : भूल की स्थिति की बात नहीं है मनःस्थिति की बात है। यह जाहिर है कि उस समय कोई प्रोटेस्ट किया या नहीं किया यह अखबारों से स्पष्ट है। फिर जब आज सुबह असेम्बल हुए•••

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसके बाद नहीं हुए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आज सुबह की कह रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतना सीरियस क्वेश्चन था गंगानगर का। क्या आप उसकी सलाह देते हैं कि ऐसे सीरियस प्रश्न पर हम यह कहते•••

श्री उपाध्यक्ष : बहुत ही भाई चारे के वातावरण में विचार विमर्श हो रहा था।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : इसको चेलेंज करते अध्यक्ष महोदय ऐसे टाइम पर•••

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, सुबह 15–20 मिनट माननीय सदस्य ने ले लिये थे•••

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमने रिमार्क दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : इस सदन की कार्यवाही एकदम स्थगित कर दी लेकिन यह सर्वोपरि होता है। हमारे दिमाग से जो कुछ गुजरा है वह यह है कि प्रोटेस्ट के रूप में कुछ भी नहीं आया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : धन्यवाद के प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया तो प्रस्ताव ही पारित नहीं हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कानूनी है या गैर कानूनी है -

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम हो हल्ला करते सुबह यह बात और रही।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उस वक्त कुछ भी अपनी जबान से नहीं कहा। दूसरी बातें भी तो माननीय सदस्य जोर से कहते हैं। इतनी महत्वपूर्ण बात आपने यों ही टाल दी। मैं भी उपस्थित था। मैंने नहीं सुना। महज टेक्निकल आब्जेक्शन हैं। इतने महत्वपूर्ण मसले के ऊपर अगर सदन में बहुमत अल्पमत का प्रश्न आता है तो उसको बहुत जोर से प्रेस किया जाता है। कई बार 'हां' की धीमी आवाज आती है तो भी हम 'ना' की आवाज को हम विश्वास के साथ कह देते हैं कि 'हां' पक्ष जीता और डिविजन नहीं होता। डिविजन चाहिये था तो उसको कोई रोक नहीं सकता था इसलिये इस आपत्ति को माननीय अध्यक्ष महोदय ना मंजूर करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री अध्यक्ष : लॉ मिनिस्टर।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : फिर तो हमें जोर जोर से बोलना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से यह जानना चाहता हूं उन्होंने 'टेक्निकल खामी' बताई है। कृपया वे बता दें 'टेक्निकल खामी' क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने टेक्निकल आबजेक्शन कहा है। 'खामी' शब्द नहीं कहा है। रूल्स के अन्तर्गत अगर प्रोटेस्ट नहीं होता है तो माना यह जाता है कि सदन खुद अपनी प्रक्रिया तय करता है। सदन की मोहर है तो गलती क्षम्य है। लेकिन मैंने यह नहीं कहा है कि 'टेक्निकल खामी' है, मैंने कहा है 'टेक्निकल आबजेक्शन' है ..

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री मदनसिंह : We will not hear and we will go out of the Assembly.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं काफी देर से...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी करना चाहता हूं जो फेक्ट एस्टाब्लिश है कि डिविजन का क्लेम किया गया था ..

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। ला मिनिस्टर प्लीज।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय लॉ मिनिस्टर जवाब दें उससे पहले मेरी दो आपत्तियां हैं जिन्हें मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। विधि मंत्री महोदय, आप तो स्वयं बैरिस्टर है और बहुत बड़े

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कानून के ज्ञाता हैं और सौभाग्य की बात है कि हमारे अध्यक्ष महोदय भी कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं••

श्री अध्यक्ष : मुझे तो छोड़ दीजिए अभी इसी पर चलिये।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : यह तो बैरिस्टर के हस्बैंड हैं खुद बैरिस्टर नहीं हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला तो मेरा विनम्र निवेदन यह है कि संविधान के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गयी। संविधान के अंतर्गत जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के अधीन ही हमारी विधान सभा के नियम बने हुए हैं जिनकी महत्ता उतनी ही ऊंची है, जिनका सम्मान हमें उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से संविधान का हम आदर करते हैं और उसके नियमों को ऊंचा मानते हैं। मैं केवल इतना सा पूछना चाहता हूं कि एक तरफ कहा जाता है नियम 283 का मुलाहिजा कीजिए, 286 का मुलाहिजा कीजिए। नियम 283 से लेकर 286 तक सारी व्यवस्था होगी। लेकिन उत्तरदाता ने यह नहीं सोचा कि 286 रूल तक चले गये तो अनियमितता जरूर बरती गयी। ऐसा ही उन्होंने स्वयं ने भी स्वीकार किया है। मैं केवल अध्यक्ष महोदय, यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि 283 को देखिये, 284 को देखिये, 285 को देखिये और 286 को देखिये सब नियम एक दूसरे के पूरक हैं। नियम कोई एक दूसरे के बाधक नहीं होते। हम इसलिए प्रावीज़न करते हैं कि जो सब्सटेन्टिव ला है उसकी व्यवस्था की अनुपालना हम करते रहें जब रूल 286 की अनुपालना नहीं हुई तो यह मानना पड़ेगा कि हमसे गलती हुई।

एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया कि इल्लेगेलिटी के बारे में कोई शब्द नहीं कहा जाय या मौन रह जायें तो क्या इल्लेगेलिटी दूर हो जायेगी। अभी यह बताया गया कि क्योंकि यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण था यदि विरोधी सदस्य भी इस विषय पर जागरूक होते तो उनको आपत्ति करनी चाहिए-थी। किसी भी गैरकानूनी मामले के ऊपर अपनी सम्मति प्रकट नहीं करने में हम उसे कानूनी करार नहीं दे सकते। प्रश्न आपके सामने महत्वपूर्ण है···

श्री अध्यक्ष : तभी तो सुन रहे हैं। आप संक्षेप में कहें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एक तरफ यह कहा जाता है कि प्रश्न उठाने के लिए हम पोइन्ट ऑफ आर्डर रेज नहीं कर सकते बल्कि हमको केवल एडजॉर्नमेंट मोशन मूव करना चाहिए। प्रक्रिया ऐसा नहीं कहती। पोइन्ट आफ आर्डर तो अपनी जगह उठाये जाते हैं और व्यवस्था का प्रश्न किसी भी समय उठाया जा सकता है····

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तो अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पर आपके सामने सम्मति आती है। सुझाव मैं देता हूं क्योंकि फैक्चुअल पोजीशन आपके सामने है। फैक्चुअल पोजीशन यह है कि एक तरफ कहा जाता है कि 283 के-अन्तर्गत केवल 'यस' और 'नो' की आवाज को

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

लेकर स्पीकर महोदय ने अपना निर्णय दे दिया और उसके आगे कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं समझता हूं कि हर प्रोसीडिंग्स रेकर्ड की जाती है, हर मोशन तक रेकर्ड कर लिया जाता है और अध्यक्ष महोदय, इसकी साक्षी के लिए आपका रेकर्ड है यदि इसके अन्दर विरोधी पक्ष के सदस्यों ने इसकी मांग की है कि वाकई में हम डिवीजन क्लेम करते हैं और इस प्रकार से क्लेम करते हैं कि लाबीज के अन्दर दोनों पक्षों को भेजा जाय····

श्री अध्यक्ष : That will do. संक्षेप में कह दें। उन्हीं पोइन्ट्स का रिपीटीशन है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस प्रकार के प्रश्न पर फेक्चुअल पोजीशन पर कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। रेकर्ड आपके पास है···

श्री अध्यक्ष : वह मैंने मंगा लिया है। रेकर्ड देख लिया है। आप आगे चलिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : फिर कोई गैर कानूनी मसला रह जाता है तो आपके निर्णय करना होगा।

श्री यशवंतसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, इन रूल्स के अन्तर्गत अभी यह बात उठ रही है कि हमने उसका पालना नहीं की तो जो प्रश्न पैदा कर रहे हैं वह इसी रूल के अन्दर आना चाहिए। तो मैंने निवेदन किया था कि यहां पर रूल 50 है। "इट इज नाट दी पाइन्ट आफ आर्डर।" मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह चाहते हैं कि इस सदन की सारी कार्यवाही को स्थगित दिया जाये तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह रूल्स के इन्टरप्रिटेशन का सवाल है। तो इसके निर्णय के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय इस पर अपनी कन्सेन्ट दें इसके पहले कि एडजॉर्नमेंट मोशन के ऊपर डिबेट हो···

एक माननीय सदस्य : "इट इज नाट दी एडजॉर्नमेंट मोशन।" It is point of order.

श्री यशवंतसिंह नाहर : एडजॉर्नमेंट मोशन पर कन्सेन्ट माननीय अध्यक्ष महोदय की होने से पहले, क्योंकि यह इन्टरप्रिटेशन आफ रूल का सवाल है इसलिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सब माननीय सदस्य इसके ऊपर जो अपनी ओपीनियन देना चाहें स्टडी करके आयें। मैं निवेदन कर रहा था कि यह आफ हैंड है, आपको अनअवेयरली लिया जा रहा है। इसके बारे में हाई कोर्ट के डिसीजन हैं और हम भी तैयारी करके आयें उसके बाद में इसको ले लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एडजॉर्नमेंट मांग रहे हैं हमें कोई एतराज नहीं है। डिफेन्डेन्ट तारीख चाहता है तो हमें क्या एतराज है। तारीख दे दी जाये। और बिना हर्जे खर्चे के।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य क्या हाउस को एडजॉर्न करने के लिए कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर राजवी श्री रूपसिंह।

श्री यशवंतसिंह नाहर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कान्सटीट्यूशनल क्वेश्चन है। इसके लिए पार्टीज के आरग्यूमेंटस सुनने के बाद अध्यक्ष महोदय की

(यशवंतसिंह नाहर)

कन्सेन्ट होनी चाहिए कि यह ऐडजॉर्नमेंट मोशन लिया जाये या नहीं इसके अलावा पोइन्ट आफ आर्डर यह नहीं हो सकता ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज । राजवी श्री रूपसिंह ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : He is going out of the track. Hon. Speaker : I understand the point.

श्री यशवंतसिंह नाहर : इसके लिए मै निवेदन कर रहा हूं कि इसके ऊपर अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति हो।

श्री अध्यक्ष : यस, राजवी श्री रूपसिंह

राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : अध्यक्ष महोदय; पाइन्ट आफ आर्डर श्री सतीशचन्द्रजी ने उठाया है इसके बाबत मुझे यह अर्ज करना है कि उन्होंने जो पोइन्ट आफ आर्डर उठाया है वह लीगल पोइन्ट है और लॉ के अनुसार लीगल पोइंट हर समय उठाया जा सकता है । यह कहा जा सकता है कि उस समय क्यों नहीं उठाया लेकिन लॉ में कोई ऐसी बार नहीं है कि बाद में नहीं उठा सकते । हर आदमी का राइट है कि हर समय अपने पोइन्ट को रेज कर सकता है। इसलिए यह अभी जो सवाल उठाया है इसके लिए कोई कानूनी बार नहीं है । अब सवाल यह है कि यह लीगली एन्टाइटल्ड थे या नहीं इसके लिए यह कहना है कि रूल कान्सटीट्यूशन लॉ के अनुसार बनाये गये हैं । यह सवाल रूल्स 283 से 286 तक से सम्बन्ध रखता है । स्पीकर को राइट होता है कि वह हाउस के अन्दर क्वेश्चन किस तरह से पुट करे उसके बाद में मोशन आफ थैंक्स मूव होगा और उसके बाद में डिवीजन हाउस का होता है । 'एज' और 'नोज' की बात नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : उसी पर बेस किया है अपने आरग्यूमेंट को ।

राजवी श्री रूपसिंह : मेरा कहना यही है कि He has a right to raise the question before the House. He has got the right. लीगल पोइन्ट है और हर समय रेज कर सकते हैं। उस समय नहीं कर सके तो आज भी करने का अधिकार है ।

दूसरा पोइन्ट यह है कि जिस समय डिवीजन आफ हाउस का आया 284 के बाद में 286 आता है और उसके तहत में यहां पर डिवीजन आफ दी हाउस होता है । उस समय पोजीशन क्या थी यह facts पर निर्धारित है उसकी जांच करके फैसला करें।

श्री अध्यक्ष : इस पर विस्तारपूर्वक माननीय सदस्य ने कह दिया। सब साइटेशन हो चुका है । That he has already said.

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, रूल 286 के सब रूल (3) के नीचे यह है :

If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged, he shall order that the Lobby be cleared.

Page No. 114

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मेरा यह क्लेम है कि 286 (3) के तहत जो आपने डिसीजन दिया कि 'एज हैव इट' तो माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने इसको चेलेन्ज किया कि 'नोज हेव इट' यह रेकर्ड पर मौजूद है। माननीय सतीशचन्द्रजी ने और भैरोंसिंहजी ने कहा। आपने कहा 'ऐज हैव इट' उन्होंने कहा 'नोज हैव इट'। आपको जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी लाबीज को क्लियर करवाकर दो मिनट के बाद फिर दुबारा हाउस में उस क्वेश्चन को पुट करना चाहिए था। दुबारा आपको पूछना चाहिए और आपने वह प्रक्रिया नहीं अपनाई और चेलेन्ज करने के बावजूद आपने प्रस्ताव को पारित घोषित कर दिया जो कि इस रूल के खिलाफ है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि फेक्ट्स जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उसमें एस्टेब्लिश्ड हैं। अभी मैंने उसको मंगाकर देखा है कि चैलेन्ज्ड है और 285 (3) की प्रक्रिया के आगे (4), (5) और (6) में जो होना चाहिए थी उस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। इसलिए इन रूल्स के तहत वह मोशन पारित नहीं समझा जा सकता है।

अब उसके क्या इम्प्लीकेशन्स हो सकते हैं, वह मै समझता हूं कि जो माननीय सतीशचन्द्र ने कहा है कि वह चीज नेचुरल, लीगल कोन्सिक्वेन्सेज हैं, और इसलिए बजाय इसके कि आप खतरे को मोल लें, सारा हाई कोर्ट में चैलेन्ज्ड हो, तो जो कुछ भी अपनी प्रक्रिया हैं उसको पूरा करना बड़ा आसान हैं कि अब दुबारा 286 (3) से आगे चले और दुबारा इसको क्लियर करवायें और हाउस में क्वेश्चन पुट इन करें और उसको पास करें।

श्री मदनसिंह : The question is-can you raise a point of order ? Or can you raise on current issue ?

श्री अध्यक्ष : ओर्डर प्लीज। विधि मंत्री।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही दिलचस्प पाइंट उठा है। अफसोस यह रहा कि थोड़ा सा वक्त नहीं मिला वर्ना शायद वैसी ही तैयारी करके आते······

श्री रामानन्द अग्रवाल : घर से।

श्री बरकतुल्ला खां : घर से तैयारी करके आते।

श्री नत्थीसिंह : वहां पर मदद मिलती।

श्री बरकतुल्ला खां: और उसका जवाब जिस तरीके से ····

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : मुझे अपना ब्रीफ तैयार करना पड़ता है और आपके लिए तो आपकी श्रीमतीजी तैयार कर देती हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : अपनी अपनी तकदीर है। आप क्यों जलते है। आपको भी मौका था कि पढ़ी-लिखी से शादी करते।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि आर्टिकल 176 का जो हवाला दिया है कि आर्टिकल 176 की कम्पलेन्स····

श्री मदनसिंह : दोनों तरफ का जवाब समझेंगे।

श्री बरकतुल्ला खां : का सवाल था तो रूल (5) के अन्दर गवर्नर के एड्रेस के लिए रूल्स बनाते हैं, तो आर्टिकल 176 की कम्प्लायेन्स हमने कर ली।

अब दूसरा प्रश्न जो उठा था वह यह उठा था कि आर्टिकल 208 के नीचे हमने कुछ इन्फ्रिन्जमेंट किया है, हमने कान्स्टीट्युशन को इन्फ्रिन्ज किया है, तो मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि आर्टिकल 208 को अगर पढ़ा जाय तो आप मुलाहिजा करेंगे कि उसके अन्दर जो कहा गया है वह यह है–

"A House of the Legislature of a State may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution its procedure and the conduct of its business."

That we have complied with by forming these rules.

उसके बाद कहा गया है

"Until rules are made under clause (i), the rules of procedure and standing orders in force immediately before the commencement of the Constitution with respect to the Legislature for the corresponding Province shall have effect in relation to the Legislature of the State subject to such modifications and adaptations as may be made therein by the Speaker of the Legislative Assembly, or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be."

क्वेश्चन जो आया है वह यह आया है कि हमने कान्स्टीट्युशन के आर्टिकल 208 को इन्फ्रिन्ज किया है। 208 को उस वक्त इन्फ्रिन्ज करते जब कि रूल्स ओफ प्रोसीजर को फोलो नहीं करते। अगर हम प्योर्ली टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर जाते हैं तब भी इस बात को माननीय अध्यक्ष, मानना पड़ेगा कि हमारे हाउस के अन्दर यह परम्परा रही है कि जब भी डिविजन मांगा है तो नोज और और 'एज' पर मांगा गया है। जब किसी मेम्बर ने डिविजन मांगा है तो उन्होंने कहा है कि we want division....

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अश्रव्य)

श्री नत्थीसिंह और दौलतराम : यह नहीं है।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष, आप अगर पुरानी प्रोसिडिंग्स को देखें तो जब भी चैलेन्ज किया है तो यह कहा है कि डिविजन होगा।

एक माननीय सदस्य : 'नोज हेव इट'।

श्री बरकतुल्ला खां : 'नोज हेव इट' पर बहुत कम कहा गया है। ज्यादातर डिविजन मांगा गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे हस्तक्षेप के लिए आप क्षमा करेंगे। यह एक्चुअली हुआ है। हमारा आरग्युमेंट यह है कि चैलेन्ज होने के बाद में ट्वाइस क्वेश्चन 263 (2) के अन्दर पुट अप किया जाता है। जो उस दिन की प्रोसिडिंग्स हैं उसमें यह है–

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि निम्नलिखित शब्दों में राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद अर्पित किया जाय।

"इस सत्र के समवेत विधान सभा सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ है।"

जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें। (हां की आवाज) जो इसके विरोध में हों वे ना कहें। (ना की आवाज) हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : ना पक्ष जीता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ना पक्ष जीता। नोज हेव इट सर।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही को 5 मिनिट में ही स्थगित कर दी। यह है कि नहीं लिखा हुआ। आप प्रोसीडिंग्स को चैलेन्ज कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री नत्थीसिंह : क्वाइट क्लियर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चैलेन्ज किया है डिसीजन को।

श्री अध्यक्ष : (श्री बरकतुल्ला खां से) आप आरम्भ रखिये।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष, हम लोग जब भी काम करते हैं तो हम अपने रूल्स के नीचे काम करते हैं और इस सदन की जो परम्पराएं हैं उनके नीचे भी काम करते हैं। न तो केवल हम परम्पराओं के नीचे काम करते हैं और न केवल रूल्स के नीचे काम करते हैं। कुछ एस्टैब्लिश्ड स्टैंडिंग प्रेक्टिसेज इस हाउस के अन्दर हुई हैं और उन स्टैन्डिंग प्रक्टिसेज को हमने फोलो किया है। बल्कि मैं शायद याद दिला सकता हूं कि जब रूल्स के अन्दर प्रोवीजन्स नहीं हुए हैं तो काफी माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे यहां यह ट्रेडिशन रही है और उस ट्रेडिशन को हमें मैंटेन करना चाहिए और उसके ऊपर हाउस ने बड़ी सिम्पेथिटिकली कन्सीडर किया है और उसके लिए•••

श्री मदनसिंह : Not on division.

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बरकतुल्ला खां : ज्यादातर जब भी डिविजन क्लेम किया गया है तो यह कहा गया है कि हम डिविजन चाहते हैं, खाली 'नोज' या 'एज' पर डिविजन नहीं हुआ है। ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे, ऐसे बहुत से ओकेजन मिलेंगे कि जब 'एज' हेव इट आर 'नोज हेव इट' का हाउस में सवाल उठा और जब कि चैयर ने कहा है 'एज हेव इट' या यह कह दिया कि 'नोज हेव इट' उसके ऊपर डिविजन नहीं हुआ है बल्कि डिविजन तब तक नहीं हुआ जब तक कि डिविजन क्लेम नहीं किया गया। बल्कि, माननीय अध्यक्ष, मैं आपका ध्यान 286 के अन्दर (सी) क्लॉज जो है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं—

" Provided that if in the opinion of the Speaker the division is unnecessarily claimed, he may ask the members who are for 'Aye'

(श्री बरकतुल्ला खां)

and those for 'no' respectively to rise in their places and, on a count being taken, he may declare the determination of the House. In such a case, the names of the voters shall not be recorded."

तो इस रूल के अन्दर 286 के अन्दर यह प्रोवीजन दिया गया है कि कभी अननेसेसरिली अगर चैलेन्ज हो जाय, अननेसेसरिली डिविजन क्लेम हो जाय तो हाउस का टाइम वेस्ट नहीं किया जाय। इसलिए चेयर को यह अधिकार है कि वह डिविजन के क्लेम का...

श्री मदनसिंह : (Inaudible)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, प्लीज।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, टाइम कैसे वेस्ट हो रहा है ...

श्री अध्यक्ष : आप नियमों का कृपया पालन करें। इन्टरप्ट न करें। उनका राइट है बोलने का। स्थान ग्रहण करिये।

श्री मदनसिंह : We have also got the right..

श्री अध्यक्ष : No. Not at this time.

श्री बरकतुल्ला खां : रूल्स में प्रोवीजन है। उसमें लिखा है। उसकी मन्शा जो है वह यह है कि अगर अननेसेसरिली डिविजन क्लेम किया जाय तो हाउस का टाइम वेस्ट न हो, तो स्पीकर को यह अधिकार होगा कि वह लोगों को कह दें कि अपनी सीट पर खड़े हो जायं या दूसरे लोग 'एज' वाले खड़े हो जायं या 'नोज' वाले खड़े हो जायं तो उसके ऊपर वोट्स काउन्ट कर लिए जायेंगे और अननेसेसरिली टाइम वेस्ट होने से बच जायगा। यह प्रोसीजर हाउस के अन्दर एडोप्ट किया गया है। अभी तक जो परम्परा रही है वह यह है कि 'एज हेव इट' और 'नोज हेव इट' के बाद डिविजन क्लेम किया नहीं हो तो यह प्रोसीजर था। अगर यह चाहते हैं कि स्ट्रिक्टली रूल्स को फोलो किया जाय तो, माननीय अध्यक्ष, मुझे बड़ी खुशी होगी और चेयर को उससे बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि जब रूल्स को रिलेक्स किया जाता है तो वह तभी होता है जबकि ऐसे मामलों पर हाउस की तरफ से आपके ऊपर जोर पड़ता है। अगर आज से यह तय होता है कि किसी भी वक्त रूल्स को रिलेक्स नहीं किया जाय सिवाय चेयर को जो पावर्स हैं वही करे तो और बात है। लेकिन जब भी कान्टीनुअसली डिविजन इस तरह से मांगा है तभी डिविजन हुआ है। 'एज हेव इट' और नोज हेव इट कहने के बाद जब उसका डिविजन क्लेम किया गया है तभी डिविजन हुआ है। अगर डिविजन क्लेम नहीं किया गया तो 'एज हैव इट' कह दिया एज वालों ने और नोज वालों ने भी कह दिया कि 'नोज हेव इट' तो डिविजन नहीं हुआ है। जब तक यह नहीं कहा गया कि वी वान्ट दी डिविजन तब तक पार्टीक्यूलर्ली इसका क्लेम नहीं किया गया है। यह परम्परा हाउस में थी और इस हाउस के ट्रेडिशन के हिसाब से थी इसलिए मैं समझता हूं कि कोई रूल्स का इन्फ्रिन्जमेंट नहीं हुआ है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करने हैं।

Page No. 118

श्री अध्यक्ष : अब नहीं। दुबारा, तिबारा बोल चुके हैं।

श्री मदनसिंह : एक ऐसा पोइन्ट है जिसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं। अपने रूल्स के अन्तर्गत यह है कि एक दफा माननीय सदस्य बोल चुके हों तो दूसरी दफा उसी विषय पर नहीं बोल सकता। यह रूल्स में है।

श्री मदनसिंह : मैं एक अर्ज करना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी ने हमें कानूनी पोइन्ट समझाया। क्या आप कहते हैं कि हम वैसे डिमान्ड कर लेते तो हमारी डिमाण्ड ठीक होती ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़।

श्री मदनसिंह : वह दे रहे हैं जवाब।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, उस समय भी आपका आर्डर मान कर हम रह गये थे।

श्री अध्यक्ष : आप मानें, न मानें–मैं क्या करूं। दुबारा, तिबारा, चौबारा बार बार बोल रहे हैं। नियमों में यह है, एक माननीय सदस्य एक दफा बोलें जायं तो दुबारा न बोलें। उस नियम का पालन कराऊं या नहीं। बड़ा मुश्किल हो जायेगा।

श्री नत्थीसिंह : उसी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं।

श्री मदनसिंह : आप नियमों का पालन कराते हैं। उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं, कोई कठिनाई हो तो बोले जाइये, बार बार कह सकते हैं। आप डिसाइड कर लीजिये कि कौन तय करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

यह प्रश्न, जो माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्रजी ने उठाया, विधान सभा के इतिहास में इस ढंग का संवैधानिक और नियमों के अन्तर्गत-मेरा ख्याल है, सम्भव है कभी न उठा हो, यह पहला प्रश्न है। प्रश्न है कि अमूमन इस सदन की परम्परा रही है कि धन्यवाद के प्रस्ताव पर 'ऐज' और 'नोज' की ध्वनि एक फार्मल तरीके से होती रही हैं, तीन साल पहले तक, मुझे विश्वास है, कभी डिवीजन धन्यवाद के प्रस्ताव पर नहीं हुआ। इस कन्टेस्ट में जब कभी यह प्रश्न आता रहा है तो विधान सभा में इस प्रश्न को उसी संदर्भ में लिया जाता रहा है। लेकिन अब चूंकि नियमों के अन्तर्गत एवं संवैधानिक प्रश्न यहां पर आ गया इसलिए इस पर विचार करना भी आवश्यक है। जैसा माननीय विधि मंत्री ने अभी निवेदन किया कि नियमों के पालन का प्रश्न यदि सदन में उपस्थित हो सके और हम उनकी अनुपालना कर सकें तो बहुत कुछ समय सदन का बच सकता है। लेकिन नियमों का कहां तक पालन इस सदन में होता है ? जिस ढंग से जिस संदर्भ में माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र जी ने कहा, वह हमारी कार्यवाही को देखने से पूर्णतया उसका ज्ञान हो सकता है। इसलिये नियमों के पालन का जब कभी कोई प्रश्न आता है तो हमेशा उस पर इस दृष्टि से कि कहीं असुविधा नहीं हो माननीय सदस्यों को,

(श्री अध्यक्ष)

नियमों के प्रश्न पर उदारतापूर्वक अभी तक उनके अनुपालन पर देखा जाता रहा है। लेकिन यह प्रश्न जब सामने आया, और कई संवैधानिक प्रश्न और नियमों के अन्तर्गत प्रश्न उपस्थित हो गए। यह प्रश्न इस सदन की परम्परा और व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा योग देने वाला है। इसलिए इस पर व्यवस्था भी पूरी तरह से पूरे चिन्तन के साथ दी जानी चाहिए। लेकिन व्यवस्था को मैं स्थगित भी नहीं कर सकता। चूंकि आज का बजट प्रस्तुत करने का समय है, इसलिए मैं यदि स्थगित करता हूं तो भी एक संवैधानिक स्थिति पैदा होती है। मैं सिर्फ माननीय सदस्यों का ध्यान कुछ विषयों पर दिलाऊंगा। माननीय सदस्य ने इस पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के सम्बन्ध में सदन की प्रोसीडिंग्स का हवाला देते हुए, इसको पढ़ कर सुनाया है। अब तक जब जब वोइस वोट का प्रश्न आता है तो यह सदन हमारा ऐसा है कि उसकी सीरिअसनेस को, वाल्यूम ऑफ वोइस के द्वारा ही देखा जाता है कि कितना बल माननीय सदस्य उस प्रश्न पर देते हैं। उस स्ट्रेस के आधार पर मेरे ख्याल में इस प्रोसीडिंग्स को देखा जाय। कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं कि डिवीजन डिमाण्ड करने पर भी 'ना पक्ष जीता', कहने पर भी माननीय सदस्य अपने आसन पर बैठे-बैठे ही ना पक्ष जीता कह देते हैं, तो यह आसन समझ लेता है कि उनकी आपत्ति में सीरिअसनेस नहीं है; वह फार्मल है। मैं नहीं कह सकता कि उस दिन माननीय सदस्यों ने आसन पर बैठे-बैठे ना पक्ष कहा''' या क्यों कर''''''

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : खड़े होकर कहा।

श्री अध्यक्ष : मैं सोचने लगा हूं कि अब माननीय सदस्य जब बैठे हुए कह दें तो वैसा लिख लिया जाय। खड़े हुए कह दें वह भी लिख लिया और वार्तालाप, जो आपस में बातचीत होती है बैठे-बैठे वह भी लिख ली जाय-यह विचारणीय प्रश्न है। मैं निवेदन करता रहा हूं कि यह प्रश्न जो पहले सम्भवतः महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं रहा है, परन्तु आज महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है इसलिए प्रोसीडिंग्स को यदि देखा जाय तो उसमें अंकित है हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता यह इस आसन ने उस समय कहा था। उसके बाद माननीय सदस्य भैरोंसिंह ने कहा–ना पक्ष जीता, फिर सतीश चन्द्र जी, माननीय सदस्य ने कहा ना पक्ष जीता। और उसके बाद .....

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : अंग्रेजी में भी कहा है। हिन्दी में भी कहा है; अंग्रेजी में भी कहा है।

श्री अध्यक्ष : इस संदर्भ में देखिये। हां पक्ष जीता, ना पक्ष जीता जिस ढंग से कहा, जिस सीरिअसनेस से कहा–मैं अपने मत से नहीं कहता। ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य पहले भी ऐसे प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति को प्रगट करने के लिए कह दिया करते हैं यही आभास इससे निकलता है। और निकलता क्यों है ? मैं यह निवेदन करना चाहूं कि बाद में–प्रस्ताव स्वीकार किया गया, यह शब्द जुड़े हैं; वह बोला गया है। उसके बाद, चूंकि राज्य सरकार बिजनैस अगला चलाने में असमर्थ है-यह भी बोला गया। और उसके बाद यह आसन यहां से लौटा भी'''

श्री विजय सिंह : यह पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उस समय यह सीरिअसनैस होती और जो इस वक्त पोइन्ट ऑफ

(श्री अध्यक्ष)

ऑर्डर उठाया गया है यदि उस वक्त उठा दिया जाता और उसी के साथ-साथ जो भी विरोध किया जाना चाहिए था वह यहां किया जा सकता था। मैंने यह नहीं कहा, आपका विरोध उचित है या अनुचित है-यह नहीं कहा। लेकिन उस स्थिति से जो ध्वनि निकलती है उसका मैंने यहां उल्लेख किया है। विरोधी दल के माननीय सदस्यों का विरोध जिस ढंग का पहले रहा है उस ढंग के विरोध के संदर्भ में यह स्थिति उतनी उग्र नहीं थी जिसको इल्लीगल, सीरिअस और अनकॉन्स्टीट्यूशनल कहा जाय। उतनी वह नहीं है, मैं यह निवेदन कर रहा हूं। यह पोइन्ट ऑफ आर्डर उठाने का प्रश्न इस स्टेज का नहीं था। कॉन्स्टीट्यूशनल इश्यू था वह उस वक्त उठाया जा सकता था लेकिन नहीं उठाया गया। अब चूंकि यहां पर बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, वह एक बड़ा महत्व-पूर्ण हो गया है।

एक माननीय सदस्य : टाइम निकल गया।

श्री अध्यक्ष : इसलिए यह सारगर्भित प्रश्न आज उठा दिया गया है। अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने रूल 308 पढ़ा है-मैंने यह इसलिए निवेदन किया है कि इसमें···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह पहले ही निकाल रखा है।

श्री अध्यक्ष : मेलाफाइडी न माननीय सदस्यों की है, न आसन की है, न इधर की तरफ की है। सभी की बोनाफाइडी है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्य-वाद प्रस्ताव पर डिवीजन नहीं हो—ऐसी परम्परा रही है, उस आधार पर (व्यवधान) तीन साल पहले तक की परम्परा का उल्लेख करता हूं उसके बाद ढूंढना पड़ेगा····

श्री विजयसिंह : वह परम्परा तो चव्हाण साहब ने तोड़ दी।

श्री अध्यक्ष : उस संदर्भ में इस कॉन्स्टीट्यूशनल इश्यू की सीरिअसनेस नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, 308 में हैं :

"Interpretation and removal of difficulties – If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the decision of the Speaker shall be final."

इसमें इन्टरप्रिटेशन का सवाल है, जो ध्वनि इससे निकली और जो कम्प्लायेन्स इस ध्वनि से हुआ— अगर उस ध्वनि को, कम्प्लायेन्स को इस नियम 308 के अन्तर्गत देखा जाय। तो अध्यक्ष के कुछ अधिकार हैं इसमें····

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : पूरे!

श्री अध्यक्ष : इन्टरप्रिटेशन इस प्रश्न का उक्त ध्वनि से निकालते हुए मैंने कहा है। इस संदर्भ में इन्टरप्रेट करें और आपकी सद्भावना ··

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : रूल्स का इन्टरप्रिटेशन करें, भावनाओं के संदर्भ में नहीं।

श्री अध्यक्ष : वह नहीं।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : रूल्स को इन्टरप्रेट करिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने डिड्यूस किया है फ्रोम दी कन्डक्ट एवं नेचर ग्रोफ दि सरकम्सटान्सेज डिड्यूस करने के बाद जो इन्फरेन्स निकलता है वह एक इर्रेबिटेबल प्रश्न हो जाता है कभी कभी""

अब दूसरा, मैं जो माननीय सदस्यों के सन्मुख रखना चाहता हूं, यह जो पोइन्ट ऑफ ग्रॉर्डर है :

"294. Points of order and decisions thereon.—(1) A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker".

"Within the cognizance of the Speaker" I emphasise it.

इस प्रश्न की मैं अभी कोई व्याख्या नहीं करता। यह प्रश्न मेरे चिन्तन का है, अध्ययन का है। उक्त नियमों में अंकित विदिन दी काग्नीजेन्स ग्रॉफ दी स्पीकर पंक्तियों का विषद् विस्तृत विश्लेषण करना उपयुक्त होगा।

"(2) A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment :

Provided that the Speaker may permit a member to raise a point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of another if it relates to maintenance of order in, or arrangement of business before, the House".

यह प्रश्न भी अहमियत रखता है। तो इसकी भी मैं व्याख्या करूं।

"(3) Subject to conditions referred to in sub-rule (1) and (२), a member may formulate a point of order and the Speaker shall decide whether the point raised is a point of order and if so give his decision thereon which shall be final".

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिसीजन ध्यान में नहीं आ रहा है तो क्यों पढ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : धीरे धीरे ध्यान में ले रहा हूं, निष्पक्ष होकर ले रहा हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं 212 की तरफ :

"(1) The validity of any proceedings in the Legislature of a State shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure".

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अभी दिमाग जम नहीं रहा है साहब। भूल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : भूल यों ही रहा हूं। तथ्यों पर स्थिति पर आ रहा हूं अभी मैंने

(श्री अध्यक्ष)

जैसा निवेदन किया कि अगर यह कोई स्थिति है तो जो पृष्ठभूमि सामने रखी गई उसको इर्रेगुलेरिटी मान लिया जा सकता है। तब भी वह इतनी सूक्ष्म है कि 212 के अन्तर्गत यह ध्यान देने योग्य नहीं है।

ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं। Rule 285: -

"A member shall not speak on a question after the Speaker has collected the voices both of the Ayes and of the Noes on that question".

मेरे सन्मुख ऐसा प्रश्न है जिस पर मुझको अध्ययन करके इस स्थिति का स्पष्टीकरण करना है, जितने आपने प्रश्न उठाये-कान्स्टीट्यूशनल इस्यूज, माननीय विधिमन्त्रीजी ने कान्स्टीट्यूशनल इस्यूज का जवाब दिया है कई माननीय सदस्यों ने कहा है, उन पर मेरी मैं मान्यता अभी क्रोनोलोजिकल ढंग में रखने की स्थिति में नहीं हूं। यह महत्वपूर्ण मसला है। इसका रेफेरेन्स कई विधान सभाओं में हो सकता है। इसलिये यह वैल स्टडीड होना चाहिये।

अन्त में इन सारे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए और आपकी संवैधानिक स्थिति और आपत्तियों को समझते हुए, मैं यह समझता हूं कि यह पोइन्ट ओफ ओर्डर नहीं है, इसलिये मैं इसको रूल आउट करता हूं।

माननीय वित्तमन्त्रीजी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिसीजन कल देंगे साहब ?

श्री अध्यक्ष : आप कहेंगे तब दे दूंगा, आप से भी सलाह लेनी है, कन्सल्टेशन करनी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (श्री मथुरादास माथुर के खड़े होने पर) पांच मिनिट आप और इन्तजार करिये। लैट योर टाइम बी कम्प्लीटेड।

श्री जयनारायण सालोदिया : फोर ट्वन्टा।

श्री मथुरादास माथुर (वित्तमंत्री) : श्रीमान्,

मैं सन् 1970-71 के बजट तखमीने पेश कर रहा हूं।

आर्थिक पृष्ठ भूमि 2. मैं सब से पहले आर्थिक-स्थिति की संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा। राज्य की अर्थ-व्यवस्था अब भी मुख्यत: अनिश्चित और मनमौजी मानसून पर निर्भर है। माननीय सदस्यों को पिछले साल के अभूतपूर्व सूखे के कारण उत्पादन में गिरावट और जन कष्ट की जानकारी है। 1968-69 के कृषि उत्पादन में 39 प्रतिशत से ऊपर गिरावट आयी और खाद्यान्नों का उत्पादन 1967-68 में 66 लाख टन से गिर कर 1968-69 में 40 लाख टन रह गया। कृषि उत्पादन का सूचक अंक 1952-53 से 1955-56=100) जो 1967-68 में 155 था, वह 1968-69 में एकदम 63 अंक गिर कर 92 हो गया। कृषि उत्पादन में इस गिरावट का राज्य की आय पर भी दुष्प्रभाव पड़ा और स्थिर मूल्यों के आधार पर राज्य की आय में पिछले वर्ष के मुकाबले में 6.51 प्रतिशत गिरावट आयी। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय में तदनुरूप 8.52 प्रतिशत की कमी हुई।

(श्री मथुरादास माथुर)

3. इस वर्ष आर्थिक स्थिति में केवल मामूली सा ही सुधार हुआ है। राज्य के कई क्षेत्रों में इस वर्ष भी पर्याप्त वर्षा नहीं हुई और हालांकि सूखे की स्थिति पिछले वर्ष जैसी व्यापक तो नहीं है परन्तु कुछ क्षेत्रों में हालत पहले से भी अधिक गम्भीर है। कृषि उत्पादन का सूचक अंक (1952-53 से 1955-56=100) 1969-70 में बढ़कर 116.30 हो जाने की आशा है जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 27 प्रतिशत बढोतरी का द्योतक है। इस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन 44 लाख टन होने का अनुमान है जो 1968-69 के उत्पादन से 9.53 प्रतिशत अधिक है। फिर भी ऐसा अनुमान है कि इस वर्ष का खाद्यान्न उत्पादन 1967-68 के सर्वोत्तम उत्पादन से 33.52 प्रतिशत कम रहेगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि का असर राज्य की आय में भी नजर आयेगा। अभी मौजूदा पूर्व अनुमानों के अनुसार 1954-55 के स्थिर मूल्यों पर आधारित राज्य की आय में इस वर्ष पिछले साल के मुकाबले 3.70 प्रतिशत बढोतरी होने की आशा है। इसी प्रकार स्थिर मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय में भी इस वर्ष 1.21 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है।

4. मैंने अपने पिछले बजट भाषण में कृषि उत्पादन में कमी के बावजूद 1968 के भावों में मंदी के रुख पर संतोष प्रकट किया था। 1968 के भावों में जो स्थिरता आयी थी वह 1967-68 में भरपूर कृषि उत्पादन और देश की अनुकूल आर्थिक स्थिति के कारण थी। 1969 में भावों में फिर तेजी का रुख आया। थोक मूल्यों का सूचक अंक 1968 में 233 से बढ़ कर 1969 में 242 हो गया और इस तरह इस में 3.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसके मुकाबले में देश भर के भावों में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैं आशा करता हूं कि रबी की फसल के बाजार में आ जाने पर मूल्य स्तर स्थिर हो जायेंगे और मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोका जा सकेगा।

5. 1969 में औद्योगिक उत्पादन की मिश्रित प्रवृति रही। उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि शक्कर में हुई। शक्कर का उत्पादन 1968 में 5800 टन से बढ़ कर 1969 में 17,600 टन हो गया जो लगभग 203 प्रतिशत अधिक है। सीमेन्ट, सूती कपड़े, नायलोन के धागे के उत्पादन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई। 1969 में पी.वी.सी. रेसिन (P. V. C. Resin) और पी. वी. सी. कम्पाउण्ड का उत्पादन क्रमशः 2513 टन और 11266 टन हुआ। रासायनिक खाद का उत्पादन इस वर्ष में 1.23 लाख टन हुआ उदयपुर के हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने जिंक की 10,700 टन पट्टियां (Slabs) और 42400 टन सिंगल सुपर फासफेट का उत्पादन किया। इस के विपरीत पिछले वर्ष के मुकाबले सूती धागे और नमक के उत्पादन में कमी आयी। सांभर झील के क्षेत्र में बाढ़ के कारण नमक का उत्पादन इस वर्ष भी कम रहा। 1969-70 में बूंदी जिले की केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल और कोटा की एक्राइनिक फाइबर प्लान्ट में उत्पादन शुरू हुआ।

6. पिछले वर्ष के खनिजों के उत्पादन के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता मिली। 1968 में 4 करोड़ रुपये के खनिज उत्पादन के मुकाबले 1969 में 4.90 करोड़ मूल्य के खनिज के उत्पादन होने का अनुमान है।

(श्री मथुरादास माथुर)

इस प्रकार एक ही वर्ष में 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। प्रमुख खनिजों का कुल उत्पादन 1969 में 37.37 लाख टन हुआ जो पिछले वर्ष के उत्पादन से 7 प्रतिशत अधिक है। मिटेलिक खनिजों में जिंक कन्सन्ट्रेट, कापर ओर, आयरन ओर, चांदी और वोलफ्रेम और नॉन-मेटेलिक वर्ग मे केलसाइट, चाइना क्ले, लाइम स्टोन, मैगनसाइट, माइका, स्लेट स्टोन सोप स्टोन, राक फोसफेट के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। खेतड़ी से 1050 टन कच्चा तांबा और उदयपुर के निकट खान से 68800 टन रॉकफोसफेट के उत्पादन से राज्य में खनिज के इन विपुल भन्डारों के उपभोग का श्रीगणेश हुआ।

7. **अकाल राहत:** मौजूदा वर्ष और 1968-69 में राज्य सरकार ने भयंकर सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिये जो राहत कार्य किये उन की चर्चा सदन में कई मौकों पर हो चुकी है और इसलिये मैं उस की विस्तृत रूप से यहां चर्चा करना आवश्यक नहीं समझता। परन्तु राज्य की आर्थिक व वित्तीय स्थिति की सही जानकारी के लिये अकाल राहत कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का जिक्र मैं जरूरी समझता हूं। माननीय सदस्यों को विदित है कि पिछले वर्ष राज्य के सभी 26 जिलों में सूखे की स्थिति की घोषणा करनी पड़ी थी जिस में 22799 गांव और 1.32 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। 1968-69 में अकाल राहत कार्यों पर 13 करोड़ रुपया व्यय किया गया था और इन्हीं कामों पर अप्रेल से सितम्बर, 1969 के दौरान 40 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा। इस प्रकार 1968 में मानसून के असफल होने के कारण राहत कार्यों पर कुल 53 करोड़ रुपया व्यय करना पड़ा। मुसीबत की घड़ी में केन्द्रीय सरकार ने जो हमारी उदारता से मदद की इसके लिए हम बहुत आभारी हैं।

8. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 1969 में भी राज्य के बड़े भाग में मानसून ने फिर धोखा दिया और राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में कई वर्षों से लगातार सूखा पड़ने के कारण इस वर्ष वहां स्थिति और भी विकट है। इस के अलावा इस वर्ष हमें शहरी और देहाती इलाकों में अभूतपूर्व पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब तक राज्य सरकार ने 16 जिलों के 9961 गांवों में सूखे की स्थिति की घोषणा की है जिस में 70 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वर्तमान अकाल की वजह से मार्च 1970 तक हमें लगभग 24 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा जब कि केन्द्रीय दल ने केवल 18 करोड़ रुपये व्यय को सीमा निर्धारित की है। हमने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह सूखे से ग्रस्त इलाकों की कम से कम जरूरतों को पूरा करने के लिये सहायता कार्यों पर व्यय की सीमा में उपयुक्त वृद्धि करे। हमारा ख्याल है कि इस वर्ष सूखे की स्थिति के कारण हमें अगले वर्ष सितम्बर तक लगभग 26 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा।

9. हमारी यह निश्चित नीति रही है कि अकाल सहायता कार्यों में स्थाई उपयोगिता के कामों को प्राथमिकता दी जाये ताकि लोगों को रोजगार मिलने के साथ-साथ उन इलाकों का तेजी से विकास भी हो सके। इस नीति का अनुसरण करते हुए हमने बड़े पैमाने पर सड़कों के निर्माण, छोटे सिंचाई, भू-संरक्षण और जंगल लगाने के

(श्री मथुरादास माथुर)

कई कार्य हाथ में लिये हैं। अक्टूबर, 1968 सितम्बर, 1969 तक अकाल सहायता प्रोग्राम के अन्तर्गत 23513 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया। इस में 14 हजार किलोमिटर सड़कों पर मिट्टी बिछाने का काम पूरा हो चुका है। 5347 कीलोमीटर ग्रेवल, 900 किलोमीटर मैटल और 405 किलोमीटर डामर की सड़कें तैयार हो चुकी है। इसके अलावा इस अवधि में 4500 छोटे सिचाई कार्य, जंगल लगाने व भू–संरक्षण के कार्य आरम्भ किये गये। अकाल के मौजूदा राहत कार्यों के अन्तर्गत पिछले अकाल के अधूरे कार्यों को पूरा करने का अत्यधिक प्रयत्न किया जायगा और महत्वपूर्ण सड़कों को पक्का करके उन पर डामर बिछाया जायेगा। माननीय सदस्यों को मालूम है कि सितम्बर 1969 तक 62 सफल ट्यूब वैल खोदे जा चुके हैं और इन में से 46 चालू कर दिये गये और शेष ट्यूब वैल की मशीनरी खरीदने और उन के बाकी कार्य जल्दी से जल्दी पूरे करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पीने के पानी की भयंकर कमी का मुकाबला करने के लिये जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, ब्यावर और किशनगढ़ कस्बों में संकटकालीन वाटर सप्लाई स्कीमें चालू की गयीं। मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष है कि जोधपुर में रामपुरा मथानियां से पीने का पानी लाने की स्कीम रेकार्ड समय में पूरी कर ली गई है और उस शहर में पीने के पानी के भारी संकट को टाला जा सका है। जयपुर में पीने के पानी की कमी दूर करने के लिये 12 लाख लागत की एक योजना स्वीकृत की जा रही है। हमने कुछ ऐसे गांवों के लिये जहां पीने के पानी का कोई जरिया नहीं है क्षेत्रीय योजनायें स्वीकृत की हैं। इस वर्ष अकाल कार्यों में जो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें शुरू की गई हैं, वे हैं:—जिला बाड़मेर में बायतू, नागौर जिले में केराप, डेगाना, रामसीसर, पालोट और रेण और चूरू जिले में छापर। इसके अलावा 36 गांवों में ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के सुधार का कार्य आरम्भ किया गया है ताकि उनमें पीने के पानी की अत्यधिक कमी को पूरा किया जा सके। बार-बार सूखे से प्रभावित होने वाले इन इलाकों में, यह योजनायें पूरी होने से वहां के निवासियों को स्थायी राहत मिलेगी।

10. माननीय सदस्य मानेंगे कि अकाल सहायता कार्यों पर किया जाने वाला व्यय मुख्यत: अनुत्पादक होता है और राज्य सरकार को इन से कोई आय नहीं होती। केन्द्रीय सरकार उसके द्वारा निर्धारित प्रणाली के अनुरूप अकाल सहायता के लिये स्वीकृत व्यय का 50 प्रतिशत ही अनुदान के रूप में देती है। अत: सहायता के मौजूदा फार्मूला के मुताबिक राज्य सरकारों को भारी कर्ज का बोझ उठाना पड़ता है और खास कर राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां बार-बार सूखे की स्थिति पैदा होती रहती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पांचवे फाइनेन्स कमीशन ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार को सहायता की प्रणाली बदल कर अकाल राहत कार्यों पर व्यय का 75 प्रतिशत भाग अनुदान के रूप में देना चाहिए। मैं पुरजोर शब्दों में केन्द्र सरकार से यह कहना चाहूंगा कि उसे फाइनेन्स कमीशन की सिफारिश को पूर्व प्रभावी रूप में तत्काल मान लेना चाहिए।

11. हम अपनी योजनाओं में सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार, भू व जल संरक्षण

(श्री मथुरादास माथुर)

व पीने के पानी के सप्लाई के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते रहे हैं क्योंकि यह कार्यक्रम निरन्तर सूखे की स्थिति का स्थायी हल ढूंढने की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु वित्तीय साधनों की कमी के कारण यह कार्य उतने बड़े पैमाने पर नहीं कर पाते जितना कि अपेक्षित है। इस संदर्भ में मैं प्रधान मंत्री के बजट भाषण में की गयी इस घोषणा का हार्दिक स्वागत करता हूं जिसमें उन्होंने 1970-71 में अकालग्रस्त इलाकों में स्थायी राहत के कार्यों के लिये 25 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। मुझे विश्वास है कि इस रकम का एक बड़ा भाग हमें मिल सकेगा और अगले वर्ष अकाल के स्थायी हल के लिये कार्यक्रम को और भी गति मिलेगी।

12. **पांचवा वित्त आयोग :** माननीय सदस्यों को मालूम है कि पांचवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट जुलाई में प्रस्तुत कर दी थी तथा राज्यों की धनराशि के वितरण सम्बन्धी उनकी सिफारिशें केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर कर लीगई हैं। हालांकि हमारे राज्य को चौथे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 130.41 करोड़ रुपये के मुकाबले इस आयोग द्वारा 221.65 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त होगी जो कि 71 प्रतिशत की वृद्धि है, मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि आयोग के अवार्ड से हम कतई सन्तुष्ट नहीं हैं। हमारी यह उम्मीद कि कमीशन हमारी गैर योजना आवश्यकताओं का सही अनुभव करेगा पूरी नहीं हुई। आयोग की कुछ मान्यतायें और सिफारिशें खासतौर पर हमारे लिये अवास्तविक तथा अव्यावहारिक हैं। मिसाल के तौर पर सिंचाई योजनाओं के बारे में आयोग यह मान कर चला है कि इनसे प्राप्त आबियाना उनके कार्यशील खर्च को ही नहीं बल्कि निर्धारित पूंजी पर ढाई प्रतिशत ब्याज की पूर्ति कर सकेगा। हमारे लिये इस मान्यता का अर्थ यह होगा कि इन परियोजनाओं से प्राप्त आबियाना 1.75 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़ कर कम से कम 5 करोड़ हो जाना चाहिये। दूसरे शब्दों में इसके मायने यह हैं कि आबियाना की दर तिगुनी करनी पड़ेगी। इसके अलावा आयोग ने यह भी माना है कि विभागीय व्यावसायिक उपक्रम औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सहकारी समितियों में राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पूंजी समुचित आय देगी और इस नियोजन से सरकार को कोई घाटा नहीं होगा। कमीशन ने यह भी माना है कि सरकार द्वारा दिये गये ऋण पर पूरा ब्याज मिलेगा और इस धनराशि पर ब्याज के चुकारे का कोई वजन सरकार पर नहीं पड़ेगा। राज्य का बकाया ऋण अनुत्पादक मान लिया गया है लेकिन इस पर ब्याज का प्रावधान वास्तविक देनदारी पर न रख कर यह मान लिया गया है कि ऐसे ऋण की मात्रा राज्य की वार्षिक आय के आधे से अधिक नहीं होगी। बजट के घाटे को पूरा करने हेतु लिये गये एडहॉक ऋण पर भी आयोग द्वारा कोई ब्याज स्वीकार नहीं किया गया है। भविष्य में लिये जाने वाले ऋण के बारे में आयोग यह मानकर चला है कि यह सब ऋण पूर्ण रूप से समुचित आय देने वाले कार्यों में ही नियोजित होगा और इसका बहुत ही थोड़ा भाग अनुत्पादक कार्यों में इस्तेमाल होगा। सैद्धान्तिक रूप से यह मान्यतायें कितनी ही सही हों परन्तु इनके परिणामस्वरूप हमारी ब्याज की देनदारी चौथी योजनाकाल में करीब 50 करोड़

(श्री मथुरादास माथुर)

से कम आँकी गई है। आयोग ने इस तथ्य को कतई नजरअन्दाज कर दिया कि राज्य को पिछले 18 सालों में योजना के लिये प्राप्त केन्द्रीय सहायता में अनुदान का अनुपात केवल 14 प्रतिशत रहा है जिसके कारण राज्य पर भारी व असंगत ऋण का भार पड़ा है। ब्याज का चुकारा एक अनिवार्य देनदारी है फिर भी आयोग ने इसका सही अनुमान न कर राज्य पर एक बड़ा बोझ छोड़ दिया है। तेजी से बढ़ती हुई कर्ज की देनदारी की समस्या केवल हमारे लिये ही नहीं अपितु देश के दूसरे कई राज्यों के लिये भी चिन्ता का विषय बन रही है। यदि हमारे जैसे राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना है तो यह आवश्यक है कि इस समस्या का ऊंचे स्तर पर पुनर्वीक्षण किया जावे और राज्यों की ऋण देयता कम करने के लिए यथार्थवादी एवं विवेकपूर्ण हल ढूंढे जायं।

13. आयोग के अवार्ड का परिणाम यह रहा है कि जब कि कुछ राज्यों को नॉन-प्लान राजस्व खाते में काफी मात्रा में अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हो गई है जो उनकी योजनाओं के आकार बढ़ाने के काम आयेगी, वहां हमें नॉन-प्लान राजस्व खाते में भारी घाटे का सामना करना पड़ेगा। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि आयोग के अवार्ड के बाद भी चौथी योजनाकाल में गैर योजना राजस्व खाते में 70 करोड़ के आस-पास घाटा रहेगा।

14. हमने और कई अन्य राज्यों ने वित्त आयोग से यह सिफारिश की थी कि कपड़े, तम्बाकू और शक्कर पर बिक्री कर के बजाय लगाये गये अतिरिक्त उत्पादक शुल्क हटा कर यह अधिकार वापिस राज्यों को सौंप दिया जाये। वित्त आयोग ने यह दलील सिद्धान्त रूप से स्वीकार करली है और हमने केन्द्र सरकार से यह हक राज्य को तुरन्त सौंपने की मांग की थी। केन्द्र सरकार ने यह सूचित किया है कि यह मसला राष्ट्रीय विकास परिषद् में पेश किया जायेगा। इन वस्तुओं पर राज्य सरकार को फिर से बिक्री कर लगाने के अधिकार मिलने पर राज्य को योजना के लिये अतिरिक्त साधन उपलब्ध हो सकेंगे।

संशोधित अनुमान 1969-70

15. अब मैं 1969-70 के संशोधित अनुमानों के बारे में चर्चा करूंगा। इस वित्तीय वर्ष के बजट के तखमीने और संशोधित अनुमानों का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	बजट तखमीने 1969-70	संशोधित अनुमान 1969-70
1. राजस्व खाते में प्राप्तियां	148.63	166.97
2. राजस्व खाते में होने वाला व्यय	174.34	221.04
3. पूंजी खाते में प्राप्तियां	128.13	358.56
4. पूंजी खाते का व्यय	120.04	332.65
कुल बजट का घाटा	—17.62	—28.16

(श्री मथुरादास माथुर)

16. बजट की स्थिति के सही विश्लेषण के लिये यह सुविधाजनक होगा कि हम योजना, अकाल राहत और शेष गैर योजना खातों में होने वाली प्राप्तियां और व्यय के सम्बन्ध में अलग अलग विचार करें। क्योंकि हम यह मान कर चले है कि योजना और अकाल राहत कार्यों के कारण बजट में कोई घाटा नहीं होगा। अकाल राहत कार्यों पर संशोधित अनुमानों के अनुसार 67 करोड़ रुपया खर्च होगा और हम मान कर चले हैं कि इतनी ही रकम हमें केन्द्रीय सहायता से प्राप्त होगी जो 23 करोड़ अनुदान और 44 करोड़ ऋण के रूप में होगी। संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य की योजना पर 53.47 करोड़ और केन्द्रीय संचालित योजनाओं पर 24.16 करोड़ रुपया खर्च होगा। इस प्रकार योजना पर जो कुल 77.63 करोड़ रुपया व्यय होगा उसकी वित्तीय व्यवस्था 66.64 करोड़ केन्द्रीय सहायता से 2.80 करोड़ राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त साधन जुटाने से और 8.07 करोड़ रुपया वित्तीय संस्थाओं से ऋण की प्राप्ति से होगी। वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त होने वाली 8.07 करोड़ की रकम में से बजट में केवल 1.00 करोड़ दिखाया गया है। बाकी 7.07 करोड़ रुपया राज्य विद्युत् बोर्ड और म्युनिसिपैलिटियों को सीधा प्राप्त होगा।

17. संशोधित अनुमानों में जो कुल 28.16 करोड़ का घाटा दिखाया गया वह बजट के योजना और अकाल राहत को छोड़ कर केवल गैर योजना मद में ही है। हमें आशा है कि केन्द्रीय सरकार जो विशेष सहायता जरूरतमंद राज्यों को देने का प्रस्ताव रखती है उसके अन्तर्गत हमारे बजट का यह घाटा भी पूरा हो जावेगा।

18. राजस्व खाते की प्राप्तियों में केवल पांचवे वित्त आयोग के अवार्ड के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि में बजट अनुमानों के मुकाबले संशोधित अनुमानों में 9.68 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके विपरीत भू-राजस्व (2.14 करोड़) शराबबन्दी के लिये केन्द्रीय अनुदान (0.70 करोड़) और जमीन की बिक्री (3.30 करोड़, मदों में विशेष कमी हुई है। राजस्व खाते के संशोधित अनुमानों में व्यय में बढ़ोतरी का मुख्य कारण यह है कि अकाल और बाढ़ सहायता पर अधिक खर्च करना पड़ा और बजट के 19 करोड़ के अनुमान के मुकाबले खर्च 62 करोड़ हुआ।

19. पूंजी खाते में हम यह मान कर चले थे कि 1968-69 के घाटे को पूरा करने के लिए उसी वर्ष 36 करोड़ का एडहॉक ऋण प्राप्त होगा और 1968-69 के संशोधित अनुमान भी इसी आधार पर बनाये गये थे। यह ऋण हमें 1968-69 में नहीं मिला बल्कि केन्द्रीय सरकार ने 30 जून, 1969 को उस समय तक के घाटे को पूरा करने के लिये 48 करोड़ का एडवांस दिया। इस प्राप्ति से इस वर्ष के बजट के तखमीनों और संशोधित अनुमानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया है। केन्द्रीय सरकार को ऋण के चुकारे के सम्बन्ध में अपने पिछले बजट भाषण में मैंने कहा था कि चूंकि ऋणों के चुकारे की किश्तों में परिवर्तन का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, इसीलिये बजट के तखमीनों में केन्द्र को ऋण की अदायगी के लिये केवल 20.73 करोड़ का प्रावधान किया गया है जब कि हमारी देनदारी 44.73 करोड़ की है। केन्द्रीय सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं किया है। अतः संशोधित

(श्री मथुरादास माथुर)

अनुमानों में केन्द्रीय सरकार को ऋण के चुकारे के लिए 18.07 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ा है। पूंजी खाते में बजट तखमीनों और संशोधित अनुमानों में दूसरा बड़ा अन्तर पंचायत समिति के ऋणों के मद में है जहां अकाल के कारण 4 करोड़ की गिरावट आई है। यहां मैं यह भी बताना उचित समझता हूं कि बजट और संशोधित अनुमानों में पूंजी खाते में प्राप्तियां और भुगतान, दोनों में ही जो बड़ा अन्तर दिखाई देता है वह अल्पकालीन ऋण (Floating debt) के अन्तर्गत लेन देन की वजह से है, जिसका प्राप्ति और भुगतान दोनों ही तरफ इन्द्राज किया जाता है।

बजट तखमीने 1970-71

20. **राजस्व खाते में प्राप्तियां:** अब मैं 1970-71 के बजट तखमीनों के खास खास मुद्दों का जिक्र करूंगा। राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 168.64 करोड़ है। मोटे तौर पर इन प्राप्तियों के तीन मुख्य हिस्से हैं – वित्त आयोग के अवार्ड के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि 44.76 करोड़, केन्द्र से मिलने वाले अनुदान 32.21 करोड़, और राज्य की खुद की कर व गैर कर आय 91.67 करोड़। केन्द्र से मिलने वाले अनुदान इस प्रकार हैं :— राज्य योजना के लिये 11.85 करोड़, केन्द्रीय संचालित योजनाओं के लिये 9.38 करोड़, अकाल सहायता के लिये 10.00 करोड़, नशाबन्दी के लिये 0.50 करोड़, और कुछ गैर योजना कार्यों के लिये 0.48 करोड़। 1969-70 के संशोधित अनुमानों के मुकाबले राजस्व प्राप्तियों में खास बढ़ोतरी इन कारणों से है :—फाइनेंस कमीशन के अवार्ड के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि 2.47 करोड़, भू-राजस्व 2.84 करोड़, सेल्स टैक्स 2.50 करोड़, विद्युत् बोर्ड से ब्याज की वसूली 1.12 करोड़ और भूमि के आवंटन से प्राप्ति 1.49 करोड़। उपरोक्त राजस्व प्राप्तियों के 168.64 करोड़ के अनुमान में केन्द्र द्वारा 1970-71 के बजट में लगाये गये नये करों से प्राप्त होने वाली आय शामिल नहीं हैं। यह अनुमान है कि केन्द्र के नये करों से सभी राज्यों को 45 करोड़ की अधिक प्राप्ति होगी जिसमें से हमारा हिस्सा लगभग 2.30 करोड़ होगा। इसके अलावा राज्य के सेल्स टैक्स में भी इनके परिणामस्वरूप 15.00 लाख की अधिक आमद होने का अनुमान है। इस प्रकार 1970-71 में कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 171.09 करोड़ है।

21. **राजस्व खाते में व्यय:** राजस्व खाते में व्यय का तखमीना 188.07 करोड़ है। इसमें से गैर योजना कार्यों पर 168.17 करोड़, राज्य की योजना पर 10.39 करोड़ और केन्द्र संचालित योजनाओं पर 9.51 करोड़ व्यय होने का अनुमान है। राजस्व खाते में 168.17 करोड़, गैर योजना व्यय में से ब्याज के चुकारे के लिये 31.32 करोड़ और अकाल राहत कार्यों के लिये 21.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। व्यय का एक और मुख्य मद शिक्षा है जिसमें 35.75 करोड़ का प्रावधान है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राज्य सरकार ने गैर योजना व्यय में कमी करने के लिये मितव्ययता सम्बन्धी जो कदम उठाये हैं उनसे 1970-71 में 1.93 करोड़ रुपये की बचत होने की सम्भावना है।

22. केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गये नये कर से प्राप्त होने वाली 2.45 करोड़ की धन राशि जोड़ने के बाद कुल

(श्री मथुरादास माथुर)

राजस्व प्राप्तियां 171.09 करोड़ हो जाती हैं। इसके मुकाबले में 188.07 करोड़ के व्यय का अनुमान है। इस प्रकार राजस्व खाता 16.98 करोड़ का घाटा दिखायेगा।

23 **पूंजी खाता मय पब्लिक अकाउण्ट:** पूंजी खाता, जिसमें पब्लिक अकाउण्ट भी शामिल है, उसमें 1970-71 में 95.27 करोड़ रुपये का भुगतान होने का अनुमान है। इस भुगतान के मुख्य मद ये हैं:—

(करोड़ रुपयों में)

1. सार्वजनिक ऋणों का चुकारा	2.90
2. केन्द्र से प्राप्त ऋणों का चुकारा	43 38
3. स्वायत्त संस्थाओं से प्राप्त ऋणों का चुकारा	0.70
4. जागीर बांडों का चुकारा—	1.50
5. पूंजी खाते में व्यय	
(क) योजना	25.42
(ख) गैर योजना	(—) 0.44
6. राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम संवितरण —	
(क) योजना	14.30
(ख) गैर योजना	7.51
कुल	95.27

24. इसके मुकाबले पूंजी खाते में प्राप्तियां 79.28 करोड़ की होंगी, जो इस प्रकार हैं:—

(करोड़ रुपयों में)

1. सार्वजनिक ऋण	8 00
2. केन्द्रीय सरकार से ऋण	
(क) योजना	28.70
(ख) गैर योजना (अकाल सहायता के अलावा)	1.60
(ग) अकाल सहायता	16.00
3. स्वायत्त संस्थाओं से ऋण (योजना व्यय के लिये)	1.00
4. अल्प बचत में राज्य का हिस्सा	2.50
5. ऋण व अग्रिम की वसूली	9 02
6. जारी किये जाने वाले जागीर बांड	0.55
7. पब्लिक अकाउण्ट में शुद्ध प्राप्ति	11.91
कुल	79 28

25. इस प्रकार 1970-71 में पूंजी खाता जिसमें पब्लिक अकाउन्ट शामिल है, कुल 15.99 करोड़ का घाटा दिखाता है। राजस्व खाते में अनुमानित 16.98 करोड़ रुपये के घाटे को सम्मिलित करने पर 1969-70 के कर स्तर के आधार पर 1970-71 में कुल 32.97 करोड़ का घाटा रहने का अनुमान है। यहां यह बता देना आवश्यक है कि अकाल सहायता के लिये बजट में 26 करोड़ रुपये के व्यय का

(श्री मथुरादास माथुर)

प्रावधान किया गया है जिसे 10.00 करोड़ अनुदान और 16 करोड़ ऋण केन्द्रीय सहायता से पूरा किया जायेगा। इसी प्रकार राज्य की योजना के लिये जो कुल धनराशि 56.23 करोड़ रखी गयी है उसके संबंध में हम मान कर चले हैं कि इसकी पूरी वित्तीय व्यवस्था इस प्रकार हो जायेगी:—

1. केन्द्रीय सहायता 39.94 करोड़

2. वित्तीय संस्थाओं से ऋण 7.32 करोड़

3. अतिरिक्त साधन जुटाने से, जिस में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से आय शामिल है 8.97 करोड़

यहां यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि वित्तीय संस्थाओं से जो 7.32 करोड़ की धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है उसमें से बजट में केवल एक करोड़ ही दिखाया गया है क्योंकि शेष 6.32 करोड़ रुपया सीधा म्युनिसिपैलिटियों और राज्य विद्युत बोर्ड को प्राप्त होगा।

केन्द्रीय संचालित योजनाओं के लिये 10.18 करोड़ का व्यय केन्द्रीय सरकार से उतनी ही सहायता मिलने से पूरा हो जायेगा। इसलिये अकाल सहायता, राज्य की योजना और केन्द्र संचालित योजनाओं पर होने वाले व्यय के कारण बजट में कोई घाटा होने की संभावना नहीं है। बजट का पूरा घाटा इस प्रकार केवल गैरयोजना मद में है। इस घाटे का मुख्य कारण यह है कि फाइनेन्स कमीशन के अवार्ड के फलस्वरूप राज्य को जितनी धनराशि प्राप्त हुई है वह राज्य की गैरयोजना व्यय की न्यूनतम जरूरत पूरा करने के लिये भी नाकाफी है और राज्य पर ऋण व ब्याज के चुकारे की अत्यधिक देनदारी है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है जरूरतमंद राज्यों को केन्द्रीय सरकार समुचित सहायता प्रदान करेगी ताकि वे अपने अतिरिक्त वित्तीय साधनों का उपयोग योजनाओं के खर्च के लिये कर सकें — बशर्ते वे अपने बजट का घाटा केन्द्र द्वारा आंके गये घाटे के स्तर तक ही सीमित रक्खें। इसलिये उम्मीद है कि विशेष केन्द्रीय सहायता से राज्य के गैर योजना मद के घाटे को पूरा करना संभव हो जायेगा।

26. **सामाजिक व आर्थिक नीति** लोकतांत्रिक समाजवाद में हमारा दृढ़ विश्वास है मगर आजकल इसके मायने इतने हो गये हैं कि कभी कभी उसके मूलभूत सिद्धांत ही धुंधले नजर आते हैं। समाजवाद हमारे लिये कोई कट्टर पथ नहीं है और न हम उसके अन्धानुकरण करने के हामी है। समाजवाद एक जिंदा व गतिशील विचारधारा है जिसे हर राष्ट्र को अपनी विशिष्टता और संस्कृति के अनुरूप ढालना है। दरअसल समाजवाद का सार यही है कि प्रगति का मापदंड व्यक्तिगत मुनाफा न होकर सामाजिक लाभ हो और समाज का अर्थ व्यवस्था पर ऐसा नियन्त्रण रहे कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिये आय-अवास का शोषण न कर सकें। समाजवाद में यह भी आवश्यक है कि राष्ट्रीय सम्पत्ति में तेजी से वृद्धि के साथ साथ उसके उचित व न्यायसंगत वितरण की भी व्यवस्था हो और सम्पत्ति व आय की असमानता व आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण में उत्तरोत्तर कमी की जाये। इससे यह साफ जाहिर है कि समाज के गरीब व पिछड़े हुए

(श्री मथुरादास माथुर)

तबके को ऊपर उठाना और उसके आर्थिक स्तर में सुधार लाना समाजवाद का आवश्यक अंग है। समाजवाद का परम उद्देश्य यही है कि एक ऐसी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की जाये जिसमें समाज के सभी वर्गों को न्यूनतम जीवनस्तर और उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों इन उद्देश्यों को हमें अपनी लोकतांत्रिक मान्यताओं का परित्याग किये बिना हासिल करना है।

27. निश्चिततौर पर आजादी के बाद हम इस मंजिल की ओर आगे बढ़े हैं परन्तु इस में जनता की आकांक्षाओं और आशाओं के अनुरूप प्रगति नहीं हुई है। हमें यह मान कर चलना होगा कि विकास के फलस्वरूप प्राप्त लाभों में अपना जायज हक पाने के लिये समाज के गरीब और निचले तबके के लोग अनिश्चित काल तक इन्तजार नहीं कर सकते। हमारी राजनीतिक व्यवस्था की सफलता बहुत कुछ इस पर मुनस्सर है कि हम कितनी तेजी से सामाजिक व आर्थिक तब्दीली ला सकते हैं। हाल ही में देश में समाजवाद के लिये नये उत्साह की लहर दिखाई दी है। इस उत्साह को राष्ट्र के विकास में सफलता-पूर्वक इस्तेमाल करना ही राजनीतिक नेताओं की काबलियत की कसौटी होगी। वरना देशवासी निरुत्साह हो जायेंगे और हमारी सब मान्यतायें खतरे में पड़ जायेंगी। समाजवाद की तरफ तेजी से और लगातार तरक्की अब सिर्फ दिमागी ऐय्यासी ही नहीं बल्कि मुल्क को जिन्दा रखने के लिये जरूरी और अहम् शर्त बन गयी है।

28. मुख्यत: आर्थिक नीति का नियन्त्रण और निर्धारण केन्द्रीय सरकार करती है और बड़े व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण और नयी औद्योगिक नीति का हम हार्दिक स्वागत करते हैं जो हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है। हमें आशा है कि केन्द्रीय सरकार जनरल इन्श्योरेंस का राष्ट्रीयकरण, शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारण और आयात-निर्यात व्यापार को सार्वजनिक क्षेत्र के नीचे अधिकाधिक मात्रा में लाने जैसे अन्य कदम शीघ्र उठायेगी। इस संदर्भ में हम यह बात पुरजोर शब्दों में कहना चाहेंगे कि यदि सम्पत्ति के सम्बन्ध में संविधान में दिये गये। मौलिक अधिकारों के कारण हमारी आर्थिक नीति के अमल में प्रगतिशील कदम उठाने में रुकावट आती है, तो केन्द्रीय सरकार को समाज के व्यापक हितों में इस अधिकार को समाप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने में नहीं हिचकिचाना चाहिये।

29. परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि भूमि सुधारों के क्षेत्र में राज्यों की खास जिम्मेदारी है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि राज्य सरकार ने बिचौलियों को खत्म करके जमीन जोतने वालों को निःशुल्क भूमि पर खातेदारी हक देने में पहल की थी। राज्य सरकार सीलिंग कानून को पूर्णरूप से लागू करने के अपने निश्चय की घोषणा कर चुकी है कि और इसके पुरअसर अमल के लिये इस कानून में दी गयी कुछ छूट को भी समाप्त कर दिया गया है। यह भी घोषणा की जा चुकी है कि भविष्य में सिंचाई परियोजनाओं में भूमि की नीलामी नहीं की जायेगी और यह सारी भूमि निर्धारित मूल्य पर आवंटन के लिये सुरक्षित रखी जायेगी जिस में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को प्राथमिकता मिलेगी। राज्य सरकार की यह भी नीति रही है कि गैर-काबिज

(श्री मथुरादास माथुर)

सरकारी भूमि का भूमिहीन किसानों में आवंटन किया जाय। 1 जनवरी, 1967 से 31 जून, 1969 तक 6.50 लाख एकड़ भूमि 93 हजार भूमिहीन किसानों को एलॉट की गयी। इसमें से 2.60 लाख एकड़ जमीन 42 हजार अनुसूचित जाति और जनजाति के भूमिहीन लोगों को बांटी गयी। गांधी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में राज्य सरकार ने तय किया कि इस फसली साल में भूमि केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में ही बांटी जाये। इस फैसले के फलस्वरूप 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 1969 तक इन जनजातियों के लोगों में 11500 एकड़ भूमि एलॉट की गयी है। यहां मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि भूमि सुधारों को तेजी से लागू करने के लिये हम वचनबद्ध हैं और राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर तबके के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कोई कसर उठा नहीं रक्खेगी।

30. **चतुर्थ वर्षीय योजना:** मैंने अपने पिछले बजट भाषण में उन कारणों पर प्रकाश डाला था जिन से चौथी पांच साला योजना को अंतिम रूप देने में देरी हुई। चौथी पांच साल योजना के मसविदे में, जो नवम्बर, 1968 में राष्ट्रीय विकास परिषद् और संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था, राजस्थान के लिये 239 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गयी थी। इस धनराशि में 220 करोड़ केन्द्रीय सहायता और 19 करोड़ संस्थात्मक साधन सम्मिलित थे। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में हमने यह स्पष्ट राय प्रकट की थी कि इस आकार की योजना हमें कतई मान्य नहीं है और यह मांग की थी कि चौथी योजना के मसविदे पर देश के पिछड़े राज्यों में विकास की गति तीव्र करने की दृष्टि से पुनर्विचार किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में यह मंजूर किया गया कि पांचवें वित्तीय आयोग की सिफारिशों के बाद राज्यों की योजनाओं पर पुनर्विचार किया जायेगा। राज्य सरकार ने पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप वित्तीय साधनों पर विचार करके और संस्थात्मक स्रोतों से अधिक साधनों की उपलब्धि-खासतौर पर व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण को ध्यान में रखकर योजना आयोग के सम्मुख 316 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तुत की, जिसके लिये वित्तीय साधन इस प्रकार अनुमानित किये गये:—

(करोड़ रुपयों में)

1.	केन्द्रीय सहायता	220.00
2.	संस्थात्मक वित्तीय एजेन्सियों से	46.00
3.	राज्य द्वारा अतिरिक्त साधन जुटाने से	50.00
	कुल	316.00

31. यहां यह बताना अनुपयुक्त नहीं होगा कि राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच में मुख्यत: इस बात पर मतभेद था कि अतिरिक्त साधन जुटाने से होने वाली आय को किस प्रकार खर्च किया जाये। योजना आयोग की यह राय थी कि साधारण बजट में घाटे को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त साधनों से होने वाली

(श्री मथुरादास माथुर)

आय को योजना में खर्च नहीं किया जाना चाहिये। उधर राज्य सरकार की यह पक्की राय थी कि गैर-योजना साधनों में जो कमी रह जाती है उसे केन्द्र सरकार विशेष सहायता से पूरा करे और चौथी योजना में अतिरिक्त साधनों के जुटाने से जो आय हो उसे विकास के कार्यों में खर्च करने की अनुमति दी जाये। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि सिद्धांततः योजना आयोग ने हमारी दलील मानली है कि अतिरिक्त साधनों से जितनी आय होगी उस पूरी धनराशि को चौथी योजना के लिये साधनों के रूप में मान लिया जायेगा। अब भी संस्थात्मक स्रोतों में प्राप्त होने वाले साधनों की मात्रा के बारे में कुछ मतभेद है और राज्य सरकार और योजना आयोग के तखमीनों में 14 करोड़ का अन्तर है। इस प्रकार योजना आयोग की राय में राजस्थान की चौथी पांच साल योजना 302 करोड़ रुपये की होनी चाहिये। हम इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं कि संस्थात्मक एजेन्सियों से अधिक मात्रा में साधन राज्य को उपलब्ध हो सकें और चौथी योजना के आकार और स्वरूप पर अन्तिम निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद् की अगली बैठक के बाद लिये जाने की सम्भावना है। राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को सदन के सामने प्रस्तुत करने में जो देरी हो रही है, उसका मुझे खेद है। परन्तु माननीय सदस्य यह मानेंगे कि यह विलम्ब ऐसी परिस्थितियों के कारण हुआ है जिन पर हमारा कोई वंश नहीं है और योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित 239 करोड़ की योजना को मंजूर कर लेना राज्य के व्यापक हितों के विपरीत होता। चौथी योजना के आकार में वृद्धि के फलस्वरूप हम राज्य में विकास की गति को और तेज कर सकेंगे और राज्य की आवश्यक समस्याओं को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

32. **वार्षिक योजना :** 1969-70 माननीय सदस्यों को याद होगा कि 1969-70 की वार्षिक योजना के लिये आरम्भ में 44.10 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई थी। बाद में मैंने अपने बजट भाषण में अतिरिक्त साधन जुटाकर 5.50 करोड़ और इकट्ठा करने का प्रस्ताव किया था। इस प्रकार योजना का आकार बढ़ा कर 49.60 करोड़ कर दिया गया था। बजट की बहस के दौरान करों में कुछ राहत की घोषणा कर देने से इस वर्ष अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रयत्नों से 2.80 करोड़ की आय का ही अनुमान है।

संस्थात्मक वित्तीय एजेन्सियों से प्राप्त होने वाली धनराशि के तखमीनों में भी कुछ परिवर्तन हुआ है। शहरी जलप्रदाय योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम ने पूर्व तखमीने 1.10 करोड़ के मुकाबले 1.32 करोड का ऋण स्वीकृत किया। इसी प्रकार इस संस्था द्वारा भवन निर्माण और भूमि अवाप्ति और विकास के लिये राज्य सरकार के बजट तखमीने में दिखाये गये 90 लाख रुपये के मुकाबले 80 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया।

33. राज्य योजना के प्रावधान में मुख्यत: दो कारणों से वृद्धि हुई है। बजट के तखमीने तैयार करते समय राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा अतिरिक्त साधन जुटाने का

(मथुरादास माथुर)

अनुमान 3 करोड़ रुपया था। परन्तु अब इससे 5.75 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। यह इसलिये सम्भव हो सकेगा क्योंकि इस वर्ष बोर्ड खुले बाजार में 4 करोड़ रुपये का ऋण जुटाने में समर्थ हुआ है। विद्युत क्षेत्र में अधिक साधन उपलब्ध होने से देहाती क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम में तेजी लायी गयी है और 4000 कुओं पर बिजली पहुंचाने के पूर्व निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले में अब इस वर्ष के अन्त तक 7000 कुओं पर बिजली के कनेक्शन दे दिये जायेंगे। योजना की धनराशि में बढ़ोतरी का दूसरा कारण प्रधान मन्त्री द्वारा राजस्थान नहर और लघु सिंचाई कार्यों के लिये 3.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने की विशेष व्यवस्था है। प्रधान मन्त्री द्वारा विशेष सहायता प्रदान करने के परिणामस्वरूप राजस्थान नहर का प्रावधान बढ़ कर 8 करोड़ हो गया और लघु सिंचाई कार्यों पर 159 लाख रुपये के मुकाबले 240 लाख रु० व्यय किये जायेंगे। हम प्रधान मन्त्री के अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने राजस्थान की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार…

श्री रामकिशन (वैर) : प्रधान मन्त्री के क्यों ?

श्री मथुरादास : किया और हमारी सहायता की। हम आशा करते है कि राजस्थान नहर …

श्री रामकिशन : प्रधान मन्त्री सहायता दे रही है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : परियोजना का राज्य और देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये महत्व को देखते हुए चौथी योजना के बाकी वर्षों में भी इस परियोजना को केन्द्र द्वारा विशेष सहायता मिलती रहेगी।

34. योजना के साधनों में उपरोक्त परिवर्तन के फलस्वरूप 1969-70 की योजना की धनराशि अब 49.60 करोड़ से बढ़ कर 53.47 करोड़ रुपये हो गई। वार्षिक योजना पर खर्च भी लगभग इतना ही होने का अनुमान है।

35. **सालाना योजना** : 1970-71 अब जब चौथी पांच साला योजना के साधनों की तस्वीर हमारे सामने अपेक्षाकृत स्पष्ट हो गयी है, यह आवश्यक हो गया है कि आने वाले वर्ष में हम विकास की रफ्तार को और तेज करें जिससे कि चौथी पांच साला योजना के लिये निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में आगे बढ़ सकें। 1970-71 की सालाना योजना को चौथी पांच साला योजना की प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस बात की भी कोशिश की गयी है कि लोगों की ज्यादा जरूरी मांगों की पूर्ति करने वाले कार्यक्रमों पर अमल किया जाये। 1970-71 की सालाना योजना के लिये 56.23 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गयी है, जो इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

1.	केन्द्रीय सहायता	39.94
2.	वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अन्तर्गत खाद्यान्नों की बिक्री से प्राप्त आय जो राजस्थान कैनाल क्षेत्र के विकास के काम में लायी जायेगी	0.46

(श्री मथुरादास माथुर)

3. सहकारी समितियों को हिस्सा पूंजी के लिये रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से प्राप्त होने वाला ऋण	0.20
4. गृह-निर्माण व भूमि अवाप्ति और विकास की स्कीमों के लिये लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन से प्राप्त होने वाला ऋण	0.80
5. शहरी जल-प्रदाय योजनाओं के लिये लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन से प्राप्त होने वाला ऋण	1.32
6. राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा खुले बाजार व लाइफ इन्श्योरेन्स कोरपोरेशन से प्राप्त होने वाला ऋण	5.00
7. राज्य सरकार का अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रयत्नों से योगदान	8.51
कुल	56.23

बजट दस्तावेज में वार्षिक योजना पर धनराशि 55.90 करोड़ ही दिखाई गई है परन्तु इसको पुनर्विचार के बाद बढ़ा कर 56.23 करोड़ कर दिया गया है।

36. कृषि के क्षेत्र में, जिन इलाकों में सिंचाई की सुनिश्चित सुविधाएं प्राप्त हैं और वर्षा नियमित होती है वहां उत्पादन बढ़ाने के विशेष प्रयत्न जारी रखे जायेंगे और सवाई माधोपुर, टोंक और बूंदी जहां कृषि उत्पादन की अच्छी सम्भावनाएं हैं, इन जिलों को सघन कृषि क्षेत्र प्रोग्राम के नीचे लाया जायेगा। हमारे राज्य के खाद्यान्नों की अधिक पैदावार देने वाली फसलों के प्रति किसानों ने बहुत दिलचस्पी दिखलाई है—खासतौर से हाइब्रीड बाजरा और मैक्सिकन गेहूं में। अतः अगले वर्ष इन प्रोग्रामों के अन्तर्गत अधिक से अधिक क्षेत्र लाने और किसानों की बढ़ती हुई मांग के अनुसार बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिये हम खास प्रयत्न करेंगे। अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र इस वर्ष 5.20 लाख हैक्टर से बढ़ कर 1970-71 में 6.32 लाख हैक्टर हो जायेगा। इसी प्रकार अधिक उपज देने वाले बीजों का वितरण भी 1969-70 में 2.53 लाख क्विंटल से बढ़ कर 1970-71 में 3.38 लाख क्विंटल हो जाने की आशा है। अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ जाने से स्वाभाविकतौर पर रासायनिक खाद की मांग बढ़ेगी। इस वर्ष रासायनिक खाद का सम्भावित वितरण लगभग 2.12 लाख टन होगा, वह बढ़कर अगले वर्ष में 3.33 लाख टन हो जाने की सम्भावना है। पौध संरक्षण कार्य-क्रम भी बड़े पैमाने पर हाथ में लिया जायेगा। भू-संरक्षण संगठन के साल के अधिकांश भाग में अकाल सहायता कार्यों में लगे रहने की सम्भावना है। योजना में लगभग 40,000 हैक्टर इलाके में भू-संरक्षण कार्य किया जायेगा—जो अकाल सहायता कार्य के अन्तर्गत होने वाले कार्य के अलावा है। इन सब प्रयत्नों और सिंचाई की सुविधा में विस्तार होने के फलस्वरूप आशा है कि 1970-71 में करीब 1.86 लाख अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन करने की क्षमता बढ़ाई जा सकेगी।

(श्री मथुरादास माथुर)

37. कृषि विभाग के अनुसंधान संगठन को अपने कार्य में कुछ विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। आर. एस. 31-1 गेहूं जो इस विभाग द्वारा पैदा किया है-सूखे का मुकाबला करने वाली गेहूं की किस्मों में सबसे अच्छा साबित हुआ है और पश्चिमी राजस्थान के लिये यह खासतौर पर उपयोगी है। इस संगठन ने लालबहादुर नामक गेहूं के बीज की एक ट्रिपिल ड्वार्फ किस्म अभी पैदा की है जिसे इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने राजस्थान में वितरण के लिये स्वीकृत किया है। दुर्गापुरा में जौ की एक नयी ड्वार्फ किस्म पैदा की गई है जिसे भी उत्साहवर्द्धक सफलता मिली है। इसके अलावा हाल ही में बारानी क्षेत्रों में बोने के लिये आर. एस. 6 नामक जौ का बीज भी तैयार किया गया है। आगामी वर्ष में सूखे की स्थिति में भी पैदावार देने वाली किस्में (drought resistant varieties) पैदा करने पर जोर दिया जायेगा जिन से ही राजस्थान जैसे राज्य में कृषि उत्पादन को कुछ स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। उदयपुर विश्वविद्यालय को भी सलाह दी गयी है कि बारानी काश्त की समस्याओं व ऐसे बीजों के अनुसंधान पर कार्य आरम्भ करे जिससे सूखे की स्थिति में भी कृषि उत्पादन में गिरावट न आवे।

38. भूमि सुधारों को जल्दी से कार्यान्वित करने और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाली ऋण सुविधाओं का भरपूर उपयोग करने के लिये भू-अभिलेख को ठीक हालत में रखना बहुत जरूरी है। सालाना योजना में भू-अभिलेख और गांवों के नक्शों को आधुनिकतम बनाने के लिये अतिरिक्त स्टाफ रखने का प्रावधान किया जा रहा है।

39. हमारा यह सतत प्रयत्न रहा है कि कृषि विकास के कार्यों और खासतौर पर लघु सिंचाई कार्यों को गति देने के लिये संस्थात्मक श्रोतों से अधिकाधिक साधन जुटाये जायें। इस कार्य के लिये एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कोरपोरेशन की सहायता से सुनिश्चित भूतल जल वाले क्षेत्रों में, सघन विकास योजनायें तैयार की जा रही हैं और उन पर अमल किया जा रहा है। एग्रीकल्चर रिफाईनेंस कोरपोरेशन द्वारा ऐसी चार स्कीमें:- कोटा जिले में सांगोद, भरतपुर जिले में नदबई, जयपुर जिले में गोविन्दगढ़ और अलवर जिले में कठूमर स्वीकृत हो चुकी है। और उन पर अमल शुरू किया जा चुका है। जयपुर जिले में सांभर और शाहपुरा, टोंक, भरतपुर जिले में राजाखेड़ा, अलवर में रामगढ़, उदयपुर जिले में रेल मगरा, झुंझुनूं व सीकर जिलों में नीमकाथाना, उदयपुरवाटी और खण्डेला में सघन विकास कार्यक्रमों की स्कीमें बना कर एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कोरपोरेशन को भेजी जा चुकी है और उन पर जल्दी ही स्वीकृति मिल जाने की सम्भावना हैं। एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कोरपोरेशन ने पशुपालन और मंडियों के विकास के कार्य के प्रति भी अपना रूझान दिखाया है। ऐसी कई स्कीमें तैयार की जा रही है और आशा है कि अगले वर्ष में उन पर अमल शुरू हो जायेगा। इस संस्था के सहयोग से कोटा जिले की इटावा पंचायत समिति में जमीन को समतल करने की एक योजना का क्रियान्वयन जारी है। सिंचाई के लिये उपलब्ध पानी का समुचित उपयोग की दृष्टि से जमीन को समतल बनाने का काम काफी महत्वपूर्ण है और इसको मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार की कई योजनाएं बड़ी सिंचाई परियोजनाओं

(श्री मथुरादास माथुर)

के कमाण्ड क्षेत्र में चालू करने का सरकार का इरादा है। कोटा जिले की इटावा पंचायत समिति की एक और स्कीम और कोटा जिले में ही सुलतानपुर, लाडपुरा, अन्ता तथा बूंदी जिले की तालेड़ा और केशोरायपाटन और गंगानगर जिले में हनुमानगढ़ की स्कीमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इन्हें शीघ्र ही एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कोरपोरेशन के पास स्वीकृति के लिये भेज दिया जायेगा। एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कोरपोरेशन के अलावा इन स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिये हम व्यावसायिक बैंकों और एग्रीकल्चर फाइनेंस कोरपोरेशन के जरिये भी सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इन विशेष क्षेत्रों की स्कीमों पर राज्य के हिस्से के रूप में सालाना योजना में 30 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

40. **व्यावसायिक बैंक:** सामाजिक नियंत्रण स्कीम के अन्तर्गत ही व्यावसायिक बैंकों के ऋण देने के कार्यक्रम में समन्वय लाने में राज्य सरकार ने पहल की थी। पिछली जुलाई में बड़े व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से किसानों, छोटे कारोबार करने वालों और सभी प्रकार के स्वयं अपना रोजगार चलाने वालों के लिये सुविधाएं मिलने का नया मार्ग खुल गया है। इस सुविधा से अधिकाधिक फायदा उठाने के लिये सरकार बराबर प्रयत्न कर रही है। हम व्यावसायिक बैंकों के प्रतिनिधियों से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं जिससे कि ऋण की दरख्वास्तों की जांच-पड़ताल करने का कार्य समान और सरल हो सके। राजस्व अधिकारियों और पंचायत समितियों के कर्मचारियों को हिदायत दे दी गई है कि वे इस कार्य में पूरा सहयोग दें ताकि जरूरतमंद किसानों को ऋण की सुविधाएं समय पर बगैर दिक्कत के मिलती रहें। राज्य सरकार की छोटे किसानों को ऋण की अधिकाधिक सुविधाएं दिलाने की नीति के अनुसरण में यह निर्णय लिया जा चुका है कि उन किसानों के लिये जिन की जोत 5 एकड़ सिंचित और 15 एकड़ असिंचित तक है, राज्य सरकार ऋण की पूरी गारंटी देगी। यह गारंटी जिलाधीशों और विकास अधिकारियों की सिफारिशों पर दी जायेगी। और फिलहाल इसकी अधिकतम सीमा 7 करोड़ रुपये निश्चित की गई है।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज सदन की अनुमति से बजट संबंधी कार्यवाही समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री मथुरादास माथुर : 41 बैंकों द्वारा अभी तक मध्यम और अल्प अवधि के 5.50 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ऋण कार्यक्रम चलाने हेतु बैंकों द्वारा संगठन को सुदृढ़ करने और नई शाखायें खोलने के जो प्रयत्न किये जा रहे हैं उनके फलस्वरूप भविष्य में कृषि के लिये ऋण सुविधाओं में काफी वृद्धि होगी। मैं आशा करता हूं, अगले वर्ष किसानों को बैंकों से लगभग 10 करोड़ रुपया ऋण के रूप में मिल सकेगी। आप मानेंगे कि यदि बैंकों की ऋण नीति में परिवर्तन नहीं किया जाता तो कृषि कार्यों के लिये ऋण की व्यवस्था राज्य सरकार की योजना के साधनों में से करनी पड़ती। ऐसी हालत में यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि बैंकों से प्राप्त साधन असल में योजना के कार्यों के पूरक हैं और इनकी उपलब्धि के कारण

(श्री मथुरादास माथुर)

राज्य सरकार द्वारा अन्य कार्यक्रमों पर अधिक खर्च करना संभव हो सकेगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इस के परिणामस्वरूप ऋण नीति में परिवर्तन एक ऐसा महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है जो आगे चल कर सारी कृषि अर्थ व्यवस्था की कायापलट कर देगा। राष्ट्रीयकृत बैंक न केवल खेती के लिए आवश्यक ऋण की सुविधाएं मुहैय्या करेंगे बल्कि देहाती क्षेत्रों में किसानों की बढ़ती हुई बचत को आकर्षित कर उसे फिर से अर्थ-व्यवस्था में पुनः नियोजित करेंगे।

42. **लघु सिंचाई:** हम ने अपने राज्य में छोटे सिंचाई कार्यों के लिए दीर्घ और मध्यम-कालीन ऋण मुहैय्या करने का सारा कार्य भू-विकास बैंकों को सौंप रखा है। अगले वर्ष हमने 43 लाख रुपयों के डिबेन्चर्स खरीदने के लिये धनराशि का प्रावधान किया है जिससे 3 करोड़ रुपयों तक का ऋण देने का कार्यक्रम सम्पन्न किया जा सकेगा। इस साल राजस्थान ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को अधिक साज सज्जा से सुदृढ़ बनाया गया है जिस से अगले वर्ष किसानों की कुओं को खोदने और गहरा करने की मांग पूरी की जा सके। राजाखेड़ा क्षेत्र में राजकीय ट्यूब वैल निर्माण करने के लिए 11 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है। 1970-71 में सिंचाई विभाग की स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिये 135 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है। 51 चालू लघु सिंचाई स्कीमों के अलावा 47 नई स्कीमों पर काम शुरू किया जायगा विशेषतः उन इलाकों में जो इस वर्ष सूखे से प्रभावित नहीं हैं। अकालग्रस्त क्षेत्रों में अकाल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर नई लघु सिंचाई स्कीमों को हाथ में लिया जा चुका है।

43. **एग्रो-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन:** केन्द्रीय और राज्य सरकार के साझे में अगस्त 1969 को एक एग्रो-इन्डस्ट्रीज कोरपोरेशन की स्थापना की गई थी। इस कोरपोरेशन ने राज्य के एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग बोर्ड के कार्य को अपने हाथ में ले लिया। इस संस्था ने 6 महीनों के थोड़े से समय में ही महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक इस कोरपोरेशन द्वारा 500 ट्रैक्टरों तथा ट्रैक्टर से चलाये जाने वाले 800 औजार बांट दिये जायेंगे और 500 एकड़ जमीन को समतल कर दिया जायेगा। कृषि कार्यों का अधिकाधिक यंत्रीकरण होने के कारण किसानों की बढ़ती हुई मांग को पूरी करने के उद्देश्य से कोरपोरेशन ने अगले वर्ष के लिये एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है। कोरपोरेशन को उम्मीद है, अगले वर्ष वह 1000 ट्रैक्टर, 2000 सुधरे हुए कृषि यंत्र बांट सकेगा और 4500 एकड़ भूमि को समतल बनाया जा सकेगा। कोरपोरेशन किराये पर मशीन देने के नये केन्द्र स्थापित करने और बिक्री के पश्चात् कृषि यंत्रों की सर्विस करने और उनकी मरम्मत की सुविधाएं बढ़ाने का इरादा रखता है। फ्रांस की रेनाल्ट (Renault) कम्पनी के सहयोग से जोधपुर में 46 होर्स पावर ट्रैक्टर का कारखाना कायम करने के लिए कोरपोरेशन बातचीत कर रहा है और उम्मीद है कि अगले वर्ष तक इस संबंध में सारी प्रारम्भिक कार्यवाही पूरी कर ली जायगी। 1970-71 की सालाना योजना में कोरपोरेशन को अतिरिक्त हिस्सा पूंजी के लिए 10 लाख का प्रावधान किया गया है ताकि अगले वर्ष कोरपोरेशन अपनी गतिविधियां और अधिक बढ़ा सके।

(श्री मथुरादास माथुर)

44. **डेयरी:** जोधपुर डेयरी निर्माण का कार्य संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है और अगले वर्ष दूध सप्लाई करने की पायलाट स्कीम चालू हो जाने की आशा है। उदयपुर यूनिवर्सिटी द्वारा उदयपुर शहर में दूध सप्लाई स्कीम चल रही है और इससे वहां के निवासियों को काफी सुविधा प्राप्त हुई है। इस स्कीम को और दृढ़ बनाने का प्रस्ताव है ताकि इस बढ़ते हुए शहर की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस कार्य के लिए 5 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

45. **सहकारिता:** राज्य में कृषि के विकास में एक बड़ी रुकावट इस वजह से है कि यहां सहकारी आन्दोलन अपेक्षाकृत कमजोर है और वह कृषि के तकनीकी सुधार के लिये आवश्यक ऋण की सुविधा मुहैय्या करने का पूरा प्रबन्ध नहीं कर पा रहा है। प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों का पुनर्गठित और सजीव बनाने का काम इस वर्ष पूरा हो गया है। इसके अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। अल्प और मध्यम-कालीन ऋण की मिकदार 1967-68 में 9 करोड़ से बढ़ कर 1969-70 में 16 करोड़ हो गई। अगले वर्ष 18 करोड़ रुपये के ऐसे ऋण बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह भी प्रस्ताव है कि कमजोर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंकों को सहायता देकर उन्हें फिर से मजबूत बनाया जाय और कुछ सैण्ट्रल कोआपरेटिव बैंकों की नई शाखायें खोली जायें ताकि किसानों को आसानी से और पास ही ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। इसके अलावा एग्रीकल्चरल रिफाइनेन्स कोरपोरेशन की मदद से 23 ग्रामीण गोदामों के निर्माण किये जाने की संभावना है।

46. मैंने अपने पिछले बजट भाषण में राज्य में एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोरपोरेशन कायम करने का जिक्र किया था ताकि सहकारी संस्थाओं के साधनों की कमी को पूरा किया जा सके। व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप इस स्रोत से काफी मात्रा में ऋण के लिये धन मुहैय्या हो जाने के कारण बाद में यह सोचा गया कि इस नयी संस्था की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है, विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जब कि उससे सहकारी आन्दोलन को भी थोड़ा धक्का लगने की आशंका है। अतः एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोरपोरेशन के गठन का प्रस्ताव मुलतवी कर दिया गया है।

47. **सिंचाई:** राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिये अगले वर्ष में 6 करोड़ रुपये रखने का प्रस्ताव है। इस धनराशि से कैनाल के प्रथम चरण और लिफ्ट सिंचाई स्कीम पर कार्य को आगे बढ़ाया जा सकेगा। राज्य की अर्थ-व्यवस्था में इस प्रोजेक्ट के महत्व-पूर्ण स्थान और बार-बार अकाल से प्रभावित क्षेत्र को स्थायी राहत देने में इसके योगदान को देखते हुए जो प्रावधान किया गया है वह निश्चित तौर पर नाकाफी है। परन्तु राज्य के सीमित साधनों को देखते हुए इस परियोजना के लिये इससे अधिक धनराशि का प्रावधान किया जाना संभव नहीं हो सका—खास तौर से इस कारण कि व्यास परियोजना के लिये अभी राज्य पर भारी जिम्मेदारी है और केवल वर्ष 1970-71 में इस परियोजना के लिये 12.45 करोड़ की आवश्यकता है। हमें पूरी आशा है कि राजस्थान नहर के राष्ट्रीय दृष्टिकोण

(श्री मथुरादास माथुर)

से महत्व को देखते हुए केन्द्र सरकार इस वर्ष की भांति अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी।

48. तीसरी योजना की सभी मध्यम सिचाई योजनाओं पर सिवाय कालीसिंध और मेजा के, अगले वर्ष तक काम पूरा कर दिया जायेगा। पिछले साल शुरू की गई साई डाईवरजन, जाखम और जेतपुरा परियोजनाओं पर कार्य अगले वर्ष तेज किया जायेगा। इसके अलावा भीलवाड़ा जिले में मेजा-फीडर पर इस वर्ष प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया गया है और अगले वर्ष इस कार्य को पूरे जोर से चलाया जायेगा। झालावाड़ जिले में भीमसागर प्रोजेक्ट पर कार्य मुआवजा संबधी कुछ उलझनें होने के कारण कई वर्षों तक स्थगित करना पड़ा था। अब प्रस्ताव है कि इस कार्य को फिर से चालू किया जाय जिससे कि इस परियोजना को चौथी पांच साला योजना के दौरान पूरा किया जा सके। इसके अलावा अगले वर्ष सात नयी मध्यम सिचाई की योजनाओं पर कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है। ये हैं:— टोड़ीसागर फीडर, अंगोर, गोपालपुरा, देवास स्टेज-II, जयसमद फीडर, पंचाना और संगेसरा। चम्बल प्रोजेक्ट की नहरों के सर्वाधिक सीपेज वाले हिस्सों को पक्का करने और उनमें से मिट्टी निकालने (Desilting) के काम के लिये प्रावधान किया गया है और इसकी घोषणा राज्य सरकार पहले ही कर चुकी है।

49. **विद्युत्:** राजस्थान एटोमिक पॉवर स्टेशन के पहले यूनिट के 1971 में चालू हो जाने की संभावना से यह आवश्यक हो गया है कि बिजली के ट्रांसमिशन और वितरण की व्यवस्था का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाय ताकि इस जरिये से प्राप्त होने वाली बिजली का पूरा उपयोग हो सके। 1970-71 की सालाना योजना में अब बिजली पैदा करने के काम के बजाय उसके वितरण पर अधिक जोर दिया जायेगा। बिजली की खपत 1969-70 में 880 मिलियन यूनिट से बढ़ कर अगले वर्ष 1076 मिलियन यूनिट हो जायेगी। अगले वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, एग्रीकल्चरल फाइनन्स कारपोरेशन, एग्रीकल्चर रिफाइनन्स कारपोरेशन और व्यावसायिक बैंकों जैसी संस्थात्मक वित्तीय एजेन्सियों से अधिक साधन प्राप्त होने पर, आशा है कि अगले वर्ष 10,000 अतिरिक्त कुओं को बिजली दी जा सकेगी जब कि इस वर्ष की संभावित उपलब्धि लगभग 7000 है।

50. **उद्योग एवं खनिज:** राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल कारपोरेशन ने, जिस की स्थापना पिछले वर्ष की गयी थी, राज्य में पूंजी नियोजन बढ़ाने की दिशा में उपयुक्त वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। डूंगरपुर जिले में मांडो-की-पाल में स्थापित किये जाने वाले फ्लोराइट बेनीफिसीयेशन प्लांट पर संतोषजनक प्रगति हो रही है और 1971 में इस में उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। कारपोरेशन का आगामी वर्ष में जोधपुर व सीकर में दो ऊनी मिलों पर कार्य आरम्भ करने का इरादा है ऐसी आशा की जाती है। टोंक में चमड़ा रंगने के कारखाने के बारे में एक फ्रेंच फर्म से सहयोग की शर्तों की कार्यवाही पूरी होकर अगले वर्ष तक इस पर कार्य

(श्री मथुरादास माथुर)

आरम्भ हो जायेगा। राज्य के विभिन्न भागों में कारपोरेशन ने औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने का कार्य हाथ में ले लिया है और अजमेर की मशीन टूल कारपोरेशन फैक्ट्री के पास औद्योगिक बस्ती कायम करने का प्रस्ताव है। उद्योगपतियों की जानकारी के लिये कारपोरेशन ने राज्य में कई संभावित उद्योगों की मोटी रूपरेखा तैयार की है। कारपोरेशन ने इंजीनियरों के लिये एक ऐसी स्कीम तैयार की है जिस में वह काम सीखने के साथ साथ उद्योगों को अपना बना सकते हैं। इस स्कीम के तहत प्रतिभाशाली इंजीनियरों को छोटे पैमाने पर उद्योग चलाने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा जिसमें आर्थिक मेनेजिरियल सहायता कारपोरेशन मुहैय्या करेगा। ज्यों ही उद्योग में फायदा होने लगेगा वह उद्योग पूर्ण रूप से इंजीनियरों को निर्धारित शर्तें जैसे— ऋण की अदायगी, ब्याज आदि स्वीकार करने पर सौंप दिया जायेगा। इंजीनियरों को जब तक उद्योग में घाटा रहेगा और जब तक उन्हें कारपोरेशन की देनदारी चुकाने पर पूरा स्वामित्व नहीं मिलता, तब तक उन्हें कम से कम 250) रुपये प्रतिमाह का वजीफा दिया जायेगा। अगले वर्ष इस कारपोरेशन की हिस्सा पूंजी में 60 लाख रुपये की वृद्धि की जायेगी।

51. देश में बढ़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलन के विषय पर— खास तौर पर औद्योगिक विकास के क्षेत्र में, राष्ट्रीय विकास परिषद् और राष्ट्रीय एकता परिषद् में कई बार चर्चाएं हुई हैं। हमारी यह निश्चित राय है कि यदि औद्योगिक दृष्टि से उन्नत एवं पिछड़े राज्यों की खाई को पाटना है तो देश के पिछड़े राज्यों में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्योगपतियों को विशेष सुविधाएं और प्रोत्साहन देना पड़ेगा। नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की मुख्य मंत्रियों की कमेटी के निर्णय के अनुसार देश के अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने वाले लोगों को संस्थात्मक वित्तीय एजेन्सियां विशेष रियायतें देंगी। हमने योजना आयोग को राज्य के 16 पिछड़े जिलों की एक फहरिश्त भेजी है और आशा है कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा रियायतें मिलने से राजस्थान जैसे पिछड़े प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। वित्तीय संस्थाओं द्वारा विशेष रियायतों के अलावा यह भी निश्चित किया गया है कि हर पिछड़े राज्य में दो जिलों का चुनाव किया जायेगा जहां 50 लाख तक की लागत के नये उद्योगों को फिक्सड कैपीटल इनवेस्टमेंट पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 10 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा। जिन उद्योगों की लागत 50 लाख से अधिक है उसकी सहायता देने के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार मैरिट के आधार पर विचार करेगी। इस कार्य के लिये राज्य सरकार ने अलवर और सवाई माधोपुर जिलों का चुनाव करने की सिफारिश की है। इस संबंध में अंतिम निर्णय योजना आयोग की सलाह से निकट भविष्य में लिया जायेगा।

52. खनिजों के क्षेत्र में उदयपुर के निकट फोस्फेट के भण्डार का जल्दी से उपयोग करने के कार्य को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इन भण्डारों के पूर्वेक्षण के कार्य को और तेज किया जा रहा है ताकि यह काम दो वर्षों की अवधि में पूरा किया जा सके। राज्य सरकार चौथी योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में एक बेनीफिसियेशन प्लान्ट कायम करना चाहती है और इस

(श्री मथुरादास माथुर)

कार्य के लिये चौथी योजना में एक करोड़ का प्रावधान किया गया है। फोस्फेट का उत्पादन जो अभी 500 टन प्रति दिन है वह 1970 के अन्त तक बढ़ कर 1500 टन प्रति दिन हो जायेगी।

53. यातायात और आवागमन: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अब नया मोड़ ले लिया है और अब उसकी वित्तीय स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। निगम का अगले वर्ष में 70 नई गाड़ियां खरीदने का प्रस्ताव है—इनमें 40 गाड़ियां नये मार्गों के लिये और 30 पुरानी गाड़ियों के स्थान पर होंगी। निगम का अजमेर में एक केन्द्रीय वर्कशाप स्थापित करने का प्रस्ताव है और इसके निर्माण का काम जल्दी ही हाथ में लिया जा रहा है। अगले वर्ष की योजना में कारपोरेशन को हिस्सा पूंजी के रूप में 5 लाख की धनराशि देने का प्रस्ताव है।

54. हमने अकाल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण एवं सुधार पर बहुत बड़ी धनराशि लगायी है। जिन क्षेत्रों में सूखे का प्रभाव कम पड़ता है, उन इलाकों में सड़कों के निर्माण व सुधार के काम में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। इस असन्तुलन को दूर करने के उद्देश्य से अगले वर्ष सड़कों के क्षेत्र में उन जिलों को महत्व दिया जायेगा जिन्हें अकाल राहत के दौरान सड़क निर्माण कार्य का लाभ नहीं मिला है। हम इस बात पर भी खास ध्यान देंगे कि राजकीय मार्गों और बड़े प्रशासनिक मुख्यालयों की सड़कों में सुधार किया जाये। इस उद्देश्य से सड़कों के निर्माण का प्रावधान 1969-70 में 106 लाख से बढ़ाकर 1970-71 में 150 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान कैनाल क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिये आयाकट डवलपमेंट प्रोग्राम के तहत केन्द्रीय सरकार से 35 लाख रुपया और मिलने की सम्भावना है।

55. शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यत: सुदृढ़ीकरण और गुणात्मक सुधार पर जोर दिया जायेगा। मौजूदा शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों की संख्या में वृद्धि की जायेगी ताकि सभी स्तरों पर विद्यार्थियों की अधिक भर्ती के फलस्वरूप अध्यापकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। इसके अलावा 30 हाई स्कूलों को उन्नत कर के हायर सेकेण्डरी स्कूलों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। अगले वर्ष जैसलमेर, सांभर और नसीराबाद में तीन नये कालेज स्थापित किये जायेंगे। जैसलमेर में कॉलेज की स्थापना के बाद राज्य के सभी जिलों में कालेज शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। मौजूदा कालेजों में भी पोस्ट ग्रेजूएट शिक्षा चालू करने की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अगले वर्ष बीकानेर में बोटेनी और जूलोजी, कोटा में फिजिक्स और कामर्स, भीलवाड़ा में कामर्स, अलवर में पोलीटिकल साइन्स और भरतपुर में फिजिक्स की पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं चालू करने का प्रस्ताव है। अगले शैक्षणिक वर्ष में अलवर में कानून की डिग्री क्लासें भी चालू की जायेंगी।

56. यह महसूस किया जा रहा है कि राज्य की तीनों अकादमी यानि साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी, वित्तीय साधनों के अभाव में सुचारु रूप से काम नहीं कर पा रही हैं। इसलिये यह निर्णय किया गया है कि इन संस्थाओं का अनुदान अगले वर्ष 1968-69

(श्री मथुरादास माथुर)

के स्तर से दुगना कर दिया जाये। राजस्थान स्पोर्टस् कौंसिल की गतिविधियों का विस्तार करने हेतु इस संस्था का अनुदान भी अगले वर्ष 5 लाख बढ़ाया जा रहा है।

57. **चिकित्सा और स्वास्थ्य:** कई स्थानों पर चिकित्सा सुविधाएं बढ़ती हुई मांग को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिये यह निर्णय किया गया है कि अक्टूबर 1971 तक निम्नस्तर पर न्यूनतम चिकित्सा सुविधायें मुहैय्या कर दी जायेंगी :—

1. 8 लाख या उससे अधिक आबादी वाले जिले के मुख्यालय पर 150 बैड्स

2. 8 लाख से कम आबादी वाले जिले के मुख्यालयों पर 100 बैड्स

3. शेड्यूल्ड एरिया के जिलों के मुख्यालयों पर—(बांसवाड़ा व डूंगरपुर) 150 बैड्स

4. भूतपूर्व देशी राज्यों की राजधानियों पर 50 बैड्स

उन सब स्थानों पर जहां इस न्यूनतम मापदण्ड से चिकित्सा सुविधाएं कम हैं वहां अतिरिक्त बैड्स मुहैय्या कराने के लिये अगले वर्ष आवश्यक भवन निर्माण की कार्यवाही आरम्भ की जायेगी। 1970-71 में जब भवन निर्माण का कार्य पूरा हो जायेगा, उसके बाद अतिरिक्त बैड्स की स्वीकृति दी जायेगी। 46 प्राइमरी हैल्थ सेण्टरों के लिये भवन निर्माण नहीं किया जा सका है हालांकि इनके लिये निर्धारित जन सहयोग की धनराशि जमा की जा चुकी है। राज्य सरकार यह मानती है कि देहाती इलाकों में प्राइमरी हैल्थ सेण्टर गांवों मे चिकित्सा सुविधा और बीमारी की रोकथाम का प्रमुख केन्द्र है। अतः इनके लिये भवनों का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाये। अगले वर्ष 30 नये प्राइमरी हैल्थ सेण्टरों के भवनों का निर्माण शुरू करने के लिये प्रावधान किया जा रहा है। बाकी हैल्थ सेण्टरों के लिये भवनों के निर्माण का कार्य 1971-72 में लिया जायेगा। कोटा, बून्दी, भीलवाड़ा और चूरू जिलों के अस्पतालों में कुल 100 अतिरिक्त बैड्स मुहैय्या करने के लिये अगले वर्ष की योजना में आवश्यक प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा 6 जिला अस्पतालों में विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है।

58. **जल प्रदाय योजनाएं:** माननीय सदस्य, राज्य के शहरी और देहाती क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या और राज्य सरकार द्वारा इसको हल करने के लिए किये गये सतत प्रयत्नों से भलीभांति परिचित हैं। राज्य के कुल 145 कस्बों में से इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 94 कस्बों में पानी के सप्लाई की स्कीमें पूरी हो जायेंगी। इसके अलावा बाकी 42 चालू स्कीमों में से 16 स्कीमें 1970-71 के अन्त तक पूरी हो जाने की सम्भावना है। इस प्रकार अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक 110 कस्बों में पेय जल की व्यवस्था हो जायेगी। शेष 26 स्कीमें उसके अगले वर्ष 1971-72 के अन्त तक पूरी कर दी जायेगी। इस प्रकार केवल 9 कस्बे ही ऐसे रह जायेंगे जहां पीने के पानी के सप्लाई की स्कीमों पर कार्य करना बाकी रह जायेगा—और मुझे आशा है कि चौथी

(श्री मथुरादास माथुर)

पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन कस्बों में भी स्वच्छ पेय जल उपलब्ध करा दिया जायेगा। इन स्कीमों के अलावा कुछ शहरों में बढ़ती आबादी की आवश्यकता को पूरी करने के लिये जलप्रदाय योजनाओं का पुनर्गठन जरूरी हो गया है। जोधपुर, उदयपुर, डीडवाना, माउण्ट आबू और नोहर में ऐसी स्कीमों पर कार्य हो रहा है, उनको शीघ्र पूरा किये जाने की कोशिश की जा रहा है। इस क्षेत्र में अगले वर्ष खासतौर से चालू स्कीमों को पूरा करने पर जोर दिया जायेगा ताकि जनता को अब तक के पूंजी नियोजन का पूरा लाभ मिल सके।

59. देहाती इलाकों में यह समस्या अधिक जटिल और विशाल है। इस समस्या को प्रभावकारी ढंग से हल करने की दृष्टि से ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के लिए 1969-70 में 118 लाख के मुकाबले 1970-71 में 200 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है। वित्तीय प्रावधान बढ़ाने के फलस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लगभग सभी चालू स्कीमों को पूरा करना संभव हो सकेगा। चालू स्कीमों की आवश्यकता पूरी करने के बाद भी 57 लाख रुपया नई पाइप व क्षेत्रीय योजनायें शुरू करने के लिए उपलब्ध होगा। इन स्कीमों में प्राथमिकता उन इलाकों को दी जायेगी जहां अभी पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और जहां सूखा पड़ने की स्थिति में पानी की अत्यधिक कठिनाई पैदा हो जाती है। जल प्रदाय योजनाओं के अलावा पीने के पानी के कुओं के निर्माण और मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जायेगा और इसके लिए अगले वर्ष 30 लाख रुपये का प्रावधान रखने का प्रस्ताव है। राजस्थान कैनाल क्षेत्र में डिग्गयों के निर्माण के काम को भी प्राथमिकता दी जायेगी और इस काम के लिए 30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

60. **पिछड़ी जातियों का कल्याण:** समाजवादी समाज का हमारा उद्देश्य तब तक सपना मात्र बना रहेगा जब तक इन लोगों को विकास कार्यों में सक्रिय योगदान देने के लिए समर्थ नहीं बनाया जाता और जब तक उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर ऊपर नहीं उठाया जाता। यहां मैं अपने इस दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि हम समाज के पिछड़े लोगों और खासकर अनुसूचित जाति और जन-जातियों के उत्थान के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। माननीय सदस्यों को याद होगा कि गांधी शताब्दी के इस वर्ष में हमने बजट में भंगी कष्ट मुक्ति कार्यक्रम, हरिजन के लिए मकान बनाने और अनुसूचित जातियों के लोगों की बस्तियों में सार्वजनिक नल और बिजली लगाने के काम के लिए एक करोड़ रुपयों का विशेष प्रावधान किया था। अगले वर्ष पिछड़ी जाति के लोगों के लिये शैक्षणिक सुविधाओं में विस्तार पर विशेष बल दिया जायेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के लिए 3000 अतिरिक्त छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जायेंगी। इसके अलावा अगले वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा 5 नये होस्टल और स्वयंसेवी एजेन्सियों द्वारा 20 होस्टल खोले जाने का प्रस्ताव है। भंगी कष्ट मुक्ति प्रोग्राम अगले वर्ष भी चालू रखा जायेगा और उसके लिए 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इन जातियों को मकान बनाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान के प्रावधान में वृद्धि की गई है जिससे 400 से अधिक

(श्री मथुरादास माथुर)

परिवारों को लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि सरकारी सेवाओं में भविष्य में होने वाले रिक्त स्थानों में 28 प्रतिशत परिगणित जाति और परिगणित जनजातियों के लोगों के लिये सुरक्षित रक्खे जावें। इस फैसले के अम्ल पर निगाह रखने और सरकार को इसकी प्रगति के बारे में सूचित करने के लिए समाज कल्याण विभाग में एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का निश्चय किया है।

61. परिगणित जाति और परिगणित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु इन जातियों के होनहार छात्रों को अच्छी नौकरियां नहीं मिल पाती, क्योंकि गरीबी के कारण पढ़ाई समाप्त करने के तत्काल बाद ही उन्हें कैसी ही नौकरी कर लेनी पड़ती है, यद्यपि वह नौकरी उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं हो। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी करने में भी काफी समय की आवश्यकता होती है और यह तब तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक कि इन जाति के छात्रों को पढ़ाई समाप्त करने के बाद भी कुछ माली सहायता नहीं दी जावे। अतः राज्य सरकार ने तय किया है कि परिगणित जाति और परिगणित जनजातियों के उन तमाम छात्रों को जिन्होंने आर्ट, कामर्स व सांइस में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाओं में प्रथम व द्वितीय श्रेणी प्राप्त की हो, एक साल तक या जब तक वे नौकरी नहीं प्राप्त कर लें, जो भी पहले हो, वजीफा दिया जावे। यह सहायता उन्हीं को दी जायेगी जो आगे पढ़ाई जारी नहीं रखेंगे। यह वजीफा ग्रेजुएटों के लिए 100) रुपये प्रति माह और पोस्ट ग्रेजुएट छात्र के लिए 150) रुपये प्रति माह होगा। यह आशा की जाती है कि इस कदम से इन जातियों के होनहार छात्रों को सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में अच्छी नौकरियां मिलने में मदद मिलेगी।

62. राजस्थान में देहाती समाज के कमजोर तबके के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो पायेगा जब तक छोटी जोत वाले किसान बारानी खेती को छोड़ कर सिंचित खेती को नहीं अपना लेते। कमजोर तबके के लोगों व छोटी जोतों वाले किसानों को संस्थात्मक एजेन्सियों द्वारा प्राथमिकता से ऋण दिलाने के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु हमारा यह अनुभव रहा है कि पिछड़ी जातियों के छोटी जोत वाले किसानों को ऐसे ऋण और उस के ब्याज के चुकारे में कठिनाई हो रही है। ऐसे किसानों को ऋण लेने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु यह निश्चय किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को 5000 रुपये तक के कुओं के निर्माण व गहरा करने के लिये व्यावसायिक बैंकों व सहकारी संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज चुकाने के लिये राज्य सरकार पूरा अनुदान देगी। यह रियायत उन्हीं काश्तकारों को उपलब्ध होगी जिनके पास 10 एकड़ तक असिंचित भूमि है और जो ऋण की अदायगी समय पर करते रहेंगे।

63. **गृह निर्माण और नागरिक विकासः** माननीय सदस्यों को मालूम है कि राज्य में बड़े पैमाने पर भवन निर्माण कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये एक हाउसिंग बोर्ड की स्थापना की गयी है। हाउसिंग बोर्ड राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि के अलावा स्वयं डिबेंचर जारी कर

(श्री मथुरादास माथुर)

गृह निर्माण कार्यक्रम के लिये साधन जुटा सकेगा। बोर्ड कम और मध्यम-आय वाले लोगों के लिये मकानों का निर्माण करेगा और उन्हें हायर परचेज (किराया खरीद) पद्धति के आधार पर देगा। परन्तु गृह निर्माण के लिये वित्तीय सहायता देने वाली महत्वपूर्ण ऐजेन्सी लाइफ इन्स्योरेंस कारपोरेशन से बोर्ड ऋण नहीं प्राप्त कर सकेगा क्योंकि यह सहायता केवल भवन निर्माण सहकारी समितियों को ही उपलब्ध हो सकती है। दूसरे हाउसिंग बोर्ड पिछड़ी जातियों के लोगों को जो सबसे ज्यादा जरूरतमन्द है अपने साधनों में से पर्याप्त धनराशि नहीं दे पायेगा। ऐसी स्थिति में सरकार ने निश्चय किया है कि परिगणित जाति व परिगणित जन-जातियों के लोगों के लिये एक ऐपेक्स हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी का गठन किया जाय। जिले और तहसील स्तर पर इन जातियों के लोगों के लोगों के लिये बनाई जाने वाली प्राईमरी हाउसिंग सोसाइटियों के लिये यह संस्था ऐपेक्स संस्था का काम करेगी। ऐपेक्स कोआपरेटिव सोसाइटी लाइफ इन्स्योरेन्स कारपोरेशन से ऋण प्राप्त कर उसे अपनी सदस्य संस्थाओं-प्राईमरी समितियों के मार्फत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों में वितरण कर सकेगी। 1970-71 की सालाना योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लिये निर्मित इस ऐपेक्स हाउसिंग सोसाइटी में राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी के लिये 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

श्री रामकिशन : लोगों को मिल जायगा भी या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : मिल जायगा।

64. म्युनिसिपल क्षेत्रों में सड़कों की हालत काफी खराब हो गयी है। इसके मुख्य कारण यथोचित मेन्टेनेन्स की कमी और नगरपालिकाओं के पास सड़कों के सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिये साधनों का अभाव है। इस स्थिति में शीघ्र सुधार लाने की दृष्टि से अगले वर्ष की सालाना योजना में इस कार्य के लिये 26 लाख रुपयों का विशेष प्रावधान किया गया है। सड़कों के सुधार के काम के लिये यह रकम सरकारी अनुदान के रूप में म्युनिसिपैलिटियों को दी जायेगी। सड़कों के सुधार के काम में जितनी धनराशि लगेगी उसमें से 75 प्रतिशत कीमत राज्य सरकार वहन करेगी और शेष 25 प्रतिशत म्युनिसिपैलिटियों को खुद वहन करना होगा।

65. मैं अब राज्य सरकार के कुछ और महत्वपूर्ण निर्णयों की सदन को जानकारी देना चाहूंगा।

66. **राजस्थान यूथ बोर्ड का गठन** : पिछले दशक में सारी दुनिया के नौजवानों में एक बढ़ती हुई बेचैनी नजर आई। खासतौर से हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के अनुरूप रोजगार न बढ़ने से युवकों में निराशा हुई है। इनके अलावा युवकों के असंतोष का एक मुख्य कारण यह भी है कि अब तक हम समाज के इस महत्वपूर्ण तबके की तरफ उतनी तवज्जह नहीं दे पाये जितनी कि दी जानी चाहिये थी। यह अब महसूस किया जा रहा है कि युवकों की शक्ति रचनात्मक दिशा में मोड़ने के लिये समुचित सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहिये। इस संदर्भ में खेलकूद व सांस्कृतिक

(श्री मथुरादास माथुर)

गतिविधियों के विस्तार तथा युवक कल्याण के सभी कार्यक्रमों में समन्वय लाने की बड़ी आवश्यकता है। हमारे राज्य में युवक कल्याण के कार्यक्रम की जिम्मेदारी विभिन्न संस्थाओं में विभाजित है जैसे कि कालिज और स्कूल, शिक्षा विभाग, राजस्थान स्पोर्टस् कौंसिल, यूनिवर्सिटी और एन. सी. सी. की डाईरेक्टोरेट। अभी ऐसा कोई फोरम नहीं है जो युवकों की समस्याओं पर पूरी तौर पर गौर कर सके और उनके कल्याण के कामों में पहल कर सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निश्चय किया है कि राज्य में मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक यूथ बोर्ड का गठन किया जाये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह बहुत अच्छा कदम है।

श्री मथुरादास माथुर : यह एक उच्चस्तरीय बोर्ड होगा जो युवकों के कल्याण के कार्यों का समन्वय करेगा और ऐसी योजनाएं बनायेगा जिससे युवकों की तरक्की की जा सके।

67. **छोटे किसानों के लिए पाइलेट प्रोग्राम :** यह सब लोग जानते हैं कि हरी क्रांति से अब तक अपेक्षाकृत बड़े किसानों को ही लाभ पहुंचा है और छोटी जोतों वाले किसान अब तक कृषि के क्षेत्र में हुए तकनीकी सुधारों का पूरा लाभ नहीं उठा पाये हैं। अगर इस प्रवृति को नहीं रोका गया तो देहाती इलाकों में आय की असमानता बढ़ती जायेगी और हम समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य से दूर हटते चले जायेंगे। छोटी जोत वाले किसानों की आर्थिक हालत सुधारने की समस्या काफी पेचीदा है और बहुत सोच विचार के बाद केन्द्रीय सरकार ने एक पायलेट प्रोग्राम चालू करने का निश्चय किया जिससे छोटे किसानों को कृषि के उन्नत तकनीक का अधिकतम लाभ मिल सके। पहले केन्द्रीय सरकार ने राज्य के 20 चुने हुए जिलों में यह स्कीम लागू करने का इरादा प्रकट किया था—परन्तु प्रधान मन्त्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया है कि यह प्रोग्राम अब 45 जिलों में चालू किया जायेगा। इस स्कीम को अमल करने के लिए भरतपुर और उदयपुर जिलों को चुना गया है।

एक माननीय सदस्य : पोलिटिकल स्टन्ट है।

श्री मथुरादास माथुर : हम केन्द्रीय सरकार से आग्रह करेंगे कि राज्य के पिछड़ेपन और हमारी विशेष समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए कम से कम एक और जिले में यह प्रोग्राम चालू करने की स्वीकृति दें।

श्री जुझारसिंह : उदयपुर में जरूर होना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : इस प्रोग्राम के तहत चुने हुए जिले में छोटे किसानों के लिये एक विकास ऐजेन्सी कायम की जायेगी। यह ऐजन्सी छोटे किसानों के लिये सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करेगी, व्यावसायिक बैंकों व सहकारी संस्थाओं के मार्फत अल्प और मध्यमकालीन ऋण दिलायेगी, खेती के लिये आवश्यक सामग्री मसलन-सुधरे बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयां आदि मुहैय्या करेगी ताकि ये छोटे किसान सुधरे कृषि यंत्र और अन्य सामग्री आदि को इस्तेमाल कर के खेती की पैदावार बढ़ा सके। यह ऐजेन्सी ऋण देने वाली संस्थाओं को अनुदान देगी ताकि छोटे किसानों को दिये जाने वाले ऋण की जोखिम को पूरा किया जा सके। यह ऐजेन्सी ऋण

(श्री मथुरादास माथुर)

देने के कार्यक्रम को सुदृढ़ करने तथा उसमें होने वाले विलम्ब को दूर करने के लिये अच्छे स्तर के निरीक्षण करने और मैनेजरों की सेवाएं उपलब्ध करायेगी। केन्द्रीय सरकार चौथी पांचसाला योजना में प्रत्येक जिले के लिये 1.60 करोड़ रुपया अनुदान सहायता के रूप में देगी। इस प्रोग्राम से प्राप्त अनुभव से हमें समूचे राज्य के छोटे किसानों की उन्नति के लिये एक विस्तृत योजना तैयार करने में मदद मिलेगी।

68. लघु उद्योग हम राज्य में लघु उद्योगों के विकास के प्रति पूर्ण जागरूक हैं। आर्थिक विकेन्द्रीकरण और स्वयं अपने रोजगार चलाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से लघु उद्योगों का अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में लघु उद्योग इकाइयों में महत्वपूर्ण बढोतरी हुई है और 1960 में 1650 रजिस्टर्ड लघु उद्योगों के मुकाबले आज राज्य में 8200 इकाईयां हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ऐसे उद्योगों के लिये वित्तीय सहायता के नये द्वार खुल गये हैं। हमारे यहां एक ऐसी स्कीम चालू है जिसके तहत राज्य की ओर से राजस्थान राज्य वित्त निगम द्वारा लघु उद्योगों को 75000 रुपये तक ऋण दिया जाता है। राज्य सरकार ब्याज की दर में 3 प्रतिशत का अनुदान देती है जिससे कर्जदारों को 6 प्रतिशत ब्याज का ही भार वहन करना पड़ेगा। कच्चे माल की कमी देश के लघु उद्योगों की प्रमुख समस्या है। इस सिलसिले में हम केन्द्रीय सरकार के इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं कि हर राज्य में एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया जाये जो लघु उद्योगों के कच्चे माल की वास्तविक आवश्यकताओं का अनुमान लगाये।

श्री जुझारसिंह : बहुत बढ़िया।

69. श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्यों को मालूम है कि सरकार उद्योगों को कुछ रियायतों की पहले ही घोषणा कर चुकी है। लघु उद्योगों की प्रगति को और बढ़ावा देने के लिये सरकार ने नये लघु उद्योगों को बिजली की दर में समान रूप से 25 प्रतिशत का अनुदान देने का निश्चय किया है।

श्री जुझारसिंह : 25 प्रतिशत अनुदान ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां। यह रियायत 31 मार्च 1979 तक उन लघु उद्योगों को उपलब्ध रहेगी जो कि राज्य में 1 मार्च 1970 तथा 31 मार्च 1974 के बीच स्थापित किये जायेंगे।

70. इन्जीनियरों में बेरोजगारी : शिक्षित नौजवानों में और खासतौर पर टेकनिकल और प्रोफेसनल योग्यता प्राप्त युवकों में बढ़ती हुई बेरोजगारी हम सबके लिये बड़ी चिन्ता का विषय है। 1968-69 के बजट भाषण में मैंने तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवकों में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये कुछ निर्णयों की घोषणा की थी। सरकार के इन प्रयत्नों से इस समस्या का कुछ हद तक ही हल निकला है और इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त लोगों में अभी तक बेरोजगारी मौजूद है। इस संदर्भ में हम यह समझना जरूरी है कि सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे लोगों के लिये

(श्री मथुरादास माथुर)

नौकरी की संभावनाएं सीमित हैं और टेकनिकल संस्थाओं से निकलने वाले सभी इंजीनियर और डिप्लोमा प्राप्त लोगों को इनमें रोजगार मुहैय्या करना संभव नहीं है। इसलिये तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवकों को अपने खुद के रोजगार चलाने के नये रास्ते ढूंढने पड़ेंगे और उनके लिये निजी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैय्या करने की कोशिश करनी होगी। हमारा यह अनुभव रहा है कि हमारी टेकनिकल शिक्षा प्रणाली इतनी व्यापक नहीं है कि इनमें शिक्षित युवक बिना प्रेक्टिकल ट्रेनिंग के अपने स्वयं के धंधे चलाने में समर्थ हों। साथ ही निजी उद्योगों के मालिक भी नये ग्रेजुएटों और डिप्लोमा प्राप्त लोगों को प्रेक्टिकल ट्रेनिंग या अनुभव के वगैर नौकरी देने में हिचकिचाते हैं। अतः यह आवश्यक हो गया है कि बेरोजगार इंजीनियरों व डिप्लोमा प्राप्त लोगों को सरकार के सक्रिय सहयोग से सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों में प्रेक्टिकल ट्रेनिंग दिलाने की व्यवस्था की जाये। इसलिये हम एक स्कीम तैयार कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत बेरोजगार इंजीनियर और डिप्लोमा प्राप्त लोगों को क्रमशः 200) व 150) रुपया प्रतिमाह वजीफा दिया जायेगा ताकि वे चुनींदा सार्वजनिक व निजी उद्योगों में प्रेक्टिकल ट्रेनिंग ले सकें। प्रशिक्षण की अवधि 6 माह से 1 वर्ष तक की होगी। यह आशा की जाती है कि इन उद्योगों में ही जहां प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा उनमें ही काफी प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मिल सकेगा। अतः उद्योगों के चुनाव में उनको प्राथमिकता दी जायेगी जिनमें विस्तार की सम्भावनायें है। राज्य के अधिकार क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में मुख्यतः राज्य विद्युत् मण्डल और एग्रो-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन में इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित इंजीनियर बिजली के ठेके लेने का काम कर सकेंगे क्योंकि इनमें बढ़ती हुई मांग है। इसी प्रकार एग्रो-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा प्रशिक्षित इन्जीनियर और डिप्लोमा प्राप्त लोग देहातों में कृषि यन्त्रों और मशीनों की मरम्मत और सर्विस के केन्द्र स्थापित करके रोजगार हासिल कर सकेंगे। क्योंकि कृषि के क्षेत्र में यन्त्रीकरण के कारण इनकी मांग बराबर बढ़ रही है। इस समस्या के समाधान के लिये मैं माननीय सदस्यों के सुझावों का बहुत स्वागत करूंगा।

71. **शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान सहायता** : शैक्षणिक संस्थाओं के वर्तमान अनुदान सहायता नियमों के अनुसार, किसी भी वर्ष में अनुदान उससे पिछले वर्ष के संस्था की आय व खर्च पर आधारित होता है। चूंकि संस्थाओं के खर्च में हर साल वृद्धि होती रहती हैं, इसलिये अनुदान देने की यह प्रणाली उनको अपने वित्तीय जिम्मेदारी पूरी करने में कठिनाई पैदा करती है। इसका एक परिणाम शिक्षकों को तनख्वाह के चुकारे में देरी भी है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि अगले वर्ष से अनुदान उसी वर्ष की आय और व्यय के अनुमानों के आधार पर किया जायेगा और उसके बाद आने वाले वर्ष में वास्तविक आय व खर्च के आधार पर आवश्यक समायोजन कर दिया जायेगा।

(श्री मथुरादस माथुर)

72. **वृद्ध व अपंग व्यक्तियों को पेन्शन** : राजस्थान डिसेबल एण्ड ब्लाइन्ड परसन्स् पेन्शन रूल्स के तहत 20) रुपये प्रतिमाह पेन्शन दी जाती है। सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 मार्च, 1970 से पेन्शन बढ़ाकर 30) रुपयें प्रतिमाह कर दी जायें। इसी तरह राजस्थान ओल्ड एज पेन्शन रूल्स के तहत प्रत्येक निराश्रित व्यक्ति को प्रति माह 20) रुपया मिलता है और एक परिवार में एक से अधिक निराश्रित होने पर 30) रुपया प्रतिमाह दिया जाता है। राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि ये पेन्शन 1 मार्च, 1970 से क्रमशः 30) और 40) रुपया प्रतिमाह कर दी जाये। सरकार ने यह भी तय किया है कि अभी पेन्शन की आयु सीमा 65 वर्ष है वह महिला पेन्शनर के लिये घटाकर 60 वर्ष कर दी जाये। इस कदम से राज्य सरकार को प्रति वर्ष 13.00 लाख का अतिरिक्त व्यय का भार वहन करना पड़ेगा।

राज्य कर्मचारियों को पेन्शन

73. सरकार के पेंशनर को अभी कम से कम 30) रुपया प्रतिमाह मिलता है। राज्य सरकार ने तय किया है कि वह रकम बढ़ा कर अब 40) रुपया प्रतिमाह कर दी जाये। सरकार ने यह भी तय किया है कि उन पेंशनरों को जिन्हें 200) रुपया तक प्रतिमाह पेंशन मिलती है उनकी पेंशन में 8 से 22.50 रुपये तक की बढ़ोतरी करदी जाये। पेंशन की रकम में इस बढ़ोत्तरी से यह दरें केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों को मिलने वाली दरों के लगभग समान हो जायेंगी। इस वजह से राज्य सरकार को 26 लाख रुपये के व्यय का प्रति वर्ष अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा। पेंशन की ये नई दरें 1 मार्च 1970 से लागू मानी जायेंगी।

74. **राजसी विशेषाधिकार** : हम केन्द्रीय सरकार से पूर्णतया सहमत हैं कि राजाओं के प्रिवीपर्स और विशेषाधिकारों का हमारे आज के सामाजिक उद्देश्यों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है और वह समतावादी सामाजिक व्यवस्था से भी मेल नहीं खाते। अतः हम केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व राजाओं के प्रीवीपर्स व विशेषाधिकारों को समाप्त करने के निर्णय का स्वागत करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में, जो कि प्रत्येक नागरिक के लिये समान प्रतिष्ठा एवं अवसर के आधार पर सामाजिक न्याय लाने के लिये प्रयत्नशील हो, यह विशेषाधिकार जारी रखना बिल्कुल समय विरोधी है। इस वक्त भूतपूर्व देशी राज्यों के राजाओं द्वारा कई प्रकार के विशेषाधिकारों का उपभोग किया जा रहा है जैसे सरकार के खर्चे पर उनके निवास स्थानों पर पैलेस गार्ड्स की नियुक्ति, आर्म्स एक्ट तथा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत निर्धारित शुल्क की छूट, बिना किराये निजी स्टॉफ के लिये मकान की सुविधा, निःशुल्क चिकित्सा का प्रबन्ध तथा पशुधन के लिये नि.शुल्क चिकित्सा सुविधा, मछली पकड़ने व शिकार के एकमात्र अधिकार सुरक्षित वनों में ईंधन इकट्ठा करने के अधिकार, किलों पर निःशुल्क गार्ड, शराब पर आबकारी से छूट, निःशुल्क बिजली व पानी, तोपों की सलामी, प्रक्रिया संबंधी कानून के अमल में भेदभाव पूर्ण व्यवहार आदि। केन्द्रीय सरकार के प्रीवीपर्स तथा

(श्री मथुरादास माथुर)

विशेषाधिकारों को समाप्त करने के निर्णय के अनुकूल हमने भी ऐसे कदम उठाने का निश्चय किया है जो कि भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिये आवश्यक हों तथा हमारे कानूनन अधिकार में हों। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यगण इससे सहमत होंगे कि इन विशेषाधिकारों को जारी रखना आज के युग में बिलकुल अनुपयुक्त है और इनको समाप्त कर देना ही उचित होगा।

75. **मद्य निषेध नीति:** मैं अब माननीय सदस्यों को सरकार की मद्य निषेध नीति के बारे में सूचना देना चाहूंगा। माननीय सदस्य यह जानते है कि सरकार ने राज्य में मद्य निषेध लागू करने के लिये कई कदम उठाये हैं। सबसे पहले सरकार ने 1967-68 में गुजरात राज्य की सीमा से लगी हुई 25 किलोमीटर की पट्टी में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया था। नशाबन्दी का क्षेत्र बाद में बढ़ा कर 1 अप्रेल, 1968 से तीन जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर व सिरोही और उदयपुर जिले की तीन तहसीलों झाड़ोल, खैरवाड़ा व कोटड़ा में पूर्ण नशाबंदी लागू कर दी गई थी। फिर जुलाई 1968 में यह निर्णय लिया गया कि राज्य में पूरी नशाबन्दी हफ्ते में कुछ दिन शराब की बिक्री बंद कर और उत्तरोत्तर इनकी संख्या बढ़ा कर लागू की जाय।

76. केन्द्रीय सरकार ने आबकारी की आय में मद्य निषेध के कारण होने वाली हानि को 50 प्रतिशत तक पांच साल के लिये पूरा करना मान लिया था। हमने वित्त आयोग से भी यह मांग की थी कि उनको शराब बन्दी से होने वाली आय में हानि को पूरा करना चाहिये जिससे इस कारण राज्य की वित्तीय स्थिति पर कोई भार नहीं पड़े। आयोग ने मद्य निषेध से हुई हानि को पूरी करने की दलील किसी भी राज्य के लिये नहीं मानी है। उनका यह दृष्टिकोण है कि आबकारी आय में इस वजह से होने वाली कमी राज्य स्वयं अपने दूसरे साधन बढ़ा कर पूरा करें।

77. बाद में हमने जब केन्द्रीय सरकार से 1968-69 में हुई आबकारी आय की हानि का 50 प्रतिशत पूरा करने की मांग की तो हमें कहा गया कि हर हफ्ते में कुछ ड्राई डेज मनाकर नशाबन्दी लागू करने पर कोई सहायता नहीं दी जायेगी। केन्द्रीय सरकार के अनुसार यदि राज्य किसी जिले में पूर्ण मद्य निषेध लागू करे और इस प्रकार नशाबन्दी का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ाकर सारे राज्य में मद्यनिषेध का लक्ष्य हो तभी 50 प्रतिशत के अनुदान की सहायता प्राप्त की जा सकती है।

78. वित्त आयोग द्वारा आबकारी राजस्व की हानि को पूरा करने से सहमत न होने के कारण तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा ड्राई डेज मनाने पर 50 प्रतिशत अनुदान देने से इंकार कर देने से हमें मद्यनिषेध नीति पर पुनर्विचार करने को बाध्य होना पड़ा है। प्रशासनिक दृष्टि से भी हर सप्ताह ड्राई डेज का कड़ाई से पालन करने में बहुत कठिनाइयां आई हैं। इन सब पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है कि धीरे धीरे ड्राई डेज बढ़ाकर मद्य निषेध को प्राप्त करने के स्थान पर धीरे धीरे पूर्ण मद्य निषेध का क्षेत्र बढ़ाया जाये।

(श्री मथुरादास माथुर)

इस नीति के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि बाड़मेर, जैसलमेर व जालोर जिलों में व उदयपुर जिले की गोगुन्दा, लसाड़िया व सराडा तहसीलों में 1970-71 में पूर्ण नशाबंदी लागू करदी जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सिविल लाइन्स में भी लागू होगी ?

श्री मथुरादास माथुर : इन्क्लूडिंग एम. एल. एज. क्वार्टर्स।

79. अतिरिक्त साधन: चौथी योजना की चर्चा करते समय मैंने बताया था कि हमारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रावधान लगभग 316 करोड़ का होगा और उसके लिये हमें अतिरिक्त साधन जुटा कर 50 करोड़ रुपया मुहैय्या करना पड़ेगा। मैंने इस बात की भी पहले चर्चा की है कि वार्षिक योजना 1970-71 के लिये 56.23 करोड़ का प्रबन्ध करने के लिये हमें 8.51 करोड़ रुपये अतिरिक्त साधन जुटा कर उपलब्ध करने पड़ेंगे। इस वित्तीय वर्ष में हमने अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने के लिये जो कदम उठाये हैं उनसे लगभग 4.89 करोड़ की अगले वित्तीय वर्ष में आय होगी जिसका ब्योरा इस प्रकार है :—

	लाख रुपयों में
(1) बिक्री कर	137
(2) व्यावसायिक फसलों पर उपकर	25
(3) भू-राजस्व पर सरचार्ज	35
(4) कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन करने की फीस	50
(5) बिजली की दरों में परिवर्तन	86
(6) स्टेट लाटरी	38
(7) राक फास्फेट का खनन	118
	489

इस प्रकार 4.89 करोड़ की आय होने के बाद भी 1970-71 की वार्षिक योजना के लिये 3.62 करोड़ की कमी रह जाती है।

80. मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज की हालात में माली तरक्की ही सबसे अहमियत रखती है। असमानता, बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ हमें जेहाद बोलना है। हमारा मूल उद्देश्य बेशक आर्थिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक न्याय लाना है परन्तु यह सच है कि तरक्की पूंजी नियोजन के बिना और पूंजी नियोजन वित्तीय साधन जुटाने के बिना नहीं हो सकता। आज आम-अवाम की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, और तेजी से आर्थिक विकास करना लाजमी हो गया है, ऐसी हालत में साधन मुहैय्या करने की जितनी भी कोशिश की जाय वह नाकाफी है। मैं माननीय सदस्यों से गुजारिश करूंगा कि अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रस्तावों पर गौर करते समय इन मूलभूत तथ्यों को नजरअंदाज नहीं करें। साथ ही मैंने इस बात की पूरी कोशिश की है कि मेरा कोई

(श्री मथुरादास माथुर)

भी कदम समाज के गरीब तबकों पर बोझा न डाले और ये साधन उन्हीं लोगों से जुटाये जायं जिनकी देने की क्षमता है।

श्री जुझारसिंह : भ्रष्टाचार पर भी लगाया है कि नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : इस पृष्ठ भूमि में अब मैं अगले वर्ष के लिये अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रस्तावों का जिक्र करूंगा।

81. **व्यावसायिक फसलों पर उप-कर** : माननीय सदस्य जानते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में व्यावसायिक फसलों पर उप-कर लगाया गया था। सरकार ने अब इस उप-कर को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इससे 25 लाख रुपये की आय में कमी आयेगी।

82. **सिंचाई दरों में संशोधन** : अभी गंग कैनाल, भाखरा और राजस्थान नहर की सिंचाई दरों में भिन्नता है। इसी प्रकार इन परियोजनाओं व चम्बल और दूसरी प्रोजेक्ट की दरों में भी काफी अन्तर है। अब यह प्रस्ताव है कि सिंचाई की दरों में संशोधन कर पहिले तो गंग कैनाल, भाखरा और राजस्थान नहर की दरों में समानता लाई जाये और दूसरी ओर इन परियोजनाओं की दरों को राज्य के दूसरे प्रोजेक्ट के करीब लाया जाये। उदाहरण के तौर पर कुछ मुख्य फसलों पर नये दर इस प्रकार हैं। गन्ना और गेहूं की दर क्रमशः 22 रुपये व 8 रुपये, राजस्थान नहर, गंग कैनाल और भाखरा के लिये समान रूप से प्रस्तावित की गई है। इसी प्रकार कपास और तिलहन की दर समान रूप से राज्य की सभी सिंचाई योजनाओं के लिये क्रमशः 13 और 12 रुपये करने का प्रस्ताव है। बाकी फसलों के दरों में भी इसी प्रकार कुछ संशोधन किया गया है। सिंचाई दरों के संशोधन से 25 लाख रुपये की सालाना आय का अनुमान है।

83. **खुशहाली कर** : खुशहाली कर के बारे में राज्य सरकार ने अब यह फैसला किया है कि सभी परियोजनाओं में 5 एकड़ तक की जोतों पर इस कर को समाप्त कर दिया जाय। (करतल ध्वनि) 5 एकड़ से अधिक व 16 एकड़ से कम जोतों पर कर की वसूली की अवधि निर्धारित अवधि से दुगना करदी जायगी तथा 16 एकड़ से अधिक जोतों पर निर्धारित तरीके से वसूली की जायगी। इसका मतलब यह होगा कि भाखरा परियोजना क्षेत्र में 5 एकड़ से अधिक व 16 एकड से कम जोतों पर यह कर 24 सालाना किश्तों में तथा 16 एकड़ से अधिक जोतों पर 12 सालाना किश्तों में वसूल किया जायेगा। चम्बल परियोजना क्षेत्र तथा अन्य मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं में, जहां खुशहाली कर लागू है, वहां 5 एकड़ से 16 एकड़ तक की जोतों पर 20 सालाना किश्तों में तथा 16 एकड़ से अधिक की जोतों पर 10 सालाना किश्तों में वसूल किया जायेगा।

84. **नगरीय भूमि कर** : राजस्थान नगरीय भूमि कर विधेयक 1 अप्रेल, 1964 से राज्य में लागू है। इस विधेयक के अन्तर्गत दस हजार से अधिक आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में स्थित आबादी भूमि पर बाजार के मूल्य के आधार पर 2 प्रतिशत तक कर लगाने का प्रावधान

(श्री मथुरादास माथुर)

है। वर्तमान कर की दर बाजार भाव के अनुसार प्रत्येक 1000 रुपये भूमि के मूल्य पर 2.50 रुपया है और कुल 3000 से कम बाजार भाव वाली जमीनों को कर से छूट दी गई है। इस कर की वसूली सरकार द्वारा रोक दी गई थी जब तक कि भूमि और भवनों पर सभी कानूनों के अन्तर्गत लगे करों का एकीकरण नहीं किया जाता। अब यह निर्णय लिया गया कि इस कानून को 1970-71 से अमल में लाया जाये। इससे अगले वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये की आय का अनुमान है।

85. **इन्श्योरेन्स प्रीमीयम में संशोधन** : राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिये अनिवार्य जीवन बीमा स्कीम लागू है। इस स्कीम के तहत प्रीमीयम की दरें विभिन्न वेतनमानों के लिये अलग अलग निर्धारित की हुई है जो अधिकतम वेतन का करीब 6 प्रतिशत तक है। यह प्रस्ताव है कि इन दरों को मामूली-सा बढ़ा दिया जाय जिससे प्रीमीयम की दर वेतन का करीब 6-1/2 प्रतिशत से 7-3/4 प्रतिशत तक हो जाये। इस संशोधन से प्रीमीयम की दरें 300 रुपये तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये एक से दो रुपये तक माहवार बढ़ेगी। प्रीमीयम की दरों में संशोधन के साथ साथ बीमें की राशि में भी उसके अनुसार वृद्धि होगी। यह संशोधन सरकारी कर्मचारियों के व्यापक हित में है। यहां यह भी बताना उचित होगा कि हमारी बीमें की दरें जीवन बीमा निगम के मुकाबले कम है। इसके अलावा इससे एक बड़ा फायदा यह है कि बीमे की राशि सरकारी कर्मचारी के वेतन के साथ साथ खुद ब खुद बढ़ती रहेगी। प्रीमियम की दरों में संशोधन से 1970-71 में 40 लाख रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति का अनुमान है।

श्री रामकिशन : चालीस ?

श्री मथुरादास माथुर : चालीस लाख रुपये।

86. **ट्यूशन फीस** : वर्तमान ट्यूशन फीस की दर राजकीय कालेजों में इस प्रकार है:—

	आयकर देने वाले रु.	आयकर न देने वाले रु.
(1) प्री-यूनिवर्सिटी तथा प्रथम वर्ष टी.डी.सी.	6.00	3.50
(2) द्वितीय व तृतीय वर्ष टी. डी. सी.	8.00	4.50
(3) पोस्टग्रेजुएट	12.00	8.00
(4) लॉ	12.00	10.00

राज्य सरकार की कत्तई यह मंशा नहीं है कि ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी की जाये। मगर हम यह भी मानते हैं कि मौजूदा हालत में 10 हजार से अधिक आमदनी वाले समाज के मालदार तबकों से ट्यूशन फीस ज्यादा न लेना वाजिब न होगा। इसलिये मेरी यह तजवीज है कि ट्यूशन फीस में इस प्रकार बढ़ोतरी की जाय:—

(श्री मथुरादास माथुर)

	दस हजार से अधिक व 15 हजार से कम आय वाले व्यक्ति	15 हजार से 25 हजार तक की आय वाले व्यक्ति	25 हजार से अधिक की आय वाले व्यक्ति
(1) प्री-यूनिव-सिटी तथा प्रथम वर्ष टी.डी.सी	रु. 8.00	रु. 10.00	रु. 12.00
(2) द्वितीय व तृतीय वर्ष टी.डी.सी.	10.00	12.00	15.00
(3) पोस्ट ग्रेजु-एट	15.00	18.00	20.00
(4) लॉ	15.00	18.00	20.00

राजकीय स्कूलों में आठवीं कक्षा तक कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है तथा नवीं व उससे ऊपर की कक्षाओं में इस प्रकार फीस ली जाती है :—

	आयकर देने वाले	आयकर न देने वाले
नवीं कक्षा	3.00	1.50
दसवीं कक्षा	3.50	1.50
ग्यारहवीं कक्षा	4.00	4.00

यहां भी दस हजार तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों की ट्यूशन फीस में कोई रद्दोबदल नहीं होगी तथा दस हजार से ऊपर की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों से ली जाने वाली ट्यूशन फीस में नवीं, दसवीं व ग्यारहवीं कक्षाओं के लिये समान रूप से इस प्रकार संशोधन किया जायगा:—

(1) आयकर देने वाले जिनको निर्धारणीय आय दस हजार से ऊपर लेकिन 15 हजार से नीचे हो रु. 5.00

(2) 15 हजार से 25 हजार तक की आय पर रु. 7.00

(3) 25 हजार से ऊपर की आय पर रु. 10.00

अभी तक राजकीय स्कूलों व कॉलेजों में छात्राओं (लड़कियों से) कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है चाहे उनके माता पिता की आय कितनी ही हो। अब यह निर्णय लिया गया है कि आय कर देने वालों के छात्र-छात्राओं में कोई भी भेद भाव नहीं रखा जावे। आगे से आयकर देने वालों की लड़कियों से उतनी ही फीस ली जायेगी जितनी लड़कों से ली जाती है। यह भी निर्णय लिया गया है कि सब आय कर देने वालों को, चाहे वह किसी भी श्रेणी के हों, फीस देने व निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी कोई भी रियायत नहीं दी जायेगी।

एक माननीय सदस्य : प्रगतिशील कदम है।

87. **श्री मथुरादास माथुर**: संशोधित शुल्क अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू होंगे और यह उम्मीद की जाती है कि ट्यूशन फीस में संशोधन के फलस्वरूप एक वर्ष में 5 लाख रुपये की अतिरिक्त आय होगी।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल: कितनी ?

88. **श्री मथुरादास माथुर**:–5 लाख

आबकारी कर : मैं पहले ही बता चुका हूं कि सरकार ने ड्राई डेज के बजाय अब पूर्ण नशाबंदी का क्षेत्र बढ़ाने का निश्चय किया है।

श्री झुझार सिंह : अब आये मनोहर सिंह जी।

श्री मथुरादास माथुर : सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राजस्थान में सुरक्षा सेनाओं को दी जाने वाली रकम पर आबकारी कर की दर 3 रुपया प्रति एल॰ पी॰ लीटर से बढ़ाकर 6 रुपया प्रति एल. पी. लीटर कर दी जाये। इस संशोधन के बाद भी हमारे राज्य में दर और कई राज्यों से कम रहेगी। अभी वाइन और बीयर पर समान आबकारी कर है। मुझे कुछ शौक करने वालों ने बताया कि वाइन और बीयर को एक ही श्रेणी में रखना ठीक नहीं है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : व्यक्तिगत अनुभव पर कह रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इस राय को मद्देनजर रखते हुए मैंने वाइन को एक विशेष श्रेणी में रख कर उस पर 10 रुपया प्रति एल. पी. लीटर की दर से आबकारी कर लगाने का प्रस्ताव किया है। राज्य में ही खपत होने वाले पोस्त के डोडे पर 85 पैसे प्रति किलोग्राम से बढ़ा कर एक रुपया प्रति किलोग्राम और राज्य से बाहर जाने वाले पोस्त के डोडों पर 15 पैसे प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 25 पैसे प्रति किलो ग्राम आबकारी कर लगाने का प्रस्ताव है। विदेशी शराब तथा भारत में बनी विदेशी शराब के लाइसेंसियों द्वारा दी जाने वाली फीस में भी संशोधन किया गया है। इन सब प्रस्तावों से 1970-71 में 1.55 करोड़ की अतिरिक्त आय का अनुमान है।

89. **यात्री व माल कर** : राज्य की आय में इजाफा करने के लिये यात्री ले जाने और सामान ढोने वाली गाडियों पर कर की दर, सीमेण्ट, डामर, मेटल, ग्रेवल और कंकड़ की सड़कों पर 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत और अन्य सड़कों पर 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के अमल के लिए जरा गौर से सुनिये, एक विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। यह विधेयक सदन द्वारा पारित होने पर संविधान के अनुच्छेद 255 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिये रक्षित किया जायेगा। विधेयक के अधिनियम बन जाने पर एक विज्ञप्ति द्वारा कर की दरें उपरोक्त तरीके से बढ़ा दी जायेंगी। पब्लिक कैरियर और कन्ट्रैक्ट कैरेज के मालिकों से उनके द्वारा एक मुश्त दी जाने वाली राशि में तद्नुरूप वृद्धि कर दी जायेगी। मगर मैं छोटे टैक्सी और आटो-रिक्शा चलाने वाले, जो गुजारे के लिए खुद अपनी गाड़ियां चलाते हैं, सैल्फ ड्राइवर उनको कर में काफी राहत देना चाहता हूं। इसलिये मालिक द्वारा खुद चलायी जाने वाली कन्ट्रैक्ट कैरेजों में एक मुश्त रकम एक तिहाई से आधी तक कम कर दी जायेगी। स्टेज कैरेज के मालिकों के लिये यह विकल्प रखा गया है कि वे चाहें तो कर का भुगतान एक मुश्त अथवा निर्धारित दरों के अनुसार कर सकते हैं। उपरोक्त प्रस्ताव से 56 लाख की अतिरिक्त आय का अनुमान है।

90. **इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी** : यह देखा गया है कि बिजली के अस्थाई कनेक्शन आडम्बर पूर्ण व खर्चीली रोशनी के लिये समाज के धनिक वर्गों द्वारा लिये जाते हैं। इसलिये यह प्रस्ताव है कि ऐसी बिजली की खपत पर इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी 5 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 15 पैसे प्रति यूनिट कर दी

(श्री मथुरा दास माथुर)

जाय। इससे एक लाख रुपये की आय का अनुमान है।

श्री रामकिशन : कितनी ?

श्री मथुरादास माथुर : एक लाख, आवश्यक अधिसूचना संबंधित अधिनियम में संशोधन हो जाने के बाद जारी की जायेगी।

श्री जुझारसिंह : करप्शन टैक्स

91 **श्री मथुरादास माथुर** : **बिक्री कर** : साधन जुटाने को कोई भी स्कीम बिक्री कर को टटोलने के बगैर पूरी नहीं होता। मैं पहले उन चीजों से शुरू करूंगा जिनका ताल्लुक कोमलांगियों से है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कौनसी से ?

श्री मथुरादास माथुर : फेअर सैक्स से, हालांकि शृंगार द्वारा महिलायें अपना आकर्षण और मान बढ़ायें इसका मैं विरोधी नहीं हूं, मगर मैं इस जरिये से थोड़ी सी आय बढ़ाने की कोशिश करूं तो वे बुरा नहीं मानेंगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इधर (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत) की ओर क्यों देखा ?

श्री मथुरादास माथुर : इसलिये मेरी तजवीज है कि गोटा, गोटा किनारी, सलमा, सितारा और बादला पर बिक्री कर 3 प्रतिशत से बढ़ा कर 5 प्रतिशत कर दिया जाये।

श्री नत्थीसिंह : यह छोटों पर गया।

श्री मथुरादास माथुर : इसी प्रकार जेवर पर, जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जवाहरात, पत्थर-कीमती अथवा अर्द्ध कीमती, या मोती असली या कल्चरड् से बने हुए हों उन पर कर की दर 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। अभी जवाहरात और कीमती पत्थर पर मय खरड़ के 1 प्रतिशत का बहु बिन्दु कर लागू है। यह प्रस्ताव है कि कर की दर बढ़ा कर 2 प्रतिशत कर दिया जाये। यह कर पहले की तरह टर्न ओवर की विभिन्न स्लेब पर बढ़ी हुई दरों से एक मुश्त वसूल किया जाता रहेगा।

92. मैंने अपने पिछले बजट भाषण में देशी शराब पर पहली बार बिक्री कर लगाया था। कहीं यह न समझ लिया जाये कि यह स्रोत सूख गया है, इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि देशी शराब पर बिक्री कर 10 प्रतिशत से बढ़ा कर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दिया जाये।

श्री जुझारसिंह : 25 प्रतिशत करें।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे विश्वास है कि इस प्रस्ताव का सभी माननीय सदस्य एकमत से स्वागत करेंगे। जो नशाबन्दी के हामी हैं वह तो इसलिये खुश होंगे कि शराब और ज्यादा मंहगी हो रही है, जो इससे प्रभावित हैं, उनके लिये खामोशी ही उनकी आबरू है।

श्री नत्थीसिंह : असली बात यह कही कि शुरूर ज्यादा आवेगा।

93 **श्री मथुरादास माथुर** : श्रीमन् जो पीते नहीं हैं।

श्री नत्थीसिंह : जो पिलाते हैं केवल !

श्री मथुरादास माथुर : वे साफ्ट ड्रिंक से अपना मन बहला लेते हैं। इस गलतफहमी को दूर करने के लिये कि मैं न पीने वालों के प्रति नरमी बरत रहा हूं।

श्री रामकिशन : इसको बिल्कुल न छोड़ें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं एरिएटेड वाटर पर कर की दर 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

94. मोटर गाड़ियां रखने वाले अभी पैट्रोल पर केन्द्रीय आबकारी कर के बढ़ने से काफी परेशान हुए होंगे। मगर अब भी मैं मानता हूं कि मेरे कुछ वजन डालने पर भी उनकी गाड़ी चलती रहेगी। इसलिये यह तजवीज है कि पैट्रोल पर कर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत और एविवेशन स्प्रिट पर कर—

श्री जुझारसिंह : आपकी सरकारी गाड़ी है वह चलती रहेगी।

श्री मथुरादास माथुर : 8 प्रतिशत से बढ़ा कर 12 प्रतिशत कर दिया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तुम्हारा क्या बिगड़ेगा सरकारी गाड़ी है।

95. **श्री मथुरादास माथुर :** रेडीमेड कपड़े दिन ब दिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं, खासतौर से सिन्थेटिक कपड़ों से बने हुए। मैं ऐसे रेडीमेड कपड़े (विभिन्न प्रकार के होजियरी और हैट छोड़ कर) जिनका मूल्य फी अदद व सूट 15 रुपये से ज्यादा हो उन पर कर की दर 7 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके साथ ही कम आमदनी वालों को राहत देने के लिये रेडीमेड कपड़ों में छूट की सीमा जो आज 6 रुपये है वह बढ़ कर 15 रुपये की जा रही है।

96. आजकल हवा में वैसे ही काफी आतिशबाजी है। इसलिये बारूद से तैयार होने वालों की कम जरुरत है। लिहाजा मैं आतिशबाजी (मय रंगीन माबोज) और पटाखे पर कर की दर 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

97. बिक्री कर की दर सीमेंट और सीमेंट से बनी हुई वस्तुएं मय पाइप व फिटिंग और रंग-रोगन तथा उससे संबंधित सामान आदि पर भी 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

98. अभी होटल, रेस्ट्रां, जलपान गृह और अन्य खाने-पीने की जगहों के चलाने वालों द्वारा की गयी बिक्री पर कर एक मुश्त वसूल किया जाता है। यह एक मुश्त कर करीब 2 प्रतिशत पड़ता है। इन वर्गों के व्यापारियों द्वारा बिक्री की मिकदार में बहुत बढ़ोतरी हुई है जो ऊंची आय वाले लोगों से ही अधिकतर सम्बन्धित है। इसलिये प्रस्ताव है कि इस एक मुश्त कर की दर स्लेब पद्धति के अनुसार बढ़ा कर करीब कुल टर्न ओवर के 5 प्रतिशत के बराबर कर दी जाये।

99. मैं माननीय सदस्यों को आश्वासित करना चाहता हूं कि राज्य के अन्दर खपत होने वाली दाल पर मेरा कोई कर भार बढ़ाने का इरादा नहीं है और जो भी मेरा इस सम्बन्ध में प्रस्ताव है उसका असर

(श्री मथुरादास माथुर)

केवल राज्य से बाहर जाने वाली दाल पर ही पड़ेगा। अभी सभी शक्लों में दालें (मय ग्वार) जैसे दाल, बेसन और ब्रान केन्द्रीय बिक्री कर से मुक्त हैं, बशर्ते उन पर राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत 2 प्रतिशत बिक्री कर लग चुका हो। मैं इस छूट को खतम करने का प्रस्ताव करता हूं और साथ ही केन्द्रीय बिक्री कर की दर घटा कर 1 प्रतिशत तजवीज करता हूं बशर्ते इन चीजों पर राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत 2 प्रतिशत कर लग चुका हो।

100. इस समय किसी वस्तु के क्रय पर कोई कर नहीं लिया जाता। यदि वह वस्तु तत्पश्चात् अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय की जाये। अब दालें (जिसमें ग्वार सम्मिलित है) इनके समस्त रूपों में जिनमें बेसन व ब्रान सम्मिलित है, ये क्रय पर जो ऐसी परिस्थिति में क्रय की गई हो जिसमें कोई विक्रय कर देय नहीं है, दो प्रतिशत की दर से कर लिया जाये. यद्यपि ये वस्तुएं अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में बेची जायें।

101. चावल हमारे राज्य में लोगों का मूल आहार नहीं है और इसका इस्तेमाल ज्यादातर खास मौकों पर ही किया जाता है। इसलिये चावल और धान पर कर की दर 2 प्रतिशत से बढ़ा कर 3 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वह भी मत खाने दो।

102. **श्री मथुरादास माथुर** : अभी डब्बों में बन्द मछली पर तो कर लग रहा है मगर न जाने कैसे ताजी मछली अब तक हाथ से फिसलती रही है। अब यह मेरी पकड़ में आ गई है और मैं सीलबन्द डिब्बों में बिकने वाली मछली के अलावा, सभी प्रकार की मछली पर 3 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

103. बिक्री करों की दरों में कुछ संशोधन, करों की चोरी व बचाव के रास्ते बन्द करने और असंगति को दूर करने की दृष्टि से आवश्यक है। कुछ वस्तुएं जब ऑटो-पार्ट और बिजली के समान के व्यापारियों द्वारा बेची जाती हैं तब उन पर 10 प्रतिशत पर कर लगता है परन्तु जब वही वस्तुए दूसरे किसी व्यापारी द्वारा बेची जाती हैं तब उन पर 7 प्रतिशत कर लगता है। इसलिये प्रस्ताव है कि बाल-बियरिंग, तांबे के तार, पिस्टन और फ्यूल इंजेक्शन यंत्र पर कर की दर समान रूप से 10 प्रतिशत कर दी जाये। इसी प्रकार कन्फेक्शनरी, बिस्कुट आदि जब सील-बन्द डिब्बों में बिकते हैं तब उन पर कर 10 प्रतिशत लगता है परन्तु जब ये ही चीजें खुले रूप है बिकतीं हैं तब इन पर कर 7 प्रतिशत ही लगता है। इसकी वजह से इन चीजों की ज्यादा से ज्यादा खुले रूप में बिक्री करने व दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अतः यह प्रस्ताव है कि बिस्कुट, केक, पेस्ट्री (सिवाय उसके जो बिना बिजली के इस्तेमाल के बनाई जाती हैं और निर्माता द्वारा ही बेची जाती हैं) कन्फेक्शनरी, टाफी, चाकलेट आदि पर कर की दर समान रूप से 10 प्रतिशत कर दी जाये।

104. मुर्गीपालन से प्राप्त वस्तुओं की बिक्री से आय इस समय किसी भी मुर्गीपालकों के टर्नओवर में शामिल नहीं की

(श्री मथुरादास माथुर)

जाती । यह प्रस्ताव है कि इन वस्तुओं को भी व्यापारियों के टर्न ओवर में शुमार कर लिया जाये ।

105. कुछ न्यायिक फसलों में कोर्न-फ्लेक और व्हीट फ्लैक को अनाज का ही रूप माना गया है । इसी प्रकार सोलवेण्ट आइल को खाने योग्य तेल और पानी वाले नारियल को ताजा फल माना गया है । इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि कोर्न फ्लैक व व्हीट फ्लैक के लिये स्पष्टत: 10 प्रतिशत की विशेष दर निर्धारित की जाये और सोलवेण्ट आईल व पानी वाले नारियल के लिये 7 प्रतिशत की सामान्य दर लागू की जाये ।

106. लिखने की कापियों पर बिना शर्त छूट कर की चोरी का एक मुख्य कारण बन गयी है इसलिये यह छूट समाप्त की जा रही है । भविष्य में लिखने की कापियों पर 7 प्रतिशत की सामान्य दर से कर लगाया जायेगा । मगर छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं को उनके छात्रों के वास्तविक इस्तेमाल के लिये बेची गयीं लिखने की कापियां कर से मुक्त रहेंगी ।

श्री नत्थी सिंह : कहां कहां ढूंढते फिर रहे हैं !

107. श्री मथुरादास माथुर : मैं अब कुछ रियायतों का जिक्र करूंगा । कपास पर अभी 3 प्रतिशत की दर से कर है मगर काटन वेस्ट (Cotton waste) पर कर 7 प्रतिशत है । इस असंगति को दूर करने के लिये काटन वेस्ट पर कर की दर घटा कर 3 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है ।

108. सूती होजियरी पर कर की दर पड़ौसी राज्यों में हमारी 7 प्रतिशत दर से काफी कम है । स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिये इन वस्तुओं पर कर की दर 7 प्रतिशत से घटा कर 3 प्रतिशत कर दी जाये ।

109. सूवा के व्यापारियों ने मांग की है कि अजवाईन, मिर्च, मेथी, धनिया आदि को कुछ विशेष परिस्थितियों में 3 प्रतिशत की घटाई हुई दर पर कर देने की जो रियायत मिली हुई है वह सूवे पर भी लागू कर दी जाये । इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि उक्त फहरिस्त में सूवा भी शामिल कर लिया जाये ।

110. हल आज भी कर मुक्त है । मैं इस रियायत को पशुचालित कृषि यंत्रों जैसे कल्टीवेटरस्, हैरोज, सीड ड्रिल्स और लैण्ड लेवलरस् पर भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं जिससे कि छोटे किसानों को राहत मिलेगी ।

111. साबुन बनाने के कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये यह प्रस्ताव है कि ऐसे साबुन को कर मुक्त कर दिया जाये जो साबुन बनाने वाले और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा ही बना कर बेचा जाता है । बशर्ते साबुन बनाने के दौरान उसने बिजली इस्तेमाल न की हो और न उसने कोई भी भाड़े पर मजदूर किया हो ।

श्री नत्थी सिंह : इसके लिए एफी डेविट मांगेंगे ।

(श्री मथुरा दास माथुर)

112. हाथ से बना हुआ कागज अभी कर से मुक्त है। निमंत्रण पत्र, लिफाफे, फाइल कवर, लैटर हैड, पैड और स्टेशनरी की अन्य हाथ से बने कागज की वस्तुओं को भी कर की छूट देने का प्रस्ताव है जिससे कि इस स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा।

113. नान फेरस मैटल स्क्रेप (Non-ferrous metal scrap) और बर्तनों के स्क्रेप के व्यापारियों की कुछ समय से मांग है कि उनकी वस्तुएं जिन पर अभी प्रथम बिन्दु पर कर लग रहा है उसको हटाकर अन्तिम बिन्दु पर लगा दिया जाये। इसी प्रकार व्यापारियों की यह भी मांग है कि गेलवेनाइज्ड (Galvanised) सादी और नालीदार चद्दरों पर भी अंतिम बिन्दु पर ही कर लगाया जाये। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन सब वस्तुओं पर कर प्रथम बिन्दु की जगह अंतिम बिन्दु पर लगा दिया जाये।

114. पगड़ी अभी कर से मुक्त है।

श्री रामकिशन : इसमें आपने उदयपुर जोधपुर का ख्याल रखा है, क्षेत्रीय भावना है।

श्री मथुरादास माथुर : परन्तु चल्लावाली पगड़ी अभी कर से मुक्त नहीं है। अब प्रस्ताव है कि चल्लेवाली पगड़ी भी कर से मुक्त कर दी जाये।

115. माननीय सदस्य जानते हैं कि राजस्थान में खाने के अन्त में पापड़ परोसने का रिवाज है। इससे खाना हजम होने में मदद मिलती है। अभी तक जो मैंने कर प्रस्ताव रखे हैं उनको हजम करने में सहूलियत हो इसलिये मैं अन्त में पापड़ सम्बन्धी तजवीज रखूंगा। आज पापड़ और मुंगोड़ी पर 2 प्रतिशत की दर से कर है अब मैं इनको कर से पूरी तरह मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

116. इन रियायतों को मुजरा देने के बाद उपरोक्त बिक्री कर के प्रस्तावों से 1970-71 में एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय का अनुमान है।

117. **बजट की कुल स्थिति** : उपरोक्त साधन जुटाने के प्रयत्नों से 1970-71 में कुल 3.62 करोड़ की अतिरिक्त आय का अनुमान है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, कुल बजट में घाटा 32.97 करोड़ होगा। इसमें 33 लाख रुपये की बाद में की गई राज्य योजना के खर्च में वृद्धि शामिल नहीं है। साधन जुटाने के प्रयत्नों से होने वाली 3.62 करोड़ की अतिरिक्त आय के कारण, कुल घाटा 29.68 करोड़ रह जायगा। मुझे उम्मीद है कि यह घाटा भारत सरकार से मिलने वाली विशेष सहायता से पूरा हो जायेगा। इसलिये बजट संतुलित माना जाये।

118. श्रीमन् मैं अब अपनी तकरीर खतम करना चाहता हूं। मैंने सदन के सामने राजस्थान की मौजूदा वित्तीय स्थिति और विकास की तस्वीर मोटे रूप में पेश की है। मैंने उन नीतियों की भी चर्चा की है जिनके आधार पर हम राजस्थान का भविष्य बनाना चाहते हैं। हमें सिर्फ लोकतंत्र को ही कायम नहीं रखना बल्कि उसके साथ साथ नये समाज का भी निर्माण करना है जिसका आधार शिला समाजवाद होगी। ज्यों ज्यों हम मंजिल की तरफ बढ़ेंगे रास्ते

(श्री मथुरा दास माथुर)

में रोड़े आयेंगे, पर उन्हें हमें हिम्मत व हौसले के साथ शर करना होगा। यह तभी हो सकता है जब सदन के माननीय सदस्यों का और आमअवाम का सहयोग हो। आने वाले वर्षों में हमें अपने चिन्तन के तरीकों को बदलना होगा और उसके साथ साथ हमारा हर कदम समाज के पद्दलित व दबे इन्सानों को ऊपर उठाने की दिशा में बढ़ना चाहिये। मुझे तसल्ली है कि हमें इसमें कामयाबी मिलेगी।

"सब तरह के लोग साकी,
आज तेरी महफिल में है।
जिस तरफ देखा न अब तक,
उस तरफ देखा तो है ॥"

119. श्रीमन् इन शब्दों के साथ मैं 1970-71 के बजट के तखमीने सदन के समक्ष विचार एवं स्वीकृति के लिये पेश कर रहा हूं।

जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान करारोपण विधेयक।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पार्लियामेंट जैसी भूल मत कर देना।

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, 1970 का पुरःस्थापन।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक 1970 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक 1970 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

एक माननीय सदस्य : दुबारा पूछ लीजिये साहब।

श्री मथुरादास माथुर : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

राजस्थान यात्री तथा मालकर (संशोधन) विधेयक, 1970 का पुरः स्थापन

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल 11 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 6 बज कर 14 मिनिट पर मंगलवार दिनांक 10 मार्च, 1970 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 9 मार्च, 1970)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
5	ऊपर से	2	की	में
5	,,	8	हो	हों
15	—		(रघुनाथ विश्नोई)	(श्री रघुनाथ विश्नोई)
16	ऊपर से	9	यसवर्न्तसिह्	यशवर्न्तसिह्
18	,,	16	हाईकोट्स	हाईकोर्ट्स
23-24	शीर्षक		वधानिक	वैधानिक
33	ऊपर से	2	एड्स	एड्रेस
34	,,	8	इन्फिन्ज	इन्फ्रिन्ज
35	,,	15	स्वाकार	स्वीकार
42	,,	9	महत्वपूण	महत्वपूर्ण
42	,,	21	कह	कहा
44	नीचे से	10	अध्य	अध्यक्ष
48	ऊपर से	9	ट्वन्टा	ट्वन्टी
49	,,	22	370	3.70
53	,,	7	मीकिलोटर	किलोमीटर
56	नीचे से	5	अपुत्वादक	अनुत्पादक
66	,,	8	ग्राय-अवास	अन्य प्रवास
99	ऊपर से	10	उनक	उनके
101	नीचे से	13	हमार	हमारे
65 से 80	शीर्षक		रा. म. के. अभि. सं. ध. प्र.- 9 मार्च, 1970 पर वैधानिक आपत्ति	आय-व्ययक भाषण-9 मार्च, 1970-आय व्ययक भाषण